राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का एक सौ अस्सीवां दिवस [संख्या: 28

शुक्रवार,

21 जुलाई 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कल रात जो भूकम्प आया उससे राजस्थान की जनता को वस्तुस्थिति अवगत कराने के लिए राजस्थान सरकार जस्ट आफ्टर 295 स्टेटमेंट देगी।

प्रश्न। श्री बलजीत यादव।

तारांकित प्रश्नोत्तर

बहरोड़ के नीमराना फोर्ट से लगती हुई भूमि पर अतिक्रमण

533. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के नीमराना फोर्ट एवं उससे लगती हुई भूमि को जिस संस्था ने क्रय किया, वह वर्तमान में उक्त पर काबिज है? उक्त संस्था द्वारा क्रय की गई भूमि से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो कितनी भूमि पर व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में स्थित नीमराना फोर्ट खसरा नम्बर 505/593, रकबा 4.75 हैक्टेयर, किस्म गैर मुमकिन किला को मैसर्स देहली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रय किया गया था एवं वर्तमान में संस्था की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। मैसर्स देहली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रयशुदा 4.75 हैक्टेयर भूमि पर ही कब्जा है। इसके अतिरिक्त जमीन पर कब्जा नहीं है।

(2) बिन्दु संख्या-1 के अनुसार वर्तमान में अतिक्रमण नहीं होने से प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि यह नीमराना फोर्ट खसरा संख्या 505 और 593 जो कि जंगलात की जमीन सैटलमेंट में 1984 में राजेन्द्र सिंह पुत्र उमराव सिंह के नाम दर्ज हो गयी और इन्होंने मैसर्स देहली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी तो यह वापस वन विभाग के नाम दर्ज हो, इस बारे में विभाग की तरफ से क्या प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि यह मैं पहले भी विभाग का ध्यान आकर्षित करवा चुका हूं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुझे उत्तर मिला, उसके अनुसार 30 जुलाई, 1986 में मैसर्स देहली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड ने यह जमीन क्रय की है। पिछली बार फरवरी, 2022 में विधान सभा में ही माननीय सदस्य श्री कान्ति प्रसाद मीणाजी का यह प्रश्न लगा था 7047, उसके बाद इसकी पैमाइश करवाई गयी तो जो अतिक्रमण इसमें 2022 में आया, वह रोप-वे के पिलर व तारबंदी तो जोइंट पैमाइश के साथ काम हुआ, तो स्वयं संस्था ने ही जो तारबंदी और पिलर रोप-वे का था, वह हटा लिया, यह 2022 में हुआ। उसके बाद में इसकी क्रयशुदा जमीन है 4.75 हैक्टेयर, उसी में इसका कब्जा है। फिर भी माननीय सदस्य ने अभी वन भूमि की और बात बतायी है, यह बात पहले आयी नहीं, तो उसको दिखवा कर भी एक बार हम और जांच करवा लेंगे, बाकी 2022 में आपके यहां से ही आर्डर होने के बाद हमने पैमाइश करवाई थी। यह है पूरी वस्तुस्थिति।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

झुन्झुनूं में डी एम एफ टी की राशि का उपयोग

534. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झुंझुनूं में डी एम एफ टी के अन्तर्गत माह जनवरी, 2023 को कितनी राशि उपलब्ध थी तथा उपलब्ध राशि में से कुल कितनी राशि की स्वीकृतियां जारी कर दी गयीं तथा कितनी शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या डी एम एफ टी में प्राप्त राशि के व्यय के लिये सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुभाष पूनिया)

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में डी एम एफ टी में वर्ष 2022 में प्राप्त राशि से स्वीकृत कितने कार्य नियत समय में पूर्ण किये गये व कितने शेष हैं? स्वीकृत राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (खान मंत्री के स्थान पर): (1) झुन्झुनूं जिले में डी एम एफ टी फण्ड में जनवरी, 2023 तक राशि रुपये 72.68 करोड़ जमा हुई। उक्त जमा राशि में से विभिन्न विकास कार्यों हेतु रुपये 57.10 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। डी एम एफ टी फण्ड में जनवरी, 2023 तक जमा राशि में से दिनांक 14.07.2023 को राशि रुपये 23.59 करोड़ शेष है। ट्रस्ट फण्ड में जमा राशि व विभिन्न मदों में व्यय हुई राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) डी एम एफ टी फण्ड में जमा राशि के उपयोग के सम्बन्ध में राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 15 के उप नियम (3) में प्रावधान किये गये हैं। सम्बन्धित नियम की प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट फण्ड में जमा राशि के स्वीकृति एवं भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 23.05.2022 से भी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड से वर्ष 2022 में 09 कार्य स्वीकृत किये गये। उक्त सभी कार्य नियत अवधि में पूर्ण हो चुके हैं। विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

(विवरण प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, डी एम एफ टी फण्ड का क्या जिले के विधान सभा क्षेत्रों में आबंटन का आधार निर्धारित है? यदि हां, तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2022 में सबसे कम राशि देने का क्या कारण रहा? इसमें सीधा हमारे जिले में जैसे 2022 में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न हो गया। माननीय सदस्य, प्रश्न हो गया।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक डी एम एफ टी झुन्झुनूं का और इनके विधान सभा क्षेत्र का इश्यू है तो इसमें

(श्री रामलाल जाट)

सारे नियम 31.05.2016 के बाद में गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से डी एम एफ टी फण्ड का वितरण होता है। माननीय सदस्य ने झुन्झुनूं जिले का क्वेश्चन लगाया है। 14.07.2023 तक 80.76 करोड़ रुपये इनके वहां पर जमा हैं, जिसमें से कुछ स्वीकृतियां निकली हैं, जो अंतिम गवर्निंग काउंसलिंग की इनकी मीटिंग थी 28.04.2022 को, उससे पहले की सारी स्वीकृति इनकी निकल चुकी है।

माननीय सदस्य, सूरजगढ़ का जो अंशदान है वह 7.12 करोड़ रुपये है, जिसके अन्दर इनका हक बनता है 8.22 परसेंट, पर इनकी स्वीकृतियां 9.19 परसेंट तो गवर्निंग काउंसिल निकाल चुकी है। दिनांक 28.04.2022 की अन्तिम मीटिंग में जितने प्रस्ताव थे, वे सारे इनके स्वीकृत हो गये और काम भी इनके पूर्ण हो गये। उसके बाद माननीय सदस्य ने 10 कामों की लिस्ट और दी है यह 28.04.2022 को, उसके बाद तो इनकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई। यह 28.04.2022 के बाद इन्होंने कागज दिये हैं। अब जो नेक्स्ट मीटिंग के लिए हमने, पिछला जो क्वेश्चन लगा था उसमें यह डाइरेक्शन दिये हैं सभी जिला कलक्टर्स को, आज और कह देंगे कि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग जल्दी बुलायें ताकि माननीय सदस्यों के यहां जो पैसा पड़ा हुआ है, उसकी स्वीकृति निकल जाये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): मेरा तो सीधा-सीधा प्रश्न यह है कि जब मीटिंग हुई थी, उसमें स्पष्ट यह था कि सबको समान रूप से आबंटन कर दिया जायेगा। उसके बाद खेतड़ी को 5 करोड़ रुपये दिये हैं, उदयपुरवाटी को 4 करोड़ रुपये, नवलगढ़ को 4 करोड़ रुपये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। यह तो है।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): मेरे को मात्र एक करोड़ रुपये दिये हैं, तो इसके क्या कारण रहे? माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे से जब यह मीटिंग होगी तो क्या समान आबंटन का हमारा अधिकार है, क्या आप समान आबंटन करेंगे?

श्री अध्यक्ष: अधिकार नहीं है, गवर्निंग काउंसिल की पावर में यह है। अधिकार नहीं है नियमों के अंतर्गत।

अगला प्रश्न। श्री वेद प्रकाश सोलंकी।

चाकसू स्थित शीतला माता मन्दिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्ययोजना

535. श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चाकसू में शीतला माता मंदिर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री मुरारी लाल): जी हां। विधान सभा क्षेत्र चाकसू में स्थित शीतला माता मन्दिर धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

पर्यटन विभाग द्वारा किसी मन्दिर अथवा स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाता है अपितु पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: पर्यटक स्थल बन जाता है।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं कि वर्तमान में जयपुर जिले में सिर्फ एक मात्र सरकारी जो हमारी छुट्टी होती है वह शीतला माता की होती है। पूर्व में यह सिर्फ मेले के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जबसे लम्पी रोग आया है, वहां पर राजस्थान के सैकड़ों-हजारों लोग रोजाना जा रहे हैं और वहां पर दर्शनीय स्थल है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि, साहब, इसको पर्यटक स्थल में सम्मिलित करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी स्थान के लिए वर्ष 2022-23 हेतु बी.एफ.सी. में प्रस्ताव, वित्त, नवीन पर्यटक विकास कार्यों अन्तर्गत चाकसू स्थित शीतला माता मन्दिर में पर्यटन विकास कार्य हेतु राशि रुपये 200 लाख प्रस्तावित की गयी थी। उक्त के क्रम में अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-चाकसू द्वारा शीतला माता मन्दिर पर पर्यटन विकास कार्य करवाने जाने हेतु राशि रुपये 200 लाख का तखमीना तैयार कर माह फरवरी, 2023 में पर्यटन निदेशालय को भिजवाया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त उक्त प्रस्ताव अन्य

(श्री मुरारी लाल)

प्रस्तावों के साथ इकजाई कर वित्त विभाग को पर्यटन विकास कोष से स्वीकृति हेतु माह मार्च, 2023 में ही भिजवाये गये थे। वित्त विभाग ने अपनी टिप्पणी आई.डी. संख्या...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह नहीं, आप तो केवल रेलेवेंट बताइये।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): साहब, यह कर दिया कि बजट में जो घोषित है, उसको प्राथमिकता दी जायेगी, इसलिए स्वीकृत नहीं हो पाया।

श्री अध्यक्ष: अब क्या स्थिति है?

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्रीजी बता रहे हैं, वह राशि अभी तक न तो वहां पर लगी है और न ही स्वीकृत हुई है। मैं यह चाहता हूं कि यह राशि कब तक लग जायेगी? यही मैं पूछना चाहता हूं।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): साहब, बजट की उपलब्धता पर प्राथमिक आधार पर करवाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: बजट की उपलब्धता नहीं, माननीय सदस्य की भावना को समझकर यह इतना प्रसिद्ध स्थान है, यह राशि भी बहुत बड़ी नहीं है इसलिए वित्त विभाग से परश्यू करके इसकी राशि को स्वीकृत करायें।

अगला प्रश्न। श्रीमती साफिया जुबेर।

मेवात आवासीय बालिका विद्यालयों में स्वीकृत कार्य

536. श्रीमती मंजु देवी (जायल) (श्रीमती सफिया जुबेर के स्थान पर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या मेवात विकास बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में मेवात आवासीय बालिका विद्यालयों में स्वीकृत कार्यों को कार्यकारी संस्था समग्र शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाया गया है? यदि हां, तो जिलेवार, वर्षवार एवं कार्यवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यों को यदि उक्त कार्यकारी संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करवाया गया है, तो संबंधित के विरुद्ध प्रशासनिक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती मंजु देवी)

(3) क्या सरकार उक्त आवासीय बालिका विद्यालयों को कक्षा 6 से 12 तक क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी हां। जिलेवार, वर्षवार एवं कार्यवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	जिले का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्यों की संख्या
1.	अलवर	2022-23	10
2.	भरतपुर	2022-23	0

(2) सभी 10 कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवा दिये गये हैं।

(3) शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार उक्त 10 मेवात आवासीय बालिका विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक विद्यालय मय छात्रावास संचालित हैं।

मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 के लिए क्रमोन्नति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रफीक खान।

मदरसा फेसिलिटी ग्रांट पुन: प्रारम्भ करने की कार्ययोजना

537. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंजीकृत मदरसों हेतु एमएफजी-मदरसा फेसिलिटी ग्रांट विगत वर्षों में दी जाती थी तथा अब उक्त को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो बन्द करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंजीकृत मदरसों को दी जाने वाली उक्त ग्रांट को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) वर्ष 2020-21 में राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों को एमएफजी-मदरसा फेसिलिटी

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

ग्रांट के तहत प्राथमिक स्तर के मदरसों को राशि रुपये 5,000/- एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को राशि रुपये 12,000/- दिये गये थे। वर्तमान में उक्त योजना में कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

(2) पंजीकृत मदरसों में एमएफजी की राशि राज्य सरकार द्वारा दिया जाना राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पहले खण्ड में कह रहे हैं तो यह कितने इंस्टीट्यूशंस को कितना रुपया दिया जा रहा था? आपने यह कहा कि 2020-21 में पैसा दिया गया, यह कौनसे साल का दिया गया और इसमें टोटल भार कितना आया?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 2020-21 में कुल 1.87 करोड़ रुपये इस मदरसा फेसेलिटी ग्रांट में दिये थे।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यह आपने कौनसे साल के दिये?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): 2020-21 में। इससे पूर्व भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा विभाग को जो राशि मिलती थी, उसमें मदरसा शिक्षा को भी साथ में दिया जाता था। उसके बाद 2018-19 में भारत सरकार ने कम्पोजिट स्कूल ग्रांट से मदरसा शिक्षा बोर्ड को बाहर कर दिया।

हमने भारत सरकार को 07.01.2019 को चिट्ठी लिखी। फिर 11.11.2019 को लिखी और समसा द्वारा भी 05.11.2018 को भारत सरकार चिट्ठी लिखी गयी। उन्होंने 14.06.2019 को जब पीएबी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मदरसा शिक्षा को शामिल नहीं किया इसलिए 2020-21 में तो राजस्थान सरकार द्वारा इस ग्रांट को दिया गया था। उसके बाद हमने भारत सरकार को निवेदन किया। भारत सरकार ने उस ग्रांट को बन्द कर दिया। कुल मिलाकर हमारे 2,867 प्राथमिक मदरसे हैं और 372 उच्च प्राथमिक मदरसे हैं। उनमें 20 से अधिक नामांकन वाले मामलों को हमने जो राशि दी थी, 122 मदरसों को दे दी गयी थी। बाकी जो मदरसे हैं, उनमें से किसी का अकाउंट नहीं था या जिनका नामांकन 20 से कम था, उनको कोई राशि नहीं मिली।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मंत्री महोदय को मैं बता दूं कि यह 2020-21 का नहीं है, 2019-20 का है।

श्री अध्यक्ष: आप बताओगे या प्रश्न पूछोगे?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं बता रहा हूं क्योंकि ये गलत आंसर दे रहे हैं। वह पैसा 2019-20 का है। 01 करोड़ 88 लाख टोटल भार है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गलत उत्तर दिया है तो आपको पूरा अधिकार है उसके बारे में। आपको यहां करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न पूछो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): टोटल 01 करोड़ 88 लाख हम बाकी वर्षों का कब तक दे देंगे?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): 1.87 करोड़ के लिए हम वित्त विभाग को वापस निवेदन करेंगे। यदि राशि मिलती है तो दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मंजु देवी।

भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

538. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वयं का भवन है व कितने भवनविहीन हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समस्त भूमि व भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को कब तक भूमि व भवन उपलब्ध करा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (महिला एवं बाल विकास मंत्री के स्थान पर): (1) प्रदेश में वर्तमान में कुल 61,873 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इनका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में संचालित कुल 61,873 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 26,981 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों (स्वयं के भवन) में तथा शेष 34,892 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य भवनों में संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

(श्री टीकाराम जूली)

क्र. सं.	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	विभागीय भवनों में	अन्य सरकारी भवनों में	सरकारी स्कूल भवनों में	सामुदायिक भवनों में	निजी नि:शुल्क भवनों में	किराये के भवनों में
1	61,873	26,981	2,475	19,643	2,592	1,738	8,444

विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ में समाहित है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमश: किराये के भवनों, नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों की एवज में निर्धारित नोर्म्स के अनुसार करवाया जाता है। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने के पश्चात् नरेगा, 15वें वित्त आयोग इत्यादि योजनाओं के कन्वर्जेंस से करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती मंजु देवी (जायल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से दो प्रश्न पूछना चाहूंगी। पहला प्रश्न है कि पिछले पांच वर्ष 2017 से 2022 में भारत सरकार से कितना पैसा आया? दूसरा, आपने खण्ड (3) में लिखा है कि भूमि आबंटित कराने पर, जो शेष भवन हैं, उनको आप कब तक बनवा देंगे?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि 2017 से 2022 तक एक रुपया भी भारत सरकार से नहीं आया है। आपने पूछा है कि बचे हुए भवन हैं, वह कब तक बन जायेंगे। उसके बारे में यह है कि हमारी प्राथमिकता में सबसे पहले किराये के भवन, फिर नि:शुल्क भवन और अन्त में राजकीय स्कूलों के भवन के हिसाब से करेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके यहां किराये के भवनों में जो आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं आप अगर जमीन के पट्टे उपलब्ध करवा देंगे तो सभी को बनवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

अरनेठा से घाटका सड़क को एम डी आर घोषित करने की कार्ययोजना

539. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि विभाग खण्ड लाखेरी द्वारा अरनेठा से घाटका बराना वाया जयस्थल, कोडिजा को एमडीआर सड़क घोषित करने के प्रस्ताव सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं? यदि हां, तो उक्त को कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान पर पूर्व में निर्मित ग्रामीण सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त को एमडीआर सड़क स्वीकृति होने से पूर्व दुरुस्त कराया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त को कब तक दुरुस्त करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी नहीं।

(2) अरनेठा से घाटका बराना वाया जयस्थल, कोडिजा तक सीधा सड़क मार्ग नहीं है।

अरनेठा से घाटका बराना तक सीधी सड़क मेगा हाईवे (स्टेट हाईवे-33) का भाग है जिसकी स्थिति संतोषजनक है।

अरनेठा से जयस्थल की लम्बाई 9.00 किमी है जिसमें 3.00 किमी. स्टेट हाईवे-125 एवं 6.00 किमी. एमडीआर-212 का भाग है, जो वर्तमान में नोन पेचेबल है। उक्त सड़क का सीआरआईएफ योजनान्तर्गत दिनांक 07.07.2023 को अनुमोदन जारी किया गया है।

अरनेठा जयस्थल सड़क के किमी. 3/0 से रघुनाथपुरा मोड़ (स्टेट हाईवे-34) तक सड़क की लम्बाई 12.50 किमी. है जो स्टेट हाईवे-125 का भाग है। उक्त सड़क का सीआरआईएफ योजनान्तर्गत दिनांक 07.07.2023 को अनुमोदन जारी किया गया है।

रघुनाथपुरा मोड़ से माइजा तक सड़क की लम्बाई 2.00 किमी. है जो स्टेट हाईवे-34 का भाग है एवं वर्तमान में संतोषजनक है।

माइजा से कोडिजा तक ग्रामीण सड़क की लम्बाई 2.00 किमी. है एवं वर्तमान में संतोषजनक है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि केन्द्रीय सड़क निधि से एमडीआर जो सड़क स्वीकृत घोषित हुई है, उसके अतिरिक्त जो ढाई-तीन किलोमीटर का टुकड़ा बचा हुआ है, क्या उसको आप स्वीकृत करने का विचार रखते हैं?

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

दूसरा मेरा निवेदन है कि उक्त सभी सड़कों को 8 लेन की वजह से खतम कर दिया गया है। इसकी पीडब्ल्यूडी ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवायी है। क्या उसमें हमें कुछ राशि मिली क्या?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि आपने जो रूट बताया था, वह रूट के हिसाब से जहां तक था, जो रूट एमडीआर में बनता था वह तो स्वीकृत कर दिया गया है। इस रूट के अलावा दो किलोमीटर का आपका टुकड़ा अलग से है, रोड 2 किलोमीटर है वह कोडिजा तक है, उसका अभी कोई प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन नहीं है। निश्चित तौर पर भविष्य में जब भी प्रस्ताव जायेंगे तो आपका 2 किलोमीटर का जो रोड है, वह सीआरआईएफ के तहत भिजवा देंगे।

नम्बर दो, आपने बताया कि 8 लेन के तहत आपके वहां की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पूरी तरह से टूट गयी हैं, निश्चित तौर पर आपकी भावना बिलकुल ठीक है। हमने कई बार भारत सरकार को निवेदन किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी पत्र लिखे हैं, मैंने खुद ने भी पत्र लिखे हैं कि जो मुम्बई-दिल्ली कोरिडोर बन रहा है, उससे आसपास की सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। केन्द्रीय मंत्री महोदय को भी मैंने निवेदन किया था कि हमें कुछ अलग से पैकेज दे दें तो वहां की क्षतिग्रस्त सड़कों को हम ठीक करवा दें, क्योंकि बहुत सारी सड़कें खराब हो गयी हैं।

मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको धन्यवाद देना चाहिए राजस्थान सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी को, कि आपने क्वेश्चन लगाया और ये स्वीकृत हो गयीं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद दे रहे हो आप?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): जी, धन्यवाद साहब, लेकिन सड़कें टूटी हुई हैं और ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तीन साल पहले जो सड़क स्वीकृत हुई थी उसका भी आज काम अधूरा पड़ा हुआ है। सभी सड़कों का समय पर काम पूरा हो।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, कमेन्ट के लिए आपको।

अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर में पालनहार योजना के लाभार्थी

540. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गणेश घोघरा)

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सरकार द्वारा पालनहार योजना, बीपीएल, विकलांग सूची के तहत कितने आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत किये? उक्त में से कितनों को लाभान्वित किया गया? वंचित आवेदकों के लिए आगामी क्या योजना है? योजनावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजनान्तर्गत लम्बित आवेदकों को सरकार लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनों को तथा कब से एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभिन्न योजनान्तर्गत स्कूल विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों से विगत तीन वर्षों में कितने बालकों को लाभान्वित किया जा चुका है? लाभान्वित छात्र-छात्राओं का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पालनहार योजना, बीपीएल, विकलांग सूची के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या, लाभान्वितों की संख्या, वंचितों आवेदन का योजनावार संख्या विवरण निम्नानुसार है:-

पालनहार योजना

क्रम संख्या	वर्ष	प्राप्त आवेदन	लाभान्वित	वंचित आवेदक
1	2022-23	513	513	0
2	2021-22	558	558	0
3	2020-21	1064	1064	0
4	2019-20	721	721	0
5	2018-19	613	613	0

बीपीएल सूची के आवेदक

क्रम संख्या	वर्ष	प्राप्त आवेदन	लाभान्वित	वंचित आवेदक
1	2022-23	170	170	0
2	2021-22	194	194	0
3	2020-21	320	320	0
4	2019-20	224	224	0
5	2018-19	202	202	0

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

पालनहार योजनान्तर्गत विशेष योग्यजन माता/पिता श्रेणी के आवेदक

क्रम संख्या	वर्ष	प्राप्त आवेदन	लाभान्वित	वंचित आवेदक
1	2022-23	46	46	0
2	2021-22	57	57	0
3	2020-21	223	223	0
4	2019-20	130	130	0
5	2018-19	75	75	0

विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कोई भी नियमानुसार पात्र आवेदक उक्त वर्णित योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कोई नियमानुसार पात्र आवेदक उक्त वर्णित योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं है। आवेदन प्राप्ति एवं निस्तारण करना एक सतत प्रक्रिया है।

(3) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. डूंगरपुर, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) डूंगरपुर, कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान बीकानेर एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर से प्राप्त सूचना अनुसार स्कूल विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों से विगत 3 वर्षों में लाभान्वित छात्र-छात्राओं का योजनावार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: बाकी क्या रह गया? सब तो मिल गया है। प्रश्न पूछें, कोई पूछना है तो।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि टीएस.पी. क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है और एस.सी; एस.टी. के जो बच्चे कालेज और स्कूल में पढ़ते हैं, उनको समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। आने-जाने का किराया नहीं होने के कारण कई छात्राएं शिक्षा से वंचित भी रहती हैं। कोई STC कर रहा है और बी.एड. कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें प्लीज, आ गया। यह रेलेवेंट प्रश्न नहीं है। आप बैठें।

प्रश्न संख्या 541

अगला प्रश्न। श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री लाखन सिंह।

करौली में श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु पर सहायता

542. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में माह जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी हुई तथा कितने श्रमिकों को उपचार हेतु सहायता व कितने श्रमिकों को मृत्यु उपरान्त मुआवजे का भुगतान किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त बीमारी की रोकथाम के लिये क्या-क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) चिकित्सा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र करौली में माह जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में कुल 1,214 श्रमिकों को सिलिकोसिस पीड़ित होने के प्रमाण पत्र जारी किये गये। निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र करौली में 1,214 श्रमिकों को सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों को सिलिकोसिस प्रमाणीकरण सहायता राशि दी गई एवं 375 सिलिकोसिस बीमारी से मृत व्यक्तियों के विधिक उत्तराधिकारियों को सिलिकोसिस सहायता राशि का भुगतान श्रम विभाग के बजट मद से एवं खान विभाग, करौली तथा निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर द्वारा न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि से किया गया।

(2) विगत दो वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त बीमारी की रोकथाम के लिये किये गये उपाय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि यह करौली क्षेत्र डांग क्षेत्र है और इसमें हर घर में

(श्री लाखन सिंह)

सिलिकोसिस बीमारी है और यहां जो संख्या दी गयी है तीन साल के अन्दर 1214, यह संख्या का आंकड़ा भी सही नहीं है और मैंने इसमें इनसे विवरण मांगा है, संख्यात्मक विवरण, विवरण भी यह अभी दे नहीं पाये हैं जवाब में। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि एक तो संख्यात्मक विवरण मिल जाये और जो आंकड़े हैं, वह सही कर दिये जायें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना 2015 में इसकी घोषणा की गयी। पालिसी बनी 2019 में और श्रम विभाग के पास 04.08.2021 तक यह हमारे पास था और फिर उसके बाद में समाज कल्याण विभाग को यह ट्रांसफर हो गया। हम तो केवल मात्र जो भवन निर्माण श्रमिक हैं, उनका जो भुगतान करता है निःशक्त योग्यजन विभाग, उनका हम पुनर्भरण करते हैं। हमारे पास जब तक यह विभाग था, तो इस जिले में 138 स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाये गये और 6,809 श्रमिकों का परीक्षण किया गया, उसमें से 3,410 श्रमिक सिलिकोसिस से ग्रसित पाये गये। उसके बाद में जो हमने राशि दी है, वह 1,214 लोग जो पीड़ित निकले, 3 लाख हम पहले देते हैं और मृत होने के बाद में जो राशि दी गयी है 375 लोगों को दी गयी है।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी कह रहे थे 3,410 श्रमिक सिलिकोसिस से पीड़ित पाये गये हैं जिसमें से 1,214 को राशि दी गयी है। बाकी को कब तक इसका पैसा मिल जायेगा?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): हमारे पास डिपार्टमेंट 2019 तक था, तब तक का आंकड़ा है। उसके बाद में, आपने दो साल के मांगे हैं, दो साल के हमने मुहैया करवा दिये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा, आपने कहा कि 3,410 लोग सिलिकोसिस की बीमारी से पीड़ित थे और आपने प्रमाण पत्र 1,214 को दिया। क्या यह सही है कि जिन को आप सिलिकोसिस की बीमारी के कारण पात्र नहीं पाते हैं उनको अपील करने का अधिकार है? क्या आपने वहां पर अपीलांट बोर्ड गठित कर रखा है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो हमने आंकड़े पहले के दिये हैं, यह दिये हैं, श्रम विभाग के पास जब तक

(श्री सुखराम विश्नोई)

यह राशि थी देने की, यह हमारे से ट्रांसफर हो गयी 2022 के अन्दर। यह आंकड़ा 2022 से पहले का है। इन्होंने सिर्फ दो साल का मांगा है। पालिसी बनी थी 2019 में, 2019 से लेकर दो साल का मांगा है, 2020 का इन्होंने दिया होगा। इन्होंने दो लाख दे दिया होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह नहीं कह सकते कि इनके पास से ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने सवाल इतना-सा किया है कि मुझे मालूम है यह भरतपुर के अन्दर सिलिकोसिस का बोर्ड बनना चाहिये था, वह नहीं बना और इसके कारण से यह 3,410 लोग, जिनमें से मात्र 1,214 को प्रमाण पत्र दिया। शेष रहे लोगों को अपील करने का अधिकार भी खतम कर दिया इन्होंने। इतना-सा तो कह दें कि अपीलांट बोर्ड बना देंगे।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): अपील का अधिकार है। जब हम कह रहे हैं कि 2019 में पालिसी बनी और 2021 से हमारे से यह इनको दे दिया। यह आंकड़ा चार साल का है और यह मांग रहे हैं दो साल का। यह 2021 और 2022 का मांग रहे हैं। आप चार साल की बात कर रहे हो। मैंने इनको दे दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग और सामाजिक न्याय दो का समझ में आ गया। आप आंकड़े दे रहे हो श्रम विभाग के, अब आपका ट्रांसफर हो गया सामाजिक न्याय विभाग में, उत्तर देते समय सामाजिक न्याय विभाग की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिये। जब हम जवाब देते हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि रेलेवेंट डिपार्टमेंट की सूचना भी हमारे पास हो और हम उत्तर दे पायें। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न गंभीर इसलिये है कि दो साल में 6 हजार में से 3,410 आदमी आपके आइडेंटिफाई हुए हैं। उनमें से 1,214 को दिया है, इसका मतलब वहां सिलिकोसिस बीमारी बहुत ज्यादा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि दोबारा सामाजिक न्याय विभाग है, आपके पास आ गया तो आप इंटरेस्ट लेकर वहां पर कैम्प लगायें और सिलिकोसिस के पेशेंट को आइडेंटिफाई करें और जिनको बेनिफिट देना है, उनको बेनिफिट देने का काम करें।

अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

उदयपुर एवं जोधपुर में योग महाविद्यालय की स्थापना

543. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

(1) उदयपुर एवं जोधपुर में योग एवं निसर्ग चिकित्सा के महाविद्यालय खोलने की बजट घोषणा की अनुपालना में प्रगति की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में योग एवं निसर्ग चिकित्सा के कौन-कौनसे विभाग संचालित होंगे? उक्त के लिए कितने शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद स्वीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों की भी साथ में ही स्थापना की जा रही है? उक्त चिकित्सालयों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (डा. सुभाष गर्ग): (1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में उदयपुर एवं जोधपुर में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के महाविद्यालय खोलने की बजट घोषणा की गई थी, जिसकी अनुपालना में उक्त स्थानों पर महाविद्यालय खोले जाकर शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ कर दिये गये हैं। उक्त महाविद्यालयों के संचालन की अनुमति (Permission) की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) इन महाविद्यालयों में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के निम्नलिखित 06 विभाग संचालित होने हैं-

प्रथम वर्ष-

1. दर्शन, संहिता, सिद्धान्त (संस्कृत शिक्षा)
2. शरीर रचना/क्रिया शरीर/जैव रसायनिक विज्ञान

द्वितीय वर्ष-

1. रोग एवं विकृति विज्ञान/माइक्रोबायोलॉजी
2. स्वस्थवृत, आहार एवं पोषण विज्ञान, आहार द्रव्य
3. प्राकृतिक विज्ञान

तृतीय वर्ष-

1. योग विज्ञान एवं मनोविज्ञान

शैक्षणिक वर्ग में उदयपुर व जोधपुर के लिये प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 07-07 पद तथा अशैक्षणिक वर्ग में क्रमश: 19 व 27 पद स्वीकृत किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(3) जी हां। इन महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों की भी साथ में ही स्थापना की गई है। इन चिकित्सालयों में निम्नांकित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी-

प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित चिकित्सा विधा जैसे एनिमा, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, स्टीम बाथ, मालिश, सेक, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थैरेपी, क्रोमोथैरेपी, योग एवं आहार चिकित्सा इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी, यह जो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं, यह नये चिकित्सालय खोले गये हैं कि पहले से चल रहे चिकित्सालयों में यह महाविद्यालय खोले गये हैं? अगर नये खोले हैं तो इनके लिये कितनी राशि का आबंटन किया गया है? दूसरा प्रश्न और है, मैं इसके बाद पूछ लूंगी।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा, हमारे यहां कुल 8 हमने महाविद्यालय खोले हैं, दो तो आलरेडी उदयपुर और जोधपुर में, जो हमारे महाविद्यालय संचालित हैं, उन्हीं में ही उनको जोड़ा गया और 6 नये खोले गये हैं, जिसमें संभागीय हैडक्वार्टर्स हैं प्लस एक सीकर लिया गया है। इनके लिये जो बजट स्वीकृत किया गया है, 6 एकीकृत महाविद्यालय हैं, उनमें भवन के लिये 24 करोड़ रुपये वर्तमान में संचालित चार में बजट प्रावधान 2023-24 में किया गया है, 6 इंटीग्रेटेड कालेजेज के लिये 39 करोड़ 60 लाख रुपये, उदयपुर के लिये 3 करोड़ 27 लाख और जोधपुर के लिये 3 करोड़ 44 लाख बजट स्वीकृत किया गया है।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी-सी जानकारी आपको देना चाहूंगी, उदयपुर में चिकित्सालय के साथ में यहां पर कालेज खोला गया है, लेकिन यह पुराने शहर के बीच में है और वहां पर यह चिकित्सालय, जब मैं फर्स्ट स्टैण्डर्ड में पढ़ती थी, तब से मेरी नानी के घर के पास में है और हम जाते थे, उस चिकित्सालय में कोई सुविधा नहीं है और यह बजट घोषणा 2020-21 की है और जोधपुर में भी मैंने पता किया तो वहां पर भी यही स्थिति है।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

योग और प्राकृतिक चिकित्सा आज की जरूरत है। बच्चों को हम भी मोटिवेट करते हैं कि आप भी इसमें जायें और पढ़ें, लेकिन वहां पर बच्चों की कोई भी सुविधा नहीं है। ऐसी सुविधाएं जिनसे उनको वाकई में फायदा मिल सके।

एक और प्रश्न है, उसके बाद आप अपना उत्तर दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। आप सुविधा की बात कर रहे हो।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की भावना से बिलकुल सहमत हूं...

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रताप सिंह जी, यह गलत बात है।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान देश में वह राज्य है जहां सबसे अधिक 19 महाविद्यालय, सरकारी प्लस निजी महाविद्यालय योग, नेचुरोपैथी के खोले गये हैं।

माननीय मुख्य मंत्री का जो निरोगी राजस्थान का संकल्प है, हमने इंटिग्रेटेड मेडिकल एंड हैल्थ सिस्टम को डवलप किया है, जिसमें एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योग नेचुरोपैथी के 19 महाविद्यालय हैं। दूसरा राज्य तमिलनाडु है, जहां 18 महाविद्यालय कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, please be specific about Udaipur.

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): मैं बताना चाहूंगा कि किसी चीज की शुरुआत करते हैं, जब हमें परमिशन मिलती है, जैसे हमने इंटिग्रेटेड कालेज शुरू किये तो जहां भी किराये के भवन या एग्जिस्टिंग जो हास्पिटल्स हैं, उनमें ही वह सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। भवन के लिए भूमि के आबंटन की कार्यवाही की जा चुकी है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम जल्दी ही शिलान्यास कर रहे हैं, जहां इनके खुद के अलग से हॉस्पिटल्स और कालेज होंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप पूछें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह पूछना चाह रही हूं, आपने यह जो आंकड़े दिये हैं, उनसे हम भी सहमत हैं। यह योग चिकित्सालय होने चाहिए। आप यह बताइये कि जो पद हैं, 30-30 बच्चों का आपने आबंटन किया और आपने इसमें लिखकर दिया है कि 8 जिलों में यहां पर इतने बच्चे हैं, स्वीकृति तो आपने बताई कि इतने पदों की स्वीकृति है। कितने पद रिक्त हैं और कितने भरे हुए हैं? अगर भरे हुए हैं तो कितने आपने परमानेंट टीचर्स रखे हैं और कितने कांट्रेक्ट पर हैं?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, जैसे 6 महाविद्यालयों के लिए, 2 जोधपुर और उदयपुर हमारे आलरेडी चल रहे हैं तो वहां कम पद स्वीकृत किये गये थे, लेकिन मैं बता दूं कि हमने 6 महाविद्यालयों के लिए जो स्वीकृत किये, टोटल 192 पदों की आवश्यकता है, जिसको स्वीकृत किया गया है। मेडिकल में 6-6 के हिसाब से किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: नंबर बतायें। Please be specific. इतने क्रिएट किये, इतने भरे हुए। बात खतम हुई।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): इन 2 महाविद्यालयों में बताना चाहूंगा। जैसे जोधपुर के 34 पद स्वीकृत हैं और 8 कार्यरत हैं, 26 रिक्त हैं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज आगे, उदयपुर?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सर, उदयपुर में 30 पद स्वीकृत हैं।

श्री अध्यक्ष: काम कितने कर रहे हैं?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): लगभग 7 कार्यरत हैं।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, खण्ड (3) में मंत्री जी ने कहा है, यह महाविद्यालय 2021-22 के बजट में हैं। आपने कहा है कि इन संबंधित महाविद्यालयों में निम्नांकित चिकित्सा सुविधाएं होंगी। होगी, उसके बाद आगे आपने लिखा कि प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी एनिमा, मिट्टी चिकित्सा, यह सब लिखा है। यह होगी या हो गयी है?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सर, यह की जा रही

(डा. सुभाष गर्ग)

हैं। नीचे आप पढ़ेंगे तो हमने लिखा है कि चिकित्सा आदि सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही हैं। यह उसका पार्ट है। चिकित्साएं उपलब्ध होंगी, फिर मैंने लास्ट में जोड़ा है, यह चिकित्साएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। श्री सुमित गोदारा।

लूणकरणसर के रिडमलसर पुरोहितान व नैनो के बास का राजस्व रिकार्ड

544. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के राजस्व गांव रिडमलसर पुरोहितान व नैनो के बास का राजस्व रिकार्ड, भू नक्शा लंबे समय से गायब है? यदि हां, तो क्या सरकार रिकार्ड गायब करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार उक्त राजस्व क्षेत्र का राजस्व रिकार्ड व भू-नक्शा पुन: तैयार करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) ग्राम रिडमलसर पुरोहितान का मूल राजस्व नक्शा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में उपलब्ध है, परन्तु यह नक्शा उपयोग की स्थिति में नहीं है। ग्राम नैनो का बास का मूल राजस्व नक्शा लगभग 15 वर्षों से गायब है। रिकार्ड गायब करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत एफ आई आर संख्या 323/2023 दर्ज करवाई गई है जिसमें अनुसंधान जैरकार है।

(2) ग्राम रिडमलसर पुरोहितान तथा ग्राम नैनो के बास की राजस्व जमाबन्दी (रिकार्ड) संवत 2074 से 2077 संधारित है। उक्त दोनों ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य DILRMP योजना के अन्तर्गत अधिसूचित है, जिसका सर्वेक्षण कार्य आगामी 2 वर्षों में पूर्ण होने की संभावना है।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, आप जवाब में दे रहे हो, क्या कारण रहा कि रिकार्ड 15 वर्ष से गायब है और मुकदमा तब होता है जब विधान सभा में मेरे द्वारा प्रश्न लगाया जाता है। बीकानेर शहर के अंदर लूणकरणसर विधान सभा के यह गांव आते हैं और अरबों की भूमि है, जिनकी 90बी बिना कागजों के आपने

(श्री सुमित गोदारा)

कराई है। क्या उक्त विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न पूछ लिया आपने।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस प्रश्न है जो इन्होंने बहुत लेट लगाया। यह 02.03.1996 को जब पटवारी ने जोइन किया तब उसे चार्ज में नहीं मिला, 1996 में। उपनिवेशन विभाग का केवल मोमिया ट्रेस मिला। रिकार्ड में जमाबंदी है, नक्शे गायब हैं।

उसके बाद दूसरा पटवारी आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवां, छह, सात किसी को यह 2013 तक नहीं मिला। दोनों गांवों में यह स्थिति बनी हुई है। जब तत्कालीन सरकार थी, न्याय आपके द्वार का गांव वालों ने बहिष्कार किया 29.05.2018 को, तब पहली बार यह ध्यान में आया। उसका बहिष्कार करने के बाद जिला कलेक्टर एवं सरकार ने एक्शन लेने के लिए 06.06.2018 को नोटिस जारी किये, जिसमें 7 पटवारी एवं 3 गिरदावर आईएलआर थे। यह सारे के सारे रिटायर हो चुके हैं।

उसके बाद इस सरकार ने, हमने जब 20.10.2021 को एक आदेश जारी किया, जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने DILRMP के माध्यम से इसकी कार्यवाही करने के लिए ताकि नये नक्शे बने, सैटलमेंट अधिकारी को भी लिखा। सैटलमेंट अधिकारी ने 08.07.2022 को इस पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें कुछ गांव हैं पूगल और बीकानेर के जिनमें यह दिक्कत आ रही है। राजस्थान में ऐसे कई गांव हैं जिनमें नये नक्शे बन रहे हैं। उसमें 2008 से भारत सरकार और राज्य सरकार का जो जोइंट प्रोग्राम है DILRMP प्रोग्राम, उससे इनकी जो समस्या है वह हल हो पायेगी, लेकिन ध्यान में यह 2018 में आया और कार्यवाही 2021 से शुरू हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त करता हूं कि 2 साल की संभावना है जिसमें पूर्ण रूप से यह पूरा हो जायेगा। यह मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: वह तो कार्यवाही के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): कार्यवाही के लिये एफ आई आर दर्ज हुई। सारे अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। हमने उनको नोटिस जारी किये हैं। जिनमें नोटिस का जवाब, यह तो पुलिस की कार्यवाही है, वह तो तफ्तीश के

(श्री रामलाल जाट)

माध्यम से अभी जारी है। उसके हिसाब से हो पायेगी। सैटलमेंट ने भी लिख दिया। सब लोगों ने लिख दिया। जिला कलेक्टर भी चिंतित हैं। एस.डी.एम. भी हैं।

वहां की जनता जागी। 2018 में भी कोई जन प्रतिनिधि जागा नहीं, इस वजह से यह दिक्कत आई। अगर जन-प्रतिनिधि पहले जाग जाता तो यह स्थिति नहीं आती। जब सरकार ने इस चीज को संभाला तो अब पूरा भरोसा दिलाता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और हाउस को, बहुत जल्दी ही इस योजना के माध्यम से यह प्रक्रिया हो जायेगी।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, thanks for your kind words and appreciation. मंत्री जी, प्रश्न यह है कि आपने दो साल की संभावना लिखी है। इसमें 1983 में भू-राजस्व रिकार्ड तैयार किया गया था, उसको आपने लागू नहीं किया। वह काफी हद तक सही है। उसको लागू करोगे तो इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो जायेगा। प्रश्न यह है कि क्या उसको लागू करने का विचार रखते हैं?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको लागू करने के लिए जब यह चीज लिखी गयी तो उसमें त्रुटियां पायी गयीं क्योंकि रिकार्ड में जमाबंदी तो है, काबिज हैं, लेकिन नक्शा ट्रेस नहीं है, तो कोई आदमी ज्यादा संख्या में बैठा हुआ है, तो यह प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो पूरे राजस्थान का चल रहा है, इसलिए 2 साल बताये, बाकी स्पेसिफिक करना हो तो उसमें महीने, 2 महीने में ही कर देंगे।

उसमें यह प्रावधान है एक महीने का कि हर आदमी के खेत पर जाकर उसको नापा जायेगा। ग्राम सभा को पूरा मौका दिया जायेगा। पर्ची 4, पर्ची 5 उसको दी जायेगी। वह संतुष्ट होगा। उसके बाद ग्राम सभा में निर्णय लेने के बाद उसको हम जारी करेंगे। बिना वकील, बिना किसी के दुरुस्त करने का काम वहीं का वहीं गांव में किया जायेगा। यह प्रोविजन हमने इस बार किया है। बहुत जल्दी हो जायेगा। राजस्थान में और भी कई जगह हमने जब जिलों की मीटिंग की उसमें यह समस्याएं आयीं। कई गांवों के नक्शे गायब हैं। यह हम पूरे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं, वह सैटलमेंट अधिकारी के द्वारा किया गया, लेकिन उसमें फिर त्रुटियां थीं इसलिए उसको निरस्त करके नये सिरे से उसको कर रहे हैं, जिससे समस्या बिलकुल खतम हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अभी भी, राजेन्द्र जी, कुछ बाकी है, इतना विस्तृत बता दिया मंत्री जी ने। बाकी है कोई प्रश्न?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री जी, यदा-कदा ऐसे मौके आते हैं जब इस प्रकार के प्रकरण सदन के सामने आते हैं। यह जो नैनो का बास है, इसमें 90बी करवाने के लिए आवेदन भी आये थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब 90बी कराने के लिए आवेदन आ जाते हैं और यह नक्शा गायब पाया जाता है, 90बी के आवेदन के साथ नक्शा लगाया जाता है। जब एफ आई आर दर्ज है तो कम से कम इन सारे प्रकरणों को एक साथ देखकर, यह पूरा का पूरा वहां संगठित गिरोह है। आपको मालूम है महाजन फील्ड फायरिंग की जमीनें भी इसी प्रकार ट्रांसफर हुई थीं।

अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर में जमीनों की लूट है। इसलिए इसको गंभीरता से लें। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसको इतनी गंभीरता से लेकर इतनी बात कही तो यह जो एफ आई आर है, इस एफ आई आर की प्रति में जिन्होंने आवेदन कर रखा है, कब्जा कर रखा है, उन सबको लेंगे तो सारी बात सामने आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, मैं समझता हूं कि उपनिवेशन और राजस्व दोनों विभागों के बीच कोर्डिनेशन नहीं होने से इसका फायदा उठाया जा रहा है। उपनिवेशन की जमीन को राजस्व में ट्रांसफर करो, उपनिवेशन के नक्शे राजस्व में नहीं आते हैं इसलिए सब गड़बड़ चल रही है। इसलिए बाकी स्टेट में आप करते रहें, इन जगहों पर आप प्राथमिकता के आधार पर करें और जो टाइम पीरियड दो साल का बताया है, वो कम हो सके तो चीजें सामने जल्दी आएंगी, इस तरह से करें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल, आपके आदेश की पालना करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर में काले पत्थरों पर रायल्टी

545. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के गांवों के लोग अपने खेतों के पास पड़त भूमि से काले पत्थरों से पट्टियां, कातले और चिनाई

(श्री शंकर सिंह रावत)

पत्थरों को तोड़ कर अपनी आजीविका चलाते हैं? यदि हां, तो किन-किन गांवों के लोग उक्त कार्य कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पत्थरों पर सरकार द्वारा रायल्टी चालू की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गरीब लोगों के आजीविका चलाने के लिए उक्त को राहत देते हुए काले पत्थरों पर लगाई जा रही रायल्टी बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (खान मंत्री के स्थान पर): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के बलाड़, सुरड़िया, अतीतमण्ड, गोहाना आदि गांवों में पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65 के तहत इन क्षेत्रों से निर्गमित खनिज पट्टी कातला व चुनाई पत्थर पर रायल्टी व परमिट फीस वसूलने के लिए नियम 63 में छूट प्रदान की गई थी। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इन खनिजों का खनन कर निर्गमन किया जाता था जिस पर विभाग द्वारा उक्त छूट के तहत रायल्टी व परमिट फीस वसूल की जाती थी। उक्त छूट वर्तमान में प्रभावी नहीं है।

(2) राज्य सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र के खनिज पट्टी कातला व चुनाई पत्थर के खनन के संबंध में नियम 63 में दी गई छूट प्रभावी नहीं रहने से रायल्टी एवं परमिट फीस की वसूली नहीं की जा रही है। अतीतमण्ड क्षेत्र में विभाग द्वारा खनिज फिलाइट शिष्ट व मेसनरी स्टोन के 05 खनन पट्टे वर्ष 2021-22 में स्वीकृत किये गये हैं जिनसे निर्गमित खनिज पर विभागीय/ ठेकेदार के माध्यम से रायल्टी वसूल की जा रही है।

(3) जी नहीं। प्रश्न के भाग संख्या 2 के जवाब में उल्लेखित अनुसार इस क्षेत्र में रायल्टी व परमिट फीस की वसूली के आधार पर खनन बंद है। इस क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में स्वीकृत किये गये खनन पट्टों से निर्गमित खनिज पर नियमानुसार रायल्टी वसूल की जा रही है। उक्त क्षेत्र के संबंध में रायल्टी माफ करने बाबत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछें माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार काले पत्थर

(श्री शंकर सिंह रावत)

ले जाकर अपनी आजीविका चलाने वाले ट्रैक्टर चालकों को माइनिंग अथवा पुलिस विभाग द्वारा नाजायज चौथ वसूली करने पर रोक लगाने का विचार रखती है अथवा नहीं?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न माननीय सदस्य ने पहले भी लगाया था और इनको साफ जवाब दिया गया था। यह जब पहले सरकार के पास 1986 के नियम 65 और 63 के तहत अधिकार था, तब चेजा पत्थर, मेसनरी स्टोन के लिए गांव वालों को मुफ्त में मिला करता था, लेकिन दिनांक 04.05.2016 को बिना खनन पट्टे क्वारी लाइसेंस के अधिकार खतम करके एनजीटी, नई दिल्ली ने एक आदेश जारी किया, उसके बाद यह समस्या खड़ी हुई है। सब जगह है। हमारे बदनौर में भी यह है, विधायकजी बैठे हैं, जहां के रहने वाले हैं वहां के, ब्यावर वाले विधायकजी भी पड़ोसी हैं, इनके भी समस्या है। तब से यह दिक्कत खड़ी हुई। अब बिना ईसी के हम यह कार्यवाही नहीं कर सकते जैसा माननीय सदस्य चाहे रहे हैं, लेकिन फिर भी 5 क्वेरी लाइसेंस हैं उनका हमने ठेका कर रखा है, उन्हीं की रायल्टी वसूल की जा रही है। इसमें और कोई प्रावधान नहीं है।

जहां तक इल्लीगल है, उसके लिए समय-समय पर कार्यवाही करते हैं। अभी 7 कार्यवाही जिस गांव की आप बता रहे हैं, उसमें की हैं, 14.85 लाख रुपये उनमें पैनल्टी भी लगी है, 4 एफ आई आर भी दर्ज हुई हैं। आपने जब लगाया प्रश्न तो इसको हम और सख्ती से करेंगे ताकि अवैध माइनिंग नहीं हो।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, आपकी जानकारी में है क्या कि जो 5 माइंस अलाट हैं, उसकी आप वसूली करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है गांव वालों को, क्षेत्र में किसी को कोई आब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अपने खेतों के सहारे वो काले पत्थर उखाड़ कर अपनी आजीविका चलाने के लिए, वो ले जाने वाले, कम से कम उन पर तो पहले से ही रोक लगी हुई है, उन पर पुलिस और माइनिंग, दोनों विभाग वाले चौथ वसूली कर रहे हैं। उस पर तो कम से कम रोक लगाओ। सरकार में पैसा नहीं जा रहा है। यही निवेदन है आपसे।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहले परम्परा थी 65 और 63 में, लेकिन जब से यह एनजीटी का आदेश आया है

(श्री रामलाल जाट)

तो उसके अंतर्गत ईसी लेनी पड़ती है। गांव वाला कोई भी पहाड़ खोदता है तो रायल्टी वाला ठेका जिसके पास होता है वो उससे वसूल करता है। लेकिन आम आदमी तकलीफ पा रहा है एनजीटी के आदेश से 04.05.2016 से, जो क्वारी लाइसेंस 5 दिए हैं वो भी आक्शन के माध्यम से हमने दिए हैं, और भी कोई लोग लेना चाहे तो आप उसमें करो तो हम उनको पट्टा दे देते हैं ताकि उसकी खातेदारी जमीन में उसको अधिकार है, एसटीपी देने का प्रोविजन है, उसमें हम उनको एसटीपी दे देंगे ताकि वह इल्लीगल नहीं हो पाएगी। बाकी तो पुलिस की कार्यवाही जो राजस्थान में होती है, अख़बार में छपती है। हाउस चलता है तो अवैध माइनिंग की बात विपक्ष उठाता है और पुलिस उसे पकड़ती है। माइनिंग और पुलिस की जोइंट टीम बनी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, एक आदमी व्हाट्सएप पर डाल देता है, पुलिस पकड़कर ले जाती है तो हाई पैनल्टी है, लाख-लाख, सवा-सवा लाख, पांच-पांच लाख रुपये, वो तो चालू रहेगी लेकिन आप जो चाह रहे हैं वह एनजीटी की वजह से राजस्थान सरकार नहीं कर पाएगी। आप भी नहीं कर पाए जब सत्ता में थे तब, वह चीज 2016 में बंद हुई है और आज भी वही स्थिति है। ईसी लाओगे तो हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: बैठें प्लीज। (व्यवधान) गलत बात है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन में धार्मिक स्थलों का विकास

546. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कपासन विधान सभा क्षेत्र में मातृकुण्डिया, शनि महाराज एवं श्री सांवरियाजी धार्मिक स्थलों के विकास की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा मातृकुण्डिया धार्मिक स्थल के विकास के लिए पूर्व के वर्षों में बजट आबंटन करके विकास करवाया गया था? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त धार्मिक स्थल पर परशुराम पेनोरमा बनाया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त पेनोरमा नियमित रूप से दर्शनार्थियों के लिए खोला जाता है? यदि हां, तो कब-कब खोला गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। राज्य बजट 2023-24 के बिन्दु संख्या 126 (I) अंतर्गत मंगलेश्वरजी मातृकुण्डिया-चित्तौड़गढ़ के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य सहित अन्य सुविधाएं विकसित करने की घोषणा की गयी है।

उक्त बजट घोषणा की क्रियान्विति में राजस्थान पर्यटन विकास निगम को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त कर दिनांक 28.06.2023 को राशि रुपये 308.56 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है (प्रति परिशिष्ट-अ पर)।

इसके अतिरिक्त स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत आध्यात्मिक सर्किट में राशि रुपये 1,791.31 लाख का व्यय कर श्री सांवरियाजी में पर्यटन विकास के विभिन्न कार्य क्रमश: ट्यूरिस्ट फेसिलिटी सेंटर निर्माण, आधारभूत सुविधाओं का विकास, हाई मास्ट लाइट, सोलर लाइट, एम्फीथियेटर, लाइट एण्ड साउन्ड शो, कैफेटेरिया, सोवेनियर/एटीएम शोप आदि कार्य करवाये गये हैं। यह सभी कार्य 31.03.2023 तक पूर्ण हो चुके हैं।

देवस्थान विभाग द्वारा शनि महाराज धार्मिक स्थल के विकास हेतु वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 50.00 लाख की लागत की डीपीआर बनायी गयी है।

(2) जी हां। मातृकुण्डिया धार्मिक स्थल के विकास के लिए गत वर्षों में निम्न विकास कार्य करवाये गये हैं:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में 180.00 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर राशि रुपये 147.47 लाख का व्यय कर भगवान परशुराम पेनोरमा, मातृकुण्डिया का निर्माण कराया गया है।

(3) जी हां। मातृकुण्डिया धार्मिक स्थल पर परशुराम पेनोरमा बनाया गया है।

दर्शनार्थियों के लिए नियमित रूप से इसे दिनांक 15.03.2022 से खोल दिया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंगलेश्वर महादेव मंदिर, मातृकुण्डिया के विकास के लिए 308.56 लाख रुपये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28.06.2023 को जारी हो गई है। सरकार कब तक इसके टेंडर लगवाकर कार्य पूरा करवा देगी? दूसरा प्रश्न है कि मातृकुण्डिया धार्मिक स्थल पर भगवान परशुराम पेनोरमा बना हुआ है, लेकिन इसका जवाब आया कि वो खुला हुआ है, जबकि वो बंद ही रहता है। इन प्रश्नों का जवाब दें, बाद में और पूछूंगा।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रसंग में आप बात कर रहे हैं वो चालू है। मैंने कल ही वहां के एसडीओ के नेतृत्व में संचालित रहता है, उनसे उसकी वीडियोग्राफी भी मंगवाई है, मेरे फोन में है, मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: टेंडर की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? पहले वाले प्रश्न के भाग का जवाब दे दें। आपके 28.06.2023 को स्वीकृति निकली, उसका काम कब तक कम्प्लीट कर देंगे।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): यह जो नई स्वीकृति जारी हुई है, इसकी फाइनेंशल स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति, सब जारी हो चुकी है, टेंडर प्रक्रियाधीन है, जल्दी टेंडर करवाकर चालू करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मनोज कुमार।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: काम की बात हो गई, इसका अंत क्या है?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक प्रश्न शनि महाराज के लिए। शनि महाराज के धार्मिक स्थल के लिए भी...

श्री अध्यक्ष: शनि महाराज के लिए कौन मना करेगा?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा निवेदन यह था कि देवस्थान विभाग के द्वारा 2018-19 के अंदर 50 लाख रुपये की लागत से डीपीआर बनाई गई थी, उस डीपीआर का क्या हुआ? उसमें कितना बजट आना है, इसकी स्वीकृति हुई कि नहीं हुई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? यह थोड़ा बता दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। अगला प्रश्न। श्री मनोज कुमार। (व्यवधान) वो जवाब देंगे, वित्तीय साधन उपलब्ध होगा तो देंगे, बात तो वही है, उत्तर वही आएगा, और क्या आएगा।

सुजानगढ़ एवं बीदासर पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों के नवीन भवनों का निर्माण

547. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सुजानगढ़ एवं बीदासर पंचायत समितियों में कितने ग्राम पंचायतों के भवन जर्जर हो चुके हैं? उक्त जर्जर भवनों के स्थान पर नवीन भवन बनाने की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जर्जर भवनों के स्थान पर नवीन भवन के निर्माण की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) सुजानगढ़ पंचायत समिति में 05 ग्राम पंचायत एवं बीदासर पंचायत समिति में 13 ग्राम पंचायतों के भवन जर्जर हो चुके हैं। उक्त भवनों को जर्जर घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त भवनों के जर्जर घोषित होने के बाद अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

(2) उक्त भवनों के जर्जर घोषित होने के बाद अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग ने सभी एमएलएज को एक परिपत्र जारी किया था कि 20 लाख रुपये एमएलए लैड से देने हैं, 20 लाख रुपये मिलाकर 40 लाख रुपये तक की स्वीकृति नये भवनों के लिए दी जा सकती है। उस क्रम में जब अनुशंसा की गई तो वहां पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होना बताया गया और आज तक कोई स्वीकृति जारी नहीं हो पाई, तो क्या यह परिपत्र वापस ले लिया गया है या पोर्टल पर जो ऑनलाइन है उसमें कोई तकनीकी खामी है?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर विधायक चाहे तो पैसे दे सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इसकी हमने व्यवस्था की हुई है, एसएफसी, एफएफसी, नरेगा, एसबीएम के माध्यम से 50 लाख रुपये की स्वीकृति, हम करीब 21 लाख 50 हजार रुपये नरेगा से, 15वें वित्त आयोग से 18 लाख और अन्य योजनाओं से 10 लाख 50 हजार, इसके द्वारा करवाये जाते हैं।

इनका तो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है कि जर्जर घोषित होने की प्रक्रिया में रुका हुआ है। इनको मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले ग्राम सभा में

(श्री रमेश चन्द मीना)

प्रस्ताव पारित करके विकास अधिकारी द्वारा जिला परिषद् में एक कमेटी का गठन होता है। गठन कलेक्टर के माध्यम से 14 फरवरी, 2023 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, उसमें एसीओ, एसई, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी और एक्सईएन जिला परिषद्, लेखाकार ये चार लोग होते हैं। सात दिन में वे रिपोर्ट देते हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद में वो अन्य जो प्रोसीजर है हमारा पैसे देने का, 20 दिन में स्वीकृति दे पाते हैं। इनके प्रश्न का मैं बताना चाहता हूं कि इनके प्रस्ताव 12.07.2023, 17.07.2023 को प्राप्त हुए हैं, 19.07.2023 को कमेटी का गठन कर दिया गया है और जो कमेटियां बनी हैं, उसके बाद हम एसएफसी और अन्य मदों से पैसा स्वीकृत कर देंगे। लगभग 30 सितम्बर, 2023 तक नवीन भवन बनाने योग्य स्वीकृतियां जारी कर दी जाएंगी।

प्रश्न संख्या 548

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरेन्द्र निनामा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री विठ्ठल शंकर अवस्थी।

भीलवाड़ा शहर के उपनगर पुर हेतु की गई घोषणाओं की क्रियान्विति

549. श्री विठ्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार भीलवाड़ा शहर के उपनगर पुर हेतु की गई घोषणाओं की क्रियान्विति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (आयोजना मंत्री के स्थान पर): जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 28.09.2019 को भीलवाड़ा के उपनगर पुर का दौरा किया जाकर उपनगर पुर में मकानों में आ रही दरारों के कारणों की जांच, सर्वे व प्रभावितों को मुआवजे संबंधित निर्देश दिये गये थे।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देश की पालना में उपनगर पुर में मकानों में आ रही दरारों के कारण ज्ञात करने हेतु सर्वे कार्य किये जाने के लिए आई.आई.टी. रुड़की के वैज्ञानिकों की 'सशक्त कमेटी' का गठन किया गया।

(श्री टीकाराम जूली)

सर्वे में कुल 718 परिवार प्रभावित पाये गये, जिनमें से 693 भूखण्ड आवास मालिकों को क्षतिपूर्ति के तहत आवासीय भूखण्ड दिये जा रहे हैं। इनमें से 333 भूखण्ड नगर विकास न्यास की नया रामप्रसाद लढ्ढा नगर योजना तथा 360 भूखण्ड नया पुर योजना में लाटरी के माध्यम से दिये जा रहे हैं। 25 परिवारों के द्वारा सर्वे से असंतुष्ट होकर पुन: सर्वे एवं अधिक मुआवजे की मांग की, जिस कारण भूखण्ड आबंटन लाटरी में इन परिवारों को सम्मिलित नहीं किया।

रामप्रसाद लढ्ढा नगर योजना में 215 आवेदन प्राप्त हुए जिनके आबंटन पत्र जारी किये जा चुके हैं। उक्त प्राप्त आवेदनों में से 154 आवेदकों द्वारा निर्धारित राशि न्यास में जमा करा दिये जाने से उनके हक में पट्टा विलेख निष्पादित किया जा चुका है। शेष 61 आवेदकों के आवेदनों में राशि जमा होने/दस्तावेज पूर्ति एवं अन्य वांछित रिपोर्ट विभिन्न स्तर पर प्रक्रियाधीन होने से पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

नया पुर नगर योजना में 210 आवेदन प्राप्त हुए जिनके न्यास द्वारा आबंटन पत्र जारी किये जा चुके हैं। उक्त प्राप्त आवेदनों में से 56 आवेदकों द्वारा निर्धारित राशि न्यास में जमा करा दिये जाने से उनके हक में पट्टा विलेख निष्पादित किये जा चुके हैं। शेष 154 आवेदकों के आवेदनों में राशि जमा होने/दस्तावेज पूर्ति एवं अन्य वांछित रिपोर्ट विभिन्न स्तर पर प्रक्रियाधीन होने से पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

शेष आबंटियों से आवेदन पूर्ति एवं निर्धारित राशि न्यास में जमा करवाने बाबत न्यास द्वारा पुर ग्राम में निरन्तर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार राहत से शेष रहे परिवारों को यथाशीघ्र लाभान्वित किया जा सके।

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जवाब मिला है, उसमें यह जो घोषणाएं मुख्य मंत्रीजी ने की थीं उपनगर पुर के लिए, उसको साढ़े तीन साल से ऊपर का समय हो चुका है और आपने इसमें जो जवाब दिया है कि 718 परिवारों का सर्वे हुआ है, जबकि ढाई से तीन हजार तक मकान वहां क्षतिग्रस्त हुए थे और वो मकान मालिक अभी भी परेशान हैं और वो अपने घर-बार का ठिकाना नया ढूंढ रहे हैं। मेरा निवेदन है

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

कि या तो आप वापस सर्वे करवाइए। 718 नहीं हैं, ढाई हजार की लिस्ट तो यूआईटी, भीलवाड़ा में बनी हुई थी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, प्रश्न। वापस सर्वे कराएं, बात खतम हो गई।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो वापस सर्वे करें। दूसरा मेरा निवेदन है कि जब कलेक्टर से समझौता हुआ था तो एक रुपये की कीमत पर ये भूखण्ड देने का लिखित समझौता हुआ था कलेक्टर और ग्रामवासियों के बीच में, अब यूआईटी पूरा पैसा लेकर प्लाट दे रही है, तो यह एक तरह से उनके साथ अन्याय है। उस समझौते के आधार पर यह निर्णय होना चाहिए कि क्या हम वापस एक रुपये की कीमत पर ये भूखण्ड देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने प्रश्न पूछ लिया, समझौते के आधार पर करेंगे कि नहीं। एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? दो प्रश्न हो चुके, बैठें आप।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा वहां दौरा किया गया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बी ब्रीफ। आपको सर्वे करवाना है या नहीं? बताएं।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सर, वापस करवा देंगे, पर पहले भी यह जो सर्वे हुआ था, आईआईटी रूड़की की टीम आयी थी। करोड़ों रुपये का हमने भुगतान किया था, उसके बाद कराया था।

श्री अध्यक्ष: उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अब आपके निर्देश होंगे तो दोबारा करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: नम्बर 01 यही है। नम्बर 2, ये पूछ रहे हैं कि समझौते में 01 रुपये में पट्टा देने की बात हुई, उसे कर रहे हैं या नहीं?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो जानकारी है, उसके अन्तर्गत यूआईटी की रिजर्व दर पर देने का था और उस पर 693 लोगों ने इसके लिए उनकी लाटरी निकाली है, जिसमें से 425 ने रिजर्व दर पर आवेदन कर दिया है...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लिखित समझौता है। वे अगर लिखित समझौता पेश कर दें तो आप फैसला कर देना, वरना फैसला नहीं होगा। बात खतम हुई।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): लिखित समझौता है...

श्री अध्यक्ष: तो उसकी कापी दे दीजियेगा। बात खतम हुई। माननीय सदस्य, आप सोल्यूशन चाहते हैं कि रास्ता बताना चाहते हैं? आपकी समस्या का सोल्यूशन बता दिया न। सर्वे हो जायेगा, अपने आप सामने आ जायेगा। समझौता होगा तो फैसला हो जायेगा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मेरा एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: अब प्रश्न क्या बचा?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मेरा यह निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी ने यह भी घोषणा की थी कि एक करोड़ रुपये वे पीएचसी के लिए देंगे। वह पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। दूसरा, जितने भी मन्दिर और मस्जिद थे...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया आपका। आप बैठें, मैं आपकी भावना समझ गया हूं। माननीय मंत्री जी, आप भी बैठें। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उसमें जो समझौता हुआ है, जिसके अन्तर्गत उन्हें जमीन का पट्टा देना, मुआवजा देना, वे सब चीजें क्रियान्वित करने की इच्छा है या नहीं? बात खतम।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक रुपये में यूआईटी जमीन नहीं दे सकती है। एक रुपये का कोई समझौता नहीं है। इनमें से 210 लोगों ने पैसे भी जमा करा दिये।

श्री अध्यक्ष: सीधी बात करिये। समझौता लागू करेंगे क्या? आप भी अपने उत्तर को लम्बा कर रहे हैं। बी ब्रीफ। आप समझौता लागू करेंगे या नहीं? बात खतम होती है। सीधी बात है, सरकार समझौता लागू करेगी या नहीं?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सर, समझौता हुआ है तो लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: बस, धन्यवाद। उसे लम्बा करने से क्या मतलब है? अगला प्रश्न।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बैठें। अंकित नहीं होगा। प्रश्न पूछने का यह तरीका नहीं है। यह प्रश्न है, कोई डिमांड नहीं है।

प्रश्न संख्या 550

अगला प्रश्न। श्री बिहारीलाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: क्यों हम प्रश्न को इतना लम्बा करना चाहते हैं? बात हो गयी न। कापी लाकर दे दीजियेगा आप समझौते की।

श्री जे.पी. चन्देलिया।

नागौर में छात्रवृत्तियों का वितरण

551. श्री जे. पी. चन्देलिया (पिलानी) (श्री रामनिवास गावड़िया के स्थान पर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन व आर्थिक सहायता हेतु छात्रवृत्तियां वितरित की जाती हैं? यदि हां, तो जिला नागौर में विगत चार वर्षों में कितने छात्र-छात्राओं को किस-किस कोर्स के तहत उक्त का लाभ प्रदत्त किया गया? लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या उक्त जिले में विगत तीन वर्षों से निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्तियां लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने शिक्षण संस्थानों की व विलम्ब के क्या कारण हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले के शिक्षण संस्थानों में बकाया छात्रवृत्तियों का शीघ्र भुगतान करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक एवं मुख्य मंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है। उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जिला नागौर में विगत चार वर्षों (2018-19 से 2021-22) में

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)
कोर्सवार एवं छात्रवृत्ति वितरित किये गये विद्यार्थियों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत नागौर जिले में विगत तीन वर्षों (2019-20 से 2021-22) के निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनकी छात्रवृत्ति लम्बित है, का शिक्षण संस्थान एवं वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत कतिपय विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में कमियां, समय पर आक्षेप पूर्ति नहीं करना, शिक्षण संस्थाओं की मान्यता/सम्बद्धता नहीं होना, बैंक खाते का त्रुटिपूर्ण विवरण होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की मांग के अनुरूप बजट प्राप्त नहीं होकर नोशनल एलोकेशन के आधार पर बजट प्राप्त होने के कारण उक्त योजनान्तर्गत सभी पात्र विद्यार्थियों को भुगतान नहीं हो पाता है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत गत वर्षों के लम्बित आवेदन पत्रों का नियमानुसार पात्र होने पर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधन/बजट होने के कारण उक्त वर्षों के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, कुछ प्रश्न हो तो पूछें।

श्री जे. पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं, आपने अपने उत्तर में कहा कि ओ.बी.सी. के छात्रों के लिए भारत सरकार से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो रही है, यह राशि प्राप्त होना, न होना आपके और भारत सरकार के

(श्री जे. पी. चन्देलिया)

बीच की बात है, लेकिन जो ओ.बी.सी. के छात्र हैं उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? क्या इसके लिए आप कोई इफेक्टिव उपाय करेंगे?

दूसरा, आपने अपने उत्तर में बताया कि कुछ खामियों के कारण छात्रवृत्तियों के आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, क्या आप इन खामियों को ठीक करने के लिए विभाग की ओर से कोई नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नोडल अधिकारी नियुक्त है। रेगुलर जो खामियों की पूर्ति होती है, उनका भुगतान हम करा रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

आपने ओ.बी.सी. की स्कालरशिप के लिए जो कहा है, यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 60:40 का रेशो है। 60 परसेंट भारत सरकार देती है और 40 परसेंट हम देते हैं। पिछले कई वर्षों से भारत सरकार द्वारा ओ.बी.सी. का बजट नहीं दिया जा रहा है। एक प्रकार से एक लिमिटेड राशि, 50 करोड़ रुपये हम देते हैं और उसमें जितने बच्चे हैं, उन्हीं को दी जाती है या 25 करोड़ की राशि डालते हैं, उतने में ही दी जाती है। उसके अलावा राशि देने का प्रावधान नहीं है। हमने खुद भी कई बार माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन किया है कि उसके अन्दर राशि बढ़ाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज और निवेदन करूंगा, ओ.बी.सी. की स्कालरशिप पहले एमबीबीएस की 2 लाख 95 हजार दी जाती थी, उसे भी घटाकर भारत सरकार द्वारा 20 हजार रुपये कर दिया गया है। यह दिक्कत लगातार आ रही है। एसटी की भी दिक्कत आ रही है। तीन सालों से भारत सरकार से उसका भी पैसा नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न का उत्तर दें। डिमांड नहीं है। Please, be specific.

अगला प्रश्न। श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

कृषि कार्य करते हुए किसान की मृत्यु होने पर परिजन को देय सहायता

552. श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर) (श्री हीराराम के स्थान पर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि कार्य करते हुए किसान की मृत्यु होने

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

पर सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो किस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि किस मद से दी जाती है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य के दायरे में किन-किन कार्यों को लिया गया है? विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में विगत तीन वर्षों में कितने किसानों को क्या-क्या सहायता उपलब्ध करायी गयी? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सहायता राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर आश्रित को सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा आर्थिक सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु का प्रकरण योजना के दिशा-निर्देशों में कवर होने पर राशि रुपये 2 लाख की सहायता मण्डी समिति कोष से दी जाती है। मण्डी समिति द्वारा दी गयी सहायता राशि का पुनर्भरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा इस बाबत गठित कोष से किया जाता है। उक्त कोष में प्रतिवर्ष राशि रुपये 25 करोड़ राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से तथा राशि रुपये 25 करोड़ विशिष्ट एवं अ श्रेणी की मण्डी समितियों से अंशदान के रूप में दिया जाना प्रावधित है।

(2) राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य के दायरे में लिए गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा, पीपाड़ शहर तथा भगत की कोठी एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर आती है। विगत 3 वर्षों में 2020-21 से 2023-24 तक 43 आवेदकों को 71.85 लाख सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। योजनान्तर्गत दी जा रही सहायता राशि को बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। कोई प्रश्न पूछना है, कृष्णा जी?

श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि राजीव गांधी कृषक सहायता योजना के अन्तर्गत जो राशि दी जाती है, घटना के कितने समय बाद इसका निस्तारण किया जाता है? मेरा दूसरा सवाल है, क्या मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत भी इन किसानों को लाभ मिल सकता है?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, जो समय के बारे में जानकारी चाही गयी है, इसमें कोई तुरन्त प्रभाव से समय-सीमा नहीं होती है, मैग्जिमम 6 महीने होते हैं, उसके बाद भी कोई विदिन टाइम अप्लाई नहीं कर पाता है तो 9 महीने में इसका हमारे डायरेक्टर के स्तर पर निस्तारण होता है। उसके बाद भी यदि कोई दिक्कत होती है तो 15 माह तक सरकार को पावर होती है। वैसे ज्यादातर विदिन टाइम ही इनका निस्तारण कर दिया जाता है।

दूसरा आपने जो पूछा, कोई डबल बैनिफिट ले नहीं सकता, या तो हमारे यहां से बैनिफिट मिलेगा या वहां से मिलेगा। जो वहां से ले लेगा, उसे हमारे यहां से नहीं मिलेगा, जो हमारे यहां से ले लेगा, उसे वहां से नहीं मिलेगा।

श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर): इसका मतलब, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत इन दुर्घटनाओं को जोड़ा गया है?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): जो उसकी दर है वह भी अलग है। हम मैग्जिमम 2 लाख रुपये देते हैं। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रुपये तक का प्रावधान है। मैं समझता हूं, जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है, वह वहीं क्लेम करके 10 लाख लेगा, 2 लाख क्यों लेगा, लेकिन एक जगह ही क्लेम मिलता है, चाहे हमारे यहां से ले लें, चाहे वहां से ले लें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अशोक लाहोटी।

जयपुर के खेतान पॉलीटेक्निक महाविद्यालय परिसर में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना

553. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अशोक लाहोटी)

(1) क्या यह सही है कि बजट 2022-23 में खेतान पॉलीटेक्निक महाविद्यालय परिसर में इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो क्या उक्त कालेज स्थापित किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त इंजीनियरिंग कालेज खोलने हेतु बजट राशि आबंटित की है? यदि हां, तो कब-कब कितनी राशि आबंटित की गयी तथा उक्त आबंटित राशि में से कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उक्त इंजीनियरिंग कालेज खोलने हेतु नये भवन का निर्माण कर कालेज संचालन हेतु स्टाफ पदस्थापित कर दिया गया है? यदि हां, तो कितना स्टाफ किस-किस पद पर कब-कब पदस्थापित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) जी हां। बजट वर्ष 2022-23 में बिन्दु संख्या 33 पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर परिसर में इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने की घोषणा की गयी है। विभाग द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उक्त परिसर में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर अस्थायी भवन में संचालित कर दिया गया है। AICTE, New Delhi से अनुमोदन पश्चात् Rajasthan Engineering Admission Process (REAP)-2023 की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने के पश्चात् सत्र 2023-24 से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। AICTE, New Delhi से अनुमोदन की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु राशि रुपये 25.97 करोड़ आबंटित की गयी है, इसमें से राशि रुपये 20.20 करोड़ निर्माण कार्य एवं मशीनरी के लिए एवं शेष राशि वेतन इत्यादि हेतु आबंटित है। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। व्यय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर हेतु नये भवन की डी.पी.आर. का प्रशासनिक अनुमोदन किया जाकर वित्त विभाग से निर्माण एजेंसी के लिए बजट आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस महाविद्यालय हेतु प्राचार्य/नोडल अधिकारी की दिनांक 17.03.2023 से नियुक्ति की जा चुकी

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

है। विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। इस महाविद्यालय हेतु निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय को दिनांक 07.06.2023 से लगाया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। शैक्षणिक कार्यों के लिए विद्या सम्बल योजना के तहत शैक्षणिक स्टाफ लगाया जा रहा है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछ लें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 2022-23 की घोषणा से 2023-24 में आपने बजट स्वीकृत किया है, इस बजट में अब तक कितना काम हो गया और किराये के भवनों से यह बिल्डिंग कब तक बनकर तैयार हो जायेगी, जिसमें छात्र पढ़ पाएंगे?

फिर अगला एक प्रश्न और है।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जितने भी तकनीकी कालेजों को खोलने की घोषणा होती है, जब तक हमें एआईसीटीई से परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक हम महाविद्यालय नहीं खोल सकते। इसके लिए फाइनेंस से हमें 20 करोड़, जिसका विवरण मैंने आपको दे दिया है, वह स्वीकृत हो चुका है। डीपीआर बन चुकी है और टेंडर की कार्यवाही, खेतान महाविद्यालय जो परिसर में है, उसमें भूमि का आबंटन कर दिया गया है। निश्चित रूप से क्लासेज भी, रीप के एडमिशंस शुरू हो चुके हैं और पहला सैशन जो है, हमने जो चार विभाग खोले हैं, जिसमें बायो-मेडिकल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं।

आपको भाग्यशाली होना चाहिये कि जयपुर में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा राजस्थान सरकार द्वारा इस इंजीनियरिंग कालेज के माध्यम से दी जायेगी। निश्चिन्त रहें, आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए जल्दी ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा खेतना महाविद्यालय परिसर में।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह भाषण तो अच्छा था, पर आपने यह लिखा है कि शैक्षणिक कार्यों के लिए विद्या सम्बल योजना के तहत शैक्षणिक स्टाफ

(श्री अशोक लाहोटी)

लगाया जायेगा। जिस ग्लोबल स्टडी की आप बात कर रहे हैं, उनमें विद्या सम्बल में टीचर्स लेकर आप सोच रहे हैं कि हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ भला होगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मंत्री महोदय, क्या आप मुझे बताएंगे, इतनी टेक्निकल शिक्षा में पूरी ग्लोबल शिक्षा में काम्पिटिशन के लिए आप स्थायी रूप से काम्पिटेंट टीचर्स कब तक भर्ती करके लगा देंगे या अभी तक कितने लगाये हैं? भाषण तो अच्छा दे रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत पढ़े-लिखे विद्वान हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, टोटल पद प्रत्येक विभागवाइज 11 पद हमें टीचिंग स्टाफ के लिए, एक प्रिंसिपल, तीन प्रोफेसर्स, दो एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, as per the AICTE norms और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक भरे जाएंगे। जब तक ये नहीं भरे जाते हैं, तब तक हमारे पास इंजीनियरिंग कालेजों में यूनिवर्सिटीज में जो फैकल्टीज हैं, डेपुटेशन के माध्यम से प्रिंसिपल का डेपुटेशन कर दिया गया है। एक और अकाउंट्स आफिसर का डेपुटेशन कर दिया गया है। बाकी के पद जो हमारे हैं, जो सबओर्डिनेट स्टाफ, मिनिस्टरियल स्टाफ और फोर्थ क्लास स्टाफ, इन्हें हम यूटीबी के माध्यम से...

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, एडमिशंस शुरू हो गये हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें प्लीज। उत्तर नहीं सुनना आपको? गलत। नीचे बैठें। मंत्री बोल रहे हैं। गलत परम्परा है।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): आप निश्चिन्त रहें। जल्दी ही इसका शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ किया जा रहा है। आप निश्चिन्त रहिये, विद्वानों को ही बुलाकर इसका काम शुरू किया जायेगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। नमस्कार, बैठें।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

(समय: 12.00 बजे)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के 07 युवक जुलाई, 2023 को मनाली, हिमाचल प्रदेश में पानी के तेज सैलाब में बहे युवकों के शवों की तलाशी करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी में बढ़े हुए जलस्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से कार्तिक भील हत्याकाण्ड में परिजनों द्वारा न्याय के लिये जिला मुख्यालय सिरोही पर दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट-क्लास-रूम प्रारम्भ करने सम्बन्धी वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा की क्रियान्विति में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में।

(5) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में नवगठित जिलों की घोषणा से आम जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(6) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसी व्यवस्था समाप्त कर संविदाकर्मी लगाये जाने एवं युवाओं को रोजगार दिए जाने के सम्बन्ध में।

(7) प्रदेश में निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट के वितरण में RTTP Act का उल्लंघन कर निजी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निम्नांकित माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

1. श्री राजेन्द्र राठौड़
2. श्री सतीश पूनियां
3. श्रीमती अनिता भदेल
4. श्री मोहन राम चौधरी
5. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर)
6. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या
7. श्री रूपा राम (मकराना)
8. श्री नारायण सिंह देवल

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री जगसी राम
10. श्रीमती शोभा चौहान
11. श्री सुभाष पूनिया
12. श्री ललित कुमार ओस्तवाल
13. श्री गोपाल लाल शर्मा
14. श्री संजय शर्मा
15. श्री धर्मनारायण जोशी
16. श्री संदीप शर्मा
17. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी
18. श्री हमीर सिंह भायल
19. श्री प्रताप सिंह
20. श्री गोविन्द प्रसाद
21. श्री नरेन्द्र नागर
22. श्री जोगेश्वर गर्ग
23. श्री सुरेश सिंह रावत
24. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर)
25. श्री समाराम गरासिया
26. श्री बाबुलाल (झाडोल)
27. श्री अविनाश
28. श्री बिहारीलाल
29. श्री कालूराम
30. श्री जब्बर सिंह सांखला
31. श्री अमृतलाल मीणा
32. श्रीमती कल्पना देवी
33. श्री फूल सिंह मीणा
34. श्री अर्जुन लाल जीनगर
35. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल
36. श्री जोराराम कुमावत
37. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी
38. श्री पब्बाराम

(श्री अध्यक्ष)

39. श्री गुरदीप सिंह

40. श्रीमती संतोष

41. श्री वासुदेव देवनानी

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री राजकुमार रोत, श्री बलवान पूनियां, श्रीमती अनिता भदेल, श्री सुभाष पूनिया, श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, श्री प्रताप सिंह एवं श्री सतीश पूनियां को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की तहसील सूरजगढ़ में काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के उपखण्ड मुख्यालय पर उप परिवहन कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से निर्माणाधीन नवनेरा बाँध के कार्यालय का संचालन कोटा के स्थान पर कार्यस्थल के समीप इटावा में रखने के सम्बन्ध में।

(4) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से प्रदेश में संचालित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस चालकों एवं परिचालकों का समय-समय पर स्वास्थ्य निरीक्षण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अभिनेश महर्षि, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में बरसाती एवं दूषित जल-भराव की समुचित निकासी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती कृष्णा पूनियॉ, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में फसल बीमा कम्पनियों द्वारा बीमा-क्लेम क्रोप-कटिंग के स्थान पर सैटेलाइट व्यवस्था से कृषकों को भुगतान करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में भर्ती मरीजों के परिजनों के ठहरने की उचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर में मंत्रालयिक कार्मिकों की कैडर स्ट्रैन्थ में बढ़ोतरी के सम्बन्ध में

(9) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से सिंघानिया विश्वविद्यालय के बीएड किये छात्रों को शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री कान्ति प्रसाद, सदस्य की ओर से सरिस्का अभयारण्य में तालाब से कूंडला तक डीएमएफटी फण्ड के तहत सुरंग बनाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में बिपरजॉय तूफान से क्षतिग्रस्त रपटों, सड़कों, पुलियाओं, तालाबों एवं एनिकटों का पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से माण्डलगढ़ के सामुदायिक चिकित्सालय में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बिपरजॉय तूफान से क्षतिग्रस्त ईंट एवं कजावा निर्माण करने वालों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

(14) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से सांभर-फुलेरा को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री राजकुमार रोत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

कार्तिक भील हत्याकांड के परिजन का सिरोही जिला मुख्यालय पर धरना

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिला मुख्यालय पर पिछले 6 माह से कार्तिक भील ऊर्फ कान्तिलाल के परिजनों

(श्री राजकुमार रोत)

द्वारा जिला मुख्यालय पर उसकी जो हत्या हुई थी, उसकी हत्या के जो दोषी लोग थे, जो मुल्जिम थे, उनकी गिरफ्तारी एवं अन्य मांगों को लेकर सिरोही जिला मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि यह सरकार एक संवदेनशील होने का दावा करती है, यह सरकार गरीबों, एससी, एसटी, ओबीसी के हितों की बात करती है, लेकिन मुझे दु:खी होकर बताना पड़ रहा है कि पिछले 6 माह से यह घटनाक्रम, कार्तिक भील जो सिरोही का है, इसके साथ 19 दिसम्बर, 2022 को मारपीट हुई। उसके साथ 8 लोगों ने मिलकर मारपीट की और इलाज के दौरान 01 जनवरी, 2023 को उसकी मृत्यु हो गई।

उसके बाद से उन मुल्जिमों की गिरफ्तारी को लेकर, उससे पहले इस व्यक्ति ने कई थानों में, जैसे कि शिवगंज थाना है, सांडेला जो पाली का थाना है, उस थाने में रिपोर्ट दी थी कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। अन्त में उस आदमी को जान गंवानी पड़ी।

आज मुख्य विषय यह है कि वे धरना दे रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उसकी डैथ होने के बाद वहां पर सामाजिक संगठनों द्वारा, हमारे द्वारा, वहां के कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा धरना दिया गया। एक मुख्य मांग रखी थी कि उसका एक मकान है, उसका मकान 1970 के आसपास बना हुआ है, 1980 का विद्युत कनेक्शन है, एक तरफ सरकार प्रशासन गांवों के संग में पट्टे देने का दावा कर रही है लेकिन 1970 से जो मकान बना हुआ है, उस मकान का अभी तक पट्टा नहीं मिला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि एक डेलिगेशन बने। उस परिवार की जो मांगें हैं, उनको माना जाये और मांग में जो सम्मानजनक, क्योंकि एक महिला और उसके छोटे बच्चे, उसका बुजुर्ग बाप आज भी जिला सिरोही मुख्यालय के बाहर 6 महीनों से तड़प रहा है, उनकी मांगों को मानते हुए, उनकी मांग पूरी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

प्लेसमेंट एजेंसी व्यवस्था समाप्त कर संविदाकर्मी की नियुक्ति

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में कई अटकी हुई भर्तियों को पूरा करने का काम किया है लेकिन आज भी पंचायती राज एलडीसी भर्ती, 2013 के बकाया 6 हजार 29 पदों को भरा जाना बाकी है। शारीरिक शिक्षा भर्ती, 2022 में फर्जी डिग्री से जो लोग चयनित हो गये हैं, उनको जांच कर बाहर करने की जरूरत है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती, 2018 को पूर्ण करने की मांग करता हूं। विद्या सम्बल योजना में कालेजों में तुरन्त प्रभाव से सहायक आचार्यों को नियुक्ति देकर कालेजों में सुचारु शिक्षा व्यवस्था पूरी करने की मांग करता हूं।

शिक्षा विभाग में तुरन्त प्रभाव से डीपीसी कर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाये। सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आयेगा। शिक्षण व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। 3500 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र परिवर्तित व्यावसायिक शिक्षा योजना में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में पिछले 8 सालों से लगातार सेवाप्रदाता ठेकेदार एजेंसी के माध्यम से विद्यालयों में जो सेवाएं दे रहे हैं, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, 01 जुलाई, 2023 से हटाये जाकर व्यावसायिक प्रशिक्षकों को विद्यालय भेजे जाने के आदेश करने, शोषणकारी व्यवस्था ठेका प्रथा निरस्त करके प्लेसमेंट एजेंसी को खतम कर संविदा शिक्षक के रूप में इनकी सेवाएं ली जाएं।

पंचायत सहायक भर्ती, 2017 को पूरा किया जाए। प्लेसमेंट एजेंसी के टेंडर निरस्त करके बजट घोषणा के अनुसार, जो रेक्सो कम्पनी बनाने की बात की गई थी, उसको पूरा कर नियुक्ति दी जाए। एससी की महिलाएं, जो अदर राज्य से यहां ब्याहता होकर आई हैं, उनके एससी के प्रमाण पत्र को माना जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण में आरटीटीपी एक्ट का उल्लंघन

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान की जो कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार के बारे में यदि कुछ शब्द कहूं तो उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(श्रीमती अनिता भदेल)

लूटो, कमाओ और खाओ, यह इस सरकार की नीयत रही है पिछले साढ़े चार सालों से। कांग्रेस की सरकार में यही चल रहा है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): कांग्रेस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज 4 बिल हैं। अनिता जी, please be specific. जो टापिक है, उसके इर्द-गिर्द बोलें। अपन भूमिका बनायेंगे तो टापिक नहीं हो पायेगा, प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी फूड पैकेट के लिए। मैं अन्नपूर्णा फूड पैकेट की बात कर रही हूं और जिस तरह से पिछले दिनों में मंत्री आपस में झगड़ रहे हैं, मुख्य मंत्री के रूप में वित्त मंत्री जी और खाद्य मंत्री जी में आपस में जो विवाद हुआ है, जो संविधान के आर्टिकल 203 और 204 के अनुसार बजट के विनियोजन विधेयक में जो मद पहले से तय है उस मद को यदि आपको चैंज करना है तो आपको विधान सभा में वह प्रस्ताव लाना पड़ेगा, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते आप खाद्य मंत्री जी से वह प्रस्ताव लेकर के कोआपरेटिव को दे देते हैं, कोआपरेटिव से फिर वह प्रस्ताव लेकर के आप जिला कलेक्ट्रेट को दे देते हैं और अब तक वह योजना पूर्ण नहीं हो पायी है और अब अन्त में आप कह रहे हैं कि हम तीन सौ रुपये लाभार्थी के खाते में डाल देंगे तो यह है क्या चीज? आप इतना करप्शन क्यों करना चाहते हैं? क्यों जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को लुटाना चाहते हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कोर्ट में पिटिशन दायर हुई है। राज्य सरकार के इस अवैधानिक निर्णय के कारण से जो कंडीशंस आपने टेंडर की बनायी है, उन कंडीशंस के बिन्दु संख्या 5 और बिन्दु संख्या 15 में कम से कम पचास करोड़ की सप्लाई का अनुभव रखने वाला ही इस टेंडर में भाग ले सकता है। पहले तो आप राज्य स्तर पर टेंडर करना चाहते थे, फिर आपने एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को दे दिया। अब दूसरे मंत्रालय से आपने जिला कलेक्ट्रेट को दे दिया। जिला कलेक्ट्रेट ने भी जिस टेंडर को किया है उस टेंडर में पचास करोड़ की सप्लाई की आपने मिनिमम बाध्यता रखी है। मुझे यह पूछना है सरकार से और सदन के नेता से कि यह पचास करोड़ की बाध्यता रख करके आप किस निजी व्यक्ति को लाभ देना चाहते हैं, किस दूसरे तरीके से आप इसको पहुंचाना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): और इसी वजह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लाभार्थी है वह इंतजार कर रहा है कि उनको कब फूड पैकेट मिलेगा लेकिन सरकार फूड पैकेट देने के लिए कोई चिन्तित नहीं है, सिर्फ उसमें कमीशन हम कैसे बना पायें उसकी चिन्ता आपको है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह टेंडर में जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले को... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इस घोटाले से जनता पूरी तरह त्रस्त है और यह घोटाला ही आपकी सरकार को लेकर के जाने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना कहना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: श्री सुभाष पूनिया।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, अभी अन्नपूर्णा पर बात चल रही थी 2023-24 के बजट में नि:शुल्क राशन अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण के बारे में। अभी अनिता जी ने बताया कि 203 और 204 के अनुच्छेद में स्पष्ट प्रावधान है कि जिस विभाग को बजट आबंटन होता है वो ही विभाग उसको खर्च कर सकेगा, लेकिन इस भ्रष्टाचार की आमदनी के चक्कर में दो विभाग आपस में उलझ रहे हैं। वो तो कहता है मैं बांटूं और वो कहता है मैं बांटूं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना और क्या होगा। अब आपस में आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी रोज अलग-अलग बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि फूड पैकेट दिये जायेंगे, कभी कहते हैं कि इनका पैसा सीधा लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर होगा। बड़े शर्म की बात है जिस विभाग को वितरण का कार्य दिया जा रहा है उसके ऊपर तो पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं फिर भी ऐसी कोशिश की जा रही है और कौनसा विभाग इस योजना को लागू करेगा, इसका निर्णय नहीं होने से आमजन को इसका लाभ नहीं मिल रहा है और केवल मात्र लाभान्वितों को सब्जबाग दिखा कर गुमराह किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि इस तरह की घोषणा कोई व्यावहारिक नहीं है।

दूसरा, एक हमारे झुंझुनूं जिले में उदयपुरवाटी नगरपालिका का मामला है, उसमें सीधा कलेक्टर ने जांच में अध्यक्ष को दोषी माना है कि एक भ्रष्ट वहां के जन-प्रतिनिधि तो म्युनिसिपेलिटी में अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चारदीवारी तोड़ी है कालेज की और...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। इससे क्या सम्बन्ध है? धन्यवाद।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): कलेक्टर ने सीधी कार्यवाही यहां डीएलबी में दे रखी है। आज तक उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई है। इतना ही कहना है मेरे को। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व विधायकों ने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी हैं, उन्हीं की बात को बढ़ाते हुए मैं आपको यह पूछना चाहूंगी और वाकई में यह जानना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार के ऊपर जब हम बात शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करेंगे? अभी तक भी क्लियर नहीं है। या तो हम यह बात करें कि योजना भवन के बेसमेंट में आलमारी में ढाई करोड़ रुपये क्यों मिले या 135 ब्लैक लिस्टेड कम्पनियों ने क्या किया और या फिर सत्तर हजार सेलरी पाने वाले जयपुर डिस्कॉम के सहायक लेखाधिकारी दीपक कुमार गुप्ता के पास बीस करोड़ की सम्पत्ति...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I will not allow it, outside of the scope.

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं, आउटसाइड नहीं, उसी पर आ रही हूं।

श्री अध्यक्ष: No. I am sorry. पहले पढ़ लें किस पर बोलना है, ओनली अन्नपूर्णा में आरटीटीपी एक्ट पर बोलना है।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अन्नपूर्णा के फूड पैकेट पर ही आ रही हूं।

श्री अध्यक्ष: No. I will not allow it. Please be specific. गलत बात है।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, अन्नपूर्णा के फूड पैकेट पर ही मैं आ रही हूं लेकिन साथ में अपनी एक बात रखते हुए मैं उस बात पर आ रही हूं।

कल ओला ली थी मैंने अध्यक्ष महोदय, और राजस्थान सरकार की एक गाड़ी जिसका नम्बर है RJ-14-TE-9362, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गाड़ी ओला में चल रही है और राजस्थान सरकार को पता भी नहीं होगा कि उनकी गाड़ी ओला के लिए आ रही है, तो इस तरीके की स्थिति है, तो कैसे जनता यह एक्सपेक्ट करे कि फूड पैकेट...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I am extremely sorry. अंकित नहीं होगा। आप बोल रहे हैं आरटीटीपी एक्ट पर, जनरल पर बोल रहे हैं?

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें। I will not allow it. यह कोई तरीका नहीं है। आपका इश्यू अलग है। I will not allow it. यह बहुत गलत परम्परा है। श्री प्रताप सिंह।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ लेते ही कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टोलरेंस की नीति अपनायी जायेगी पर मुझे दु:ख है कि यह नीति तो कोसों दूर चली गयी और यह सारी की सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और खुद मंत्री और एमएलए ही सरकारी पार्टी के इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। चूंकि मामला पोषाहार से सम्बन्धित है, हमारे पास और भी बातें कहने को हैं पर मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कॉनफैड के द्वारा...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I will not allow it which is beyond the scope. Please go through it. Mr. Leader of Opposition, I will not allow anything which is outside the scope. I am extremely sorry. आपको बोलना है अन्नपूर्णा, आपने लिखा क्या है वह बोल दूं? अन्नपूर्णा पर बोलना है पर आप बाल विकास पर जा रहे हैं। No. I will not allow it.

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अन्नपूर्णा पर ही बोल रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप बाल विकास पर बोल रहे हैं। आप अन्नपूर्णा पर बोलें। आरटीटीपी एक्ट पर अन्नपूर्णा पर जो बोलना है वो बोलें आप।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एक तो आपकी वजह से आधा तो वैसे ही भूल जाते हैं, साहब, क्या बोलना है क्या नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप पूरा भूल जाओ। धन्यवाद। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मेरा निवेदन यह है कि, साहब, जो भ्रष्टाचार पोषाहार में हो रहा है उसके मामले में मैं निवेदन करना चाहता था, थोड़ा भाषा में इधर-उधर परिवर्तन हो सकता है पर मेरी मंशा यही है कि पोषाहार के मामले को उजागर करूं।

श्री अध्यक्ष: मैं फिर अलाउ नहीं करूंगा, आप बैठें आराम से। पोषाहार

(श्री अध्यक्ष)

का अलग लेकर आओ मैं अलाउ करूंगा। अभी इस पर नहीं करूंगा। आपको बोलना है अन्नपूर्णा पर, आरटीटीपी एक्ट पर तो वह बोलें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): चलो अन्नपूर्णा पर ही बता देता हूं। कॉनफैड द्वारा एक हजार रुपये का प्रतिवर्ष के लिए अन्नपूर्णा का ठेका दिया गया 15 मार्च, 2022 को।

श्री अध्यक्ष: कहां ठेका दिया अभी?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): जबकि यह निविदा एक वर्ष के लिए नहीं पांच वर्ष के लिए थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, फिर आप आरटीटीपी एक्ट पर या अन्नपूर्णा पर बोल रहे हैं या किस पर बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। राजेन्द्र जी, गाड़ी अटकी हई है इनकी। माननीय सदस्य, आरटीटीपी एक्ट के अन्तर्गत अभी सरकार ने कलेक्टर लेवल पर यह काम करने का काम किया है। आप कहां टेंडर हो रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आप बैठें आराम से।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अगर कोई चोर चोरी करके ले जाये और साल भर बैठे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। आप चोरी और चोरी के तरीके का आरोप लगाने का लिखकर दें। I will not allow it. I will not allow you to set a wrong example.

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मेरा सीधा-सीधा आरोप।

श्री अध्यक्ष: I will not allow it. आपको बोलना है आरटीटीपी एक्ट पर तो अलाउ है नहीं तो धन्यवाद, बैठें आप। I will call the next Member.

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): चलो अन्नपूर्णा में आपने कलेक्टर्स को पावर दे दिये पर कलेक्टर्स टेंडर रोक कर कैसे बैठें हैं, उनको आज ही खुल जाना चाहिये था, कल ही खुल जाना चाहिये था, क्यों नहीं खुल रहे हैं? क्या कारण है कि वो दबा कर बैठे हुए हैं? क्या यह सरकार की मिलीभगत नजर नहीं आती? इस पर मंत्री जी बतायें कि जो जहां-जहां पर जिस-जिस जिले में टेंडर नहीं खुले हैं कब तक खुल जायेंगे और वर्क आर्डर, जिनकी लोएस्ट रेट है उनको टेंडर कब तक दे दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): इसके अलावा, माननीय मंत्री महोदय, मैं बहुत गम्भीर मामला आपके सामने रखना चाहता था पर..

श्री अध्यक्ष: वह बाद में लाना गम्भीर मामला। धन्यवाद।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): तो आप इसका जवाब तो दिलवाओ, साहब, कब तक टेंडर खुल जायेंगे?

श्री अध्यक्ष: आप बैठें आराम से, सीनियर आदमी हैं। स्थगन प्रस्ताव पर जवाब की व्यवस्था कर रखी है अपन ने पहले ही।

श्री सतीश पूनियां जी।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस स्थगन प्रस्ताव का जिक्र हो रहा है, उसमें संस्थागत भ्रष्टाचार इस सरकार में किस तरीके से पनपा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। पिछले पौने पांच साल में जिस तरीके से संस्थागत भ्रष्टाचार इस सरकार के राज में पनपा, कोई महकमा अछूता नहीं था। इसीलिए जब मुख्य मंत्री जी जीरो टोलरेंस की बात करते हैं, पब्लिक डोमेन में पब्लिक स्वीकार करती है कि हमें रिश्वत देनी पड़ती है। सरकार की अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना उसी भ्रष्टाचार को पनपाने की एक सुनियोजित तरीके की साजिश थी। यह योजना यदि 2018 में आती तो खुशी होती कि किसी गरीब के घर में अन्न का दाना जायेगा, लेकिन जो सरकार कोरोना के कालखण्ड में दवाई खा जाये, कफन खा जाये, उस सरकार से किस न्याय की उम्मीद कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में जिस तरीके से अदालत में फटकार लगाई, जिस तरीके से आरटीटीपी एक्ट का उल्लंघन करके उसकी धज्जियां उड़ा कर किसी संस्था विशेष को, कंपनी विशेष को फायदा देने के लिये सरकार ने गरीबों के कमाई के पैसे पर डाका डालने की कोशिश की, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है यह अन्नपूर्णा फूड पैकेट वोटर्स को लुभाने की योजना तो है ही, लेकिन अपने चहेतों को लाभ देने की, भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण साफ तौर पर दिखाई देता है। यह मैं नहीं कह रहा, यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशल कहती है, यह करप्शन सर्वे कहता है, राजस्थान के 78 प्रतिशत लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसा लगता है यह सरकार अन्नपूर्णा फूड पैकेट माफिया है, भू-माफिया, दवा माफिया, तबादला माफिया, खान माफिया, पर्यटन माफिया, परिवहन माफिया, शिक्षा माफिया, प्रदूषण माफिया, शराब माफिया, खेल माफिया, जेल माफिया, राजनीति माफिया, यह माफिया, वह माफिया, सब माफिया, ऐसी सरकार का तो सत्यानाश जाये तो भी कम है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से इस सरकार के दौरान इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट की योजना में भ्रष्टाचार का जो तांडव खड़ा किया है, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता, यह पब्लिक है यह सब जानती है, यह फैसला जरूर करेगी। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की जनता की अदालत में इस सरकार के भ्रष्टाचार के हाथ रंगे हुए हैं। यह सरकार अलीबाबा चालीस चोर की सरकार है।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): 000

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 295, राम प्रताप कासनियां। (व्यवधान) आपको बोलना है 295? माननीय रामप्रताप कासनियां, ...(व्यवधान) मिस्टर रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): बोल रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: बोलिए, बोलना शुरू कीजिए। (व्यवधान)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सूरजगढ़ तहसील (सूरतगढ़) में काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की तहसील सूरजगढ़ में पिछले 50 वर्षों से टीसी भूमि की खातेदारी लेने व 1955 से पूर्व की व 1955 के बाद की भूमि की खातेदारी लेने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी तरह-तरह के बहाने बना रहे हैं। प्रस्तावित वन विभाग व प्लानिंग क्षेत्र व रकबा तरमीम नहीं, जबकि नगरपालिका सूरतगढ़ में पेरिफेरी क्षेत्र में भू-माफियाओं से करोड़ों रुपये रिश्वत लेकर खातेदारी दे दी, जबकि भू-माफियाओं ने टीसी भूमि औने-पौने दामों में भूमि खरीद ली। नियमों के विपरीत जाकर सब कानून को धता बताकर पैसे के बलबूते पर खातेदारी प्राप्त कर ली, जबकि नगरपालिका क्षेत्र में ओरिजिनल काश्तकार वर्षों से खातेदारी लेने के लिए टकटकी लगाये बैठे हैं। तहसील के आगे लंबे समय से

(श्री रामप्रताप कासनियां)

धरना लगाये बैठे हैं। इसके साथ-साथ नगरपालिका क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकारों को खातेदारी नहीं दी जा रही है। सिर्फ 6-7 गांव वंचित हैं। गांव के नाम 1. रंगमहल 2. सोमासर 3. गांव मालेर, 4. गांव पिंपासर वगैरह।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया, बोलने दें उनको।

बहिर्गमन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): हम सरकार से जवाब चाहते हैं ... (व्यवधान) सरकार भ्रष्टाचार पर चुप है, सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम इस विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: बोलिए, रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं क्या करूं, बोलूं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सरकार से मैं बार-बार खातेदारी देने की मांग करता आ रहा हूं। राजस्व मंत्री जी, आप किसान के बेटे हो, अगर आप भी इन काश्तकारों को खातेदारी प्रदान नहीं करोगे तो दूसरा कौन करेगा?

अतः मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि काश्तकारों को खातेदारी प्रदान की जावे। धन्यवाद।

(समय: 12.25 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: थैंक यू। श्री जगसी राम।

रेवदर उपखण्ड मुख्यालय पर उप परिवहन कार्यालय की स्थापना

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि रेवदर उपखण्ड के लगभग 50 गांवों, मण्डार एवं रेवदर कस्बे की जनता को परिवहन विभाग से कार्य करवाने के लिये 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है एवं आर्थिक नुकसान के साथ-साथ समय का भी नुकसान उठाना पड़ता है। क्षेत्र की घनी आबादी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, रिन्यू करवाने, परिवहन कार्यालय से संबंधित अन्य कार्यों के लिए आबूरोड या सिरोही कार्यालय जाना पड़ता है। अपने कार्य के

(श्री जगसी राम)

लिये आवेदकों को दो से तीन बार परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। राज्य सरकार ने गत दिनों राज्य में चल रही परिवहन चैक पोस्टों को बंद कर रखा है। इन चैक पोस्टों के बंद कर दिये जाने से परिवहन विभाग की राजस्व आय में कमी दर्ज हुई है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार वर्तमान में रेवदर उपखण्ड क्षेत्र में आरटीओ टैक्स के नाम से जगह-जगह पर बोर्ड लगा दिये गये हैं एवं कई जगहों पर से तो परिवहन विभाग के नाम से नकली कूटरचित रसीदें ट्रक चालकों को पकड़ा कर आंख में धूल झोंकने का कार्य किया जा रहा है।

अतः माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय की ओर से आमजन को प्रत्येक क्षेत्र में राहत दिये जाने की उदार घोषणाओं को देखते हुए रेवदर उपखण्ड मुख्यालय पर उप परिवहन कार्यालय खोला जावे, ताकि आमजन को राहत के साथ सरकार की राजस्व आय में भी वृद्धि होती रहे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीना।

नवनेरा बांध के कार्यालय का इटावा से संचालन

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सभापति महोदय, राज्य के 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई हेतु ई.आर.सी.पी. के अन्तर्गत निर्मित हो रहे नवनेरा बांध के कार्यालय का संचालन बांध साइट तथा क्षेत्र से 100 किलोमीटर कोटा में रखने से कार्मिकों के अप-डाउन से निरीक्षण निर्धारित मापदण्डानुसार समय पर नहीं होने एवं समुचित पर्यवेक्षण के अभाव में घटिया निर्माण होने, राजकीय राशि अपव्यय तथा निर्माण उपरान्त भी नियमित देखभाल एवं आवश्यक कार्य के लिए मुख्यालय बांध स्थल के नजदीक होना ही सर्वथा उचित होने, नहर निर्माण तथा अन्य आवश्यक कार्य भी क्षेत्र के नजदीक होने तथा पेयजल से लाभान्वित होने वाले कोटा जिले के 384 तथा बून्दी जिले के 365 ग्रामों के मध्य में इटावा की सही अवस्थिति होने के कारण खण्डीय कार्यालय इटावा में संचालन हेतु 6 मर्तबा राज्य सरकार को अनुरोध करने के बावजूद अधिकारी निजी हितों के वशीभूत होकर शिक्षण व्यवस्था नहीं होने का असत्य बहाना बनाकर आराम-तलबी के लिए जान-बूझकर कोटा शहर में कार्यालय निर्माण एवं संचालन करवाकर सरकारी राशि का अपव्यय करने पर आमादा हैं तथा भ्रामक एवं निराधार जवाब प्रस्तुत कर सरकार को गुमराह कर रहे हैं।

(श्री रामनारायण मीना)

नवनेरा बांध स्थल से हवाई सर्वे अनुसार मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित इटावा में सी.ए.डी. का खण्ड कार्यालय, पी.डब्ल्यू.डी. खण्ड कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, पंचायत समिति तथा कृषि उपज मण्डी समिति एवं अन्य समस्त उपखण्ड स्तरीय कार्यालय तथा अंग्रेजी माध्यम के पर्याप्त विद्यालय, स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालय संचालित हैं। दिनांक 21.10.2022 को पंचायत समिति सुल्तानपुर एवं 12.11.2022 पंचायत समिति, इटावा की बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा नवनेरा बांध का खण्डीय कार्यालय का सुल्तानपुर अथवा इटावा में ही निर्माण करवाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। विभाग का दायित्व है कि जनप्रतिनिधियों की भावना का सम्मान किया जाये।

अतः अनुरोध है कि जनहित में जन भावना एवं उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक: प. 04 (02) ज.स./2021 दिनांक 19 अप्रैल, 2022 नवनेरा बांध प्रोजेक्ट का कार्यालय कोटा में रखे जाने के लिए, संशोधित कर बांध कार्य स्थल से नजदीक इटावा अथवा अन्य समीपस्थ स्थानों पर कार्यालय संचालन व रेस्ट हाउस का निर्माण करवाया जाने हेतु आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करावें।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित), श्री अभिनेश महर्षि।

रतनगढ़ में बरसाती एवं दूषित जल-भराव की समुचित निकासी

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना।

सभापति महोदय, नगरपालिका रतनगढ़ व राजलदेसर में बरसात से पानी भरने के कारण हालात बहुत खराब हैं। इस वर्ष रतनगढ़ नगरपालिका में मानसून से पूर्व में सफाई कार्य के लिए टेंडर निकला, फिर अगले कार्य दिवसों में उसे कैंसिल कर दिया गया। पता नहीं किस मजबूरी में, किस बंदरबांट के चलते टेंडर कैंसिल किया गया। यह शहरवासियों के लिए एक प्रश्न बनकर रह गया है। नगरपालिका में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब मानसून के समय लगातार रतनगढ़ शहर में हो रही बरसात से मुख्य बाजार, जिला अस्पताल क्षेत्र, बस स्टैण्ड, लिंक रोड, मुख्य डाकघर, परमाणा ताल क्षेत्र सहित शहर के कई इलाकों में बरसाती पानी भर जाने से आमजन एवं व्यापारियों को भारी

(श्री अभिनेश महर्षि)

नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुख्य गिनाणी क्षेत्र में लोगों के कब्जे हो जाने से गिनाणी क्षेत्र छोटा हो गया है। नगरपालिका द्वारा कब्जा हटाने का प्रयास नहीं किया जाना शहर में आम चर्चा का विषय बना हुआ है। शहर के मुख्य बाजार में तो बरसाती पानी व्यापारियों की दुकानों में चले जाने से आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। परमाणा ताल में मिट्टी डलवाने से, बरसाती पानी के भराव से चूरू रोड पर आवागमन पूर्णतया बाधित हो जाता है।

एल.एंड टी. कंपनी द्वारा जनता की गाढ़ी कमाई को बेतरतीबी से किया जा रहा है जमींदोज। रतनगढ़ कस्बे में सीवरेज के नाम पर चल रही करोड़ों की योजना पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से शहरवासी भुगत रहे हैं पीड़ा। योजना कार्य के क्रियान्वयन में तकनीकी मापदण्डों की अनदेखी और बन्दरबांट के चलते आमजन को नर्क भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सीवरेज में उपयोगी सामग्री की गुणवत्ता से किया जा रहा है समझौता। एजेंसी बेखौफ होकर जैसे-तैसे काम निपटा कर पैसा उठाने की फिराक में है। बेतरतीबी से हो रहे इस कार्य में आरयूआईडीपी और पालिका प्रशासन भी चुप्पी साधकर देख रहा है। कार्य में छोटे-बड़े बने चेंबर भी आये दिन दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। पानी की पाइपलाइन से सटाकर डाली जा रही सीवरेज से आये दिन टूट रही हैं पानी की लाइन और आमजन पानी के लिए जूझ रहा है। किसी एक लाइन में लीकेज होने की स्थिति में आमजन को मैला पीने के साथ भयानक रोग फैलने की आशंका में जी रहे हैं शहरवासी। करोड़ों की योजना पर किसी भी स्तर पर नहीं की जा रही है समीक्षा। शहर में जगह-जगह मुख्य बाजारों सहित वार्डों में सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है, फिर उसकी सुध कई महीनों तक नहीं लेती है कार्यकारी एजेंसी। शहर में जगह-जगह गड्ढे होने से बरसाती पानी से जल भराव में स्थिति और भयंकर हो गई है। टूटी सड़कों से आवागमन बाधित होने के साथ ही आये दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं शहरवासी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ।

सादुलपुर में बीमा-क्लेम का सैटेलाइट व्यवस्था से भुगतान

श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ (सादुलपुर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के किसानों की वर्ष 2021-22 में अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल पूर्ण रूप से खराब हो गई थी। ज्यादा

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

खराबे के कारण इंश्योरेंस कंपनी को भारी क्लेम देना पड़ता, इस कारण एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी किसानों को हुए खराबे का बीमा क्रोप-कटिंग के बजाय सैटेलाइट से दे रही है, जो बिलकुल गलत है। इस वजह से मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों में आक्रोश है एवं लगातार धरना-प्रदर्शन भी कर रहे हैं।

सभापति महोदय, कई बार देखने में आता है कि क्रोप-कटिंग के समय इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि संबंधित खसरा या खेत में उपस्थित नहीं होते हैं और उनके उपस्थित न होने के कारण क्रोप-कटिंग के विवरण पर कंपनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि, पटवारी व किसान के क्रोप-कटिंग की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसा नहीं होने के कारण इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय में बैठकर मन मुताबिक रिपोर्ट बना दी जाती है तथा किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में वर्ष 2021-22 खरीफ की फसल की क्रोप-कटिंग की रिपोर्ट यही दर्शाती है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त अति गंभीर विषय को ध्यान में शीघ्रातिशीघ्र लिया जाए तथा विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के किसानों को उनके हक का क्लेम दिलवाया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हाकम अली खां।

जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के परिजन के ठहरने की व्यवस्था

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान प्रदेश के सबसे बड़े एस.एम.एस. अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को हो रही परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

एस.एम.एस. अस्पताल जो कि प्रदेश का बहुत बड़ा अस्पताल है, जहां प्रदेश के कोने-कोने से विभिन्न प्रकार के रोगी अपना इलाज करवाने आते हैं। हमारी सरकार ने जनहित में फ्री इलाज का निर्णय कर जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। राजस्थान के एस.एम.एस. से नि:शुल्क और अच्छा इलाज होने

(श्री हाकम अली खां)

के कारण यहां पर प्रदेश के अलावा भी अन्य प्रदेशों जैसे हरियाणा, पंजाब, एमपी, यूपी आदि प्रदेशों के मरीज अपना इलाज करवाने के लिये आते हैं, जिसके कारण इस अस्पताल में मरीजों का काफी दबाव रहता है।

इस अस्पताल में दूर-दराज के भर्ती मरीजों के साथ आने वाले गरीब परिजनों की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण परिजन बाहर फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर हैं।

धनाढ्य व्यक्ति तो कहीं भी होटल आदि में अपनी व्यवस्था कर लेता है, गरीब ग्रामीणों को विकट समस्या का सामना करना पड़ता है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि एस.एम.एस. अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों के ठहरने हेतु उचित व्यवस्था कर ग्रामीण गरीब जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनीषा पंवार (अनुपस्थित), श्री हरेन्द्र निनामा।

सिंघानिया विश्वविद्यालय के बी.एड. किये छात्रों को शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में निवेदन है कि राजस्थान में सिंघानिया विश्वविद्यालय के बी.एड. छात्रों को नियुक्ति देने का आदेश हाई कोर्ट द्वारा देने के बाद भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के छात्रों को शिक्षक भर्ती पर नियुक्ति नहीं देने से पूरे मेवाड़ टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों में नाराजगी है। मैं शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि मेरे बांसवाड़ा संभाग में बेरोजगार शिक्षक I ग्रेड, II ग्रेड, III ग्रेड में नियुक्ति दी जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कान्ति प्रसाद।

सरिस्का अभयारण्य में डी.एम.एफ.टी. फंड से सुरंग

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना। सरिस्का अभयारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्र से होकर गुजरने वाली स्टेट हाईवे नं. 25-ए पर तालाब से कूंडला तक डी.एम.एफ.टी. फण्ड का उपयोग करते हुए वन्य जीवों एवं मानव जीवन की रक्षार्थ सुरंग निर्माण हेतु।

महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के

(श्री कान्ति प्रसाद)
नियमों के नियम 295 के तहत श्रीमान मंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार से आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के सरिस्का अभयारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्र से होकर गुजरने वाले स्टेट हाईवे संख्या 25-ए से मार्बल माइन्स एरिया मल्लाना, भानगढ़, झीरी, सानकोटड़ा, आंधी मार्बल एरिया, खोदरीबा, तिलवाड़, पालपुर, टोडा, कालवाड़, नारायणी माता जयसिंहपुरा व बलदेवगढ़ से नित्य प्रति मार्बल, खनिज परिवहन के असंख्य बड़े डम्पर ट्रोले इसी मार्ग से दौसा-टहला 29-ए स्टेट हाईवे जुड़ा होने से बड़ी संख्या में सभी तरह के हजारों वाहन इस घने वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र से होकर निकल रहे हैं। आये दिन वन्यजीवों, टाइगर एवं मानव जीवन की दुर्घटनाओं में मौत हो रही है। वन्यजीवों, टाइगर एवं जनमानस की जीवन रक्षार्थ तालाब से कूण्डला तक लगभग एक किमी लम्बाई में सुरंग निर्माण किया जाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। उल्लेखनीय है कि अलवर जिले के डी.एम.एफ.टी. फण्ड में करोड़ों रुपयों की धनराशि जमा है। आवश्यकतानुसार डी.एम.एफ.टी. फण्ड का उपयोग करते हुए उक्त सुरंग का निर्माण कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर में बिपरजॉय तूफान से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलियाओं, तालाबों व एनिकटों का पुनर्निर्माण

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय आपदा राहत मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री और पंचायती राज मंत्री से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में 17, 18 जुलाई को अतिवृष्टि से 60 से ज्यादा सड़कें पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गईं, 20 से ज्यादा पुल व रपटें टूट गये, आवागमन के रास्ते बंद हो गये। आज भी कई रास्ते बंद हैं। बिपरजॉय तूफान की अतिवृष्टि से सुमेरपुर तखतगढ़ नगर सहित समूचे ग्रामीण क्षेत्र में भारी विनाश हुआ है। पिछले 40 वर्षों में पहली बार भयंकर बरसात होने से देवतरा का चितौला बांध, राजपुरा, तखतगढ़, भाचुंदा, मणिहारी सहित कई गांवों के तालाब फूट गए। सभी बांध ओवरफ्लो हो गए, जिससे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति हो गई। इससे क्षेत्र में लगभग एक हजार से ज्यादा मकान टूट गए और क्षतिग्रस्त हो गए। वाहन और पशु बहकर चले गए, घरों, दुकानों और खेतों में पानी भर गया। खेतों की मेड़बंदी, तारबंदी, कांटो

(श्री जोराराम कुमावत)

की बाड़, खेतों की उपजाऊ मिट्टी बहकर चली गई। कुएं धंस गए या ढह गए। किसानों द्वारा खरीफ की बुवाई की फ़सलें बाजरा, मूंग, तिल, ग्वार, मक्का बह कर चले गए और खेत बंजर हो गए। बागवानी और सब्जियों की खेती खराब हो गई। तखतगढ़ शहर में 5 दिन पानी भरा रहा जिससे व्यापारियों, किसानों और आमजन को भारी नुकसान हुआ। पूरे विधान सभा क्षेत्र में 2 किमी से ज्यादा सड़कें टूट गई और पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गई। कई पुल और रपटें, पटरियां टूट गई, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। अतिवृष्टि के लगभग एक महीने बाद भी कई रास्ते बंद हैं। पूरे क्षेत्र में लगभग दस दिन बिजली व्यवस्था ठप रही, जो आज भी पूर्ण रूप से सुचारु नहीं हो पाई है।

अतः आपसे निवेदन है कि तखतगढ़, सुमेरपुर शहर सहित समूचे ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे करवाकर आमजन को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। पूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कराया जाए। क्षतिग्रस्त सड़कों पर पेचवर्क, क्षतिग्रस्त एनिकट, तालाब, खड़ीन, रपटों व अन्य सरकारी सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु बजट स्वीकृत कराया जाए और अघोषित कटौती को बंद करवाकर विशेष राहत पैकेज जारी करवाने का श्रम करावें।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल शर्मा।

माण्डलगढ़ सामुदायिक चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

महोदय जी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान में माण्डलगढ़ में सामुदायिक अस्पताल भारी असुविधाओं से ग्रस्त है, जिससे स्थानीय जन समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। कहने को तो अस्पताल है, परन्तु वहां मरीज का इलाज ही नहीं होता, जिसके लिए अस्पताल का निर्माण किया गया है। वर्तमान में अस्पताल में एक्स-रे मशीन खराब है, अस्पताल में आईसीयू नहीं है, इसमें आपरेशन थियेटर नहीं है। भवन की वर्तमान स्थिति काफी जर्जर अवस्था में है। भवन काफी पुराना हो चुका है तथा भवन बहुत छोटा है। अस्पताल के नये भवन निर्माण की भी कोई स्वीकृति नहीं दी गई है।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

ये अस्पताल 72 साल पुराना हो चुका है। सोनोग्राफी मशीन आदि नहीं हैं। छोटी से छोटी जांच भी अस्पताल में नहीं होती है, बाहर जांच करने के लिए डाक्टर लिखता है। छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी भीलवाड़ा जाना पड़ता है। इस प्रकार क्षेत्र में अस्पताल होते हुए भी अस्पताल नहीं है। क्षेत्र के सभी अस्पतालों में डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ तथा एएनएम व जीएनएम नहीं हैं।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि माण्डलगढ़ में सभी असुविधाओं को शीघ्रातिशीघ्र दुरुस्त करवाने के लिए बजट का प्रावधान रखकर इस समस्या का समाधान करवाने का आदेश करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

पश्चिमी राजस्थान में तूफान पीड़ित ईंट कजावा निर्माण करने वालों की समस्याओं का निराकरण

श्री छगनसिंह (आहोर): धन्यवाद, सभापति महोदय। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान के जालौर, सिरोही, पाली जिले में बहुतायत रूप से कुम्हार (प्रजापति) समाज ईंट कजावा निर्माण करने का कार्य पीढ़ियों से करता आया है। वर्तमान में ईंट निर्माताओं की स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि नहीं होने से ईंट निर्माण करने हेतु अन्य खातेदारी की कृषि भूमि में मौखिक सहमति/समझौता के आधार पर ईंट निर्माण करता है तथा उसके प्रतिफल के रूप से मौखिक समझौते अनुसार खातेदार को ईंटों में से कुछ हिस्सा नकद रुपया भुगतान करता है।

निवेदन है कि राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से अकृषि संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 6 के अनुसार खातेदार अपनी कृषि भूमि से एक एकड़ तक के क्षेत्र में कजावा (छोटा ईंट भट्ठा) बिना संपरिवर्तन अनुज्ञा के लगा सकता है, की सीमा बढ़ाकर 1 हैक्टेयर करते हुए श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक/प 9 (78) राज-6/2007/12 दिनांक 03.10.2017 के तहत अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु तहसीलदारों को पुनः आदेशित किया जावे।

(समय: 12.46 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

(श्री छगनसिंह)

यह कि इस बार गत माह बेमौसम बारिश से ईंट कजावा निर्माताओं को लाखों का नुकसान हुआ है। आकस्मिक व प्राकृतिक आपदाओं से कई ईंट कजावा निर्माता इस नुकसान से कर्ज तले दब गये हैं। इस प्रकार के आकस्मिक आघात से उबारने के लिए सरकार द्वारा मुआवजे का प्रावधान किया जावे तथा वर्तमान हुए नुकसान का भी सर्वे करवाया जाकर पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाया जावे। भविष्य में प्राकृतिक आपदा प्रायः बेमौसम बरसात से नुकसान होने पर सरकार द्वारा बीमा करवा दिया जाये।

यह कि खातेदारी कृषि भूमि ईंट कजावा प्रयोजनार्थ उपयुक्त मिट्टी उपलब्ध नहीं होने पर बिलानाम सार्वजनिक बांध/तालाब/नाड़ी/एनिकट में से मिट्टी खुदाई कर परिवहन करने की अनुमति तहसीलदार द्वारा जारी की जावे।

बिपरजॉय से आहोर विधान सभा में अत्यधिक नुकसान हुआ है। चूंकि आहोर के गुढाइन्द्रपुरा, भूती, कंबला, चवरड़ा, कवराड़ा, बलदरा, भवरानी, बाला, नोसरा, आहोर, हरजी आलावा सी रायथल, आईपुरा, बाबड़ी, काम्बा, शंखवाली, भागली पुरोहितान, भेसवाडा, साकरणा, थावला, गुढाबालोतान, उम्मेदपुर, सैदरिया, वैदाना, सुगालिया आदि गांवों में आहोर विधान सभा के सभी गांवों में मकानों का नुकसान हुआ है एवं सैकड़ों मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए। कई किसानों को खड़ी फसलों में पानी बह जाने से पूरा का पूरा खेत नष्ट हो गया। कई कुएं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। सड़कों की बदहाल स्थिति हो गयी। आज भी कई गांवों का सम्पर्क टूट गया।

निम्नांकित पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, 1. भैंसवाड़ा गांव में जाने की पुलिया, 2. आहोर-जालौर मुख्य मार्ग पर भैंसवाड़ा पर पुलिया 3. हरजी पचानवा पुलिया, 4. मादा भाखरी-मंडला रपट, 5. भवरानी रायथल मार्ग पर पुलिया 6. हरजी जवाई नदी पर पुल, 7 सांडन मार्ग पर पुल, 8. चांदना मार्ग पर पुल, 9. भूती रोडला सड़क मार्ग, 10. कबला पेणावा पर रपट, 11. पादरली के दोनों तरफ पुलिया, 12. आहोर से सनवाडा सड़क, 13. रायपुरिया से देवाडा मार्ग आदि कई गांवों की पुलिया एवं सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, जिससे गांवों के बाहर आना-जाना बंद हो गया है।

अतः मकानों, खेत एवं कुओं का मुआवजा पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाए, ताकि उनको राहत मिल सके। साथ ही उक्त गांवों में टूटी पुलियाओं एवं सड़कों को वापस मरम्मत कराया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

सांभर-फुलेरा को जिला बनाना

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा नये जिलों के गठन की घोषणा की गयी है। सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए जिलों की घोषणा तो कर दी, लेकिन यह नहीं सोचा कि प्रदेश के अनेक क्षेत्र की जनता को इससे काफी असुविधा होगी। विगत कई वर्षों से जिन स्थानों को जिला बनाने की मांग की जाती रही है और जहां सारी पात्रताएं पूरी होती हैं, उन स्थानों को दरकिनार कर कई ऐसे जिले बना दिये हैं जिनकी कभी जनता द्वारा मांग ही नहीं की गयी थी। इसके अलावा उक्त नये जिलों में शामिल करने के विरोध में कई विधान सभा क्षेत्रों, तहसीलों की जनता द्वारा लगातार धरना-प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है।

चूंकि प्रदेश में नये जिलों की घोषणा राजनीतिक दृष्टि से की गयी है और जनता की सुविधाओं का इसमें ध्यान नहीं रखा गया है, जिससे जनता भयंकर रूप से आक्रोशित है और जगह-जगह विभिन्न तरीकों से जनता अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के सांभर-फुलेरा को भी जिला बनाने की वर्षों से मांग रही है और विगत 15 वर्षों में मैंने कई बार विधान सभा के सदन में भी अपनी जनता की बात उठायी है, परन्तु सरकार द्वारा इस मुद्दे को दरकिनार कर नये जिलों के गठन में राजनीतिक द्वेषतावश सांभर-फुलेरा को जिला नहीं बनाया है।

अत: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत यह विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि सांभर-फुलेरा की जनता के आक्रोश एवं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सांभर-फुलेरा को जिला बनाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अंकित नहीं होगा। 295 ही।

सदन की मेज़ पर रखी जाने वाली अधिसूचनाएं। शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

अधिसूचनाएं

गृह विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की निम्नांकित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: प.20(1)गृह-9/2023 दिनांक 10.03.2023 जिसके द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक अनुरक्षण सेवा अधिनियम, 1970 के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या: प.20(1)गृह-9/2023 दिनांक 10.03.2023 जिसके द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक अनुरक्षण सेवा अधिनियम, 1970 के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने पर हड़ताल किये जाने का प्रतिषेध किया गया है;

3. अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2012पार्ट2 दिनांक 31.05.2023 जिसके द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक अनुरक्षण सेवा अधिनियम, 1970 के तहत 108 आपातकालीन सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है; एवं

4. अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2012पार्ट2 दिनांक 31.05.2023 जिसके द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक अनुरक्षण सेवा अधिनियम, 1970 के तहत 108 आपातकालीन सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने पर हड़ताल किये जाने का प्रतिषेध किया गया है;

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल जाट।

राजस्व विभाग

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित छह अधिसूचनाएं सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: प.6(26)राज-6/2014/02 दिनांक 10.03.2023, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

(श्री रामलाल जाट)

2. अधिसूचना संख्या: प.11(22)राज-6/2022/04 दिनांक 20.03.2023, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

3. अधिसूचना संख्या: प.6(25)राज-6/2014पार्ट/05 दिनांक 28.03.2023, जिसके द्वारा राजस्थान राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमियों का आबंटन) नियम, 1963 के तहत वर्णित किस्म की भूमियों का आबंटन किये जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या: प.6(11)राज-6/1980पार्ट/07 दिनांक 17.04.2023, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 के तहत बजट घोषणा 2023-24 में घोषित नयी मण्डी, मिनी फूड पार्क की स्थापना के लिए राजकीय भूमि का आबंटन किये जाने हेतु जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या: प.4(6)राज-6/2021/24 दिनांक 02.05.2023, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.6(12)राज-6/99/पार्ट/8 दिनांक 30.07.2014 में संशोधन किया गया है; एवं

6. अधिसूचना संख्या:प.4(1)राज-6/2023/25 दिनांक 30.05.2023, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

गृह (कारागार) विभाग

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह (कारागार) विभाग की निम्न अधिसूचना सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

अधिसूचना संख्या: प.8(11)गृह-12/कारा/2023 दिनांक 07.07.2023 जिसके द्वारा श्री श्याम गौशाला समिति, गांव सोनड़ी, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ को 10 बंदी क्षमता की अस्थायी "खुले हवा शिविर" घोषित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

परिवहन विभाग

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.6(62)परि/टैक्स/मु./2014/3488 दिनांक 23.02.2023 जिसके द्वारा Rajiv Gandhi Foundation के वाहन RJ34PA4212 को देय कर में छूट प्रदान की गई है;

2. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/टैक्स/मु./2023-24/7012 दिनांक 27.04.2023 जिसके द्वारा व्यावसायिक उपयोग हेतु Tractor-Trolley पर देय एकबारीय कर को 500/- रुपये किया गया है;

3. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/टैक्स/मु./2023-24/7024 दिनांक 27.04.2023 जिसके द्वारा IATO/RATO से मान्यता प्राप्त ट्यूर आपरेटर्स के वाहनों को कर में छूट प्रदान की गई है; एवं

4. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/टैक्स/मु./2023-24/7036 दिनांक 27.04.2023 जिसके द्वारा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त Motor Driving Training Institute/School के प्रशिक्षण वाहनों को कर में छूट प्रदान की गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह भाटी।

ऊर्जा विभाग

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की निम्न अधिसूचना सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम/148 दिनांक 13 जून, 2023 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय क्रय बाध्यता) विनियम, 2023 विरचित किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटी के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18 से 2020-21)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटी अधिनियम 2016 की धारा 78 के अन्तर्गत राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटी के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 से 2020-21 सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भजनलाल जाटव।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्ष 2021-22)

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2021-22 सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा-34(3)(का) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन की मेज़ पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री जोराराम कुमावत।

याचिका

सुमेरपुर के बाला ग्राम में पानी की निकासी हेतु व्यवस्था

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के बाला ग्राम में पानी की निकासी हेतु आवश्यक व्यवस्था के संबंध में याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित कुमार ओस्तवाल।

कपासन में कारोई से भादसोडा वाया कपासन, रोलिया सड़क का नवीनीकरण

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)
अनुमति से कपासन विधान सभा क्षेत्र में कारोई से भादसोडा वाया कपासन, रोलिया सड़क के नवीनीकरण के संबंध में याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना में नवगठित नगरपालिका सिवाना को दमकल वाहन की उपलब्धता

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिवाना विधान सभा क्षेत्र में नवगठित नगरपालिका सिवाना को दमकल वाहन उपलब्ध करवाने के संबंध में याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री नरपत सिंह राजवी (अनुपस्थित)।

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023, शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पर आपने मुझे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पहले भूकम्प पर।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, तैयार हैं?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): हां।

श्री अध्यक्ष: बिहारीलाल जी, पहले स्टेटमेंट। माननीय मंत्री जी, भूकम्प पर।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर में भूकम्प की घटना

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रदेश में दिनांक 21.07.2023 को प्रातः 4:09 बजे से 4.31 बजे के मध्य जयपुर क्षेत्र के कतिपय इलाक़ों में आए भूकम्प के संबंध में सरकार की ओर से अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

भूकम्प से प्रभावित जिला जयपुर है, भूकम्प का मुख्य केन्द्र बिन्दु गुलमोहर गार्डन, भांकरोटा, रेनवाल मांझी और वाटर पार्क भांकरोटा, शिवम रिसोर्ट सारंगपुरा रहा।

भूकम्प की अधिकतम तीव्रता 4.4 रही।

विभाग द्वारा प्रदेश में आने वाली विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में mass message के द्वारा आमजन को जागरूक किया जाता है।

(श्री गोविंद राम)

विभाग द्वारा आपदाओं के संबंध में क्या करें एवं क्या नहीं करें, विभिन्न माध्यम जैसे अख़बार संदेश, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया एवं वाट्सएप के द्वारा जानकारी दी जाती है।

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली घटनाओं में पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु राज्य स्तर पर राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष, शासन सचिवालय, जयपुर में तथा समस्त ज़िलों में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला आपदा नियंत्रण कक्ष 24x7 संचालित है।

राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष शासन सचिवालय, जयपुर के टोल फ्री दूरभाष नम्बर 1070 है तथा जिला आपदा नियंत्रण कक्ष टोल फ्री दूरभाष नम्बर 1077 है।

भूकम्प से राज्य में जान-माल की हानि की सूचना नहीं है।

प्रदेश में आने वाली विभिन्न आपदाओं के नियंत्रण हेतु राज्य एवं समस्त जिला स्तर पर एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ टीम तथा नागरिक सुरक्षा की टीमें तैनात रहती हैं।

प्रदेश में किसी भी आपदा आने पर विभाग पूर्ण रूप से तैयार है।

प्रदेश में आपदा होने की स्थिति में सभी जिला कलेक्टरों एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर पीड़ितों को तत्काल सहायता पहुंचाने हेतु बचाव एवं राहत कार्य किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट। We are not interested to listen this. भूकम्प के सम्बन्ध में ही आप अपनी बात कहें। डिटेल की इसमें जरूरत नहीं है।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): मैं बताऊं। 21.07.2023 को 4.09.38 am जयपुर में गुलमोहर गार्डन, भांकरोटा latitude-26.88, longitude-75.70 and magnitude यानी तीव्रता 4.4, डेफ्थ 10 किलोमीटर थी।

4.22.57am पर नियर टू बालाजी मंदिर रेनवाल मांझी में लेटिट्यूड 26.67 थी, लॉगिट्यूड 75.70 थी और मैग्निट्यूड, तीव्रता 3.1 थी, कम हो गई, 05 किलोमीटर डेफ्थ में थी।

4.25.33 पर पिंक पर्ल नियर टू वाटर पार्क और भांकरोटा लेटिट्यूड 26.87 थी, लॉगिट्यूड 75.69 थी और मैग्निट्यूड, तीव्रता 3.4 थी, 10 किलोमीटर डेफ्थ में थी।

(श्री गोविंद राम)

4.31 पर शिवम रिसोर्ट सारंगपुरा के आस-पास थी लेटिट्यूड 26.86 थी, लॉंगिट्यूड 75.65 थी और मैग्निट्यूड, तीव्रता 2.5 किलोमीटर थी, 9 किलोमीटर नीचे। सबसे पहले 4.9 बजे आई वह 4.4 और 10 किलोमीटर डेफ्थ, सबसे तेज यह थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जयपुर भी भूकम्प क्षेत्र में आ गया। मंत्री महोदय, और कुछ नहीं, मैं यह कह रहा था कि हम सब लोग उठे, कोई सायरन नहीं बजा, किस प्रकार से लोगों को मालूम पड़े कि इस तरह का भूकम्प है, लोग अपने घरों से बाहर आ जाएं। आप कह रहे हो कि आपने शासन सचिवालय में 1070 टोल फ्री नम्बर दे रखे हैं। मैं समझता हूं कि आगे ऐसी व्यवस्था कर दें, भगवान नहीं करे कि कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आए, अध्यक्ष महोदय, चेतावनी के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। हम घर से निकले तो अफरा-तफरी का वातावरण था और लोग वहां पर यह अफवाह फैला रहे थे कि फलां जगह पर इतने मकान गिर गये। मैं मेरे घर के बाहर खड़ा था, मेरा पड़ोसी यह कह रहा था कि यह खाटूश्यामजी और उसके वहां था, वहां पर यह अफवाह थी और फिर मेरे को यह कहा कि जयपुर के अन्दर झोटवाड़ा तो तहस-नहस हो गया, इतना पैनिक था, इसलिए आप कोई ऐसा सिस्टम बनाइये ताकि इस प्रकार की चेतावनी के रूप में सायरन तो बजे।

(समय: 13.00 बजे)

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात रखी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूकम्प एक ऐसी चीज है कि वह इमिजिएट आता है लेकिन फिर भी इन्होंने जो बात कही है, जो हमारा प्रशासन है, उनको बिलकुल अलर्ट करेंगे और आगे के लिए इस बात का भी ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री बिहारीलाल। माननीय सदस्यगण, सबसे इम्पोर्टेंट बिल है। मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा हमें ध्यान देकर चर्चा करनी चाहिए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के व्यक्तियों और/या गृहस्थियों को

(श्री बिहारीलाल)

मजदूरी या सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी के रूप में एक अतिरिक्त न्यूनतम आय गारंटी का संबल प्रदान करने के लिए हकदारी आधारित सामाजिक सुरक्षा के उपबंध करने के लिए विधेयक आया है।

संविधान के अनुच्छेद 39 (क), 41 और 43 के अधीन नागरिकों को, यह उसके सम्बन्ध में उपबंध बनाये जाने समीचीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार यह जो कानून लेकर आयी है और उसके अन्दर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी का अधिकार भी, रोजगार की गारंटी का अधिकार भी और अब यह न्यूनतम गारंटी का अधिकार, इन सबको समावेश करते हुए न्यूनतम आय गारंटी विधेयक लायी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि जन घोषणा पत्र में सरकार, यह कांग्रेस पार्टी जवाबदेही कानून, अकाउंटेबिलिटी बिल की बात भी करके आयी थी और उसके बाद दो बजटों में लगातार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा भी की थी कि हम अकाउंटेबिलिटी बिल लायेंगे।

(समय: 13.01)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

जब आप अकाउंटेबिलिटी बिल लाये ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी किसी प्रशासन की तय ही नहीं की तो इन सारे कानूनों को, आज हम राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पारित कर देंगे, हम पेंशन में भी प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अधिकार दे देंगे, विधेयक पारित कर देंगे, रोजगार की गारंटी का अधिकार भी दे देंगे लेकिन इन सब अधिकारों का हश्र क्या होगा बिना अकाउंटेबिलिटी तय किये, किसी की जिम्मेदारी तय किये बिना? इसलिए मेरी यह मांग है कि इन सबसे पहले सरकार अकाउंटेबिलिटी बिल लेकर आती, जवाबदेही कानून लेकर आती जिसकी सरकार ने स्वयं बजट में घोषणाएं की हैं और जन घोषणा-पत्र में भी यह शामिल है।

माननीय सभापति महोदय, रोजगार की गारंटी का अधिकार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की सबसे महत्वपूर्ण योजना क्या है? मनरेगा। इसमें मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी के संज्ञान में चार बातें लाना चाहूंगा। नरेगा योजना में कृषि आधारित गतिविधियों को जोड़ा जाना चाहिए। इस हेतु प्रति हैक्टेयर बीजान, फसल तैयार करना इत्यादि की दर निर्धारित करके राजस्व विभाग की गिरदावरी के आधार पर रोजगार दिवस तय किये जाने चाहिए। यह करेंगे तो निश्चित रूप से इसकी मूल भावना के साथ मदद मिलेगी।

(श्री बिहारीलाल)

ग्रामीण क्षेत्र के सभी कैटेगरी के लाभार्थियों हेतु आवास निर्माण, वर्षा जल संरक्षण हेतु कुंड निर्माण इत्यादि कार्य जिनमें सामग्री की राशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जा सके, उन्हें श्रम हेतु नरेगा से प्रति लाभार्थी मानव दिवस उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक बात महत्वपूर्ण है कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री ने देश की जनता से, जो सक्षम लोग हैं, उनसे एक अपील की थी कि गैस की सब्सिडी छोड़ें। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री की एक अपील पर करोड़ों लोगों ने आगे आकर गैस की सब्सिडी छोड़ने का स्वत: फैसला किया और उसी पैसे से उज्ज्वला गैस जैसी महत्वपूर्ण योजना, करोड़ों-करोड़ गैस के कनेक्शन माताओं और बहनों को मिले। इसी तर्ज पर मैं यह मांग करना चाहूंगा कि हमारी सरकार भी ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कुशल श्रमिक क्योंकि गांवों में मनरेगा में सबसे ज्यादा जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा होता है, करोड़ों रुपयों की चपत लगायी जाती है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कुशल श्रमिक जो किसी विशेष योग्यता में दक्षता रखते हों, उनके द्वारा स्वावलंबन के आधार पर पूरे वर्ष रोजगार पाने की दशा में यदि वे अपना जॉब कार्ड सरकार को सरेंडर करते हैं तो उन्हें एकमुश्त मानदेय देकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए।

दूसरी बात, ग्राम के सरकारी विभाग में कार्यरत कार्मिक, गांव के रईस लोग, धन्ना सेठ, बड़े जमींदार यदि रोजगार की आवश्यकता की जरूरत नहीं बताते, अपना जॉब कार्ड सरेंडर करते हैं तो उन्हें सम्मान पत्र देते हुए उनके जॉब कार्ड जमा करने चाहिए ताकि इस जॉब कार्ड का दुरुपयोग रोका जा सकेगा और मनरेगा की भावना के अनुरूप काम हो सकेगा और सरकार जिस भावना से यह बिल लेकर आयी है, उसमें भी इस बात से मदद मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात है कि पेंशन के लिए हमने इसमें यह प्रावधान किया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी का अधिकार दिया है और प्रतिवर्ष एक बार 5 परसेंट, छह महीने बाद 10 परसेंट, 15 परसेंट बढ़ोतरी का प्रतिवर्ष प्रावधान किया है। गांवों में जो समस्या आती है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान अवगत कराना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी, जिन किसानों ने के.सी.सी. का लोन ले रखा है, के.सी.सी. उठा रखी है, उन किसानों की पेंशन ड्यू होते ही या ब्याज ड्यू होते ही उनके खाते जो पेंशन के खाते हैं या उनके जो सेविंग अकाउंट हैं या किसी के पेंशन अकाउंट हैं, उन सबको भी बैंक होल्ड कर देता है। बैंक की इस परम्परा को रोकिये और जो पेंशनभोगी हैं,

(श्री बिहारीलाल)

उनके साथ बैंक कुठाराघात करता है, उस पर भी आपको लगाम लगाने की जरूरत है। जो पेंशनधारी 75 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका, यह आपके पास रिकार्ड है, तो आटोमैटिकली 75 वर्ष पूर्ण करते ही उसकी पेंशन डबल हो जानी चाहिए, तो फिर क्यों उस 75 वर्ष के आदमी को बारबार ई-मित्र के चक्कर काटने पड़े? इस बात पर भी ध्यान दें।

दूसरी बात, अभी भी लाखों लोग पेंशन के भौतिक सत्यापन से वंचित हैं। बीकानेर में तो 61 प्रतिशत ही हुआ है, तो इसका भी समय रहते करना चाहिए। आपने अवधि बढ़ाई, उसके लिए आपको धन्यवाद पर अभी भी लाखों लोग इससे वंचित हैं।

माननीय सभापति महोदय, पी.एम. किसान सम्मान निधि, केन्द्र की सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला जो किसानों को तीन दफा दो-दो हजार रुपये यानी छह हजार रुपये की किसान सम्मान निधि, हजारों-लाखों किसानों को करोड़ों रुपये मिलते हैं, उसमें भी राज्य सरकार कुछ अंशदान मिलाकर, हिस्सेदारी मिलाकर किसान सम्मान निधि में भी जोड़े।

माननीय सभापति महोदय, यह आय का गारंटी का कानून लेकर आये हैं, पेंशन की, उसके लिए एक बार पूरे जनमानस में इस बिल पर चर्चा करवाने के लिए, जनमानस की भावना, जनमानस के सुझाव आमंत्रित करने के लिए निश्चित तौर पर इसको एक बार जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पर जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और राजस्थान की जनता को नाम से ऐसे ही लग रहा है लेकिन आज सरकार अपने आखिरी सत्र में इस राजस्थान की विधान सभा में यह गारंटी का झुनझुना पकड़वाने के लिए यह बिल लेकर आयी है। कैसी गारंटी, किस प्रकार गारंटी, इसका कोई खुलासा नहीं है। केवल चार लाइनें लिखकर, जैसे मैंने कल भी कहा कि चार लाइनें लिखकर राजस्थान की आठ करोड़ जनता को हम यह कहें कि हमने यह गारंटी दे दी। उस गारंटी के न कोई हाथ है, न कोई पांव है, न कोई सिर है।

(श्री अशोक लाहोटी)

मैं यह इसलिए जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज से पहले साढ़े चार साल में सरकार ने कई तरह की गारंटीज इसी सदन में दीं। आज सदन के मुखिया यहां पर विराजमान नहीं हैं पर माननीय मंत्रीजी, आप मौजूद थे और आपने वह गारंटीज दिलवाई थीं। मैं थोड़ा-सा आपको उस ओर ले जाना चाहता हूं कि उन गारंटीज का हश्र क्या हुआ जो अब हम इस नई गारंटी की बात कर रहे हैं।

किसान की कर्ज माफी की गारंटी आपने दी दस दिनों में, आपने उस बात को घुमाया और घुमा कर यह कहा कि हम राष्ट्रीयकृत बैंकों का नहीं देंगे, हम केवल को-आपरेटिव का देंगे, तो कहां पर यह लिखा कि हम यह देंगे और यह नहीं देंगे? आपने केवल और केवल यह कहा था कि किसानों की कर्ज माफी करेंगे। वह गारंटी धूल चाट गयी और आज राजस्थान का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है।

आपने दूसरी गारंटी दी राजस्थान को बेरोजगारी भत्ते की, राजस्थान के नौजवानों को, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की। माननीय सभापति महोदय, इस सदन का हर सदस्य यह जानता है कि बेरोजगारी भत्ता, यानी वह पढ़ा-लिखा नौजवान जो पढ़-लिख गया, उसको नौकरी नहीं मिली, वह भत्ते का पात्र है। आपने यह कहां लिखा उस भत्ते में, आपके जन घोषणा पत्र में कि हम केवल एक साल देंगे, हम केवल दो लाख लोगों को देंगे? यह सब बैरिकेड्स आपने बाद में लगाये। आपने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और रिकार्ड है कि राजस्थान में 1 करोड़ 12 लाख नौजवान परीक्षाओं में बैठे हैं, यानी, वे पढ़े लिखे थे, उसमें 67 लाख नौजवान राजस्थान के थे, उन 67 लाख लोगों में से आपने दो लाख नौजवानों को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और वह गारंटी आपकी धूल चाट रही है। उस गारंटी का क्या हुआ?

माननीय सभापति महोदय, आपने यह गारंटी दी थी कि संविदा पर जितने भी लोग लगे हुए हैं हम उनको नियमित करेंगे। आप ही के बगल में बैठे हुए माननीय कल्लाजी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, वह कल्ला कमेटी पता नहीं कौनसी अल्ला की मीटिंग में चली गयी? आज तक एक भी संविदा वाले को नौकरी नहीं मिली, यह गारंटी कहां गयी? कहां गयी वह परीक्षाओं की गारंटी जो एक के बाद एक 19 लगातार पेपर राजस्थान में लीक हुए, वह गारंटी कहां गयी? कहां गयी आपकी?

माननीय मंत्रीजी, मैं कोटा की बात नहीं कर रहा, मैं राजधानी की

(श्री अशोक लाहोटी)

बात कर रहा हूं। आजादी के 75 वर्ष बाद भी राजधानी में 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बिजली नहीं मिलती। उस बिजली की गारंटी नहीं मिल रही, उसका क्या हुआ? आजादी के 75 वर्ष बाद राजधानी जयपुर में चलने को सड़क नहीं मिलती, पीने को पानी नहीं मिलता। 15 सौ, 12 सौ रुपये में टैंकर डलवाना पड़ता है। कहां गयी वह गांरटी? आपके ही महकमे में न नालियां हैं, न सीवरेज है। आधे से ज्यादा जयपुर पानी में डूबा हुआ है। पीने को पानी नहीं आ रहा लेकिन सड़क पर पानी ही पानी पड़ा है। आप न नाली दे रहे हो, न सीवरेज दे रहे हो। साढ़े चार साल से केवल और केवल कोटा में काम कर रहे हो। कोटा के यूडीएच मंत्री बन कर रह गये हो। कहां गयी वह गांरटी? मूलभूत गांरटी सरकार नहीं दे पा रही है।

माननीय सभापति महोदय, लाइटों की तो बात ही मत करो, जलती ही नहीं हैं। मैं पूछता हूं कि यह गारंटी मिलेगी कहां? मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम फूड देंगे। अभी सुबह बात हो रही थी। पहले एक मंत्रीजी नाराज हो गये कि उनको काम नहीं दिया। फिर दूसरों को दे दिया। मुख्य मंत्रीजी और दूसरे मंत्री नाराज हो गये। पहली बार देख रहा हूं कि गारंटी तो मिली नहीं, मंत्री और मुख्य मंत्री आपस में लड़ रहे हैं कि मैं दूंगा, मैं दूंगा और मैं दूंगा, राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। अब कलेक्टर्स की तरफ देख रहे हैं कि वह फूड पैकेट दे दें। कहां गयी वह गारंटी? राजस्थान की महिलाएं ढूंढ रही हैं कि मोबाइल की गारंटी दी थी। पिछले साल दी थी, अभी तक नहीं मिला। फिर कहते हैं कि खातों में पैसे दे देंगे। कभी कह रहे हैं कि पांच हजार रुपये दे देंगे। कहां गयी वह गारंटी?

माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी के हाथ में तो मोबाइल 01 लाख 14 हजार का आईफोन 14 प्रो और कह रहे हैं कि महिलाओं को 05 हजार रुपये के मोबाइल की गारंटी देंगे। कौनसी गारंटी, कैसी गारंटी? केवल बिल पर गारंटी शब्द लिख देने से काम नहीं चलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सैटेलाइट हास्पिटल खोला। चार साल हो गये, आज तक नक्शा भी बन गया हो तो बताओ। कहां गयी वह गारंटी? राजस्थान में महात्मा गांधी स्कूल खोले। अभी यहां कुछ बच्चे ऊपर बैठे थे, मैं उनकी तरफ देख रहा था। 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास में बच्चा रात तक हिन्दी मीडियम में पढ़ता है और सुबह स्कूल का नाम पोत कर लिख देते हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल। सुबह बटन

(श्री अशोक लाहोटी)

दबाते हैं कि अब इंग्लिश बोलना चालू कर दें। क्या यही गारंटी है? एक अंग्रेजी का शिक्षक नहीं, एक कमरा नहीं। राजधानी जयपुर में 12वीं तक की कक्षाएं, चार-चार कमरों में स्कूलें लग रही हैं, पेड़ के नीचे बच्चे बैठे हैं। कहां गयी वह गारंटी?

माननीय सभापति महोदय, यह केवल नाम मात्र की गारंटियां हैं। कालेजें धर्मशालाओं में लग रही हैं और ग्लोबल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। कहां गयी वह गारंटी? (व्यवधान) बोलने को बहुत कुछ है, आप चिन्ता मत करो। आपकी विधान सभा में जनता आपको भी ढूंढ रही है कि गारंटियां कहां गयीं।

माननीय सभापति महोदय, तीन मुख्य बातें आपने इसमें लिखीं। इसमें अध्याय-2 में लिखा कि न्यूनतम आय की गारंटी, वह न्यूनतम आय की गारंटी कौनसी, जो रोजगार की आपने दी? एक दी ग्रामीण नरेगा और दूसरी दी शहरी नरेगा। ग्रामीण नरेगा का हाल अभी हमारे बहुत सारे मित्रों ने बताया। आपने लिखा कि हम सवा सौ दिनों की गारंटी दे रहे हैं। मंत्रीजी, जबाव देते समय आप ईमानदारी से बता दें। माननीय सभापति महोदय, इस चाचा-भतीजे की जोड़ी से मेरा निवेदन है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, बाकी काम आप चैम्बर में जाकर निपटायें, यहां तो मंत्रीजी को रहने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, सदन में माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं और प्रभारी मंत्रीजी, यहां चाचा-भतीजे दोनों मिलकर हंसी ठिठोली कर रहे हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): इस चाचा-भतीजे की जोड़ी से इस विधान सभा को बचाओ, साहब। कांग्रेस के नेता, सब नेता भी पीड़ित हैं इस जोड़ी से। ये केवल खुद के ही काम करवाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): न तो आफिसर्स गैलरी में कोई बैठा है, न ये सुन रहे। यह क्या तरीका है? किसलिए बोल रहे हैं हम? क्यों बोलें हम? यह हो क्या रहा है? सदन है या सब्जी मण्डी है? कोटा की सब्जी मण्डी है? राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कब ओथ ले ली जो मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं। कहिए उनको, जाएं अपनी सीट पर। अगर हाउस इसी तरह चलाना है और इसी तरह की व्यवस्था रहेगी तो कैसे होगा?

श्री सभापति: नहीं-नहीं, हाउस ठीक चलेगा। हाउस ठीक चलेगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए

(श्री अशोक लाहोटी)

कह रहा हूं कि ग्रामीण आपके क्षेत्र में भी हैं। मंत्रीजी, आप जबाव देते समय जरूर बतायें कि ग्रामीण रोजगार और शहरी रोजगार में आपने पहले से ही कर रखे हैं सवा सौ दिन, केवल गारंटी का शब्द जोड़ कर यह बिल आप लेकर आये, योजना तो आप पहले से ही चला रहे हो। कौनसे गांव में किस नरेगा मजदूर को पूरे सवा सौ दिन आपने रोजगार दे दिया? राजस्थान में कितने लोग नरेगा में रजिस्टर्ड हैं और कितने लोगों को सवा सौ दिन रोजगार दे दिया? यह सदन में आप बता दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): क्वेश्चन लगा लीजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आपसे पूछा नहीं है। आप जब पूछने लायक हो जाओगे, जब आप विपक्ष में बैठे हुए मिलोगे।

श्री सभापति: बीच में नहीं बोलें, उनकी बात सुनिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, शहरी रोजगार गारंटी योजना का तो मैं गवाह हूं। जितने रुपये के इन्होंने होर्डिंग लगवाये, उतने लोगों ने भी रोजगार ले लिया हो तो पूछ लेना। प्रचार-प्रसार के लिए जितने रुपये के होर्डिंग लगवाये, उतने रुपये भी शहरी रोजगार गारंटी में अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। कैसी योजना की बात कर रहे हैं? (व्यवधान) आप हर समय बीच में नहीं बोलें, माननीय सदस्य, हमें पता है आप बुद्धिमान हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का बिल लाने से पहले सरकार यह देखे कि शहरी रोजगार गारंटी में कितने दिन हम रोजगार दे पायेंगे। रोजगार कोई लेने ही नहीं आ रहा। आपने जितना मिनिमम वेजेज रखा हुआ है...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके हवा में बात करने से नहीं होगा, आपके पास फिगर हों तो बतायें। जितने आदमियों को रोजगार मिल रहा है, उससे आपके पेट में दर्द हो रहा है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं हवा में नहीं कर रहा। मंत्रीजी, आज आप फिगर दे देना। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आप फिगर दो। हमारे पेट में दर्द हो रहा है, उसकी तो कोई बात नहीं लेकिन उसकी दवा तो आप दे देना आज।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कन्क्लूड करें। आप बिल पर बोलें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, एक तो आप हाउस को आर्डर में लाओ, नहीं तो फिर हम बैठ जाते हैं। इनको ही कह दो, ये ही सारा बोल लें।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से यही कह रहा हूं कि यदि ये बातें हवा में हैं तो आप आज बतायें शहरवाइज कि किस शहर में कितने लोगों ने शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन काम किया?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्रश्न लगाते न उस पर।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): प्रश्न लगाया हुआ है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अगर आप प्रश्न लगाते तो इसका जबाव आ जाता। प्रश्न क्यों नहीं लगाया आपने? आप जानते हो न कि आपकी असलियत पता लग जाती आपको।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): प्रश्न लगाया हुआ है। सबसे कम जवाब आप ही के विभाग के आते हैं। 25 ध्यानाकर्षण लगे हैं। एक का भी जवाब नहीं आया आपके विभाग का।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अभी देता हूं मैं जवाब आपको।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जय हो।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें, माननीय सदस्य, काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने दूसरा रखा बेरोजगारी भत्ता। मैंने अभी आपको कहा कि बेरोजगारी भत्ते में आपको कौनसा डाउट है? जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप और तो छोड़िए, 67 लाख जो राजस्थान के नौजवान थे, जो परीक्षाओं में बैठे, उनको साढ़े तीन हजार रुपये भत्ता आपने कितने लोगों को दिया जिससे इस गारंटी की कोई गारंटी समझी जाए?

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ आपने लिखा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अधिकार में साढ़े सात

(श्री अशोक लाहोटी)

सौ रुपये से एक हजार रुपये आपने बजट में कर दिया। अप्रैल से आप चालू कर देते। जितने लोग आपके पास रजिस्टर्ड थे, उनको एक हजार रुपया किया जा सकता था। उनको आपने नहीं किया। उलटा आपने यह किया कि हमारे राहत कैम्पों में आओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक के कंटेंट्स पर आ जाइये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं उस पर ही बोल रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, एक शब्द भी इधर-उधर नहीं बोल रहा।

श्री सभापति: मेरी बात सुनिए प्लीज, बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं एक शब्द भी इधर-उधर नहीं जा रहा हूं।

श्री सभापति: मेरी बात सुनिए। एक मिनट बैठिए आप। (व्यवधान) बैठे-बैठे आप भी नहीं बोलेंगे।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): कल जब वह बोल रहे थे तब तो नहीं बोले आप।

श्री सभापति: सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, सुनिए आप। बोलने वालों की संख्या बहुत है और विधेयक भी आज बहुत हैं इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप कृपया कंटेंट्स पर बोलिए, विधेयक पर बोलिए और कन्क्लूड करिए। काफी देर हो गयी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इनको नियमों की जानकारी नहीं है। पहली बार आये हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हां, वह तो थोड़ा सीख रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

जिस सामाजिक सुरक्षा की मैंने बात की, क्यों की? आलरेडी सामाजिक सुरक्षा पेंशन सरकार दे रही थी। आप साढ़े सात सौ रुपये दे रहे थे। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की एक हजार रुपये की। घोषणा की मार्च के बजट में। यदि सरकार की देने की नीयत होती तो यह अप्रैल से दी जा सकती थी। उसी योजना को गारंटी बना कर आपने यहां पर लिखा है। उस योजना को जब यहां पर गारंटी बना कर आपने लिखा, गारंटी जाने से पहले आपने राहत

(श्री अशोक लाहोटी)

कैम्पों में उन बुजुर्गों को वहां पर दिन-भर धूप में, गर्मी में, पसीने में प्यासे उनको बैठाये रखने का काम किया। उनको कहा कि आप हमारे राहत कैम्पों में आओ। फिर हम आपको यह गारंटी देंगे। यह कौनसा न्याय था, माननीय सभापति महोदय?

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): यह बिल से अलग बात है, इर्रेलेवेंट बात है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह इस बिल का पार्ट है।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): यह आपकी इर्रेलेवेंट बात हुई।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): इर्रेलेवेंट कैसे हुई?

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): बिलकुल इर्रेलेवेंट बात है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): कैसे हुई?

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): आप राहत कैम्पों से परेशान हो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): राहत कैम्प ही तो इसकी गारंटी है। गारंटी किसकी दे रहे हैं आप? गारंटी उसी बात की तो दे रहे हो आप। पेंशन योजना की गारंटी राहत कैम्प में दे रहे हो। राहत कैम्प में गारंटी कार्ड दिया है।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): बिल के ऊपर बोलें। बिल पर बोल रहे हैं क्या आप?

श्री सभापति: माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप बैठिये, माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपने साथी को डिस्टर्ब कर हैं बोलने से। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कन्क्लूड करिये। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): कन्क्लूड ही कर रहा हूं। हाउस आर्डर में यह नहीं ला रहे हैं, मैं तो बोल ही रहा हूं। कन्क्लूड ही कर रहा हूं। यह बोलने ही नहीं दे रहे।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जब आपने राहत कैम्प में गारंटी कार्ड दिया था, वह इसी गारंटी का तो कार्ड दिया था आपने। तीन महीने तक आपने राहत कैम्पों में लाइनें लगवाईं अप्रैल, मई और जून तक और कहा कि हम जुलाई से देना शुरू करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले आपने

(श्री अशोक लाहोटी)

चालू किया। आखिर क्या हो रहा है? किस बात की आप गारंटी दे रहे हो कैम्पों में लाइनें लगवाकर? बुजुर्गों को लाइन में खड़ा कर रहे हो। बुजुर्गों को गांवों में बेइज्जत कर रहे हो। आप लाइन में उनको लगाकर गारंटी मांग रहे हो। आप लाइन में लगाकर गारंटी देने का काम कर रहे हो। यह गारंटी है? क्या राजस्थान की सरकार राजस्थान के बुजुर्गों का अपमान करके इस प्रकार लाइनों में लगाकर गारंटी देगी? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये, मेरी बात सुनिये। माननीय सदस्य, आप भी सुनिये। (व्यवधान) आप बैठिये। आपस में बात नहीं करेंगे, आप बैठिये। प्लीज, सुनिये आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, एक मिनट बैठिये। यह विधेयक आ गया था और आज इस विधेयक पर अपना मत देकर इसको पारित करने के लिये सरकार लायी है। आप इसी पर बोलिये न। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट आपका संरक्षण चाहूंगा। आप एक मिनट मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये। दूसरी बात यह है कि बोलने वाले (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं मेरे टाइम में बोल रहा हूं। (व्यवधान) I am not taking your time.

श्री सभापति: उनसे बात नहीं करिये, आप मेरे से बात करिये। इधर देखिये। बोलने की संख्या बहुत ज्यादा है और चार विधेयक हैं, इसलिये कृपया समाप्त करें। आपको काफी टाइम हो गया बोलते हुए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके आदेश में टाइमिंग कम कर दूंगा लेकिन मैं कंटेंट पर ही बोल रहा हूं तो यह बीच में क्यों बोल रहे हैं? इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है?

श्री सभापति: आप बोलिये। टाइम वेस्ट नहीं करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): इनको बोलना हो तो यह भी थर्ड रीडिंग में आ जायें।

श्री सभापति: आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह

(श्री अशोक लाहोटी)

रहा हूं कि यह गारंटी देने के लिये विधान सभा के माध्यम से सरकार बिल लायी है तीनों बातों पर जो मैंने बात रखी। बेरोजगारी भत्ते पर भी, शहरी और ग्रामीण मनरेगा पर भी, शहरी रोजगार गारंटी योजना पर भी और पेंशन योजना पर भी। माननीय सभापति महोदय, अब जब राजस्थान में अगले दो महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है, इस सरकार की चार महीने की और सांसें बची हैं, इस समय इस प्रकार की गारंटी लाकर राजस्थान की आठ करोड़ जनता को गुमराह करने का जो षड्यंत्र राजस्थान की सरकार कर रही है, मेरा यह कहना है कि इस बिल में उद्देश्यों और कारणों के साथ-साथ यहां पर यह लिखा है कि प्रति वर्ष 2500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय पूर्वानुमानित है और यह अतिरिक्त व्यय समय के साथ बढ़ सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मंत्रीजी, आपकी FRBM एक्ट की लिमिट खतम हो चुकी। आपकी ब्याज पर पैसे लेने की छूट खतम हो चुकी। आप ब्याज पर पैसे ले नहीं सकते। आप ब्याज की अदायगी कर नहीं पा रहे हो। सात लाख करोड़ रुपये के कर्ज में आपने राजस्थान को डाल दिया। यह 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान कहां है बजट में, आप यह पहले बताओ। आज जिस गारंटी का बिल लेकर आये हो और उसमें आपने लिखा है 2500 करोड़ रुपये की इसमें जरूरत पड़ेगी। हमने मान लिया कि जरूरत पड़ेगी। जितनी आप पहले योजना लाये थे, उस योजना के अतिरिक्त 2500 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, यह आपने बिल में लिखा है लेकिन बजट में इसके लिये एक भी लाइन नहीं है। बजट में इसका प्रावधान कहां है? इसका बजट में कहीं भी प्रावधान आपने नहीं किया। कहीं भी अतिरिक्त बजट प्रावधान नहीं किया। इसका मतलब राजस्थान की सरकार केवल बिल लायी है, कहीं बजट में प्रावधान नहीं किया। यह बिल ठीक वैसे ही है जैसे कोई भी शहर में खड़ा होकर कह दे कि यह हवामहल मेरा है, यह ताजमहल मेरा है। यह कहने से नहीं होगा। आप यदि बिल लेकर आये हैं तो बजट के प्रावधान, इस सदन में बजट की कापी भी प्रस्तुत करें कि यह बजट है और इस बजट के माध्यम से ही हम देंगे। न तो आप उधार ले पाओगे, न आप लोन ले सकते और न आप बजट दे सकते तो फिर यह खोटा बिल लाकर राजस्थान की जनता का और इस पवित्र सदन का समय खराब नहीं करें। इसलिये इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजें, यही मेरा आपसे अनुरोध हैं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां। (व्यवधान) माननीय सदस्य, नो-नो, आप बैठे-बैठे बोलते हैं। यह गलत है, बिलकुल गलत है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 ....(व्यवधान) गारंटी, गारंटी।

श्री सभापति: ऐसे नहीं, नो। माननीय सदस्य, this is a wrong practice. आप यहां बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। टोका-टोकी भी नहीं करेंगे। This is the House. यह अपना घर नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने इस बिल पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको संशोधन लाने हैं, लोगों को रोजगार देना है तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के अन्दर पेट्रोल-डीजल को GST में लेकर आओ, तब जाकर लोगों को रोजगार की गारंटी मिलेगी। नेशनल हाईवे ...(व्यवधान) फिर वही करने लग गये। मैं तो आपके जितना विद्वान नहीं हूं। मैं मेरी बात कहना चाहता हूं और इस पर बोल सकता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर से जितने ट्रक और बस नेशनल हाईवे से गुजरते हैं, वह ट्रक और सब बसें हरियाणा और पंजाब से डीजल लेते हैं, वहां पर साढ़े 12 रुपये का अंतर है। आज राजस्थान को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। अगर इसको GST में ले आओ तो राजस्थान सरकार के घाटा नहीं लगेगा, यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पर बोलें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): चलो गारंटी पर आता हूं।

श्री सभापति: हां, उसी पर आइये। उसी पर आइये प्लीज।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर नरेगा चल रही है, एक भी व्यक्ति को सरकार ने जो लिमिट तय कर रखी है उतना काम नरेगा के अन्दर किसी को भी नहीं मिला। इस सरकार ने किसानों को कर्जमाफी की गारंटी दी थी, क्या एक फूटी कौड़ी भी किसी किसान की माफ की? उलटा इस राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया। दिवालिया निकाल दिया इस सरकार ने इस राजस्थान का। एक फूटी कौड़ी भी आपके पास है नहीं और दुनिया-भर के आप कानून लेकर आ रहे हो दो माह के अन्दर। बजट का

(श्री रामप्रताप कासनियां)

प्रोविजन है नहीं और घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हो, इससे काम चलने वाला नहीं है। शिक्षित बेरोजगारों को आपने भत्ता देने की बात कही थी, आपने किसको भत्ता दिया? भट्ठा बिठा तो दिया और बिल ला-लाकर यह जो बिल खोद रहे हो, इसमें ही आप समा जाओगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को बर्बाद करने का काम इस सरकार ने किया है। आये दिन बिल, आये दिन बिल, बजट का कहीं प्रोविजन है नहीं, 2500-2500 करोड़ की गप्पे हांक रहे हो और गांव के अन्दर कैम्प लगा-लगाकर तरह-तरह से रेवड़ियां बांटने का काम किया। वह रेवड़ियां आप बांट नहीं पाओगे, सिर्फ एक महीने के लिये, क्योंकि बजट का प्रोविजन है नहीं, पैसा आपके पास है नहीं। आप जनता की आंखों में क्यों धूल झोंकने का काम कर रहे हो?

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप यह जो बिल ला-लाकर थोथी घोषणाएं कर रहे हो, यह घोषणाएं ही आपकी फांसी का कारण बनेंगी। जय हिन्द।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, जुलाई का महीना समाप्त हो रहा है, इस सरकार के तीन महीने और बचे हैं और तीन महीने में यह अंत में बिल लेकर आये हैं। अगर इनको यह बिल लाना था तो अपनी सरकार के प्रारंभ के काल में लाना चाहिये था जिससे जनता को लाभ मिलता और पांच साल तक जनता को न्यूनतम आय मिलती तो उसका लाभ भी आपको मिलता, लेकिन आपने जिस तरह से मूर्ख बनाने के लिये राजस्थान की जनता के लिये यह बिल लेकर आये हैं। मैं नरेगा का हश्र आपको बताता हूं। गांवों में आप चले जाइये, सरपंच और उनके चेले-चपाटे नरेगा में जो मन में आये उसका नाम लिखते हैं, जिनका नाम नहीं लिखना होता है उनका नहीं लिखते हैं। उसमें भी गारंटी है कि अगर कोई काम मांगेगा तो काम देना पड़ेगा, लेकिन आज मनमाने तरीके से गांवों में नरेगा चल रही है। जिस तरह से राजनीतिक विद्वेष के कारण से लोगों को परेशान किया जाता है, यही हश्र इस न्यूनतम रोजगार गारंटी का होगा। यह मैं दावे से कहता हूं।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

जिस तरह के चैलेंज आपकी सरकार ने इस राजस्थान की जनता को दिये थे और वोट लिये थे, जो गारंटी आपने दी थी, उनमें से एक भी आपकी गारंटी पूरी नहीं हुई है। न आपकी बेरोजगारों को भत्ता देने की गारंटी पूरी हुई है न काश्तकारों का लोन माफ करने की गारंटी आपने पूरी की। अब यह जाते-जाते आप फिर झुनझुना थमा रहे हो। जिस तरह से आपने मूर्ख बनाकर के वोट लिये और राजस्थान की जनता जानती है कि अब मूर्ख नहीं बनना है। इन्होंने जितना मूर्ख बनाना था, बना दिया। इस गारंटी कानून के माध्यम से भी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने जो नारा चलाया है, लूटो, कूटो और खूब कमाओ, उसके आधार पर यह रोजगार गारंटी कानून का भी यही हश्र होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित), श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मुझे राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया। इस पर मैं यह कहना चाहूंगा कि पौने 5 साल हो गये हैं, धारीवाल साहब। आप तो कोटा में माल पूरा ले गये, आपका कोटा पूरा कर दिया। गारंटी के साथ किया है। आप चूंकि स्वायत्त शासन मंत्री भी हैं, गृह मंत्री जी भी हैं अभी तो हमारे। आपका कोटा पूरा कर लिया लेकिन पूरे राजस्थान की जनता का कोटा पूरा नहीं हुआ गारंटी के साथ।

सभापति महोदय, इस बिल के अध्याय-2 में आपने कहा है कि न्यूनतम आय की गारंटी के अधिकार पर आप विधेयक बनाने जा रहे हो। माननीय विट्ठल शंकर अवस्थी, विधायक भीलवाड़ा ने जो कहा है, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखें, पंचायत समिति में जाकर देखें, जिस प्रकार से जनता को काम करने का अधिकार मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। भाई-भतीजावाद हो रहा है। सरपंच अपनी मनमानी कर रहा है। मेट 2006 से आज तक वही लगातार लगता हुआ आ रहा है। इसमें 125 दिन रोजगार देने के लिए भी कहा है, शहरी और ग्रामीण में। इस बिल में बेरोजगारों को भी भत्ता देने की बात आपने कही है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस समय आप चुनाव में आये थे, 2018 के चुनाव में और ठोक-ठोक करके पूरे राजस्थान में कहा

(श्री अमृतलाल मीणा)

था कि हम सत्ता में आये तो पढ़े-लिखे लड़कों को, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। वह गारंटी भी आपकी नहीं हुई। पूरे राजस्थान में 60-70 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ करेंगे, वह भी इस सरकार के द्वारा नहीं हुआ।

आपने इस बिल में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी है लेकिन जिस प्रकार पूरे राजस्थान में महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यापारियों के साथ घटनाएं आये दिन हो रही हैं, अभी हमारे मुखिया के जोधपुर जिले में जो हुआ उसकी गारंटी भी कौन देगा? सरकार घोषणाओं पर घोषणाएं कर रही है। इनको आप लागू कब करोगे? यह मेरा आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय, सरकार ने कर्ज माफी की भी गारंटी ली थी। सरकार ने कानून-व्यवस्था को सही करने की गारंटी ली थी। सरकार ने इस राज में पेपर आउट नहीं होगा, इसकी भी गारंटी ली है। आपने बिजली की गारंटी भी ली थी। आपने कहा कि हम सत्ता में आयेंगे तो किसी प्रकार का बिजली बिल में सरचार्ज को नहीं बढ़ायेंगे। लेकिन आपने उस सीमा को भी लांघ लिया है।

आपने यह भी कहा था, 2021 में घोषणा की थी, महिलाओं को मोबाइल देने की गारंटी ली थी। आज मैं समझता हूं कि इस राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक या पेंशन, जो भी है काम करने की, इसको 6 महीने के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित), श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 सरकार लेकर आई है। इस बिल के अंदर सामाजिक सुरक्षा, पेंशन की गारंटी है। गारंटी नरेगा योजना की है। गारंटी मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार स्कीम की है। इस योजना में इन 3 स्कीमों के अलावा चौथी चर्चा की ही नहीं गयी।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो यह है कि आप आय की गारंटी दे रहे हो, लेकिन हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि कांग्रेस के जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, उतने ही 2023 के अंदर आयेंगे। इससे ज्यादा नहीं आयेंगे। इस बात की गारंटी हमारी है। क्यों, सही है न?

सभापति महोदय, इस बिल के अंदर कहा कि हम इस बात की गारंटी

(श्री रामलाल शर्मा)

देते हैं कि कोई भी पेंशनधारी है उसको एक हजार रुपये से कम पेंशन हम नहीं देंगे। गारंटी इस बात की भी दी गई कि इस योजना के तहत 15 परसेंट पैसे प्रति वर्ष 2 बार के अंदर हम बढ़ाने का काम करेंगे, एक बार 5 परसेंट ओर एक बार 10 परसेंट।

सभापति महोदय, आप सिर्फ इन पेंशनधारी जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं उनके तो पैसे बढ़ाने की गारंटी दे रहे हो, लेकिन आपके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता काम करती है, वह असंगठित क्षेत्र के अंदर है, इसलिए क्या उसकी गारंटी आप इसके अंदर शामिल नहीं करोगे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस राजस्थान का जो भी सर्वे आये, वह घर-घर जाकर करने का काम करे, आपके निर्वाचन का जो भी सर्वे आये, वह भी घर-घर जाकर काम करे। क्या सरकार इस बात की भी गारंटी देना चाह रही है कि इस योजना के अंदर गांव में बैठे हुए वह प्रेरक जो प्रत्येक पंचायत समिति में बैठे हैं, उनको भी इसी मानदेय के तहत 15 परसेंट बढ़ोतरी की गारंटी हम देते हैं? आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को भी 15 परसेंट प्रति वर्ष उनका मानदेय बढ़ाने की गारंटी हम देते हैं?

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि इस बिल के अंदर कहा गया कि यदि 15 दिन में हम रोजगार नहीं दे पाये तो हम उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। सभापति महोदय, आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हो, मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, नरेगा योजना के अंदर जो काम करने वाले लोगों की स्थिति है, आप वह देखकर बता दो कि कितने लोगों के आवेदन करने के उपरांत, कई महीने बीत जाने के उपरांत भी उनको कोई बेरोजगारी भत्ता मिलता है? आज आपने घोषणा कर दी कि नरेगा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं शहरों के अंदर भी हम लागू करेंगे, तो क्या शहरी क्षेत्रों के अंदर आप रोजगार देने का काम कर रहे हो? जहां मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी आपकी स्कीम है, तो जब गारंटी उसमें दे रहे हो, उसकी गारंटी पूरी नहीं हो रही, इस बिल की गारंटी क्या है जो पूरी होने वाली है।

सभापति महोदय, तीसरा निवेदन मैं करना चाहूंगा कि इस बिल में कहा गया कि 5 किलोमीटर की परिधि में हम गारंटी के साथ रोजगार देंगे। आज भी नरेगा में काम करने वाली महिलाओं को जो पैसे मिल रहे हैं या व्यक्तियों को जो पैसे मिल रहे हैं, 150 रुपये से ज्यादा नहीं हैं। 5 किलोमीटर 150 रुपये की मजदूरी करने के लिए कोई व्यक्ति जायेगा, वह संभव नहीं है।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, चौथा निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल के अंदर आपने प्रावधान कर दिया कि सी एस की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी, जिसके 5 सदस्य होंगे। यह 5 सदस्य कितने दिनों में आप एक जगह बैठाओगे? आज भी जिला लेवल के ऊपर जो कमेटियां बनी हुई हैं, 3, 4 साल बीत जाने के बाद भी उनकी मीटिंगें नहीं होतीं। तीन साल, चार साल बीत जाने के बाद भी उनकी मीटिंगें नहीं होतीं, तो सी एस स्तर पर आप कितने दिनों में मीटिंगें करोगे? साल बीत जाएंगे तो भी मीटिंगें नहीं होंगी। यह योजना आपके धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ यह बिल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भ्रमित करने वाला बिल है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि छह महीने के लिए सरकार इस बिल को जनमत जानने के परिचालित करे। इस बिल से सरकार को कुछ मिलने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इस बात की मैं पुन: गारंटी देता हूं, पिछली बार 21 आए थे, अबकी बार 16 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के नहीं आएंगे। मैं चौमूं से एक टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था फ्री में करूंगा।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार जाते-जाते रोज नई घोषणाएं, नये बिल और एक रिकार्ड बनाना चाहती है कि लोगों के बीच में हमारी जो छवि धूमिल हो गई है पौने पांच साल में, उस छवि के अंदर भ्रम फैलाकर लोगों के बीच में उस छवि को सुधार लें। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जिस तरह का कृत्य राजस्थान की सरकार ने पौने पांच साल में किया है, यह जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। आपने सबसे पहले ऐसा ही एक भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, किसानों को कर्जा माफी की बात की थी। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं दोगे तो गारंटी भत्ता देने की बात भी आप लोगों ने की थी। आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में और उसके बाद में प्रथम बजट में जो घोषणाएं की थीं, मैं फिर कह रहा हूं इस पवित्र सदन में कि 40 परसेंट घोषणाएं आज

(श्री अभिनेश महर्षि)

भी पूरी नहीं की जा सकी हैं। व्यक्तिगत जीवन में 5 मूलभूत आवश्यकताएं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा होती है। मैं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद दे देता यदि थोथी घोषणाओं के अलावा अमलीजामा पहनाकर किसी स्तर पर काम करते तो।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता ठीक कह रहे थे, कांग्रेस इस बात पर विचार भी कर रही है क्योंकि मैं कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि यह जो आपने मिनी मुख्य मंत्री छोड़ दिए थे इन मिनी मुख्य मंत्रियों ने क्या किया है, ये जनता को गारंटी किस बात की दी है, महिलाओं के साथ में किस प्रकार के अत्याचार हुए हैं, नौजवानों के साथ में किस तरह से कुठाराघात हुआ है, 19 बार पेपर लीक करके इन नौजवानों के भविष्य के साथ में राजस्थान की सरकार ने किस तरह से कुठाराघात करने का काम किया है, यह गारंटी देने के काम की तो आपने कई बार घोषणाएं कर दीं। क्या हुआ किसान के कर्जे की गारंटी का? क्या हुआ नौजवान बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ते का? ऊंट के मुंह में जीरे जितनी, कल प्रश्न के उत्तर में आया था कि ऊंट के मुंह में जीरा, मंत्री महोदय, जाते-जाते घोषणाएं मत करो। अब आप घोषणाएं कर रहे हो। मैं इस बिल के अंदर देख रहा था, मुख्य मंत्रीजी ने बजट में कुछ जिलों की घोषणा की, मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कि जो जिले बनाए गए थे, जिनकी घोषणा की थी, उन जिलों का गजट नोटिफिकेशन हो गया क्या? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार कंफ्यूजन के अंदर है। इनके स्वयं के व्यक्ति एक-दूसरे की खिंचाई करते हैं कि यह पंचायत थी, इस पंचायत को जिला बना दिया, बिना मांगे, जो जिले बनने चाहिए थे उन पर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। ये राजनीतिक फैसले जितने भी लेते रहे लेकिन राजस्थान की महिलाओं के साथ में, बालिकाओं के साथ में, नौजवानों के साथ में, किसानों के साथ में आप लोग व्यवहार कर रहे हैं, वो वोट की चोट से आप लोगों को सीधा कर देंगे, यह मैं जिम्मेदारी के साथ, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अब आप बिजली की बात करें। आप उनको गारंटी दे दो, जिन किसानों ने बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बाद दो-दो साल से इंतजार कर रहे हैं, वो किसान किसी से कर्जा लेकर, डिमांड नोट भरते हैं, लाखों रुपये के डिमांड नोट भरने के बाद भी डेढ़-

(श्री अभिनेश महर्षि)

डेढ़, दो-दो साल से कृषि कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में वो कर्ज के अंदर डूब जाता है, आप कर्जा माफ करोगे नहीं, वो किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होता है। मैंने एक मीटिंग के अंदर पूछा, अधिकारियों से पूछा, प्रभारी मंत्री गए हुए थे। उनसे पूछा, जिन लोगों का एक वर्ष से ऊपर पैसा जमा कराए हुए हो गया, क्या राजस्थान की सरकार, बिजली विभाग, इस देरी के लिए जिम्मेदार है, मानते हो आप? उनको उस पैसे पर ब्याज दोगे? मैं आज इस सदन में यह बात कह रहा हूं कि विधायक कोष से बिजली के जो काम दिए जाते हैं, विधायक कोटे से बिजली के होने वाले कामों के लिए, मंत्री महोदय, आपके अधिकारी यह कहते हैं कि हमारे पास केबल नहीं है। कब आएगी, पूछने पर बताते हैं कि हमें पता नहीं, जब आएगी तब आएगी। 12 महीनों से यह जवाब सुनते-सुनते हमारे कान पक गए हैं। ये हालात हैं। आपने दिन के अंदर दो पारी के अंदर पानी देने की बात की थी, क्या हुआ उस किसान के साथ? आप गारंटी के ऊपर गारंटी दे रहे हैं। उस अन्नदाता को गारंटी दीजिए कि जो हम कह रहे है उसको पूरा करेंगे अदरवाइज ये थोथी घोषणाएं करने से कोई मतलब नहीं होगा।

पानी के लिए आपने क्या हाल कर रखा है? जल जीवन मिशन, आज गांवों में जल जीवन मिशन के नाम पर आपने देरी की, प्रधान मंत्री की जो भावना थी कि घर-घर के अंदर नल से पानी दिया जाएगा, उसके अंदर यदि कोई डिले की, 26वां स्थान इस राजस्थान का है तो राजस्थान की इस नाकारा सरकार के कारण है। राजस्थान की सरकार नहीं चाहती कि लोगों को पीने का पानी मिले, ऐसी स्थिति में आज यदि फिसड्डी हमारा राजस्थान बन गया है तो यह राजस्थान की इस सरकार के कारण है।

माननीय सभापति महोदय, आप राहत कैम्पों के बारे में बात कर रहे थे। यदि कहीं पर भी आपकी कोई दुखती रग पर कोई व्यक्ति हाथ रख देता है तो आपके पेट में मरोड़े चलने लग जाते हैं। पेट में मरोड़े तो उस जनता के चल रहे हैं जिसको आपने पौने पांच साल में दु:खी करके रख दिया। ऐसी स्थिति के अंदर मैं यह कहना चाहता हूं कि कैम्पों की बात कर रहे थे अभी ये, कैम्प के अंदर क्या हो रहा है? कैम्प के अंदर तो मुख्य मंत्रीजी की फोटो लगाकर मुख्य मंत्रीजी का प्रचार हो रहा है, जिस पर आपकी पार्टी ने वहां से बैन कर दिया है अब। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि यह जनता के साथ में छलावा बंद कीजिए, जनता के साथ में धोखा बंद

(श्री अभिनेश महर्षि)

कीजिए। इस पर बहुत सारी और भी बातें हैं। आज लोगों ने अभी एक हजार रुपये न्यूनतम पेंशन की बात की है, आप जो अभी बात कर रहे थे आंगनबाड़ी वालों की, संविदा कर्मियों की, आपने रोज घोषणाएं कीं, आपने अपने जन घोषणा पत्र में कहा, क्या हुआ उनका, वो बेरोजगार घूम रहे हैं आपके, वो आपके कई-कई सालों से संविदाकर्मी काम कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोचते।

वोट की खेती पकाने के लिए जिस तरह से आप बिल लेकर आ रहे हैं, ये वोट की चोट से ही आपको जनता सीधा करके, वैसे भी धारीवाल साहब ने तो घोषणा कर दी कि ये तो आने वाले ही नहीं हैं, बेटा आ जाए तो ठीक है लेकिन, धारीवाल साहब, वोट की चोट से ये जनता कांग्रेस की सरकार को सीधा करेगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सुशासन बने और देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में पूरा देश इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये राजस्थान भी आगे बढ़े, खुशहाली का वातावरण बने, भय मुक्त वातावरण बने। किसान को, महिला को, नौजवान को, जिस तरह से आने वाले समय के अंदर उम्मीद भरी नजरों से विधान सभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना चाहते हैं, उसी तरह से आने वाले समय में हम लोग आएंगे, तब जाकर; यह तो अभी तक गजट नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ, तो मैं इस बिल को छह महीने के लिए परिचालित करने के लिए निवेदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित), श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट जब बनी तब नरेगा कानून आया था, उस कानून ने हिन्दुस्तान के गांव में बैठे उस किसान को, जो छोटा किसान था या खेतिहर मजदूर था, उसके पलायन पर रोक लगाई। अखबारों में आलेख छपे, बड़ी-बड़ी टिप्पणियां हुईं हजारों करोड़ रुपये बर्बाद करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आप सोच नहीं सकते, हर ग्राम पंचायत में राजीव गांधी सेवा केन्द्र, उसमें पांच-पांच लोगों को रोजगार। एक-एक ग्राम पंचायत में एक-एक हजार, डेढ़-डेढ़ हजार, दो-दो हजार लोगों को सौ दिन का रोजगार। यह उपलब्ध हुआ। मनरेगा कानून

(श्री बलवान पूनियां)

से हिन्दुस्तान के उस गरीब किसान का पलायन भी रुका और जब 2007, 2008 और 2009 में विश्वव्यापी मन्दी आयी, उस समय हिन्दुस्तान में यह चर्चा चली कि लिक्विड मनी आज भी गांव के उस गरीब के पास या छोटे दुकानदार के पास, जो मनरेगा का पैसा सीधा महिला के पास आता है, पुरुष के पास आता है, वह गांव में चल रहा था, उससे शहर में पैसा आता और देश में आर्थिक मन्दी का असर नहीं आया।

सभापति महोदय, आशंकाएं बहुत हैं। आज भी फार्म 6 मनरेगा में लागू नहीं है। इस कानून में स्पष्ट लिखा है कि हम इसकी शिकायतों का निवारण करेंगे। निवारण करना जरूरी है। रोजगार गारंटी कानून, जो यूपीए 1 में चला, यूपीए 2 में चला, जो यूपीए 2 के समय, अभी एक साथी भाषण दे रहे थे, यही कहते थे कि नरेगा खतरनाक है, पर ऐसा कानून था जिसे बन्द नहीं कर पाये, लेकिन बेईमानों ने ऐसा काम किया कि अबकी बार जब लोक सभा का बजट आया, उसमें मनरेगा के 10 हजार करोड़ रुपये कम कर दिये।

ये बहुत सयाने आदमी हैं। दिन में पांच बार कपड़ों के प्रेस करते हैं। प्रेस करके फिर बता रहे हैं कि हम राज में आएंगे। इन्हें यह डर लग रहा है कि यह अगर गारंटी दे दी तो इसमें यह लिखा है कि 2024-25 में 10 परसेंट सब-कुछ बढ़ाना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं कि भाई, जो तुम गलती से राज में आ गये तो तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। भय बता रहे हैं, लेकिन 'न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी'। इन्हें गलतफहमी है कि बैठे ही जीत जाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं, महिलाओं की बात आयी तो कहां हैं मणिपुर, घटना याद करें।

सभापति महोदय, मैं बिल पर वापस आ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जो बिल ला रही है, उसे भी यह बात सोचनी है कि जिस-जिस चीज की गारंटी हम देना चाह रहे हैं, उसे पुख्ता करें, सिर्फ अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ें। आज भी नरेगा के दिन पूरे नहीं हो रहे लोगों के। इन्दिरा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम शहर में शुरू तो हो गयी, अभी काम के लोग कम हैं। काम में जिस तरह की बाधाएं आ रही हैं और लोगों को पैसे अभी भी नहीं दिये जा रहे, जिन लोगों को जेटीए लगाया, आपने प्रशिक्षित ही नहीं किया।

मैं भादरा विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, एक दिन 90 महिलाएं दफ्तर में आ गयीं। उन्होंने कहा, हमें पैसे थोड़े ही दिये हैं। मैं खुद काम चैक करने गया तो जे ईएन ने कहा, सर, मैंने एमबी ढंग से नहीं भरी। अगली बार

(श्री बलवान पूनियां)

उन्हें हिदायत दी कि इन्हें पूरे पैसे का भुगतान करना है। सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि राजस्थान में शहर की जो रोजगार गारंटी आयी, गांव की जो रोजगार गारंटी मनरेगा है, इन्हें सरकार ढंग से लागू करे और फार्म 6 भरवाये। यह सुनिश्चित हो कि हर आदमी को सवा सौ दिन का रोजगार मिले।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे गंगानगर-हनुमानगढ़ में बहुत बड़ा रोजगार है एफसीआई के गोदामों में। पूरा यह धान का बैल्ट है। गेहूं का बैल्ट है। आप तो वहां रहे हैं। आपने देखा है कि एफसीआई के पल्लेदार यूनियन के लोग काम करते हैं और उनकी ट्रैक्टर की भी एक यूनियन है। सभापति महोदय, जयपुर से एक आदेश गया कि आपके ट्रैक्टर में सिर्फ 52 कट्टे डलेंगे। सभापति महोदय, एयरपोर्ट पर काम नहीं करते वे। उनके ट्रैक्टर में 152 कट्टे डल सकते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा में एफसीआई में डलते हैं। उनका रोजगार कम हुआ है। मैं आपके मार्फत इल्तिजा करना चाहूंगा कि उस गरीब पर जो आपने आरी चलायी, बिना काम किये ज्ञान बांट देते हैं, उससे नुकसान होता है लोगों को। पता है कितना नुकसान होता है? उस ट्रैक्टर की किस्त नहीं भर सकते वे। उस ट्रैक्टर की भरपाई नहीं कर सकते। परिवार कैसे पालें? ये माइनर चीजें हैं। एक आदेश गलत हो गया। उसके लिए लोगों ने एप्लीकेशन भेज दी। मजदूर यूनियन ने कह दिया, तो उसका रिवीजन कर लें और उस आदेश को बदल दें।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने प्रेरक लगा रखे हैं। गांव-गांव में आपने राजीव गांधी केन्द्र खोले। फिर सरकार बदली। वे प्रेरक हटा दिये गये। वे केन्द्र भी खोल दिये। अब आपने घोषणा की कि महात्मा गांधी पुस्तकालय खोलेंगे। आप उन्हीं प्रेरकों की सेवा लीजिये, जिनकी पिछले 20 सालों से आप सेवा ले रहे थे, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। सभापति महोदय, वे 45-50 साल के हो गये, वे दूसरी जगह रोजगार कहां करेंगे? आपने पंचायत सहायक लगाये। 2017 में उनकी भर्ती की और उन्हें स्कूलों में भेजना शुरू किया। आधों को स्कूलों में भेज दिया और आधों को पंचायतों में भेज दिया। आज उन्हें क्या दे रहे हैं हम? 13 हजार रुपये। सभापति महोदय, क्या कोई अपना घर पाल सकता है 13 हजार रुपये में? आज से 10 साल, 15 साल पहले वे लगे थे। 13 हजार रुपये में वे कैसे घर पाल लेंगे, कैसे बच्चे पाल लेंगे, कैसे पढ़ा देंगे?

यह तो ठीक है, आपने बीमारी का तो जाब्ता कर दिया मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से, लेकिन गलती से कोई चिरंजीवी से नहीं जुड़ा, उसका क्या होगा?

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, आप बात करें आंगनबाड़ी महिलाओं की, आप बात करें आशा बहनों की। क्या काम नहीं किया उन्होंने जब कोरोना आया? सबसे आगे की फौज में वे खड़ी थीं। हम क्या दे रहे हैं उन्हें? यह हमें रिव्यू करने की जरूरत है। हमारी योजना अच्छी है, इसमें कोई दोराय नहीं है। किसी के पेट में मरोड़े उठें तो उठें। आप किसी को एक कागज दे रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारी पीढ़ियों में दम होगा तो वे इस कागज को लागू करवा लेंगे। अंग्रेजों के बने कानून लोगों ने लागू करवा लिये तो हमारे इस पवित्र सदन में बना हुआ कानून लोग लागू करवा लेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है।

बहुत सारी चीजें जो हमने की हुई हैं पहले उन्हें ठीक करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो पंचायत सहायक आपने लगाये हैं, उनकी तरफ आप देखें। उन्हें स्कूलों में लगाएं, चाहे पंचायतों में लगाएं, पर उनका वेतनमान बढ़ाना बहुत जरूरी है। उनके हालात बहुत खराब हैं। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार उन महिलाओं, पुरुषों, विधवाओं और दिव्यांगों, जिन्हें यह गारंटी दी है, उनके परिवार की, उनके लालन-पालन की, उनके सुनहरे भविष्य की, इस गारंटी को सरकार बिना हिचक के, बिना सोचे-समझे तुरन्त प्रभाव से फैसला लेकर उनके खातों में पैसे भी डालने का काम करे, उनका मानदेय भी बढ़ाने का काम करे।

मैं लास्ट में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि केरल में न्यूनतम मजदूरी 793 रुपये है, जहां कम्यूनिस्ट पार्टी का शासन है। यह हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में नहीं है। उससे भी आगे तक हमें लोगों को लेकर जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की सरकार जो यह बिल लायी है, इसका मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, वह प्रस्ताव इन उपबन्धों के साथ, जो आपने इसे लागू करने की शर्त और निवारण के नियम बनाने की बात की है, वे नियम तुरन्त प्रभाव से बनाएंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे। मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक (अनुपस्थित), श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता इस बात से झलकती है, जब पूरे देश में महंगाई का ताण्डव चल रहा था, राजस्थान के

(श्री जगदीश चन्द्र)

मुख्य मंत्री ने बचत राहत कैम्प लगाकर लोगों को राहत देने की कोशिश की। आजादी के बाद यह हिन्दुस्तान की पहली सरकार है, जिसने मुख्य मंत्री के दस्तखत के गारंटी कार्ड लोगों को दिये हैं।

पहला गारंटी कार्ड, सौ यूनिट बिजली फ्री। दूसरा गारंटी कार्ड, 500 रुपये में गैस सिलेंडर 74 लाख परिवारों को। तीसरा गारंटी कार्ड, दो-दो पशुओं का बीमा। चौथा गारंटी कार्ड, खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत फूड पैकेट्स। पांचवां गारंटी कार्ड, चिरंजीवी योजना और छठा गारंटी कार्ड 125 दिन का रोजगार। ये मुख्य मंत्री के दस्तखत किये गारंटी कार्ड्स हैं। यह हिन्दुस्तान की पहली सरकार है, जहां के मुख्य मंत्री ने दस्तखत पर गारंटी दी है।

2014 में जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आयी थी, उसने भी पांच चीजों की गारंटी की थी। पहली गारंटी की थी, दो करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे। दूसरी गारंटी थी, सौ दिन में महंगाई कम करेंगे। तीसरी गारंटी थी, विदेशों से जो काला धन आयेगा उसे लोगों में बांटेंगे। चौथी गारंटी थी, हिन्दुस्तान के किसान की आमदनी 2022 में दुगुनी करेंगे और पांचवीं गारंटी थी कि 15-15 लाख रुपये लोगों के खातों में जमा होंगे। ये पांच गारंटियां देश के प्रधान मंत्री की दी हुई हैं।

सभापति महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यह दिल्ली में नरेन्द्र मोदी की सरकार पहली सरकार है, नरेगा का जो गारंटी कार्ड यूपीए की सरकार में डा. मनमोहन सिंह जी ने दिया, जिसमें यह तय किया गया था कि सौ दिन के रोजगार की गारंटी दी जायेगी। आधा पैसा राज्य सरकार और आधा पैसा केन्द्र सरकार का होगा, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस बजट में 33 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार ने बन्द कर दिया ताकि नरेगा फेल हो जाये।

जब 2005 में नरेगा का कानून आया था, डा. सी.पी. जोशी, जो हमारे अध्यक्ष हैं, आर.डी. मिनिस्टर थे भारत सरकार में। इन्हीं के नेता और इस देश की पार्लियामेंट के लीडर आफ अपोजिशन ने कहा था, पार्लियामेंट में उनका रिकार्डेड बयान है कि यह देश में गड्ढा खोदा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यूपीए की तरफ से। इनकी तो यह मंशा है। इसी मंशा के साथ में देश के गरीब के पेट में जो अनाज जा रहा था 10 किलो, इन्होंने उसे 5 किलो कर दिया। इन्हें इस बात की तकलीफ हो रही है कि जिस तरह से बचत राहत कैम्प राजस्थान की सरकार ने किये, वे किस आधार पर किये होंगे। देश में जब

(श्री जगदीश चन्द्र)

(समय: 14.00 बजे)

से जीएसटी आया है, केन्द्र सरकार की गारंटी थी महंगाई को कम करने की, लेकिन केन्द्र सरकार ने तो मना कर दिया। यही केन्द्र सरकार है, जब इस देश में कोरोना आया था तो स्टेट को पैसा देने के लिए मना कर दिया था। जब 21 जून को हमने दवाई के लिए, वैक्सीन के लिए पैसा जारी कर दिया था, उसके बाद उन्होंने पैसा जारी किया। यह केन्द्र की सरकार का रवैया था।

आज हम गारंटी का कानून लेकर आये हैं। इसमें क्लीयर लिखा हुआ है चैप्टर 2 के सेक्शन 3 में कि हमारी पांच गारंटियां हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी नरेगा गारंटी और सबसे पिछड़ा हुआ जो समाज है, वृद्धावस्था पेंशन, विशेष योग्यजन को पेंशन, एकल महिला पेंशन, पेंशन की गारंटी प्रदान कर रहे हैं। यह सरकार की एक विल पावर है। सरकार ने इस बात का प्रावधान किया कि किस तरीके से राजस्थान के लोगों को गारंटी दी जाये।

अब सरकार ने यह भी कह दिया कि हम हर व्यक्ति को एक हजार पेंशन देंगे। यह पेंशन भी हमारी सरकार ने 2008 में शुरू की थी। 2008 में हमारी सरकार थी, हमने 500 रुपये से शुरू की थी। आज राजस्थान के 1 करोड़ 14 लाख लोगों को एक हजार रुपये के हिसाब से पेंशन की गारंटी राजस्थान की सरकार दे रही है।

मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पहली बार देश के प्रधान मंत्री से अपील की कि सोशल सिक्योरिटी बिल आप केन्द्र की सरकार में लेकर आयें, लेकिन उस पर केन्द्र सरकार चर्चा नहीं कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज ये बात कर रहे हैं गारंटी की, 10 गारंटियां राजस्थान सरकार की। इनको शर्म नहीं आती। मेट का पैसा अभी तक बाकी पड़ा हुआ है। इन लोगों ने मेट का पैसा नहीं दिया। ये मानसिकता के आधार पर जान-बूझकर कि नरेगा फेल हो जाये, क्योंकि सेंटर का लॉ है, यह कोई स्कीम तो है नहीं, यह स्कीम है नहीं, उसमें पैसा ही नहीं डालो, ताकि वह फेल हो जाये।

आज नरेगा के पैसे के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। गारंटी तो भारत सरकार को लेकर आनी चाहिए कि नरेगा का टाइम बाउंड पेमेंट हो। यह काम भारत सरकार का है, न कि राज्य सरकार का काम है। आज राजस्थान की सरकार को 125 दिन का काम इसलिए देना पड़ रहा है कि इन्होंने दिल्ली

(श्री जगदीश चन्द्र)

से पैसा नहीं दिया। हमने 125 दिन का शहरी रोजगार गारंटी का कानून दिया है। हमने गांरटी दी है। ये बार-बार नरेगा की बात कर रहे हैं। हमारे साथी कह रहे थे, नरेगा कि बात कर रहे थे। वे अभी चले गये सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य। नरेगा को कौन बन्द करना चाह रहा है? दिल्ली से पैसा क्यों नहीं आ रहा है? कम्पोनेंट मैटेरियल का कितना पैसा बाकी है दिल्ली की तरफ, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पिछली बार 27 हजार करोड़ रुपये हमारे बाकी थे और एक-एक पैसे के लिए हमें उनको बार-बार चिट्ठी लिखनी पड़ रही थी। इनकी मंशा थी कि यह स्कीम फेल हो। गांवों में सरकार के खिलाफ हाहाकार मचे, सरकार के खिलाफ वातावरण बने। इस भावना के साथ केन्द्र सरकार की तरफ से पैसा रोका गया था।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके का गारंटी कार्ड मुख्य मंत्री जी ने दिया है, मैं समझता हूं कि इस राजस्थान के लिए इससे बढ़िया कोई गारंटी हो ही नहीं सकती। सामाजिक तौर पर किसी मुख्य मंत्री ने सोचा तो सही, एक संवेदनशीलता के आधार पर सोचा तो सही मुख्य मंत्री जी ने। मुख्य मंत्री जी ने यह भी तय किया है कि अगर 15 दिन तक काम नहीं मिले तो इसमें अध्याय 3 की धारा 6 में लिखा है कि 15 दिन तक अगर काम नहीं मिलेगा, उसको हम भत्ता देंगे। यह कानून है, यह लॉ है। यह इस एक्ट में प्रावधान है। इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है। यह कोई स्कीम नहीं है। इसको कौन डिनाई कर सकता है? अगर आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट जाइयेगा। साहब, एक्ट में प्रोविजन है, सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही? आप कोर्ट की तरफ जाइये। इसमें कोर्ट का प्रोविजन है। यह एक्ट का प्रोविजन है। इनको इसमें चिन्ता किस बात की सता रही है। चिन्ता इस बात की सता रही है कि आज से तीन महीने के बाद चुनाव में जायेंगे, जनता इनसे पिछले 2013 से 2018 का हिसाब पूछेगी, आपने क्या किया।

सभापति महोदय, आज जिस तरह का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे काम तो चलने वाला नहीं है। जिस तरीके से राजस्थान में पापुलेरिटी का ग्राफ बढ़ा है, इनके पेट में परेशानी हो रही है। जब हमारे राहत बचत कैम्प चल रह थे तो कैम्पों के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा था। भ्रम यह फैलाया जा रहा था कि ये राहत नहीं आफत कैम्प है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

आज गरीब 500 रुपये का सिलेंडर, एक छोटे से परिवार में तीन सिलेंडर लगते हैं महीने के, तीन सिलेंडर मतलब 1150 का सिलेंडर, और आज ही अख़बार में था कि हिन्दुस्तान में चौथा नम्बर का सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल कहीं मिल रहा है, वह भोपाल में मिल रहा है, जहां इनकी सरकार है। हम तो पांचवें नम्बर पर हैं। उस पर कोई बोल नहीं रहा है, जिस पर इन लोगों को बोलना चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना, यह छोटी बात है क्या? हमने क्लियर एक्ट में लिखा कि जुलाई के महीने में 5 परसेंट देंगे, जुलाई के बाद में 10 परसेंट देंगे और हर साल 10 परसेंट बढ़ायेंगे, 15 परसेंट बढ़ायेंगे। उसको कोई मना नहीं कर सकता। इनको इस बात की दिक्कत हो रही है कि इस एक्ट में कैसे अमेंडमेंट हम लोग लेकर आयेंगे। इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, कांग्रेस की सरकार बन रही है, कोई दिक्क्त वाली बात नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं, मंत्री जी बैठे हुए हैं, इतना बढ़िया प्रोविजन किया है, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाने का भी तय किया है। इन्होंने अध्याय 5 की धारा 10 में सारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के, जिससे ये सारे कन्सर्न हैं, वे सारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के इसकी मानिटरिंग करेंगे। किसी प्रकार की गारंटी में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, बार-बार कर्जा माफी की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो परसों हाउस में माना है कि 1400 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम किसान का को-आपरेटिव बैंक का पचास-पचास हजार माफ करेंगे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस देश के अन्दर 72 हजार करोड़ का अगर कर्जा माफ किया था तो सरदार मनमोहन सिंह जी ने किया था। इस देश के प्रधान मंत्री ने किया था। ये वे ही लोग हैं, जिनके ऊपर 700 किसानों के कत्ल का इल्जाम है। ये वे ही लोग हैं जो 2022 में किसान की आमदनी दुगुनी करने वाले हैं। ये इस बात को भूल गये हैं क्या? लखीमपुर खीरी की घटना को ये लोग भूल गये हैं क्या? इन लोगों को किसानों की बात करने का कोई हक नहीं है। ये जानते ही नहीं किसान क्या होता है। ये तो सिर्फ वोट लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसानों की सरकार से।

(श्री जगदीश चन्द्र)

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहली बार आजादी के बाद हिन्दुस्तान की सरकार ने सबसे कम खेती का बजट रखा है और अगर आप देखो, कर्नाटक के चुनाव को देखकर बजट किया गया था। पूरे के पूरे नोर्दन इंडिया को छोड़ दिया गया था। आपने किसान की सब्सिडी 15 परसेंट कम कर दी। आप लोगों को शर्म नहीं आई। किसान के यंत्र की, फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी आपने 15 परसेंट कम कर दी। आप किसान की आमदनी दुगुनी करोगे क्या? इनके पास कोई स्कीम नहीं है, भ्रम फैलाने के अलावा। जिस तरीके से आपने 370 खतम की, कश्मीर में कराओ चुनाव, कौन मना कर रहा है आपको, अगर हिम्मत है तो क्यों नहीं आप लोग चुनाव करा रहे हैं? आपमें ताकत नहीं है। आपका पर्दाफाश हो गया है। देश की जनता जानती है, किस तरह के मणिपुर के हालात इस देश में हैं। आपको इस बात का पता नहीं है क्या?

इसलिए सभापति महोदय, मेरा जनमत जानने का जो संशोधन का प्रस्ताव था, मैं वापस लेता हूं और इस कानून का सपोर्ट करता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय।

श्री सभापति: सॉरी टू इंटरप्ट। बोलने वालों की संख्या बहुत है, बिल भी ज्यादा हैं। अब मैं आपकी मौन स्वीकृति से मैग्जिमम बोलने की समय सीमा 5 मिनट कर रहा हूं। 4 मिनट के आसपास मेरी घंटी बजेगी। एक मिनट में आपको समाप्त करना पड़ेगा। थैंक यू।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मगर हमारे कुछ मेम्बर नहीं हैं, इसलिए 5 मिनट पर पाबन्द न करें। सभापति महोदय, आज ये गारंटी दे रहे हैं। मेरे से पहले वक्ता जो बोल रहे थे कि हमने गांरटी दी, ये कर दी, वो कर दी।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, आज नेटवर्क की प्रोब्लम है। ये नेटवर्क नहीं दे सकते हैं तो क्या गारंटी दे रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर महानरेगा रोजगार गारंटी की बात करूं, डेढ़-दो साल हो गये, अभी तक कारीगरों और मेट के पैसे नहीं मिले हैं।

सभापति महोदय, ये कौनसी गारंटी की बात कर रहे हैं। डेढ़-दो साल

(श्री फूल सिंह मीणा)

से वह अपने परिवार को कैसे पाल रहा है। डोडावली के संरपच से अभी मेरी बात हुई। वे कह रहे हैं कि डेढ़-दो साल हो गये, हमारे कारीगरों ने भूखे प्यासे वहां पर मेहनत-मजदूरी की और उनका अभी तक पेमेंट नहीं मिला है।

सभापति महोदय, ये गारंटी दे रहे है, रोजगार की और बेरोजगार को भत्ता देने का जो इन्होंने वादा किया था, वादाखिलाफी। मेरे पहले वाले वक्ताओं ने भी कहा कि इन्होंने कहा कि बेरोजगार को हम भत्ता देंगे। बालकों को 3500 रुपये देंगे और बालिकाओं को 3000 रुपये देंगे, वह कहां गये? वे तीन हजार रुपये का इंतजार कर रहे हैं। इनको 5 साल हो गये, वो वादे भूल गये।

सभापति महोदय, अभी मेरे भाई बोल रहे थे विपक्ष के सदस्य कि हमने पशु बीमा किया। मेरे ग्राम पंचायत कालीवास का मोतीलाल जी सरपंच, उसकी गाय का बीमा कराया और उसके कान के अन्दर कुडकी भी पहनाई। उसकी मृत्यु हो गई और वह जब पशु चिकित्सालय में गये और पशु विभाग में जाकर पूछा कि मेरा बीमा हो गया है, गारंटी दी है, यह कागज है। कहा कि, यह तो सरकार ने बेवकूफ बनाया और यह कोई बीमा नहीं है। हमने रजिस्ट्रेशन किया है। आपकी गारंटी कहां गई? सभापति महोदय, इनसे मैं यही पूछना चाहता हूं कि आपकी यह गारंटी कहां गई? यह क्यों नहीं दिया उसको 40 हजार रुपये? आपने घोषणा की है, हम 40 हजार रुपये लम्पी वायरस से मरने वाली गोमाता का हर किसान को देंगे। वे 40 हजार रुपये का इंतजार कर रहे हैं, वे नहीं मिले।

सभापति महोदय, किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं, ये किसानों की बड़ी लम्बी-लम्बी बात कर रहे हैं। जगदीश जी सदस्य महोदय, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, जमीनों की कुर्की हो रही है, और तो और जो ये बैंक वाले, ऐसे मतलब ये गरीब आदमी का नरेगा का पैसा आ रहा है तो उसको बीमा में से काट लेते हैं, उनके कर्जे में काट लेते हैं, और तो और किसानों को प्रधान मंत्री जी ने दो हजार रुपये चार महीने का और बारह महीने का 6 हजार रुपये देने का जो वादा किया था और वह हर खाते में डाल रहे हैं, तो उस किसान तक वह पैसे नहीं जा रहे हैं और वह पैसे खाते में आते ही सबसे पहले उस कर्जे में वो काट लेते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। किसान फसल बोने के लिए बीज के पैसे के लिए इंतजार करता है मोदी जी ने दो हजार रुपये चार महीने में दिये हैं, उनका क्या हुआ?

(श्री फूल सिंह मीणा)

सभापति महोदय, वह डाइरेक्ट पैसा काट कर उनसे... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी।) सभापति महोदय, अभी दो मिनट भी नहीं हुए।

श्री सभापति: नहीं, अपने को बहुत काम करना है। आप लोगों का सहयोग चाहिये। चार मिनट हो गये, एक मिनट में खतम कर दें और यह सब पर लागू होगा। नेता, प्रतिपक्ष भी बोलेंगे, काफी टाइम चाहिये उनको। मंत्री महोदय भी बोलेंगे।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): दो मिनट में। सभापति महोदय, अब ये पेंशन की जो बात कर रहे हैं, आज दस हजार लोग सौ वर्ष से ज्यादा उम्र के हो गये हैं उनको पेंशन दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिये, जिनमें आधे मर गये। सरकार की ऑडिट में आया है। 34,444 सरकारी अधिकारी अपने परिवार को पेंशन दिला रहे हैं, और तो और 4,729 कर्मचारी सरकारी जो वास्तव में इस सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, एक लाख तेरह हजार को पेंशन दे रहे हैं, जो राजस्थान के हैं ही नहीं, यह ऑडिट में आया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, बच्चों को बूढ़ा बता दिया और पेंशन ले रहे हैं। सभापति महोदय, इसमें चार लाख से ज्यादा फर्जी लोग पेंशन ले रहे हैं।

एक कविता पढ़ रहा हूं, 'पेंशन घोटाला कर सरकार ने कमाल कर दिया, बच्चों को बूढ़ा कर धोती फाड़ कर रूमाल कर दिया। जो जिन्दा नहीं, उनके नाम पेंशन उठा ली, सरकार कर रही मुर्दों की भी रखवाली। कांग्रेस के घोटालों की क्या बात करूं, इतने घोटाले हैं गिनते-गिनते क्या मैं रात करूं। साढ़े तीन हजार करोड़ का आईटी घोटाला कर डाला। छोटी मछली को पकड़ लिया मगरमच्छ को पाल लिया।'

सभापति महोदय, एक और है, 'भ्रष्टाचार घोटाले में सारी ताकत झोंक दी, इस सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी।' सभापति महोदय, इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 सरकार लेकर आयी है और जैसा कि मेरे से पूर्व सभी सदस्यों ने बताया कि साढ़े चार साल बाद यह सरकार सिर्फ बिल और बिल लेकर आ रही है और इन बिलों के अन्दर क्या है, ऐसा हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। आज जो सरकार राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी की

(श्रीमती संतोष)

बात कर रही है, उस गारंटी पर जैसा कि इसमें बताया गया है, सभी प्रकार की गारंटी लेकर आये हैं। बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी की बात सरकार ने की, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की बात कर रहे हैं, बिजली फ्री की गारंटी की बात सरकार कर रही है। इस प्रकार से कई जो राजस्थान में मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी गारंटी की बात सरकार आज कर रही है, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है? बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही लेकिन आज हमारे जो युवा हैं वे बेरोजगार हैं, उनको कितना बेरोजगारी भत्ता मिला, यह हम सबके सामने स्पष्ट है। हमारे संविदाकर्मी जिनको स्थायी करना चाहिये था, उन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सामाजिक सुरक्षा में सामाजिक सुरक्षा की जो गारंटी है, हमारी बहन-बेटियों की क्या हालत है, आज आम आदमी कैसे सुरक्षित है, उसको सरकार स्पष्ट करे। कितनी राजस्थान के अन्दर हालत खराब हो रही है।

बिजली की हम बात करें तो किस प्रकार से बिजली फ्री की बात करके सरचार्ज बढ़ा कर आज आम आदमी की पहुंच से बिजली बाहर हो गयी है और सबसे बड़ी बात जो आ रही है बिजली फ्री देने की बात तो दूर, जो कनेक्शन किसान लेना चाहता है या आम आदमी लेना चाहता है, उनको डिमाण्ड राशि भरने के बाद सामान भी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, तो किस प्रकार की गारंटी की बात सरकार करना चाहती है।

मैं अपना एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहूंगी। ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा की हम बात करते हैं, नरेगा के अन्दर सौ दिन के रोजगार की गारंटी की बात कर रहे हैं लेकिन किसी भी व्यक्ति को सौ दिन का रोजगार इन्होंने पूरा नहीं दिया है। इसी के साथ समय पर जो भुगतान है, वह भी नहीं किया जा रहा है। पेंशन के अन्दर जो भुगतान है, वह भी नहीं किया जा रहा है, तो किस प्रकार की गारंटी की बात हम करना चाहते हैं।

2023 की बजट घोषणा में इन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर दो से तीन लाख रुपये एकमुश्त राशि दी जायेगी, उसका अभी तक आदेश ही जारी नहीं किया गया, उसको लागू कब किया जायेगा? यह एक प्रकार की गारंटी और दे दी गयी है। आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्ता जो एक नाममात्र के मानदेय पर काम कर रही है तो किस प्रकार से यह सरकार गुमराह करके गारंटी पर गारंटी दे रही है, लेकिन राजस्थान के अन्दर आज जो स्थिति है उसको भी देखना चाहिये।

(श्रीमती संतोष)

अभी सादुलशहर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने किसानों की बात की। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि किसान हित की बात तो आप करते हैं, लेकिन वास्तव में किसानों की स्थिति क्या है, उसका जीता-जागता उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरे क्षेत्र में आज भी पानी नहीं होने के कारण किसान आन्दोलनरत हैं, परेशान हैं। उनकी फसलें सूख रही हैं। बार-बार सरकार को अवगत कराने के बाद भी आज भी उन किसानों को राहत नहीं मिल रही है, वे खून के आंसू रो रहे हैं, तो किस प्रकार की गारंटी की हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार से ये बिल लेकर के आये हैं? मैं आपके माध्यम से यही बात करूंगी कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक के ऊपर बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।

जब-जब सामाजिक अधिकारों की बात आप करोगे और ये जो पांच साल हैं, जो पांच साल बीते हैं, एक तरफ तो छलावे और असत्य वादे और एक तरफ राजस्थान की सरकार जिसने एग्जाम्पल सैट किये और यहां की सामाजिक सुरक्षा की नीतियों को जब दूसरी स्टेट्स में हमने बताया कि राजस्थान में यह कर रहे हैं तो हम हिमाचल भी जीते और कर्नाटक भी जीते और मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे ही खिलाफत करना इसकी। इस मिलने वाले भत्ते की ऐसे ही खिलाफत करना, हम यहां भी सरकार बनायेंगे। इस साल जहां-जहां चुनाव होगा हम वहां-वहां सरकार बनायेंगे। चाहे खाद्य सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे एजुकेशन का अधिकार हो और रोजगार गारंटी योजना नरेगा हो और चाहे न्यूनतम आय गारंटी विधेयक जो आज हम पेश कर रहे हैं कानून के रूप में मुख्य मंत्री जी ने पेश किया। यह जब-जब सोशल सिक्योरिटी का कोई मसला हुआ, कांग्रेस ने ही यह सोशल सिक्योरिटी का मैसेज पूरे हिन्दुस्तान में दिया। इन्होंने कभी एक रुपया देने की कोशिश नहीं की। एक उज्ज्वला योजना दी, इन्होंने जिसमें लोगों के सिलेण्डर ताक पर रख दिये गये। यह तो भला हो मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने कहा कि मैं पांच सौ रुपये में सिलेण्डर दूंगा। इन्होंने भी दिया अधिकार। इन्होंने दिया अधिकार कारपोरेट घरानों को। इन्होंने दिया अधिकार अडानी को, अम्बानी को। मैं एक शेर के साथ इनकी बात कहना चाहता हूं,

(श्री रफीक खान)

'ए सियासत तूने भी इस दौर में कमाल कर दिया, गरीबों को और गरीब और अडानी अम्बानी को मालामाल कर दिया।' यह काम जरूर आपने किया है।

मैं यह कह सकता हूं कि जब-जब सोशल सिक्योरिटी की बात करें, जब हमारी सरकार आयी 2019 में तो सरकार आते ही मुख्य मंत्री जी ने अनाउंस किया कि जिनको ढाई सौ रुपये पेंशन मिल रही है, उनको मैं पांच सौ रुपये पेंशन देता हूं और उसी साल से लागू कर दी और जिनकी पांच सौ थी उनकी साढ़े सात सौ हो गयी। पचास प्रतिशत की बढ़ोतरी की और जब यह वाला बजट दिया तो इस बजट में तो मुख्य मंत्री जी ने कमाल कर दिया। जो पांच सौ, ढाई सौ, साढ़े सात सौ कोई भी फिगर था, उन्होंने कहा कि मैं मिनिमम हजार रुपये और जिनको हजार रुपये मिल रहे थे उनको पन्द्रह सौ रुपये फिक्स करता हूं और यह भी गारंटी दी, आज जिस विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह भी कहा कि न केवल यह हजार रुपये देंगे बल्कि हर साल पन्द्रह प्रतिशत की बढ़ोतरी की गारंटी देंगे। इन सबका स्वागत करना चाहिये कि आम आदमी को कैसे फायदा हो, आम आदमी को कैसे राहत मिले। राहत, बढ़त, बचत के नाम पर कैम्प लगाये गये। बहुत क्रिटिसाइज किया इन्होंने कि, साहब, ये तो इन्होंने अपना मकसद हल कर लिया, खुद की फोटो लगा रहे हैं, लेकिन, सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि काला कम्बल ओढ़ कर ये भी आये उन कैम्पों के अन्दर। इनको भी चाहिये थी 100 यूनिट फ्री, इनको भी फायदा लेना था सारी स्कीमों का। इनकी कोई फोटो नहीं खींच ले, तो मुंह छिपा कर आये और रजिस्ट्रेशन करा कर गये। कराओ रजिस्ट्रेशन, लेकिन गाओ तो सही। जींकी खाओ, बींकी तो गाओ कम से कम।

मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि न केवल पेंशन, आज इस महंगाई के जमाने में जब बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई आसमान पर है, लोग टमाटरों के भाव पूछ रहे हैं, ऐसे समय में ऐसी स्कीम की बहुत जरूरत थी। सभापति महोदय, आम आदमी त्रस्त था, उसकी किचन गड़बड़ा गई थी, उसके पास बच्चे की स्कूल की फीस देने के लिये पैसे नहीं थे, बिजली-पानी का बिल भरने के लिये उसके पास पैसे नहीं थे। कोविड जैसा कठिन समय गया, उससे पहले डिमोनेटाइजेशन आया, पूरे हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था खतम थी। आम आदमी, गरीब आदमी तनख्वाह में बढ़ोतरी की बात तो छोड़ो, वह जॉबलैस हो गये थे, बेरोजगार हो गये थे। ऐसे समय में

(श्री रफीक खान)

मुख्य मंत्री जी ने यह तय किया कि मैं कैसे उसके परिवार में सहारा लगाऊं? उसकी किचन के लिये जो पैसा नहीं बच रहा है, वह कैसे बचे? मुख्य मंत्री जी ने स्कीम बनाई, यह जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, यह कोई हवाई बातें नहीं हैं, इनकी तरह ख्याली पुलाव नहीं है। कैसे एक घर में 5-7 हजार रुपये महीने का एक परिवार को फायदा मिले, कैसे गरीब आदमी को फायदा मिले। यह सब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म के लिये खड़े होते हैं, लेकिन बोला नहीं जाता है, जगह नहीं मिलती है बोलने के लिये। 2-3 हजार रुपये एक परिवार में पेंशन मिलती है। बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाओ तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चे की फीस के महीने के दो ढाई हजार रुपये बचते हैं।

सभापति महोदय, बिजली-पानी के नाम पर इतनी ठगी होती थी। अभी सांगानेर से आने वाले विधायक पानी पर बोल रहे थे, अभी जवाब भी दूंगा इस बात का। बिजली-पानी के दो ढाई हजार रुपये लग जाते थे। सभापति महोदय, पहले जब 50 यूनिट फ्री की थी तो 38 लाख परिवारों के बिल फ्री हो गये और मैं यह दावा करता हूं कि जब 100 यूनिट हम फ्री कर रहे हैं तो इनके लाभान्वितों की संख्या करीब-करीब एक करोड़ होगी। इससे एक करोड़ परिवारों के बिल जीरो होंगे। यह बहुत बड़ा बिजली का निर्णय है। बिजली-पानी का पैसा बचा, दवाई का पैसा बचा, चिरंजीवी योजना से हास्पिटल का खर्चा बचा और घर में पैसे आये, बचत भी हुई, बढ़त भी हुई। घर में पैसे आये तो उनको एक रिलीफ मिली, इसलिए इनको रिलीफ कैम्प का नाम दिया गया है।

सभापति महोदय, राजस्थान की आबादी साढ़े सात करोड़ है, यूपी की आबादी है 25 करोड़। 25 करोड़ में सोशल सिक्योरिटी के बेनीफिशियरी की संख्या 84 लाख है, राजस्थान में 95 लाख है। जिस स्टेट ने आपको यहां विधायक बनाकर भेजा है, लोक सभा में भेजा है, उनकी तो कम से कम गाओ, दूसरे की तो मत बोलो। राजस्थान में यह संख्या साढ़े सात करोड़ में 95 लाख है। मैं यह कह सकता हूं कि एक परिवार में 5-7 हजार रुपये का फायदा जा रहा है।

शहरी रोजगार गारंटी योजना, नरेगा की तर्ज पर मुख्य मंत्री जी ने पिछले साल मेरी विधान सभा से इसको लागू किया और यह बहुत सक्सेसफुल स्कीम रही। शहरों में रोजगार की कमी आ गई, बेरोजगारी आसमान पर, एक रुपये का रोजगार किसी को नहीं मिल रहा। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो

(श्री रफीक खान)

बेरोजगार हैं, उनको 125 दिन का रोजगार दूंगा और उसको परिवार की इकाई के रूप में काउंट करेंगे। अगर आदमी कहीं 10 दिन नहीं जा पाता है तो परिवार का दूसरा सदस्य जायेगा, तो उसकी काउंटिंग होगी। ऐसी स्कीम धरातल पर लेकर आये कि आम आदमी को एक जबरदस्त फायदा हुआ।

श्री सभापति: अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, अभी तो शुरू ही नहीं किया। मैं स्कीम की कुछ बातें आपको बता देता हूं। सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा की क्या स्कीम राजस्थान में लागू है, सुनना और दूसरे राज्यों में भी लागू कराने की बात करना। क्रिटिसिज्म करोगे तो जब कांस्टिट्यूएंसी में जाओगे तो यह 95 लाख घरों में नहीं घुसने देंगे। सामाजिक सुरक्षा में मुख्यमंत्री वृध्दजन एकल नारी पेंशन योजना, विशेष योग्य जन पेंशन योजना, पालनहार योजना, कन्यादान योजना, वृद्धाश्रम बाल गृह योजना, बेघर उत्थान योजना, निर्माण श्रमिक सुरक्षा योजना, सिलिकोसिस नीति, दिव्यांग स्कूटी योजना और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में तो कमाल है। स्वास्थ्य की स्कीम को पूरी दुनिया ढूंढ रही है कि राजस्थान क्या कर रहा है। स्वास्थ्य की स्कीम ऐसी है कि आदमी का घर-जमीन-मकान सब कुछ बिक जाता था इलाज कराने के लिये। आज बिकता नहीं है, खाली हाथ जाता है और इलाज करा कर फ्री आफ कोस्ट घर में आता है। चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना, निरोगी राजस्थान अभियान।

शिक्षा में महात्मा गांधी स्कूल ने पूरे हिन्दुस्तान में नाम किया हुआ है। जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आई तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इससे बढ़िया श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि हम देश को और पूरे राजस्थान को एक नई दिशा देंगे और एक ऐसी स्कीम लेकर आयेंगे कि जो गरीब का बच्चा, जिसको कोई नहीं पढ़ा रहा है, वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। सभापति महोदय, आज मुझे खुशी है यह बताते हुए कि मेरे यहां बंद होने के कगार पर एक स्कूल थी, 100-125 बच्चे थे, आज उस महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 1200 बच्चे हैं। नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा, नि:शुल्क यूनिफार्म, आवासीय विद्यालय, पूर्व मैट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुप्रति योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय।

श्री सभापति: थैंक यू माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं शेर सुना देता हूं, शेर के बिना तो

(श्री रफीक खान)

मेरी बात कन्क्लूड होगी ही नहीं। मुख्य मंत्री जी ने इतनी स्कीमें लांच कीं तो जब मेरे यहां शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू हुई तो मेरे को एक शायर ने मुख्य मंत्री जी के लिये लिख कर भेजा, सारे हाउस को जानना चाहिये कि आम आदमी की मुख्य मंत्री जी के लिये क्या फीलिंग है।

"सहरा-सहरा फूल खिलाने वाले आप, हर रेगिस्तान में फूल खिलाने वाले आप, सहरा को गुलजार बनाने वाले आप। बापू के आदर्शों का एक दीप लिये घर-घर हिन्दुस्तान बनाने वाले आप। गुलशन को श्मशान बनाने वाले वो, सद्बुद्धि की राह दिखाने वाले आप। बस्ती-बस्ती आग लगाने वाले वो, हमदर्दी का पाठ पढ़ाने वाले आप। अंधियारों का आकार बढ़ाने वाले वो, ज़ुल्मत की मशाल जलाने वाले आप। यह सूट करती है आज के इस बिल पर, अगड़े-पिछड़े कमजोर और मजदूरों को जीने का अधिकार दिलाने वाले आप। सहरा-सहरा प्यासी धरती का मान हैं आप। सच पूछो तो भारत का अभिमान हैं आप। नफरत के सारे सौदागर एक तरफ और राजनीति का जादू एक तरफ।"

बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, इसे मैं वापस लेता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पर आज सदन चर्चा कर रहा है, इस पर बात रखने के लिये आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल में लिखा है कि सरकार मुफ्त और सहायता प्राप्त बिजली, व्यापक स्वास्थ्य कवरेज, सहायता प्राप्त कृषि इनपुट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सहायता प्राप्त गैस सिलेण्डर और मुफ्त भोजन पैकेट राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 के माध्यम से लाना चाहती है। इसके लिये 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान आपने इस बिल में किया। यह बिल वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट घोषणा के भाषण संख्या 67 में महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी स्कीम के तहत लाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, जिस पेंशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय, अभी पिछले सोमवार को एक खबर छपी थी, जिसमें यह लिखा है कि पेंशन के लिये सुहागिनी बनी विधवा, मरे लोग जिंदा हुए, राजस्थान से बाहर के लोगों ने उठाई 150 करोड़ की पेंशन और चार लाख

(श्री अविनाश)

लोगों के रिकार्ड फर्जी। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में चल रही वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें मृत हो चुके लोगों के खाते से भी पेंशन उठाई जा रही है। सभापति महोदय, 150 करोड़ से ज्यादा रुपये उन लोगों के खातों में गये, जो राजस्थान के हैं भी नहीं और ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। यह आपकी एक पेंशन स्कीम का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। मैं समझता हूं कि इसकी जांच कराएं और ऐसे कौन लोग हैं जो इस दुनिया में हैं भी नहीं और वह पेंशन उठा रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद जब देश में शासन शुरू हुआ, पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, रोजगार देने का वादा किया। मैं 1971 की बात करूं तो 1971 में देश की आबादी 54 करोड़ थी और गरीबी की रेखा के नीचे के लोग 57 परसेंट के करीब थे। 2015 से लेकर 2021 में जब देश में प्रधान मंत्री मोदी जी के युग का आगमन हुआ, देश में राष्ट्रवादी सरकार आयी तो उसका आंकड़ा बताता हूं। देश में साढ़े तेरह करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा 32.59 परसेंट से घटकर 19.28 परसेंट हो गयी और यही गरीबी शहरी इलाकों में 8.65 परसेंट से घटकर 5.27 परसेंट रह गयी। सभापति महोदय, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इन आंकड़ों के पीछे सच्ची मेहनत, दूरदर्शिता, ईमानदारी और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए 'सबका साथ, सबका विकास' का मोदी मंत्र का काम रहा है। इस कारण मैं यह आंकड़ा आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, जिस राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 के बारे में आपने कहा कि प्रतिवर्ष 2500 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया गया, लेकिन बजट के अन्दर वित्तीय प्रावधान 2500 करोड़ रुपये कहां से आयेगा? आप जानें, आपकी सरकार जाने। यह बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में किया गया, आप लागू कर रहे हैं? अप्रैल, 2024 से लेकर 2025 के वित्तीय वर्ष में इसे चालू करेंगे। जब इस साल घोषणा हुई थी, लेकिन आपने तो यह तय कर लिया कि हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे सनम, लेकिन साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। आपको पता है कि अगली साल आप आने वाले नहीं हैं और यह वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण आने वाली सरकार को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने इसके बारे में सोचा

(श्री अविनाश)

होता तो शायद इस प्रकार के विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि आपने जो कहा, मैं समझता हूं कि चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, चाहे केन्द्र की सरकार हो, सरकार बनने के बाद जब अपने अन्तिम समय में होती है, अब चूंकि तीन-चार महीने का समय बचा है और कोई भी सरकार अपने चुनाव से पहले छह महीने के समय में किसी भी प्रकार की योजनाओं की घोषणा करती है, वे घोषणाएं जनता को राहत देने के उद्देश्य से नहीं होती हैं, वह घोषणा सरकार को रिपीट करने के उद्देश्य से होती है। यही काम आप लोग कर रहे हैं। जो 2013 के अन्त में आप लोगों और कांग्रेस की सरकार ने किया था, नतीजा क्या हुआ, आपको मात्र 21 सीटें मिली थीं। इस बार उससे ज्यादा घोषणा कर रहे हैं। कितनी क्रियान्वित हो रही हैं, कितनी घोषणाएं पूरी हो रही हैं? राजस्थान की आठ करोड़ जनता के सामने आपका परिणाम है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें आपने मिनिमम गारंटी एक हजार रुपये प्रतिमाह की है। अब आप देखिये, सबसे बड़ा मुद्दा नरेगा का है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन की रोजगार गारंटी पहले से लागू है, आपने सिर्फ 25 दिन अतिरिक्त किया है। शहरों के अन्दर आपने पिछले वित्तीय वर्ष से शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू किया है। मेरा आपसे इतना-सा सवाल है कि पहले के माननीय साथी ठीक कह रहे थे कि एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है, माननीय मंत्री महोदय, जहां सौ दिन का अनिवार्य रोजगार उनको मिल चुका है। यह फैक्ट बात कह रहा हूं। जेटीए और उनके साथी मिलकर, जो लोग पैसे देते हैं, जॉब कार्ड के आधार पर उनको नरेगा के अन्दर काम दिया जाता है। यह प्रोविजन पहले से बना है। इसमें नया करने की क्या बात है? शहरों के अन्दर भी जब से आपने लागू किया है, यही हालात हैं, जो गांवों के अन्दर हैं वे शहरों के अन्दर भी हैं।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा में काम कितना होता है? केन्द्र सरकार की तरफ से पैसा आता है, लेकिन जो यहां बन्दरबांट होती है, गरीब मजदूर को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार केन्द्र सरकार ने जो तय किया, सवा दो सौ रुपये के करीब न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, वह 100 रुपये, 80 रुपये, 110 रुपये के करीब मिल रही है। इसका मूल्यांकन कौन करता है? राजस्थान सरकार के वे जेटीए और वे कर्मचारी, जो आपकी सरकार की सेवाओं में लाभान्वित होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी नरेगा में फार्म नम्बर 16 भरकर

(श्री अविनाश)

पंचायत समितियों में यदि आप विकास अधिकारियों को देंगे तो उसका वैसे भी प्रावधान है कि अनिवार्य रूप से उसको काम देना है, लेकिन पिछले साढ़े चार सालों में फार्म नम्बर 16 भरने के बाद भी लाखों लोगों को नरेगा में रोजगार नहीं मिला है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 1948 की धारा 3, उसको लागू आपने किया है। आपने दिव्यांगों का किया है, जो केन्द्रीय दिव्यांग अधिनियम में 2016 से जो दिव्यांग है, उनको किया है। वृद्धावस्था पेंशन, विशेष योग्यजन को किया, विधवा महिला या एकल महिला का किया और इसमें आपने बेरोजगारी भत्ते के बारे में भी कहा।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य रूप से तीन बातें आपने इस बिल में कही हैं। मैं समझता हूं कि सामाजिक सुरक्षा, पेंशन की गारंटी का अधिकार आपने दिया और ये कुल 15 परसेंट की बढ़ोतरी दो किस्तों में की। एक 2024-25 के वर्ष जुलाई महीने में 5 परसेंट और जनवरी के महीने में 10 परसेंट की बढ़ोतरी होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि यह जो पेंशन है, यह पेंशन 12 माह पूर्ण करने के बाद, जिसको 12 महीने हो जायेंगे, उसके बाद सुविधा का लाभ मिलेगा, इसका आपने एक्ट के अन्दर प्रोविजन किया है। इस एक्ट में लिखा है। माननीय सभापति महोदय, आपने इसके नोडल अधिकारी के नोडल विभाग का भी मूल्यांकन किया। एक राज्य सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया है। माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आपने यह कहा।

माननीय सभापति महोदय, आपने अध्याय 6 में यह भी कहा, पारदर्शिता और जवाबदेही आपने तय की है कि पेंशन का पैसा सीधा उस उपभोक्ता के खाते में जायेगा, लाभार्थी के खाते में जायेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने इसी मूल भावना को साकार करते हुए प्रधानमंत्री जन धन खाते खुलवाये कि नहीं खुलवाये? एक समय था। देश के प्रधान मंत्री राजीव गांधी कहते थे कि जब मैं ऊपर से एक रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे नीचे पहुंचता है। उस दलाली को और बिचौलियों को खतम करने के लिए मोदी जी ने जन धन खाते खुलवाये। आज उसी का लाभ इस राजस्थान के लोगों को मिलेगा, जिसका प्रोविजन आपने इस एक्ट में किया है और ये सीधे ही उनके खाते में जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आप रोजगार गारंटी तो लेकर आ गये, लेकिन खाद्य सुरक्षा गारंटी के अधीन पिछले साढ़े चार सालों में किसी भी

(श्री अविनाश)

व्यक्ति का खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आपने नाम नहीं जोड़ा है, यह मेरा दावा है। आपका राजस्थान सरकार का पोर्टल बन्द है। आपने पिछले छह-आठ महीने पहले पोर्टल को खोला था, उसमें लाखों लोगों ने आवेदन किया, लेकिन आपने उस पोर्टल को फिर बन्द कर दिया और एक भी व्यक्ति को एनएफएसए का लाभ नहीं मिला है। क्या वह रोजगार गारंटी स्कीम के अन्दर आने के योग्य नहीं है? केन्द्र सरकार तो दे रही है, लेकिन क्या राजस्थान सरकार का फर्ज नहीं बनता है कि उन गरीब लोगों को इस खाद्य सुरक्षा बिल के अन्दर लेकर आये?

श्री सभापति: कन्क्लूड करिये, प्लीज।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, जब हम गांवों के अन्दर जाते हैं तो गांव वाले कहते हैं कि हमें सब्सिडियां नहीं चाहिए, हमें पूरी 24 घंटे की बिजली चाहिए। कृषि के अन्दर 6 घंटे बिजली चाहिए शहरों के अन्दर 24 घंटे की बिजली चाहिए। रात को मां-बहन, बेटी और व्यापारी, विद्यार्थी जब घर आते हैं, शाम को खाना खाने के समय ऐसी गर्मी के मौसम में बिजली की कटौती हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, यह आज से नहीं जब से सरकार बनी है, आपके बिजली विभाग की गलती के कारण, सरकार के फैल्योर के कारण आज लोग आपकी सब्सिडी को ठोकर मार रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए। आपने कर्जा माफी की बात की। मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहूं।

श्री सभापति: समाप्त करिये, प्लीज।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं बिल पर बोल रहा हूं।

आपने सहकारिता विभाग की बात की। अभी कह रहे थे कि बजट में हमने प्रोविजन किया था, घोषणा की थी कि हम सहकारी विभाग के अन्दर जो सहकारी बैंक हैं, उनका लोन माफ करेंगे। मेरा दावा कि इस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में सहकारी विभाग का कुछ नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा था कि सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे। मेरी इस बात पर आपत्ति है कि यह सरकार बताये कि आपने सम्पूर्ण कर्जा का कहा था या सहकारी बैंक का कहा था?

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, एक और।

मैंने बेरोजगारी भत्ते के बारे में बता दिया। एक मिनट में। आपने संविदाकर्मियों के लिए कहा था। मैं समझता हूं, बिल के माध्यम से भी उन

(श्री अविनाश)

संविदाकर्मियों को रेगुलराइज करने, जो आपका घोषणा-पत्र है, अगर आप इस बिल के अलावा शामिल करते तो भी ठीक रहता।

माननीय सभापति महोदय, एक अन्तिम बात कहकर अपनी बात को खतम करूंगा। जितनी भी केन्द्र की योजनाएं हैं, उसका लाभ गांव के लोगों को मिलता है। इसके कारण लोग खुश होते हैं, लेकिन आपकी सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों की शिथिलता के कारण जो आवश्यक दस्तावेज की पूर्ति करनी होती है, वह पता नहीं राज्य सरकार से निर्देश हैं, क्या हैं? चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का हो, या उज्ज्वला गैस का हो, या जल जीवन मिशन के माध्यम से, ऐसे अनेक काम, केन्द्र की 42 योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना था। आपकी सरकार के द्वारा दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण लाखों लोग आज उन योजनाओं से वंचित हैं।

माननीय सभापति महोदय, कहने को तो बहुत कुछ था लेकिन इतनी-सी बात कहकर कि आप ये राजस्थान के अन्दर बिल लेकर आये हैं, निश्चित रूप से घोषणा करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन चूंकि यह आपकी चुनावी घोषणा है, आप सरकार रिपीट करने के उद्देश्य से लेकर आये हैं, राजस्थान की जनता कभी आपके बहकावे में नहीं आयेगी। अभी मैंने जो आंकड़े दिये थे, उन आंकड़ों में देखें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में इस अधिनियम का आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 को आज सदन में विचारार्थ लिया गया। इसके पीछे उद्देश्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 (ए), 41 और 43 में नागरिकों को दिये गये जीविका के पर्याप्त साधन, शिक्षा और हैल्थ का अधिकार देना है। माननीय सभापति महोदय, इस न्यूनतम आय गारंटी विधेयक में 2500 करोड़ का जो अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा, उसके लिए क्या वित्तीय संसाधन सरकार जुटायेगी और कहां से जुटायेगी? माननीय मंत्री महोदय, जब आप जवाब दें तो इसके लिए भी आप बतायें। माननीय सभापति महोदय, 1971 में पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था 'गरीबी हटाओ, देश बचाओ' 2014 तक कांग्रेस ने लगभग 30-32 साल इस देश के ऊपर शासन किया, आज देश में गरीबी हट गई क्या? मंत्री महोदय, आप जवाब दें तब बताएं।

(श्री नारायण सिंह देवल)

जो यह बिल लेकर आये हैं, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की पहले भी 2008 से 2013 में सरकार थी, आप अभी जो कैम्प लगा रहे हैं, उसी तरह से कैम्प लगाये थे और उन कैम्पों में आपने जगह-जगह लोगों की पेंशन एप्लाई की थी। उसमें जो पेंशन के असली हकदार थे, उनकी जगह उनके रिश्तेदारों को पेंशन चालू करवा दी और 2013 के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तब इन फर्जी पेंशन लेने वालों का सभी का नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटाया।

वर्ष 2019 के लोक सभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि हम न्यूनतम आय योजना का बिल लाएंगे। सभापति महोदय, आज चार साल बीत गये और चार साल बाद में कांग्रेस की सरकार को जब चुनाव सिर पर आया है तब यह बिल आया है। 2013 में यूपीए के गठबंधन में मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे और उन्होंने एक नेशनल सेम्पल सर्वे करवाया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये प्रतिदिन, 816 रुपये प्रतिमाह एक आदमी को मिलता था और शहरी क्षेत्र में 33 रुपये और महीने में 1000 रुपये मिलता था। उनको गरीबी रेखा से नीचे माना था।

सभापति महोदय, पहले भी इस सरकार ने खूब सारी गारंटी दी। अब लोगों के बीच में एक नया बिल लाकर लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार का आज से साढ़े चार साल पहले जो घोषणा पत्र था, उसमें आपने कितनी घोषणाएं पूरी कर दीं, वह आप सदन में बताएं। अभी कुछ दिन पहले सदन के नेता ने महिलाओं को मोबाइल देने की घोषणा की थी और उस घोषणा में राजस्थान की कितनी बहिन-बेटियों को आपने मोबाइल दे दिया? आज भी महिलाएं मोबाइल का इंतजार कर रही हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 27 लाख पंजीकृत बेरोजगार राजस्थान में है। अभी मंत्री जी कुछ दिन पहले जवाब दे रहे थे, वह आंकडा घुमा-फिरा कर 6 लाख 23 हजार का कहा कि हम इतने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। इस सरकार ने इसी सदन में कहा था कि हम किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली देंगे। आज साढ़े चार साल हो गये, दिन की जगह आप रात को भी बिजली नहीं दे रहे। इनका घोषणा पत्र सारा असत्य है। किसानों को कहा था कि हम बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आज तक नौ बार इन्होंने बिजली की दर बढ़ा दी। जीरो टोलरेंस

(श्री नारायण सिंह देवल)

की यह सरकार बात करती है। आज सुबह विधान सभा में भ्रष्टाचार की हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिड-डे-मील के नाम से बात की।

सदन कूप में

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश व नारे।)

सचिवालय के अंदर ...(व्यवधान) एक किलो सोना और दो करोड़ सोना रोकड़ा मिलता है। इन्होंने कहा था कि हम ग्रामीण परिवहन बस सेवा को चालू करेंगे। कितनी बसें चालू हुई? इसके अलावा पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो स्कूलें बंद हुई थीं, पीसीसी के चीफ ...(व्यवधान) माननीय डोटासरा जी ने कहा था कि सभी स्कूलों को वापस खोल देंगे। सरकार कृपया बताए कि कितनी स्कूलें आप लोगों ने खोली हैं? संविदाकर्मी आज भी स्थायीकरण के लिए इंतजार कर रहा है।

श्री सभापति: हो गया आप सबका। धन्यवाद। प्लीज, बैठिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): कांग्रेस ने कहा था कि हम शहरों में ...(व्यवधान) जनता क्लिनिक खोलेंगे। सरकार बता देवे कि कितने आज खोले हैं?

श्री सभापति: हो गया। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): ये वो लोग हैं, सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली।

श्री सभापति: अपनी-अपनी सीट पर जाइए। (व्यवधान) हो गया आपका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): खाजूवाला के लिए क्यों मौन थे? (व्यवधान) हिन्डौन के लिए क्यों मौन थे?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): मणिपुर की बात कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): महिला अत्याचार में एक नंबर पर बनाने वाले, क्या चाहते हैं आप? क्या नौटंकी कर रहे हैं? (व्यवधान) मणिपुर का स्टेटमेंट ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए।

श्री सभापति: अपनी-अपनी सीट पर जाइए आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): मणिपुर भारत देश में नहीं है क्या? (व्यवधान) मणिपुर भी भारत देश का ही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, अपनी सीट पर जाइए। हो गया आप लोगों का। प्लीज, अपनी सीट पर जाइए।

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मोदी जी का अब आएगा नाम। मोदी जी विश्व में सबसे ताकतवर नेता हैं।

श्री सभापति: हो गया अब। (व्यवधान) आप लोग अपनी सीट पर जाइए, प्लीज। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, अब हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। एनसीआरबी में राजस्थान महिला दुष्कर्म में लगातार... (व्यवधान) तीसरी बार पहले पायदान पर है। किस मुंह से दिखा रहे हैं यह?

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य, कन्टीन्यू।

डॉ. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपके यहां बिल्लियां जाती होंगी, माननीय नेता, प्रतिपक्ष। (व्यवधान) हमारे यहां तो इंसान जाते हैं।

श्री सभापति: आप कंटीन्यू करिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप कुछ बोलिए तो सही। कुछ तो निकालो मुंह से।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान) बोलने देना नहीं चाहते हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): राठौड़ साहब, सही बात उठाई है, उसमें भी आप नाराज हो गये। आपको तो साथ देना चाहिए। (व्यवधान) मतलब जो मणिपुर में हो रहा है, वह सही हो रहा है क्या? आप बताइए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): आप पहले राजस्थान का बताइए। (व्यवधान) हिण्डौन में ठीक हुआ?

डॉ. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपको जवाब देना चाहिए नेता, प्रतिपक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): किस मुंह से बोल रहे हैं। (व्यवधान) राजस्थान का बताओ, राजस्थान का।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इतना अन्याय हो रहा है। (व्यवधान) मणिपुर के मामले में आपको जवाब देना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): छलनी भी बोल रही हैं।

श्री सभापति: प्लीज, आप लोग बैठिए। श्री नारायण सिंह देवल, आपको बोलना है। (व्यवधान) अब आप कन्क्लूड करिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, हाउस में आर्डर लाने की जिम्मेवारी आसन की है। ये सब्जी मंडी नहीं है। (व्यवधान) बिना नोटिस के बीच में आ गये। महिला दुष्कर्म पर बहस करवाइए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं। (व्यवधान) मणिपुर के लिए आपको बोलना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): ये मणिपुर की बात करें ... (व्यवधान) हम राजस्थान की बात करेंगे इनसे।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): महिलाओं का अपमान हुआ है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कितने नाराज हो गये, राठौड़ साहब, बताइए। (व्यवधान) आप इतने सीनियर लीडर हैं, केन्द्र सरकार की तरफ से बोलिए, जवाब दो।

श्री सभापति: प्लीज, बैठिए। माननीय सदस्य, बैठिए। माननीय सदस्यगण, ...(व्यवधान) आप सब बैठिए। आप एक मिनट में कन्क्लूड कीजिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति जी, इन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया, डिस्टर्ब कर दिया।

श्री सभापति: एक मिनट में। हाउस इज इन आर्डर।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में महिलाओं के ऊपर जो अपराध हुए हैं, आज महिला अपराध में राजस्थान एक नंबर पर है। दलित महिला अपराध पर दो नंबर पर देश में हैं। ये नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो कहती है। सभापति जी, कांग्रेस के कारनामे मैं बताऊं, इन्होंने चुनाव से पहले हमारे जालौर के अंदर जैसे जालौर की जनता को गिनती नहीं आती, एक से लगाकर दस तालियां बजाईं कि सम्पूर्ण ऋण माफ कर देंगे, आज साढ़े चार

(श्री नारायण सिंह देवल)

साल तक सम्पूर्ण ऋण माफ नहीं हुआ और पूरे राजस्थान में 19 हजार 422 किसानों की जमीन कुर्क की। जल जीवन मिशन के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान जल जीवन मिशन में पूरे देश में सबसे अंतिम पायदान 31वें नंबर पर है और जल जीवन मिशन में भी भारी घोटाला हो रहा है। आने वाले समय में जब जांच होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री सभापति: धन्यवाद। बैठिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): चुनाव जीतने के लिए आप इतने बिल लेकर आ रहे हैं परंतु राजस्थान की जनता ने यह तय कर लिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा और भारी वोटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए परिचालित किये जाने का प्रस्ताव करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ऐसा लगता है कि बीजेपी के कुंए में भांग पड़ी हुई है।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान) राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023

श्री सभापति: सुनिए प्लीज।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, ये जो बिल अभी आए हैं, इनको सप्लीमेंट्री लिस्ट में पुर:स्थापित करने के बारे में।

श्री सभापति: अभी तक इसमें आया नहीं है। श्री छगनसिंह। आएगा तब कराएंगे।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023, जो आज विधान सभा में विचारार्थ लिया जा रहा है।

श्री सभापति: प्लीज, बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं। सरकार की तरफ से शायद रिप्लाई कर रहे होंगे। इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बोल सकता। मंत्री बोल रहे हैं।

श्री सभापति: वे बैठ गए, आप भी बैठिए। छगनसिंह जी बोलिए।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, इस गारंटी बिल के प्रति ... (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठ जाओ, प्लीज।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): +++ ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज बैठिए। छगनसिंह जी बोल रहे हैं, आप बैठिए।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): वैरी गुड ... (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): +++

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): आंकड़े एफ आई आर दर्ज में है, चालान में नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने एफ आई आर फ्री की है। आप हकीकत देखो, मुख्य मंत्री जी ने फ्री की है, इसलिए आंकड़े बढ़े हैं न कि चालान है। आपके गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के चालान देखो... (व्यवधान) केवल एफ आई आर फ्री की है।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, एफ आई आर कहीं दर्ज होती ही नहीं है ... (व्यवधान) एफ आई आर दर्ज नहीं होती।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): कोई क्राइम नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, आप मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): नेशनल क्राइम रिपोर्ट है। आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट के आंकड़े पढ़ो। (व्यवधान) चालन कितने के हुए। किस राज्य में सबसे ज्यादा महिला अत्याचार हुआ। सरेआम वीडियो चल रहे हैं ... (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट के महामहिम कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए कि हम करें फैसला या सरकार करे। (व्यवधान) उस पर तो देखो ही नहीं, वह देखिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, महिला दुष्कर्म पर मेरी मांग है, हमारे प्रतिपक्ष की तरफ से मांग है, राजस्थान में महिला दुष्कर्म पर सरकार बहस करवा ले। (व्यवधान) करवा ले अगर हिम्मत हो तो। आपस में ही गला फाड़ने से कोई मतलब नहीं। समय तय कर दें। हम अपने तर्क दे दें, आप अपने तर्क दे दो। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कई बार बहस हो चुकी और आंकड़े प्रस्तुत किये जा चुके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): आप विराजो, +++ ... (व्यवधान) आप विराजो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके समय में जितना अत्याचार हुआ उतना कभी नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): आप विराजो। +++

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कभी नहीं हुआ उतना अत्याचार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): +++ आप अपने गिरेबान में देखो। +++ शर्म आती है हमें।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह। आप कंटीन्यू करें न, बोलिए। बोलिए, हाउस बिलकुल आर्डर में है।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 लाया गया है।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। वह बोल रहे हैं, सुनिए। बाद में बात कर लेंगे। अपन इन्ट्रप्ट कर रहे हैं उनको। बोलिए।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बिल के द्वारा 125 (3) की नरेगा की गारंटी दे रहे हैं, जहां एक हजार रजिस्ट्रेशन हैं, साथ में किसी ने 16 (a) के तहत रजिस्ट्रेशन कर दिया, उस 16 (a) के तहत जो एक हजार मजदूरी के लिए आये हैं, उन सभी को रोजगार दे पाओगे? अगर आपने उनको 15 दिन तक रोजगार नहीं दिया, 15 दिन के बाद गांरटी के अनुसार देना चाहते हो, वह देंगे या नहीं, यह स्पष्ट करें। ऐसा नहीं कि आप 125 दिन के लिए कर रहे हैं या 100 दिन के लिए कर रहे हैं या 25 दिन के लिए कर रहे हैं। जब एक साथ हजार मज़दूरों ने 16 (a) के तहत रजिस्ट्रेशन करवा दिया, हजार मज़दूरों को अगर 15 दिन बाद रोजगार नहीं दे पाए तो क्या आप उनको रोजगार दे पाएंगे या भत्ता दे पाएंगे? अगर नहीं दे पाते हैं तो इस बिल को लाने का काई औचित्य नहीं है।

इस बिल के लाने के उद्देश्य व कथन जब मैंने पढ़े, उसमें आपने

(श्री छगनसिंह)

लिखा कि हम लोग मदद कर रहे हैं। आपके व्यापक स्वास्थ्य कवरेज। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गारंटी बिल लाया गया उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि हम स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में थी, तीन लाख तक का इलाज मुफ्त होता था। तीन लाख तक के इलाज में आंखों का आपरेशन, महिलाओं की डिलिवरी केसेज भी उसमें मुफ्त थे। क्या चिरंजीवी में यह व्यवस्था है? आपने 25 लाख तक मुफ्त इलाज की घोषणा की। प्रभारी मंत्री जब जवाब दें, यह भी बात दें कि कितनों को 25 लाख तक का इलाज मुफ्त दिया? आपने तीन लाख तक का इलाज, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का तीन साल तक बन्द रखा, आपने उसमें भी कई तरह के पैरामीटर लगा दिए।

जिस तरह से बिजली बिल की बात हुई, यहां घोषणा हुई कि सभी को दो हजार यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अब नया पैरा आया, जिसको 15 हार्सपावर से ऊपर कनेक्शन है उनको नहीं देंगे। इसी प्रकार आपके जो स्टार लग रहे हैं यह स्टार सभी गारंटी में लगेंगे या नहीं लगेंगे?

आप 3300 रुपये बेरोजगार युवा भत्ता देने की बात कर रहे थे। आप बेरोजगार भत्ता दो वर्षों के लिए देंगे या जब तक वह नौकरी नहीं लगते तब तक देंगे, या जो पहले दे रहे थे, पूर्ववर्ती सरकार जो बेरोजगारी भत्ता दे रही थी उसी प्रकार देंगे? आप युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं, उसमें कहां तक, कितने बेरोजगार युवाओं को भत्ता दिया, इसका भी बताना चाहिए। 15 लाख युवाओं ने जब रजिस्ट्रेशन करवाया, आज भी एक लाख 80 हजार, एक लाख 60 हजार तक को भत्ता मिलता है। सभापति महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह गारंटी बिल लाकर सिर्फ और सिर्फ कागजों में रखना चाहते हैं या वास्तव में धरातल पर भी लाना चाहते हैं? आपने चिरंजीवी योजना में 5 लाख का बीमा जोड़ दिया और 10 लाख की घोषणा कर दी कि 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा। मेरे क्षेत्र में करीब 8 से 10 घटनाएं हुई हैं, एक को भी 10 लाख रुपये दिए हों तो बता दो। रजिस्ट्रेशन करवा दिए। आपने मार्च में बजट घोषणा की थी कि हम लोग अप्रैल के बाद सब लागू कर देंगे। जुलाई महीना चल रहा है, आपने कौनसी योजना लागू कर दी, आप यह भी बताएं। केवल घोषणा और घोषणा करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा के साथ 10 लाख..(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री छगनसिंह)

माननीय सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। मैं विशेषकर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अभी सभी माननीय सदस्य मणिपुर विषय को लेकर यहां आए थे, कल मोदी ने स्पष्टीकरण दिया। मणिपुर की घटना हो या राजस्थान में जितनी घटनाएं घट रही हैं, या छत्तीसगढ़ की घटना घट रही है, उसको लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया कि इस तरह का कोई भी गुनाह सहन नहीं किया जाएगा। सभी मुख्य मंत्रियों को हिदायत भी दी है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। आप कह रहे हैं कि हम गारंटी देंगे, मैं तो यही कहूंगा कि आप जो बिल लेकर आ रहे हैं ... (व्यवधान) आप गारंटी किसकी दे रहे हो, महिला अत्याचार की गारंटी दे रहे हो, दलित अत्याचार की गारंटी दे रहे हो, भ्रष्टाचार की गांरटी दे रहे हो? इसके अलावा आप कुछ नहीं दे रहे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 लेकर आई है। इसके उद्देश्य और कारणों में यह लिखा है कि राजस्थान सरकार समग्र गृहस्थी व्यय को कम करने के प्रयोजन के लिए विभिन्न फ़ायदे और सहायिकी अर्थात् मुफ्त और सहायता प्राप्त बिजली, व्यापक स्वास्थ्य कवरेज, सहायता प्राप्त कृषि इनपुट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सहायता प्राप्त गैस सिलेंडर और मुफ्त भोजन पैकेट आदि परिदत्त कर रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्थान सरकार राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 लाना चाहती है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार यह विधेयक लाई है निश्चित रूप से लोगों को गारंटी देना चाहती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज होल्ड आन।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): हां, बिलकुल।

श्री सभापति: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। गांधी वाटिका न्यास, जयपुर विधेयक, 2023; श्री बीडी कल्ला साहब।

विधेयक का पुर:स्थापन

गांधी वाटिका न्यास, जयपुर विधेयक, 2023

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से गांधी वाटिका न्यास, जयपुर विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री जी।

(समय: 15.00 बजे)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से गांधी वाटिका न्यास, जयपुर विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ है कि आप जैसा सभापति आसन पर बैठा हो, विधेयक पर चर्चा हो रही हो और अचानक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से ठीक पहले बिल सर्कुलेट किये जायें और सदन के आखिरी दिन आनन-फानन के अन्दर इनको विचारार्थ और पारण के लिए रखा जाये। यह संसदीय परम्पराएं राजस्थान की विधान सभा की कभी नहीं रहीं।

माननीय सभापति महोदय, सरकार को ऐसा क्या लगा? सभापति महोदय, आप हमारे साथ न्याय थोड़े ही कर रहे हैं? हमें अब सर्कुलेट कर रहे हैं। कल आपने जो सर्कुलेट किये उन पर आज हम बहस कर रहे हैं। हमें राजस्थान की जनता के लिए कानून बनाने हैं, विधान बनाने वाली विधान सभा के अन्दर यह हालत? इनको आप प्रताड़ित करिये, इनको चेतावनी दीजिए कि यह क्या हो रहा है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): नहीं, अभी तो यह पुर:स्थापित हुआ है, अभी कोई विचारार्थ थोड़े ही लिये हैं? पुर:स्थापित ही किये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो आप?

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): गांधीजी का भी विरोध? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): कल्लाजी, आज से पहले भी आप इस विधान सभा में रहे हो, कभी आपने यह देखा कि इस प्रकार बिल ला रहे हो? (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सप्लीमेंट्री आपके वक्त में भी आयी है। सप्लीमेंट्री बिजनेस आयी है, पहले भी आयी है।

श्री सभापति: प्लीज। राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री रामलालजी।

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री, आप पुर:स्थापित करिये।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023, माननीय मंत्री महोदय।

राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: यही है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): और मंगवा लो, माननीय सभापति महोदय, दो-चार-पांच और हो तो और ले आएं। नहीं, कोई कमी है तो और ले आएं। जब परम्पराएं तोड़नी हैं, जब इस विधान सभा को मजाक ही बनाना है तो पूरा ही बनायें न। कोई बच गये हों तो और ले आओ बिल। शर्म आनी चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री जोरारामजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आप हमें मजबूर कर रहे हैं यहां से जाने के लिए, आपने मजाक बना रखा है विधान सभा को। विधेयक पर चर्चा हो रही है और...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): स्पीकर को पूरा अधिकार है कि वे सप्लीमेंट्री लिस्ट दे सकते हैं और अभी तो इनको पुर:स्थापित किया है, विचारार्थ नहीं ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, देखिये, मैंने मेरी जिंदगी में, मेरा दीर्घ अनुभव है, मैंने मेरी जिंदगी में, किसी विधेयक पर चर्चा हो, विधेयक पर आज विचार-विमर्श हो और अचानक ये बीच में खड़े होकर, खूंटों की तरह खड़े होकर कहें कि हमारे यह बिल रखो, यह क्या तरीका है? यह संसदीय परम्पराएं हैं? यह संसदीय परम्पराएं हैं? आप बताओ मेरे को। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): पहले भी भैरोंसिंहजी के वक्त में और अन्य समय विधेयक पुर:स्थापित हुए हैं। सप्लीमेंट्री लिस्ट आयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): ये कहां पर बैठे हैं? आप इनको अपने स्थान पर भेजिये। क्या यह सब्जी मण्डी है? सब्जी मण्डी बना रखी है। आप जाएं अपनी जगह पर। इनके हाथ-पैर मजबूत हो सकते हैं। मजाक बना रखा है विधान सभा को। ये ट्रेजरी बेंच की मिनिस्टर की सीट पर बैठते हैं, यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, वसुन्धराजी के वक्त में भी सप्लीमेंट्री लिस्ट आती थी बिजनेस की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): इतनी तारीख को इतने बजे प्रस्तुत हुआ, यह बता दो आप। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): तारीख भी अभी बता दूंगा मैं। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): लोक सभा में रात को रखा और सुबह बहस करवा दी। रात को बिल रखते हो और सुबह बहस करवाते हो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: श्री जोराराम। माननीय श्री जोराराम।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): यह देखिये, विधान सभा विधायी कार्य के लिए बनती है। विधान सभा में विधायी कार्य सर्वोपरि है इसलिए विधायी कार्यों के लिए बिजनेस लिस्ट आ सकती है और बिल पुर:स्थापित किये जा सकते हैं।

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप बैठिये। हो गया। वे बैठ गये। बैठिये-बैठिये। प्लीज, आप अपनी सीट पर जाइये। श्री जोराराम, आप अपना भाषण पूरा करिये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक बात है, राठौड़ साहब, हम मान गये आपको कि क्या बात है। आप तो आप हो।

विधेयक पर विचार

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 सरकार लायी है। निश्चित रूप से न्यूनतम आय गारंटी लोगों को मिलनी चाहिए लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि पहले भी सरकार ने बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों सहित आमजन को मूलभूत सुविधाएं देने की गारंटी दी थी। बेरोजगारों को भत्ता देने की गारंटी दी थी, किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने की गारंटी दी थी, स्वच्छ प्रशासन और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देने की गारंटी दी थी, बिजली के बिलों में दरें नहीं बढ़ाने की गारंटी दी थी, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी लेकिन यह सारी गारंटी सरकार दे नहीं पायी और आज सभी लोग राजस्थान सरकार से दु:खी हैं।

आज यह जो उद्देश्य और कारणों में अपन देखें, मुफ्त और सहायता प्राप्त बिजली देने की बात सरकार ने कही है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक विधेयक में मुफ्त बिजली देने की बात है तो मुफ्त की जगह पर सरकार बिजली देती ही नहीं है। बिजली की अघोषित कटौती पूरे राजस्थान में चल रही है। बिजली कब आयेगी और कब जायेगी, यह भी किसी को पता नहीं है और बिजली जब कटती है तो बिजली विभाग के सारे अधिकारी फोन बंद कर देते हैं।

श्री सभापति: प्लीज, बिल पर आइये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): यह बिल पर ही है। माननीय सभापति महोदय, मुफ्त और सहायता प्राप्त बिजली, यह है, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है तो बिजली आती नहीं है और बिजली की कटौती विभाग वाले कर देते हैं, फिर बिजली विभाग के सारे अधिकारी फोन बंद करके बैठ जाते हैं। आपने चुनाव से पहले यह कहा था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, यह गारंटी दी थी, साढ़े चार वर्ष बीत गये लेकिन सरकार ने ग्यारह बार बिजली की दरें बढ़ाई हैं। लोग दु:खी हैं। आपने बिजली की दरें नहीं बढ़ाने और चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए कहा था। किसानों को आठ घंटे बिजली देने का यदि सरकार यह गारंटी विधेयक लाती तो निश्चित रूप से इसका फायदा जनता को मिलता।

व्यापक स्वास्थ्य कवरेज की अपन बात करें तो सरकार ने व्यापक

(श्री जोराराम कुमावत)

स्वास्थ्य कवरेज हेतु मुफ्त दवाई योजना शुरू की थी लेकिन आज सरकारी अस्पतालों में आधे डाक्टर्स के पद खाली पड़े हैं, ए.एन.एम. के पद खाली पड़े हैं, नर्सिंग स्टाफ के पद खाली पड़े हैं और कैसे लोगों को व्यापक सुरक्षा कवरेज मिलेगी?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह क्या बोल रहे हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करिये आप। प्लीज, आप समाप्त करिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): ये पद ही सारे खाली पड़े हैं तो कैसे सुरक्षा कवरेज लोगों को मिलेगा?

माननीय सभापति महोदय, आज अपन जैसे चिरंजीवी योजना की बात करें तो चिरंजीवी योजना में लोगों को इलाज के लिए 25 लाख रुपये की घोषणा की लेकिन 25 लाख रुपये का इलाज पूरे राजस्थान में एक भी व्यक्ति को नहीं मिला है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कइयों को मिला है।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): दस-दस लाख रुपये की घोषणा की तो दस लाख भी किसी को नहीं मिला। एक साथ में दो आदमी मरते हैं तो दस लाख रुपये मिलते हैं और एक व्यक्ति मरता है तो पांच लाख रुपया ही मिलता है तो यह भी घोषणा, निश्चित रूप से यह गारंटी सरकार की फेल हो रही है।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य। आप इसको कन्क्लूड करिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): आज खाद्य सुरक्षा की अपन बात करें तो मुफ्त भोजन के पैकेट देने की सरकार कह रही है कि गारंटी योजना में दे रहे हैं, एक वर्ष में एक बार किसी को अगर अपन मुफ्त पैकेट देंगे तो उनका कोई घर थोड़े ही चलेगा। आज खाद्य सुरक्षा योजना में 69 परसेंट परिवारों को केन्द्र सरकार ने खाद्यान्न उपलब्ध करवा दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलने वाले बहुत हैं। कृपया, आप सहयोग करें। प्लीज।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): ठीक है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और इसको छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: थैंक यू। देखिये, सभी माननीय सदस्यों से, दोनों ही तरफ के माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि बिल ज्यादा हैं और बोलने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। आप सभी लोगों की सहमति से मैं प्रत्येक बोलने वाले को, जिसमें अपवाद होंगे प्रतिपक्ष के नेता और मंत्री महोदय, इन दोनों को छोड़कर बाकी सबके लिए तीन-तीन मिनट का समय निर्धारित करता हूं। तीन मिनट में आप अपनी बात जो भी कहना चाहें इस मामले में, इस बिल के ऊपर जो भी सम्बन्धित बिल आगे भी जो आएंगे, उन पर आप जरूर अपनी बात कहें। मेरे विचार से अभी तो पहला बिल ही चल रहा है, चार बिल हैं, तो इसमें आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया। मैं इस पर ज्यादा लम्बा चौड़ा न बोलते हुए इस संशोधन विधेयक में जो कमी है, उनके बारे में बताऊंगा। लोगों को रोजगार देना चाहते हो तो जनाधार कार्ड के आधार पर पत्नी का नाम है और उसका बेटा 21 साल का हो, उसको लाभ मिलेगा या नहीं, इसमें यह उल्लेख नहीं है। जो पेंशन दोनों को दी जा रही है, वह पत्नी को मिलेगी या पति को? दिव्यांगों को इसमें सम्मिलित क्यों किया जा रहा है? पिता, पति और पुत्र वयस्क हैं लेकिन उनमें से किसको रोजगार मिलेगा? इस बात की गारंटी नहीं है। यह बात नहीं दर्शायी गयी है। शहरी समुदाय में कितना प्रतिशत लागू किया जायेगा, यह बात नहीं दर्शायी गयी है। पहले शहरी क्षेत्र में क्या दे रहे थे और अब क्या दोगे? यह बात नहीं दर्शायी गयी है।

माननीय सभापति महोदय, एक परिवार के सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना लागू है, पर उस हिसाब से बेरोजगारों को जो भत्ता दिया जा रहा है, उसके लिए इसमें किसको जोड़ा जायेगा? उसको अलग करोगे या साथ रखोगे? शहरी क्षेत्र में नरेगा है परन्तु काम नहीं है। कार्य दिवसों की संख्या बढ़ायी जाए। आपने पहले सौ दिन की गारंटी दे रखी है, अब आपने मात्र 25 दिन बढ़ाये हैं। 125 दिन की गारंटी आपने दी है पर 365 दिन लागू क्यों नहीं करते आप? इस पर आप विचार करिये। सौ दिन की जो गारंटी दी है, वह तो केन्द्र सरकार की है। आपकी नहीं है। आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। आप लोगो को भ्रमित कर रहे हो। आपने सामाजिक सुरक्षा विभाग को नोडल बनाया है लेकिन स्वायत्त

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

शासन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को अलग कर दिया गया है। आपने जो कमेटी बनायी है उसमें सारे अधिकारीगण लगा दिये हैं। आप यदि पारदर्शिता लाना चाहते हो तो इसमें जन प्रतिनिधियों, एमएलए, प्रधान, प्रमुखों को और अन्य जन प्रतिनिधियों को लगाया जाए ताकि इस काम में गुणवत्ता आये और स्पष्ट बात आये।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा में आपने रोजगार की बात की है। टास्क पूरी नहीं मिलती है। मजदूरी मात्र 100 रुपये, 70 रुपये मिलते हैं। आप उनको पूरी गारंटी दो कि नरेगा में पूरी मजदूरी मिले।

माननीय सभापति महोदय, मेडिकल की व्यवस्था नरेगा में नहीं है, उसकी व्यवस्था की जाए। आपने किसानों को कर्जा माफी के मामले में भ्रमित किया था। किसानों का कर्जा माफ किया जाए। आपने बिजली के बिल बढ़ाये हैं। इस मामले में भी उनको भ्रमित किया है। आप राजस्थान को न्यूनतम गारंटी कैसे देंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बड़ी पंचायत व गांवों के लिए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कर गांवों को साफ रखने की गारंटी दें ताकि वहां के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी में पानी अधिक आ रहा है, बाढ़ की आशंका है, वहां पर सरकार लोगों को बचाने की गारंटी दे। आवश्यक साधन उपलब्ध करवाये। इंदिरा गांधी नहर में पानी नहीं आने के कारण खड़ी नरमा, कपास, ग्वार की फसलें बर्बाद हो रही हैं, उनको बचाने की सरकार गारंटी दे। आप इन चीजों पर ध्यान दें ताकि बिल आमजन तक सही ढंग से पहुंचे। मैं इस बिल को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति: श्री संदीप कुमार (अनुपस्थित), श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, सभापति महोदय। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पर चर्चा हो रही है। सरकार इस विधेयक को लेकर आयी है। जब कांग्रेस और यूपीए की सरकार केन्द्र में थी तब वह नरेगा योजना लेकर आयी थी। उस नरेगा योजना में कितना भ्रष्टाचार है, उसको हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस भ्रष्टाचार के कारण से सरकारी धन का जो दुरुपयोग हो रहा है, उससे कोई बचा हुआ नहीं है, कोई अछूता नहीं है। यदि कोई योजना कांग्रेस की है तो

(श्रीमती अनिता भदेल)

निश्चित रूप से मानिए कि यह कोई न कोई घोटाला या कोई न कोई भ्रष्टाचार को लेकर ये योजनाएं लेकर आते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल में ऐसी कौनसी नई चीज है जो पहले नहीं हुई? समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना और फिर मिनिमम रोजगार गारंटी योजना। पहले से ही नरेगा योजना संचालित है उसके बावजूद भी क्या रोजगार मिला है? क्या लोगों की आय का स्तर ऊंचा उठा है क्या? जो बेरोजगारी भत्ते की इसके अन्दर बात कही गयी है, उसके बारे में 2018 में आपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुख से कहलवाया था कि हम राजस्थान के सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन आज सुबह और कल ही माननीय मंत्री महोदय का जबाव था कि हमने 2 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया है, हमने आपकी तुलना में डबल लोगों को भत्ता दिया है। मैं कहना चाहूंगी कि हमने तो तुलना की बात ही नहीं कही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधीजी ने तो पूरे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी।

माननीय सभापति महोदय, आपने महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही थी। आप महिलाओं को सुरक्षा देने की बजाय आप सदन में यह कहते हैं कि +++ यह बात कहते हुए शर्म नहीं आती? कांग्रेस की महिला नेत्री उस बात को सुन कर हंसती हैं। यह प्रदेश के लिए और भी दुर्भाग्य की बात है कि उनको डांटने की बजाय उनके मुख से हंसी छूटती है। इसका मतलब यह है कि वह महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं, कितना उन्होंने इस बात को जाना है कि महिलाओं की रक्षा कितनी जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, आज जिस बिल पर चर्चा हो रही है, क्या वह किसान आपसे नहीं पूछ रहा है कि 19 हजार किसानों की जमीनें नीलाम हुई, वह आपके धोखे में आ गया और इस धोखे में आया कि हमारा कर्जा माफ हो जायेगा और हमारी जमीनें बच जायेंगी लेकिन 19 हजार किसान जिनकी जमीनें नीलाम हो गयीं, वह आपकी गारंटी को धोखा मान कर बैठ गये।

माननीय सभापति महोदय, वह किसान जिनको आपने कहा था कि बिजली मुफ्त में देंगे, उस किसान को बिजली आज मुफ्त में नहीं मिल रही है। मुफ्त में तो छोड़ो, आप उसको बिजली देने का काम भी नहीं कर रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, आपने कहा था कि आप खाद्य सुरक्षा

(श्रीमती अनिता भदेल)

देंगे। केन्द्र सरकार जो आपकी थी, इस बिल में आप उसकी नकल की तर्ज पर चल रहे हैं। वह सरकार पहले खाद्य सुरक्षा की गारंटी का बिल लेकर आयी थी। उस खाद्य सुरक्षा की गारंटी के बिल का क्या हुआ? मेरी विधान सभा क्षेत्र के आज हजारों लोग खाद्य सुरक्षा के पोर्टल से जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं कि वह पोर्टल कब खुले और कब हम नाम जुड़वायें। जब विधान सभा में प्रश्न किये जाते हैं तो मंत्री महोदय की तरफ से जवाब होता है कि हमारा टारगेट पूरा हो गया और अब हम नहीं जोड़ेंगे। केन्द्र सरकार पर बात डाल दी जाती है। मुझे यह बताइये कि जब वादा आपके द्वारा किया गया है तो आप केन्द्र सरकार को बीच में क्यों लेकर आते हो? आपने वादा किया था कि हम 100 प्रतिशत पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ेंगे तो फिर वह 100 प्रतिशत पात्र परिवार आज तक खाद्य सुरक्षा से क्यों नहीं जुड़े?

माननीय सभापति महोदय, 26 से 27 लाख बेरोजगार राजस्थान में हैं। वह आज बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं। वह आपने क्यों नहीं दिया? वह बेरोजगार जिनको आपने कहा था कि हम सरकारी नौकरियां देंगे, और तो और, आपने कल्ला कमेटी बनायी और आपने गारंटी दी कि ऐसे सभी जो कांट्रेक्ट बेसिस पर लगे हुए हैं, जो संविदा पर लगे हुए कर्मचारी हैं, उनको हम पक्का करेंगे, उनको नियमित करेंगे और उनको नौकरियां देंगे। आज वह विधान सभा के बाहर हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कल्ला कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है और प्रतीक्षा में हैं कि आयेगी या नहीं आयेगी? आपने असत्य का पुलिन्दा लोगों को बताया लेकिन लोग अब जागरूक हैं। हिन्दुस्तान का वोटर, राजस्थान का वोटर विवेकशील हो गया, पढ़ा लिखा हो गया। वह पुराने जमाने नहीं रहे जब इंदिरा गांधी के एक नारे पर कि हम गरीबी हटायेगें और आपकी सरकारें बन जाया करती थीं और उस आधार पर लगातार एक के बाद एक पचास सालों तक आपने इस देश में शासन किया। अब लोग पढ़े-लिखे हैं, लोग समझदार हैं, लोगों को पता पड़ता है कि आप क्या गारंटी दे रहे हो और किस बात की गारंटी दे रहे हो।

आप सिर्फ असत्य वादे कर रहे हैं। आप सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले करना चाहते हैं और वह लोगों को दिखाई दे रहा है। RPSC की भर्ती में किस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के परिवार के लोगों की नियुक्ति हो जाती है और RAS बन जाते हैं। जिनके रिटन में नंबर कम हैं और उनको इंटरव्यू में नंबर कैसे ज्यादा मिल जाते हैं, क्या यह लोग समझते नहीं हैं क्या? क्या

(श्रीमती अनिता भदेल)

बाबूलाल कटारा के बारे में लोग नहीं जानते कि उनकी नियुक्ति किसने करायी, कितने पैसे लेकर के करायी?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप काहे पर बोल रही हो?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसी गारंटी पर ही बोल रही हूं। आपने रोजगार के गारंटी की बात कही है न। आपने गारंटी की बात कही है, लोगों के रोजगार के गारंटी की बात कह रहे हैं न इस बिल के अन्दर। आप रोजगार के गारंटी की बात इसी बिल में तो कह रहे हैं। आपने इस बिल में कहा है न कि रोजगार की गारंटी देंगे तो रोजगार की गारंटी में भ्रष्टाचार कैसे किया आपने, यह बताना है क्या आपको?

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इस पर बोल रहे हैं क्या? यह रोजगार की गारंटी बिल पर है क्या? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, यह क्या बोल रहे हैं?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आपने इस बिल के अन्दर लिखा है न। अध्याय फोर्थ में ही तो लिखा है।

श्री सभापति: अब समाप्त करिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सामाजिक सुरक्षा पेंशन - बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने की हकदारी। यह आपने लिखा नहीं है क्या इस बिल के अन्दर? आपने यह भी लिखा है कि हम रोजगार की गारंटी देंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, प्लीज, टाइम लिमिट भी तो है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं इसके बाहर बोल कहां रही हूं?

श्री सभापति: टाइम लिमिट भी तो है हम सबके लिये। सारे बिल ही अपने को पास करने हैं। कृपया समाप्त करिये एक मिनट में। (व्यवधान) एक मिनट में कन्क्लूड कर दीजिये आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। कानून पर चर्चा हो रही है, यह मेरा संवैधानिक अधिकार है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। यह मेरा राइट है और इस राइट को आप छीन नहीं सकते। मेरा संशोधन दिया है, कोई नई बात नहीं कही और दोबारा कोई रिपीट नहीं किया है। आप यदि दादागीरी से इस तरह से बिल पास करायेंगे, कानून

(श्रीमती अनिता भदेल)

पारित करायेंगे तो यह राजस्थान की जनता के साथ अन्याय होगा, इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। वह जनता देख रही है। सब लोग लाइव देख रहे हैं कि आप किस तरह से एक-एक बिल लेकर आ रहे हैं। आपने आज कार्य सूची में रखा था क्या? आपने जो तीन बिल रखे हैं, उनको कार्य सूची में डाला क्या कि आज हम यह तीन बिल रखेंगे? आप आनन-फानन में इतने सारे बिल पास करायेंगे। आज चार बिल हैं, लेकिन आपको किसने कहा था कि आप एक दिन में चार बिल रखिये। आप डिस्कस नहीं करना चाहते, आप हमारे सुझाव नहीं लेना चाहते। यह हमारा अधिकार है, इस अधिकार को आप कैसे छीन सकते हैं। (व्यवधान)

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): आप चेयर को आंख दिखा रही हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): रीटा जी, आंख नहीं दिखा रही हूं। जब प्रतिपक्ष में आप बैठेंगे, जब आपके साथ यह होगा तो आप कैसा महसूस करेंगे कि राजस्थान की जनता के लिये कानून बने और उस कानून में कमियां रह जायें। कानून धोखा हो...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप समझाओ इनको। आपके आदेशों का उल्लंघन कर रही हैं। इनको तड़ी दे रही हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं कर रही हूं। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इस तरह की भाषा बोली जाती है?

श्री सभापति: हो गया। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं तो आपको इतना ही बता रही हूं कि जो बिल में लेकर आये हैं, आपने नहीं कहा था कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे और फिर आप यहीं से खड़े होकर बोल गये कि +++ आपने खुद ने कही थी न यह बात तो। आप मणिपुर की बात को लेकर आये, पर आपके शब्दों से राजस्थान की महिलाओं की कितनी क्षति हुई है, उनके मान-सम्मान को कितनी ठेस लगी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिल पर आइये। (व्यवधान) बिल पर आइये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जब आप चुनाव में जाओगे तब आपको पता पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): महिलाओं पर किये गये अत्याचारों के मामले में अगर आप बहस करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ...(व्यवधान) वे कैसे फर्जी हो गये....(व्यवधान) 45 प्रतिशत के। आपके मंत्री कहते हैं कि चालान नहीं हो रहे तो चालान करना तो पुलिस का काम है। क्या विपक्ष के लोगों का काम है चालान करना? (व्यवधान)

श्री सभापति: क्या हो रहा है यह? प्लीज सहयोग करिये। हो गया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, सहयोग की बात क्या, जब मंत्री बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगी क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: हम यहां झगड़ा करने थोड़े ही आये हैं। यहां हम झगड़ा करने नहीं आये, हम विधायी कार्य करने के लिये आये हैं। Please don't take it personal. हो गया प्लीज। हो गया। आपका हो गया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, आप देखिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: मेरी बात सुनिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): चलिये, मैं आपकी बात मानती हूं।

श्री सभापति: आपको दस मिनट हो गये। तीन मिनट का समय था। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं आपकी बात सुन रही हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप लोगों के सहयोग से ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिये। तीन मिनट का समय सदन से बातचीत करने के बाद निर्धारित हुआ है। आप दस मिनट बोल चुकी हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं वह हजारों आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहिनें, जिनके लिये कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा गया था कि हम इन सबको नियमित करेंगे, वे आज भी आन्दोलनरत हैं। सिर्फ उनको मानदेय, जो बहुत मामूली मिलता है, वह भी समय पर यह सरकार नहीं दे रही है। तीन-तीन, चार-चार महीने का मानदेय मिल रहा है। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात इस बिल में कही है। अभी थोड़े दिन पहले मुख्य मंत्रीजी ने सबके अकाउंट में एक साथ पैसा डाला कि हम सामाजिक सुरक्षा के लिये पेंशन दे रहे हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी, वह डाली गयी और उसके पहले के छह महीने की पेंशन अभी तक नहीं डाली गयी है। इसलिये वह लोग परेशान हैं कि उनकी बकाया पेंशन दी जाये ताकि उनको, .. (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह। अब अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित), श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। आज राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पर, (व्यवधान)

श्री सभापति: तीन मिनट समय है। You have three minute only.

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, किसी और का गुस्सा मेरे पर मत निकालना।

श्री सभापति: बोलिये प्लीज।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, कुल 34 लोगों ने संशोधन दिया है और इसमें से अधिकतर विपक्ष के हैं। इसके बाद पक्ष के हैं और हमारे जैसे क्षेत्रीय पार्टियों से आये हुए लोग मुश्किल से एक या दो लोग हैं। पक्ष वाले इस बिल के पक्ष में बोलेंगे और विपक्ष वाले इसका विरोध करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि वास्तविकता क्या है, इसमें क्या होना चाहिये। मैं चाहूंगा कि हमारे जो विशेष मुद्दे हैं उनके लिये चार-पांच मिनट बोलने का अवसर दें।

माननीय सभापति महोदय, यह जो रोजगार गारंटी अधिनियम कानून आया 2005 में यूपीए की सरकार में और यूपीए की सरकार कई क्षेत्रीय

(श्री राजकुमार रोत)

पार्टियों के सहयोग से बनी थी और हमारे जैसे क्षेत्रीय दलों के लोगों की वजह से ही यह रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 आया। माननीय सभापति महोदय, कई गारंटी विधेयक आये हैं, लेकिन लम्बे अर्से से पूरे राज्य के अन्दर और पूरे देश के अन्दर एक डिमांड चल रही है जवाबदेही कानून की। राजस्थान सरकार भी उनका जो घोषणा पत्र था, उसमें यह बात कही गयी थी। आज भी अभी भी वक्त है, अगर जवाबदेही कानून नहीं आता है, इससे पहले हमारी कितनी ही अच्छी स्कीम ले जायेंगे लेकिन नीचे अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, वह आम पब्लिक तक इसका लाभ नहीं पहुंचायेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज न्यूनतम गारंटी का जो बिल है इसमें सबसे बड़ी स्कीम है रोजगार की। मैं डूंगरपुर जिले का उदाहरण बताना चाहूंगा पिछले वित्त वर्ष का 2022-23 का, पूरे जिले के अन्दर 5 लाख के आस-पास जोब कार्ड हैं और इसमें से साढ़े 3 लाख एक्टिव जोब कार्ड हैं, तो साढ़े तीन लाख में से 100 दिवस जो पूरे हुए हैं, 6,364 परिवारों को 100 दिवस पूरे हुए हैं। जो साढ़े तीन लाख एक्टिव जोब कार्ड हैं, उनमें से सिर्फ 6,364 लोगों के ही पूरे हुए हैं और डेढ़ लाख के आस-पास लोगों के मात्र 30 दिन हुए हैं और जीरो दिवस एक्टिव जोब कार्ड हैं इनमें से भी 20 हजार लोगों के दिन जीरो के आस-पास हैं। इस प्रकार एक लाख 40 हजार के आस-पास लोगों को रोजगार नहीं मिला है। माननीय सभापति महोदय, जो 100 दिन की बात कर रहे हैं, जो जोब कार्ड है इनमें से 5 प्रतिशत लोगों को 100 दिवस रोजगार मिला।

इसी क्रम में राज्य सरकार ने पिछली बार 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की घोषणा की। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने गरीबों के हित में यह स्कीम लागू की, इस बात को हम मानते हैं लेकिन धरातल पर किस हद तक पहुंच रहा है इसका मैं मेरे डूंगरपुर जिले की बात बताना चाहूंगा। 3,880 जोब कार्ड जारी हुए। 25 दिन के अतिरिक्त जोब कार्ड के लिये 3,880 जोब कार्ड ही जारी हुए। यह साढ़े पांच लाख के आस-पास जो जोब कार्ड हैं, इनमें से 57 परिवारों को एक साल के अन्दर अतिरिक्त रोजगार मिला है। साढ़े पांच लाख के आस-पास जोब कार्ड हैं, एक्टिव जोब कार्ड साढ़े तीन लाख से ऊपर हैं और 25 दिन का एक साल के अन्दर अतिरिक्त रोजगार हमने सिर्फ 57 परिवारों को दिया है। यह स्थिति है। हम लोग यहां बहस कर लेंगे लेकिन नीचे धरातल पर क्या हो रहा है? इसलिये जवाबदेही कानून, लोग परेशान होते हैं रोजगार

(श्री राजकुमार रोत)

गारंटी में, लोकल लेवल पर वार्ड पंच है, सरपंच है, वह राजनीति करते हैं। उनके मिलने वाला है, यह है, वह है। इस तरह से स्थिति बनी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, आज डूंगरपुर जिले में काफी स्थिति खराब हैं। यहां पर लॉबी में बैठे हुए कई आई.ए.एस. वहां कलेक्टर रहकर आये हैं। आज डूंगरपुर जिले में जिला प्रमुख, जिला परिषद् से रोजगार गारंटी या पंचायती राज की योजना एरिये में क्रियान्वित होती है। वहां पर हमारे जिला प्रमुख बिठाये हैं बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने संयुक्त रूप से। यहां तो लड़ रहे हैं, लेकिन संयुक्त रूप से वहां पर नरेगा की कोई भी फाइल जाती है तो बिना कमीशन के दो-तीन महीने तक वह फाइल पड़ी रहती है। सरपंच, ठेकेदार या वहां पर सचिव आता है, कमीशन देता है तो फाइल निकलती है। इस तरह से पूरे जिले में स्थिति बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। इस कानून में प्रावधान किया गया और पहले भी प्रावधान है कि 25 दिन के अन्दर अगर रोजगार की डिमांड की है और उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरे तीन मिनट हुए हैं, मैं दो मिनट और बोलूंगा। उसके आवेदन करने के 15 दिन तक रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मैंने पूरे जिले का डेटा निकलवाया है दो साल का। एक भी व्यक्ति को यह बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है 15 दिन का आवेदन करने के बाद।

माननीय सभापति महोदय, उधर से मेटों की बात आ रही थी। मेट कारीगरों का भुगतान नहीं हुआ है। जो मेट हैं वह लेबर की मॉनिटरिंग करता है। आज 2-2 साल, 3-3 तीन हो गये। 2018 से लेकर अब तक पूरे जिले में 4 करोड़ के आस-पास मेट कारीगर का भुगतान नहीं हुआ है। मेट कारीगरों का भुगतान सामग्री मद से करते हैं। हमने पिछली बार राज्य सरकार से डिमांड की थी मेट कारीगरों के भुगतान हेतु, वह भी एक तरह की लेबर है, उनका भुगतान समय से होना चाहिए। श्रमिक का जो भुगतान है उसके साथ ही होना चाहिए। राज्य सरकार ने 2 बार केन्द्र सरकार को लैटर लिखा लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र की भाजपा सरकार में इधर से काफी हैं। इधर वाले उधर आरोप लगाते हैं और उधर वाले इधर आरोप लगाते हैं। केन्द्र का बजट आया तो 33 परसेंट नरेगा में कटौती कर दी। ऑनलाइन

(श्री राजकुमार रोत)
सिस्टम कर दिया। हमारे एक साथी कह रहे थे कि ऑनलाइन कर दिया। यह किसने कर दिया ऑनलाइन? लोग परेशान हो रहे हैं। गांवों में हालात खराब हैं। यह इस स्कीम को रोकने का एक तरीका है।

माननीय सभापति महोदय, इसी क्रम में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको कितना पैसा मिलता है? 3-3 महीने, 4-4 महीने हो गये, उन लोगों को अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहा है। उनके केन्द्र की तरफ से जो वृद्धि होनी चाहिए, वह अभी तक वृद्धि नहीं हो पाई है।

यह जो योजना है वह क्रियान्वित होती है पंचायत समितियों, जिला परिषद् से। हमारे यहां चिकली पंचायत समिति है, उसका अभी तक भवन नहीं बना है। आधा-अधूरा बना हुआ है बारिश हो रही है, वह गिर जायेगा। यहां अतिरिक्त सैंक्शन की परमिशन के लिए जयपुर भेजा हुआ है लेकिन अभी तक उसका नहीं हुआ है। 6 महीने बाद संशोधन आता है। 2 साल से प्रयास कर रहे हैं। जयपुर में भी अधिकारी बैठे हैं, 6 महीने बाद आब्जेक्शन लगाकर भेजते हैं। उसका रिप्लाई भेजा जाता है तो फिर वापस 6 महीने बाद, आपको भेजना है तो 5 दिन में, 10 दिन में भेज दो, इसका समाधान हो जाये। जिस बिल्डिंग पर 2 करोड़ रुपया लगा हुआ है, वह बिल्डिंग इस बार नहीं बनी तो बारिश आयेगी और वह खतम हो जायेगी। इसका जो भी हो, सोल्यूशन तो होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसी अनुरूप पंचायत सहायक की भर्ती की। आज पूरे जिले के अंदर 142 पद खाली पड़े हुए हैं। जो लगे हुए हैं उनको भी जिस तरह से मानदेय मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। 142 पद जो खाली हैं, इसमें इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है।

श्री सभापति: यह डिमांड पर नहीं है, यह तो बिल पर है। डिमांड पर बहस नहीं हो रही है।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, इसी क्रम में अभी बात चल रही थी और हमारे सब के लिए शर्मसार करने वाली घटना है मणिपुर की, भले ही यह बिल का विषय नहीं है, लेकिन हमें इस मामले में सोचना पड़ेगा। इस सदन के माध्यम से मैं मांग कर रहा हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाये।

श्री सभापति: आप बिल पर बोलिये न।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सरकार फेल हो रही है। इसी क्रम में यह

(श्री राजकुमार रोत)

जो मैंने संशोधन दिया है, मेरे जो सुझाव हैं, उन सुझावों को लेते हुए संशोधन वापस लेता हूं। धन्यवाद। जोहार।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 के ऊपर बोलने के लिए आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, राजस्थान में अभी जिस गारंटी बिल के ऊपर बात हो रही है जिन लोगों ने किसानों के साथ में सम्पूर्ण कर्जा माफी की जो बात कही गई थी, वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। वह राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हों। 19 हजार किसानों की जमीन नीलाम हो गई है। वह अभी भी इंतजार कर रहे हैं। शिक्षित बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। नवयुवकों को किसी प्रकार के रोजगार की गारंटी देने के बाद में 3,600 रुपये घर बैठे मिलेंगे, अभी तक कहीं भी नहीं मिला है। वह भी इंतजार ही कर रहे हैं।

बिजली के बिल की आपने गारंटी दी थी कि बिजली के बिल हम नहीं बढ़ायेंगे, 7 बार बिजली के बिल बढ़े हैं। अभी भी जो 50 यूनिट देने के लिए आपने लोगों की लाइन नहीं लगवायी थी, यहीं बैठे-बैठे 50 यूनिट तक माफ करने के लिए बता दिया था, तो यह 100 यूनिट के लिए आप लाइन में क्यों खड़ा करवा रहे हो? उसके लिए भी तो यहां से बिना लाइन के कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया।

सभापति महोदय, शहरी रोजगार गारंटी या महानरेगा में 300 रुपये मजदूरी मिल रही है, लेकिन वहां के लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है?

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): आपका जिला बना दिया।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अब उसमें 300 रुपये की जगह उस मजदूर को 50 रुपये और 60 रुपये तक नहीं मिल पा रहा है। कभी हमने इस पर विचार किया? वह 60 रुपये में क्या खायेगा? अगर उसको रोजगार देना है तो कम से कम हम 100 दिन से 125 दिन बढ़ाये हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए उसकी मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। 50 रुपये और 60 रुपये में नहीं हो पायेगा। उसके लिए गारंटी होनी चाहिए कि 150 रुपये और 200 रुपये तो उसको मिलना ही चाहिए, तब तो उसको रोजगार के लिए कोई न कोई बात होगी। आप उनसे काम भी नहीं ले रहे हैं और गारंटी भी दिये जा रहे हैं।

(श्री शंकर सिंह रावत)

मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। समय कम है सभापति महोदय टोक देंगे। सभापति महोदय, कोरोना काल के अंदर सबके लिए लागू हुआ था कि विधायक कोष से भी 80 परसेंट बजट स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे थे। विधायक कोटे से भी खरीदे थे। वह ऑक्सीजन सिलेंडर एक भी काम करने योग्य नहीं था। आज भी वह ऐसे के ऐसे खराब पड़े हैं, धूल फांक रहे हैं। करोड़ों रुपये के हैं, कम से कम उसकी जांच करानी चाहिए।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ब्यावर जिला बन गया न।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): जिला जिले की जगह पर है लेकिन यह इस प्रकार के जो घोटाले हो रहे हैं, उसकी तो जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार आज भी हुआ है, यह मेडिसिन के ऊपर ही आया है। जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट खरीदे गये हैं, उनकी कम से कम जांच होनी चाहिए। जो दोषी होंगे वह पकड़े जायेंगे। अब उसमें सारे मंत्री दोषी थोड़े ही होंगे। बदमाशी तो एक ही करने वाला होगा। चोर पकड़ा जायेगा।

सभापति महोदय, इस बिल की आवश्यकता है कि इसको 6 महीने के लिए और आगे परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पर चर्चा हो रही है। मैं भी अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि सरकारें कितने ही कानून बनाये, नियम बनाये, सब कुछ कर ले, जब तक सरकार के नुमाइंदे इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। जनता को यदि राहत देनी है, मंशा है, सरकार की मंशा जब ठीक होगी तो अपने आप इन कानूनों की पूर्ति हो जायेगी।

अब गारंटी तो हम कई चीजों की देते हैं। पहले भी कई गारंटी आई थीं और वह पूरी नहीं हुई हैं। विधान सभा के चुनाव हुए थे उस समय देश के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आये थे और 10 दिन में कर्जा माफी की घोषणा कर दी थी। वह जो गारंटी दी थी 10 दिन में कर्जा माफ हो जायेगा, कुछ नहीं हुआ। यह गारंटी है?

बिजली के लिए गारंटी दी थी कि 24 घंटे घरेलू बिजली मिलेगी, कुछ

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

नहीं हुआ। किसानों को खेती के लिए 8 घंटे बिजली देंगे, कुछ नहीं हुआ। बिजली के बिल नहीं बढ़ायेंगे, कुछ नहीं हुआ। अभी मुख्य मंत्री जी ने एक गारंटी दी 100 यूनिट घरेलू बिजली माफ कर देंगे लेकिन जब बिजली के बिल 100 यूनिट माफ हो गये तो यह बिल बढ़े हुए क्यों आ रहे हैं? यह बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। इसी कारण से फ्यूल सरचार्ज। मैं चित्तौड़ जिले की एक छोटी -सी बात बताऊं, हमारे यहां पर रोज एक करोड़ यूनिट बिजली जलती है और उसके स्थान पर 34 पैसा ज्यादा लिया जाता है। 34 लाख रुपया रोज अधिक वसूली की जा रही है।

आपने गारंटी दी थी कि शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने की कि हम 3 हजार, साढ़े 3 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। भत्ते का क्या हुआ? 15 लाख बेरोजगार आज राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं। भत्ता मात्र दो लाख नौजवानों को दिया जा रहा है। राजस्थान बेरोजगारी के अंदर पूरे देश में दूसरे नंबर पर है।

आपने घोषणा-पत्र के अंदर गारंटी दी थी कि हम संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे, नियमित करेंगे। कुछ नहीं हुआ। प्रेरक यूं ही घूम रहे हैं। विद्यार्थी मित्र घूम रहे हैं। पंचायत सहायकों के हाल खराब हैं। महिला, बाल विकास में कार्यकर्ता सहायिका, खाना बनाने वाली, इन सबको नियमित करने की आपने बात की थी। बिजली विभाग के अंदर ठेका कर्मी हैं, उनको नियमित करने की बात की थी। आपने कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिकों को पैसा देने के लिए जो तय कर रखा है, वह भी मानदेय उनको नहीं मिल पा रहा है।

आपने नरेगा के अंदर 100 दिन से 125 दिन कर दिये। 125 दिन होने के बाद भी हालात यह हो गये हैं कि जो आवेदन कर देते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है। 60 दिन से ज्यादा किसी को रोजगार नहीं मिला है। शहरी रोजगार गारंटी भी है। जो आवेदन कर रहे हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। आपने एक गारंटी दी थी कि पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा के अंदर जोड़ा जायेगा। आपने पोर्टल ही बंद करा दिया। अब जो भूख से मर रहे हैं, जिनको खाद्य सामग्री की जरूरत है, उनको भी हम खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर आपने कहा था कि पेंशन मिलेगी। दिव्यांगो को मिलेगी, बुजुर्गों को मिलेगी। आप उनको 6-6 महीने से पेंशन नहीं दे रहे हैं। पेंशन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं सरकार से चाहता हूं

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

कि यदि आप गारंटी देना चाहते हैं तो गारंटी दीजिए की जनता को बिजली पूरी मिलेगी। पेपर लीक नहीं होगा। राजस्थान प्रदेश में यह गारंटी दीजिए। अब महिलाओं और बालिकाओं पर अत्याचार नहीं होगा। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दीजिए। समाज के अंदर चोरी और डकैती नहीं होगी। प्रदेश में निर्दोषों पर गोलियां नहीं चलेंगी। निर्दोष लोगों पर अत्याचार नहीं होगा। प्रदेश में हत्याएं नहीं होंगी। यह सब आप गारंटी दीजिए। भ्रष्टाचार की गारंटी, आपने तो भ्रष्टाचार की गारंटी दे रखी है कि भ्रष्टाचार होना चाहिए। यानी भ्रष्टाचार बंद करने की गारंटी नहीं है। खुले आम भ्रष्टाचार हो रहा है। आरपीएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ वह सबके सामने है। कुछ आप गारंटी देना चाहते हो तो ऐसी गारंटी दो।

प्रदेश का मान और सम्मान बढ़े. और प्रदेश का मान और सम्मान तो नहीं बढ़ रहा है, 2 करोड़ 31 लाख रुपये ट्रेजरी में मिल जाते हैं, एक किलो सोना मिल जाता है। इससे बड़े क्या आपको उदाहरण दिए जाएंगे?

साइबर क्राइम के अंदर हमारा राजस्थान नम्बर वन पर आ गया है। माफिया इस राजस्थान को चला रहे हैं, गारंटी देनी है तो माफियाओं को खतम करने की गारंटी दो। किसानों की फसलें समय पर खरीद कर उनको उचित पैसा मिल जाए, यह गारंटी दो। विद्यालयों और कालेजों के अंदर शिक्षक और प्राचार्य लग जाएं, इस बात की गारंटी दो। हास्पिटल के अंदर चिकित्सक लग जाये, यह गारंटी दो। आयुर्वेद चिकित्सक लग जाये, यह गारंटी दो। आयुर्वेद के अंदर कर्मचारी लगें, यह गारंटी दो। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनें, इसकी गारंटी दो। कमीशनखोरी बंद हो, इसकी गारंटी दो। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार नहीं हो, इसकी गारंटी दो। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसकी गारंटी दो ताकि राजस्थान नम्बर वन पर आ सके। आज की तारीख में भ्रष्टाचार में राजस्थान नम्बर वन पर है।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस गारंटी बिल में बजट का प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए इस बिल का कोई औचित्य नहीं है। जिस सरकार की कोई गारंटी नहीं, यह जाने वाली सरकार है और यह सरकार कह रही है कि हम गारंटी दे रहे हैं, जो सरकार जा रही है वो क्या गारंटी देगी। एक बुजुर्ग मरने के लिए तैयार था तो उसने परिवार वालों को बुलाकर कहा कि दो लाख रुपये मंदिर में दे देना, दो लाख रुपये पंडित को दे देना। उसकी आत्मा नहीं छूट रही थी। परिवार वालों ने कहा

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

कि यह कैसे होगा, तो कहा कि पैसा तो जो जिन्दा रहेगा वो देगा, मैं तो मरने वाला हूं। इसलिए यह सरकार जाने वाली है, जाने वाली सरकार गारंटी दे रही है, जिसकी खुद की कोई गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी देगी?

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल को छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, इस बिल के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सत्ता पक्ष के बंधु अभी वैल में अंदर आए, उनको ध्यान नहीं रहा कि जयपुर में बम ब्लास्ट करने वाले लोग केवल वकील कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ तो बरी हो गए। ये लोग मुझे क्षमा करें, संसद के हमलावरों पर आंसू बहाने वाले लोग, दिल्ली में कत्लेआम पांच हजार सिख बंधुओं का हुआ, उसकी पैरवी करने वाले लोग, आज मणिपुर की घटना की बात कर रहे हैं। कौन उसके पक्ष में है? मणिपुर की घटना के बारे में यह सदन सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास करे कि हम उसकी आलोचना करते हैं और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, परंतु न्याय चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत अच्छा बिल है। आज एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा कि नरेगा में औसतन मजदूरी कितनी मिल रही है, माननीय सभापति महोदय, नरेगा में औसत मजदूरी 93 रुपये आई है, सरकार का जवाब है ये। जहां तक सामाजिक न्याय की स्थिति है, मैं भैरोंसिंहजी शेखावत को बधाई देता हूं, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए रिजर्वेशन लागू किया। यह भूरिया आयोग तो बहुत पहले आ गया था, राजस्थान की पिछली सरकार ने उसको लागू ही नहीं किया। भूरिया आयोग को लागू करने वाला, सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा काम भैरोंसिंह शेखावतजी ने किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

जनजाति बंधुओं के लिए एक और बात मैं निवेदन करता हूं, अनेक सदस्यों को मालूम नहीं होगा। नकल करने वाले लोग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आदिवासी क्षेत्रों में नौकरी कर लेते थे। माननीय भैरोंसिंहजी ने कहा कि 'गृह जिले' के 10 नम्बर एक्स्ट्रा जुड़ेंगे और उन बंधुओं को, हमारे आदिवासी भाइयों को जिले के 10 नम्बर जोड़कर उनको नौकरी में भागीदार बनाया, यह भैंरोंसिंहजी शेखावत ने किया। सामाजिक न्याय का नाम लेने वाले लोगों, मेरा आपसे निवेदन है, जनजाति मंत्रालय किसने बनाया? भैरोंसिंहजी ने बनाया। केन्द्र में जनजाति मंत्रालय किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, इन्होंने कहा था कि मोहल्ला क्लीनिक खोलेंगे। कहां गए मोहल्ला क्लीनिक? कितने मोहल्ला क्लीनिक की इनकी बजट घोषणा है? आज संविदा वाले बाहर धरना दे रहे हैं, तीन लाख, ढाई लाख संविदा कर्मचारी, इन्होंने प्रस्ताव ले लिया, पांच साल रहेगा उसको इतना पैसा, दस साल रहेगा उसको इतना पैसा, आपने उनको कहा था कि परमानेंट करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक ओर निवेदन है कि मनरेगा में किसान को आज सुविधा है, किसी बैंक में जाओ ऋण मिल जाता है। माननीय सभापति महोदय, आप जनता की सुरक्षा करें, सरकार को आगाह करें कि जिस किसान ने ऋण लिया, ऋण के पैसे, उनके शौचालय का जो पैसा मिल रहा है 12 हजार रुपये उसमें से कट रहा है। उसको जो प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उसमें से पैसा कट रहा है। उनके पेंशन जो बैंक में मिल रही है उसमें से पैसा कट रहा है। माननीय सभापति महोदय, भैरोंसिंहजी ने अंत्योदय योजना चालू की थी। किसके लिए की, यह सामाजिक न्याय नहीं है क्या? अनाज सड़ रहा था गोदाम में, भैरोंसिंहजी ने काम के बदले अनाज योजना चालू की। यह किसके लिए अनाज योजना चालू की? ये सारी योजनाएं, फ्री में किताब देना, किसानों का लगान माफ करना, शहरों में चुंगी माफ की, एक उदाहरण बता दो इस सरकार का जिसने प्रारम्भ किया हो गरीबों के लिए। केवल नारे देना, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है, मेरे पास समय कम है, 1977 का समय याद कीजिए, लोग 1977 को याद करते हैं, साइलेंट थे देश में सब लोग, देश की जनता को आप जैसी समझते थे वैसी जनता नहीं है, 1977 में जनता ने जवाब दे दिया चुपचाप और इंदिराजी को सत्ता से बाहर कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि इस विधेयक का नाम बहुत अच्छा है, काम के लिए विधेयक को जनता का जनमत जानने के लिए इसको छह माह के लिए परिचालित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय नेता, प्रतिपक्ष।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, आज का दिन मेरे लिए आश्चर्य का दिन है क्योंकि जिस बिल पर राजस्थान विधान सभा बहस कर रही है उसका नाम है राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, यानी राजस्थान के लोगों को अब न्यूनतम आय की गारंटी सरकार देने जा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रही है और मेरे लिए आश्चर्य की बात इसलिए है कि मैं राजस्थान की जनसंख्या को जब देखता हूं तो 2011 की जनसंख्या के प्रोजेक्शन के अनुसार हम 8 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। राजस्थान में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के आंकड़े को जब मैं देखता हूं तो आज भी, माननीय सभापति महोदय, 20.7 फीसदी है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या और इस जनसंख्या के लिए न्यूनतम आय की गारंटी, मंत्री महोदय, हो तो आप कमाल के, मैं वित्तीय ज्ञापन को देख रहा था, ढाई हजार करोड़ रुपये का प्रावधान, राजस्थान के अवाम को, राजस्थान के बीपीएल रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों को आय की गारंटी दे रहे हो।

मैं उद्देश्यों और कारणों के कथन को पढ़ रहा था, गृहस्थ व्यय को कम करने के प्रयोजन के लिए कई मुफ्त चीजों का उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा कि बिजली सहायता प्राप्त करने के लिए, बिजली की बात है। एक दिन अचानक पूरे राजस्थान के अंदर डिजाइन बोक्स कम्पनी ने एक मैसेज चलाया कि आज 10 बजकर 45 मिनट पर मुख्य मंत्रीजी की तरफ से कि मैं बड़ी सौगात दूंगा जनता को, मोबाइल खोले लोगों ने, सौगात का इंतजार किया, 100 यूनिट बिजली मुफ्त, 200 यूनिट तक बिजली का फ्यूल सरचार्ज मुफ्त, लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली। इस बार जब बिल लोगों के हाथ में आया तो लोगों को लगा कि यह राहत नहीं आफत है। यह आहत करने के लिए रात को 10 बजकर 45 मिनट तक इंतजार जिस बात का किया, आज पूरे राजस्थान के अंदर हर उपभोक्ता का बिल बढ़ा हुआ आया है। राजस्थान के इतिहास में 52 पैसे प्रति यूनिट बिजली का फ्यूल चार्ज, 7 पैसे स्पेशल फ्यूल चार्ज, यह हालात हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के उद्देश्य और कारणों के कथन में इन्होंने लिखा है, सरकार परिवार के खर्चों को कम करने के उद्देश्य से मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य कवरेज, किसान को सब्सिडी, शिक्षा, मुफ्त गैस सिलेंडर और मुफ्त भोजन पैकेट प्रदान कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 के जरिये राज्य के प्रत्येक व्यक्ति और महिला को अतिरिक्त आय का अवसर प्रदान करने के फलस्वरूप सामाजिक सुरक्षा देंगे। मैं सोच रहा था कि ये जो आप अतिरिक्त आय के लिए सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं, वो क्या है?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, इस बिल की बुनियाद में मुख्य मंत्रीजी के बजट की वो घोषणाएं हैं, बजट भाषण 2022-23 में पेज 67 पर उन्होंने लिखा है, राज्य में पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा की स्थिति अलग-अलग है। हाल ही में मैंने प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिखा है। सोच बड़ी ऊंची है, सम्पूर्ण देश के लिए एकरूपता से सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू करना चाहिए और हम पहल कर रहे हैं, जय हो, मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान में ऐसा कानून लाना प्रस्तावित कर रहे हैं जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों के परिवार को एंटाइटलमेंट बेसिस सोशल सिक्योरिटी और उसके बाद क्या लिखा 2,500 करोड़ के प्रावधान की बात लिखी और लिखा, मनरेगा में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को 25 दिन अतिरिक्त। सहरिया और विशेष योग्यजन को 100 से 200 दिन। इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में रोजगार के लिए 100 दिन। सामाजिक पेंशन राशि में 750 से 1000 की बढ़ोतरी और हर वर्ष 15 परसेंट की बढ़ोतरी। पैरा 68 में लिख दिया, यह जो गिग इकोनॉमी का दायरा बढ़ता जा रहा है, गिग वर्कर्स वैलफेयर का बोर्ड बनाएंगे, वैलफेयर के लिए एक्ट लेकर आएंगे, जिसे अभी-अभी सर्कुलेट किया गया, ऊपर से टपका अभी। इसके लिए उन्होंने कहा, गिग में 3 लाख से 4 लाख लोग हैं। अभी आपने बिल दिया। मैं देख रहा था, क्योंकि आपने उसमें 200 करोड़ की लागत की एक योजना की बात कही थी, पर मैंने बिल देखा, 3 करोड़ 27 लाख का आपने वित्तीय ज्ञापन में लिखा है।

सभापति महोदय, यह किस प्रकार की मृग-मरीचिका है? 4 लाख गिग वर्कर्स के लिए 3 करोड़ 27 लाख में गारंटी दे रहे हैं। यह तो इन्द्रजाल ठीक है। सभापति महोदय, आज राजस्थान में बीपीएल की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों की संख्या है 11 करोड़ 76 लाख राजस्थान की 2011 की जनगणना के प्रोजेक्शन के साथ में। 2,500 करोड़ में 01 करोड़ 76 लाख लोगों को न्यूनतम आय की गारंटी। सभापति महोदय, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये एसीएस साहब सहित सब लोग हैं तो कमाल के ही। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसके सेक्शन 3 की ओर देखें, मंत्री महोदय, दो योजनाएं प्रस्तावित की हैं आपने। सेक्शन 3(1)(a) में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार स्कीम। 100 दिन मनरेगा के। 25 दिन अतिरिक्त।

सभापति महोदय, मनरेगा का एक्ट 2005 का एक्ट है। एक्ट में सारी प्रक्रिया और कौन-कौन बैनिफिशियरीज हैं, यह लिखा हुआ है। कौन-कौनसे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कामों को किस प्रकार लिया जायेगा, यह लिखा है। कौनसे परिपत्र में भरने पर 100 दिन के रोजगार की गारंटी है, यह लिखा है। 25 दिन मेरे हैं, भारत सरकार की मनरेगा नहीं। मुख्य मंत्री जी की ग्रामीण रोजगार योजना। शहरी क्षेत्र में इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। सभापति महोदय, कुल-मिलाकर मैं कह सकता हूं, जब इस पूरे विधेयक के पारण के बाद सारी बातें राजस्थान की अवाम के पास जाएंगी तो वह एक बात बोलेगी, "खोदा पहाड़ और निकली मरी हुई चुहिया।' वह भी जिन्दा नहीं।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री यह जो नरेगा के आधार पर 25 दिन की ग्रामीण रोजगार योजना की बात कहकर गारंटी दे रहे हैं, आज हालात क्या हैं? 20 जुलाई, 2023 तक नरेगा में एक्टिव वर्कर्स हैं 137 लाख और एक्टिव जॉब कार्ड्स हैं 88 लाख 97 हजार। मैं वह आंकड़ा ढूंढ रहा था 2022-23 में, मैंने कहा, वर्ष पर्यन्त देख लूं, क्योंकि 100 दिन पूरे होंगे, तभी तो गारंटी चालू होगी मुख्य मंत्री जी की। 100 दिन पूरे करने वाले परिवार हैं 01 लाख 42 हजार। इन्हें औसत मजदूरी मिली है 93 रुपये। अब आप बताएं, ये जो 100 दिन पूरे करेंगे नरेगा में, 137 लाख एक्टिव वर्कर्स नरेगा में अपने आपको इन्द्राज किये हुए हैं, एक परसेंट भी नहीं। एक परसेंट भी लोगों को 25 दिन अतिरिक्त रोजगार मिलेगा नहीं। चूंकि 100 दिन पूरे हुए हैं, मैंने आपसे कहा, 01 लाख 42 हजार परिवारों का, तो सेक्शन 3 में इन्होंने कह दिया कि अब तो मुख्य मंत्री जी की गारंटी योजना मिल गयी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, इन्होंने शहरी क्षेत्र में इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अभी प्रभारी मंत्री जी कसीदे पढ़ेंगे, पर प्रभारी मंत्री जी जिस महंगाई राहत कैम्प का ढिंढोरा पीट रहे हैं सरकार वापस लाने के लिए, रिपीट की बात कर रहे हैं, उसमें आपके कैम्प कब से चालू हुए? 24 अप्रैल से। 7 जुलाई तक कहा कि रजिस्ट्रेशन कराना है। मुख्य मंत्री जी की फोटो लगा हुआ गारंटी कार्ड लेने आएं इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना से जुड़ना है तो। 90 दिन में कितने लोग जुड़े आपके साथ? 4 लाख 39 हजार। यानी अगर मैं यह मानूं कि राजस्थान की आधी जनसंख्या अपने प्रोजेक्शन के अनुसार लगभग 49 परसेंट है महिलाओं की, 3 करोड़ 67 लाख। गरीबी की रेखा से नीचे का मैं परसेंटेज निकालूं तो 74 लाख, उसमें पूरी कोशिश कर ली, राजस्व मंत्री जी, आप जैसे जनाधार वाले नेता भी वहां पहुंच गये और आपका रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने कहा था, मुख्य मंत्री जी, आपकी इन्दिरा गांधी शहरी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रोजगार योजना में 4 लाख लोग जुड़े। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह जो मुख्य मंत्री जी ने बात कही, सेक्शन 7(1) और 7(2) के विधेयक में, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 250 रुपये बढ़ाकर एक हजार रुपये कर रहे हैं और राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक में हम सेक्शन 7(1) और 7(2) में कानून बना रहे हैं। बनाइये कानून। सभापति महोदय, मैं भी इस सदन में बहुत बरसों से हूं। 500 रुपये पेंशन हुआ करती थी, 750 रुपये हुई। पेंशन के लिए पात्र लोगों का चयन पहले हो चुका है, पर मैंने कभी नहीं देखा, 2011 की जनगणना के अनुसार जो चयन हुआ, 250 रुपये उस समय भी बढ़े। मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा, 250 रुपये किस तारीख को बढ़े, कैसे बढ़े, पर 250 रुपये बढ़े। पीपीओ जारी हो चुका था उसमें भी, पर किसी ने नहीं कहा कि इस कैम्प में आएं, फोटो लेकर जाएं, गांरटी कार्ड लेकर जाएं।

सभापति महोदय, उस राहत कैम्प में हमारे जलदाय मंत्री जी जाकर बैठ गये। आएं, आएं लगाया। 93 लाख 40 हजार पेंशनधारी हैं, उन्हें पीपीओ से डीबीटी से पैसा पहुंचता है। आपने जब यह कहा तो 42 लाख लोगों ने कार्ड लिया। सभापति महोदय, 51 लाख लोगों ने दूरी बना ली। यह राजस्थान है, राजस्थानियों का जीने का अलग अन्दाज है। एक इतिहास है। यह खैरात नहीं है। खैरात लेने नहीं जाता। सभापति महोदय, यह पैसा राजस्थान की जनता का पैसा है। संचित राशि में जाता है। कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। इस पर किसी का अधिकार नहीं है। हमें आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार मिला हुआ है। क्या यह असमानता नहीं है?

मैं महंगाई राहत कैम्प में नहीं गया। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी की मुस्कुराती हुई फोटो बड़ी जोरदार है। वह कार्ड मैंने नहीं लिया तो फिर मुझे आप वह बढ़ी हुई पेंशन नहीं देंगे? यह खेल क्या है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मिलेगी। गलतबयानी कर रहे हैं आप। चाहे उसने गारंटी कार्ड लिया हो या न लिया हो, वह वहां पर शिविर में गया हो या न गया हो, उसे एक हजार रुपये फिर भी मिलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अभी यह जो प्रभारी मंत्री जी ने ऐलान यहां किया न, यह बड़ी मजबूरी में किया है। यह तब किया, जब से महंगाई राहत कैम्प में कौए उड़ने लगे। अब तो आज-कल इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू करवा दिया। वह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भी मैं कहने वाला था आगे, पर ठीक है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह जो पेंशन की बढ़ी हुई राशि और उसके बाद यह जो ढिंढोरा, यह जो राजस्थान के कंसोलिडेटेड फंड पर अपना एकाधिकार, एक पार्टी का एकाधिकार, पार्टी के लोग प्रभारी लोग, सह प्रभारी लोग जाते हैं। मैं समझता हूं, हमारा संसदीय लोकतंत्र है, हमारे संविधान का ढांचा भी फेडरल सिस्टम आफ कान्स्टीट्यूशन है। आप ये पोस्टर लगाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ। उसके बाद उस कंसोलिडेटेड फंड से पैसा आये और उसी नरेगा को इस्तेमाल करो, जिस नरेगा में सेंटर का नरेगा एक्ट, 2005 बना हुआ है। उसी नरेगा में 60 परसेंट पैसा भारत सरकार का, ये कौनसा खेल चालू हो रहा है? मैंने मेरी जिन्दगी में आज तक नहीं देखा।

(समय: 16.00 बजे)

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी उसकी बहुत चर्चा हुई। यह अन्नपूर्णा किसको पूर्ण करेगी, यह तो समय बतायेगा। ये मेरे पड़ोस में बैठे किसी को करेगी या दूसरा किसी और को करेगी।

सभापति महोदय, पिछले बजट की घोषणा एन एफ एस ए परिवारों को एक-एक किलो दाल, चीनी, नमक, तीन हजार करोड़ की घोषणा। 31 मार्च खतम, 01 अप्रैल को स्वत: ही अगर पवित्र घोषणा है तो लागू हो जानी चाहिए थी। नहीं, लागू नहीं करेंगे और उसके बाद बिना विधान सभा को विश्वास में लिए, रसद विभाग में बजट हैड है पर आजकल नये फाइनेंस रूल्स बने हुए हैं क्योंकि आपके साथ बहुत कुशाग्र बुद्धि के अधिकारी हैं, उसका ट्रांसफर सहकारिता विभाग में कर दिया। मैंने अख़बार में पढ़ा। तीन हजार करोड़ की योजना सात हजार करोड़ की हो गई।

सभापति महोदय, मैंने आज सुबह भी कहा था कि हम सब संविधान से बंधे हुए हैं। मैं प्रतिपक्ष के नेता के रूप में इस कुर्सी पर बैठा हूं तो मेरे काकाजी का राज नहीं है। मेरे काकाजी के नियम नहीं हैं। मैं संविधान प्रदत्त अधिकारों के कारण बैठा हूं। सरकार बनी है तो संविधान प्रदत्त अधिकारों से बनी है। सरकार चलती है तो ये नहीं कि एक मंत्री उधर चलेगा, एक मंत्री इधर चलेगा। सरकार चलती है तो संविधान के प्रावधान 164 (2) क्या कहता है? यह कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी क्या है? सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट की इस कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी पर कई नजीर हैं। अब मंत्री जी क्या कहते हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मेरा वाक्य नहीं है। मेरे विभाग का काम दूसरे विभाग को दिया, ऐसे में मेरे विभाग की आवश्यकता क्या है। ये मुझे नहीं कहते। मंत्री जी सार्वजनिक रूप से कहते हैं, मेरा विभाग बन्द कर दीजिये। कॉनफैड की तो पहले से ही बहुत शिकायतें हैं कि वे अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते हैं। उसे राशन किट बांटने का काम कैसे दिया जा सकता है? विधान सभा को विश्वास में लिये बिना अन्नपूर्णा फूड पैकेट खरीद और वितरण का कार्य सहकारिता विभाग को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यदि कार्य दूसरे विभाग से करवाना था तो विधान सभा में प्रस्ताव पास करवाना आवश्यक था। कौन है वित्त विभाग का मुखिया, कौन है इसके प्रभारी मंत्री, एक मंत्री कहता है। आखिर वित्त विभाग ने किसे उपकृत करने के लिए योजना सहकारिता विभाग में ट्रांसफर करवाई।

सभापति महोदय, टेलरमेड एक निविदा बनती है। आजकल जिलों में गई है। उसी जिले के अन्दर पोषाहार वितरण का 50 करोड़ रुपये का अनुभव होना चाहिए। राजस्थान में एक व्यक्ति के पास है। कौन है जी, मुझे राणा जी माफ कर दो। कौन हैं, ये राणा जी? कौन हैं, राणावत साहब? ये वे ही हैं, जिनकी सदन में चर्चा हुई थी। बाल विकास पोषाहार में 200 करोड़ का टेंडर 1678 करोड़ पहुंच गया। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें हमें कुछ संकेत करती हैं।

सभापति महोदय, मैं एक दिन मेरे घर पर बैठा था। मेरे घर पर मेरे पोते को खिलाने वाली मेड सर्वेन्ट थी, उसने एक सवाल किया। सामने विज्ञापन चल रहा था। बहना, आज राजस्थान में राहत कैम्प में अन्नपूर्णा की किट मिल रही है, तो वह कहती है, मुझे क्या पता, बताओ बहना। बहना जाने की जरूरत है, मैं तो लेकर आ गई, तू भी लेकर आ जा। ये विज्ञापन अगर नहीं चला हो। मंत्री जी, मैं लफ्फाजी करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। आपके डीपीआर का विज्ञापन बहना अन्नपूर्णा किट मैं तो लेकर आ गई, तू भी लेकर आ जा। क्या मजाक बना रखा है। मैं समझता हूं, कुछ अनुत्तरित सवाल हैं।

सभापति महोदय, अन्नपूर्णा योजना के किट 01 अप्रैल को मिलने चाहिए थे। फिर मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की 25 मई से पर आज 25 मई भी निकल गई, 20 जुलाई आ रही है। टाइमिंग तो गजब है, टाइमिंग का कोई मुकाबला वैसे भी मुख्य मंत्री जी का नहीं। दिल पर चोट लगती है तो उसकी भी टाइमिंग है। पैर में चोट लगती है तो उसकी भी टाइमिंग है।

सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करूं, जो उद्देश्य और कारणों के कथन में इन्होंने लिखा, मुफ्त में स्वास्थ्य कवरेज। बिलकुल ठीक है, मुफ्त में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्वास्थ्य कवरेज मिलना चाहिए। यह जो चिरंजीवी योजना है, उसमें कवरेज को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया। सभापति महोदय, यह जो योजना है, राजस्थान के अन्दर, हिन्दुस्तान के अन्दर, 23 सितम्बर, 2018 को सरकार आचार संहिता की गिरफ्त में आने से 15 दिन पहले, हम शासन में थे, यह एशिया की सबसे बड़ी आयुष्मान योजना चालू हुई। मोदी केयर के नाम से एशिया में प्रसिद्ध हुई और उसके बाद आप पधार आते हैं। उस योजना को मई, 2021 में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में लागू करते हैं।

सभापति महोदय, इस पूरी योजना के अन्दर जो प्रीमियम है, गवर्नमेंट आफ इंडिया का कैप है 1250 रुपये, उसमें 60 प्रतिशत प्रीमियम भारत सरकार का है। अभी कैप की थोड़ी-सी राशि बढ़ गई है, 1800 कुछ रुपये आया है तो भी 720 रुपये है। आज यह योजना जिसे चिरंजीवी योजना कहते हैं, उसमें भारत सरकार का प्रीमियम है।

सभापति महोदय, मैं वे आंकड़े लेकर आया हूं। आयुष्मान भारत योजना गारंटी की योजना, चिरंजीवी योजना गारंटी की योजना, भूल जाओ 25 लाख तक का इलाज मिलेगा। यह 2023-24 का आंकड़ा मेरे पास है, कंट्राडिक्ट कर देना। इस योजना में 50 हजार रुपये तक का लाभ लिया 8 लाख 59 हजार 77 लोगों ने, 50 हजार से 01 लाख तक लाभ लिया 36,518 लोगों ने, 3 लाख तक का लाभ लिया 13,747 लोगों ने, 5 लाख तक का लाभ लिया 397 लोगों ने, 10 लाख तक का लाभ लिया 170 लोगों ने और 20 लाख रुपये का लाभ लिया है अब तक राजस्थान में 22 लोगों ने। क्या कहना चाहते हो, किस प्रकार की योजना, मैं समझता हूं, किस प्रकार की राहत देना चाहते हो? अगर 8 करोड़ जनता में 20 लोगों ने इसका लाभ लिया तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय, अब मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। यह जो कानून बना, उसकी बुनियाद के अन्दर, मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने कई बातें कहीं। मुख्य मंत्री जी ने 2022-23 में पैरा 114 में चिरंजीवी परिवार की 01 करोड़ 33 लाख महिलाओं को तीन वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन देने की घोषणा की और ढाई हजार करोड़ रुपये की घोषणा कर डाली। सभापति महोदय, 01 अप्रैल से टेलीफोन बांट देते पर ये टेलीफोन हैं, ये इंटरनेट उसमें डाल रहे हैं, उसमें 18 जगह मुख्य मंत्री जी की फोटो है। इसमें आपकी सारी फ्लाप योजनाएं हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, वह पिछला साल तो हवा हवाई हुआ। इस बार फिर मुख्य मंत्री जी ने कहा, रक्षा बन्धन आयेगा, भैया मेरे रक्षा के बन्धन को निभाना। 01 करोड़ 33 लाख बहनों के हाथ में स्मार्ट फोन होगा। सभापति महोदय, उसमें डेटा बैकअप होगा। मैं ढूंढ रहा था। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी को कि फाइल को क्लीयर करने वाले हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को एक स्मार्ट टेलीफोन अगर 15 हजार रुपये में मिलता है तो भी 19 हजार 500 करोड़ रुपये की जरूरत थी। इस बार तो बजट में प्रावधान नहीं है। पिछली बार ढाई हजार का प्रावधान था। अभी मैं देख रहा था। आपने इस मंहगाई राहत कैम्प के अन्दर 7 जुलाई तक 7 करोड़ 58 लाख गारंटी कार्ड मुख्य मंत्री जी फोटो के साथ बांट दिये।

सभापति महोदय, रक्षा बन्धन पर मुख्य मंत्री जी टेलीफोन बाटेंगे, 01 करोड़ 33 लाख महिलाओं से अचानक 40 लाख हो गईं। मैं समझता हूं 95 लाख महिलाएं भाई की बहनें नहीं रहीं। क्या कारण है कि अचानक 01 करोड़ 33 लाख से 40 लाख पर आते हो?

मैं बड़ी जिम्मेदारी से दो चीजें सदन में उद्दत करना चाहूंगा। इसी सदन में मुख्य मंत्री जी महामहिम राज्यपाल के पहले धन्यवाद अभिभाषण पर वाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे। 23 जनवरी, 2019, कल्ला जी, उसमें मुख्य मंत्री जी ने क्या एतराज किया। मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं। आप भामाशाह योजना लेकर आये। भामाशाह कार्ड बनाने की जरूरत थी तो क्या मुख्य मंत्री की फोटो लगाना जरूरी था? सरकार बदलती रहती है। कल, मैं मेरी फोटो लगा दूं, कल सरकार बदल जाये। मैंने सुना है, भामाशाह कार्ड है, कम से कम चार सौ करोड़ रुपये खर्च कर दिये। यह क्या हालत है, यह सरकार का धन इस प्रकार क्यों लुटाया गया? मुख्य मंत्री जी कहते हैं, फोटो थी न भामाशाह कार्ड में वसुन्धरा जी की। फिर वह समय आ गया, मुख्य मंत्री जी ने बजट रिप्लाई किया 2019-20, 16 जुलाई को, उसमें फिर क्या फरमाते हैं मुख्य मंत्री जी। यह बाबाजी ने उपदेश बहुत दिये पर अपने कर्म देखो, यह मेरे वाक्य नहीं हैं। संसदीय मंत्री जी, आपके पास भेज दूंगा मैं। यह मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, 'नि:शुल्क लैपटोप हमने एक लाख बारह हजार के आस-पास बांटे थे। आपने भी बांटे, हालांकि हमने अस्सी करोड़ रुपये में काम चला लिया, पर आप लोगों ने इस पर ढाई सौ करोड़ रुपये खर्च कर दिये। कोई बात नहीं, परन्तु मेरी शिकायत है यह कि लैपटोप खोला तो नेता, प्रतिपक्ष...' उनको कह रहे हैं, '...मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा लैपटोप के खुलते ही मुख्य मंत्री महोदय की फोटो, मुझे मुख्य मंत्री जी की फोटो से एतराज नहीं। मुख्य मंत्री जी सबकी प्यारी होती हैं। आम जनता हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो पर आप बताओ जितनी बार खोलोगे उतनी बार आपको फोटो नजर आयेगी। एक और काम कर दिया, परमानेन्ट कर दिया, नेट के साथ जोड़ दिया। खुद के अकाउंट पर अगर आप इंटरनेट चलायेंगे तो भी आपको मुख्य मंत्री की फोटो दिखेगी। यह होम पेज पर। इससे बड़ी फिजूलखर्ची मैंने मेरी जिन्दगी में नहीं देखी।' यह मैं नहीं कह रहा हूं।

अब मुख्य मंत्री जी क्या कर रहे हैं? मुख्य मंत्री जी ने उस स्मार्ट फोन के साथ अपनी 18 फोटोएं डाल रखी हैं। मुख्य मंत्री जी जो गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, जो सात करोड़ सोलह लाख लोगों को दे चुके हैं उसमें अपनी मुस्कुराती हुई फोटो डाल रहे हैं। यक्ष प्रश्न यह है कि ये बातें जो इसी सदन में वहां बैठ कर मुख्य मंत्री जी ने कही थीं ये बातें कहां चली गईं?

सभापति महोदय, मैं थोड़ी बात को आगे बढाऊं, उससे पहले जो इनकी पूरी गारंटी योजना है उसका केन्द्र बिन्दु है जो सेक्शन 3 में इन्होंने कहा है कि वो नरेगा में पचास लोगों को और जोड़ रहे हैं। अभी, मंत्री जी, ये गोविन्द गुरु जो हम सबके लिए सम्माननीय हैं उनकी पांचवीं पीढ़ी, उनका गांव बंशिया है, पांचवीं पीढ़ी में एक सदस्य है नरेन्द्र, उसने एक शिकायत दर्ज करायी कि नरेगा में मेरे को तीन साल से पैसा नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं मिला। राजस्थान पत्रिका ने फोटो छाप दी क्योंकि शख्सियत ही ऐसी थी। उसके झोंपड़े की फोटो छाप दी और अधिकारी लोग गये और कहा कि लिख कर दे दे, पैसा परसों आ जायेगा और उनसे लिखवा लिया। आज वह गरीब फिर लिख कर देकर गया है। आप जांच करायेंगे इसकी? यह हालत है आपकी।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। इस उद्देश्यों और कारणों के कथन में इन्होंने परिवार की आय हो, खर्चा कम करने के लिए एक यह पाँच सौ रुपये के सिलेण्डर की चर्चा भी की। उज्ज्वला योजना बनी, 01 मई, 2016 को देश के प्रधान मंत्री जी ने एक नया क्रान्तिकारी कदम उठाया, उज्ज्वला योजना बनी। राजस्थान में 73 लाख महिलाएं हैं जिनको मुफ्त में गैस कनेक्शन जारी हुए और आपने अभी जो महंगाई राहत कैम्प है उसके अन्दर 55 लाख लोगों को कह दिया कि आओ, पांच सौ रुपये का सिलेण्डर लेना है तो तुरन्त ही आओ। 55 लाख 22 हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिया और अभी मैं अख़बार में पढ़ रहा था। आपने 13 लाख 90 हजार लाभार्थियों को 59 करोड़ की राशि डीबीटी से भेजी और आपको यह भी बता दें कि यह जो पांच सौ रुपये हैं, 1,106 रुपये का सिलेण्डर इसमें सब्सिडी है। क्या इसमें दो सौ रुपये केन्द्र सरकार के नहीं हैं? उसका जिक्र हम नहीं करेंगे, पर इस बात का तो यक्ष प्रश्न है कि 13 लाख 90 हजार को आप देते हो 76 लाख में से और उसके बाद कहते हो कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। ये सारी बातें, मंत्री महोदय, आपके लिए बड़ी महंगी साबित होंगी।

मैं सदन का ध्यान संविधान के डाइरेक्टिव आफ प्रिंसिपल आर्टिकल 41 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें राज्यों को निर्देशित किया है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार राज्य की गरीब जनता को काम, शिक्षा, रोजगार, डिसएबिलिटी होने पर लोक सहायता देने का प्रावधान करेंगे और आज यह प्रावधान हमारे डाइरेक्टिव आफ प्रिंसिपल में है।

अब आप लेकर आये हो राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 और मैं समझता हूं कि इसके अन्दर आपने धारा 2(1) के अन्दर, मंत्री जी, मिनिमम वेजेज को परिभाषित किया है और मिनिमम वेजेज में आपने लिखा है, 'न्यूनतम मजदूरी वह होगी जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में परिभाषित की गयी है।' और न्यूनतम मजदूरी सेक्शन 3(1) में राज्य सरकारों को अधिकृत किया है। राज्य सरकारें राज्य के किसी भाग में, सम्पूर्ण भाग में विशेष वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी नियत करने के लिए अधिकृत है और 3 (बी) में समय-समय पर रिवाइज करने के लिए भी अधिकृत है। अब यह जो मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी है वह भी तय है, उसको बदलने का अधिकार आपको नहीं है। वह मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार बदलती है तो भारत सरकार बदलती है। मेरी समझ में नहीं आया कि आप कौन-सी आय की गारंटी दे रहे हो, कौन-से अधिकार से दे रहे हो? आपके पास वैधानिक अधिकार तो है नहीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जो आप लेकर आये हैं कानून, इस कानून के अन्दर आपको सोचना चाहिये।

सभापति महोदय, मैंने पूरा देखा। यह जो इन्होंने गारंटियां दी हैं मैं देख रहा था कि इन गारंटियों में कितना रुपया है। ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना योजना, बिजली, ये कृषि बिजली पर सब्सिडी, गैस पर सब्सिडी, राशन, मनरेगा का 125 दिन, सामाजिक सुरक्षा की पेंशन और कामधेनु योजना। कामधेनु योजना में एक करोड़ सात लाख लोगों का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रजिस्ट्रेशन करा लिया। हो गया इंश्योरेंस, बात वो ही लम्पी जैसी। लम्पी में कहा इसी सदन में कि हम चालीस हजार रुपये देंगे। मेरे सवाल के उत्तर में कहा कि 76 लाख गायें मरी। सरपंच संघ के लोगों ने कहा कि 5 लाख 13 हजार गायें मरीं, और उसके बाद इतिश्री कर ली। कामधेनु योजना में अब इंश्योरेंस की कम्पनी इन्हीं दस दिन में अगर चयन हो गया तो मुझे मालूम नहीं, बाकी इंश्योरेंस कम्पनी का चयन नहीं हुआ। यह लफ़्फ़ाज़ी करने से मैं समझता हूं काम चलने वाला नहीं है पर यह सारा पैसा मैं जोड़ रहा था। मंत्री महोदय, I may be wrong, I wanted to be wrong. यह 45 हजार करोड़ का आता है, इसमें कहां प्रोविजन है 45 हजार करोड़ का?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह बिल डिस्कस कर रहे हैं इसका बिल से क्या लेना-देना है? ...(व्यवधान)... we are discussing here bill only.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): इनको बैठाओगे कि नहीं आप? चलो जी, आओजी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठिये। बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। Let him speak. बैठिये, माननीय सदस्य। प्रतिपक्ष के नेता महोदय को अपना भाषण पूरा करने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, इस सदन की समृद्ध परम्परा रही है। मैं समझता हूं कि ये लोग जो अपने आपको बुद्धिमान ज्यादा समझते हैं, मैं इन पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता, पर यह सदन परम्पराओं और नियमों से चलता है, किसी की बपौती नहीं है। मेरे पजेशन में फ्लोर है, मैं क्या बोलूंगा, क्या नहीं बोलूंगा, मैं इर्रिलेवेंट बोलूं तो प्रभारी मंत्री जी मुझे करेक्ट कर देंगे। ये कौन बीच में मूसलचंद हो गये? यह क्या तरीका है, दाल-भात में मूसलचंद? (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिये प्लीज। सुनिये प्लीज। माननीय सदस्य, बैठिये आप। प्लीज आप भी बैठिये। आप पूरा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): टिके रह जाओ। सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी की बातें कर रहा था। मैं इसी किताब के जो किताब इन्होंने पढ़ी नहीं होगी, इसी किताब के अलग-अलग प्रोविजन में सेक्शन 7(1), 7(2) के अन्दर जो परिभाषित किया है, जो गारंटियां दी गयी हैं, जो उद्देश्यों और कारणों के कथन में लिखा है, इन्होंने आप कहो तो मैं पढ़ कर सुना देता हूं। सभापति महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर इनके ज्ञानवर्धन की जरूरत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो तो वो बता दूंगा। और यह जो सेक्शन 6 में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के हकदारी, मैंने पूरा पढ़ लिया, ये बेरोजगार किसको मानते हैं आप? मंत्री महोदय, यह सेक्शन 6 में जो आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं कम से कम यह स्पष्ट तो कर दो राजस्थान में 28 लाख ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, इसमें पूरे में कहीं नहीं देखा मैंने कि जो 125 दिन पूरा नहीं कर पायेंगे नरेगा एक्ट में जो प्रोविजन है, उसमें जो परिपत्र 7 का प्रोविजन है उन बातों को लिख रखा है, मैं समझता हूं इस प्रकार करने से कुछ होगा नहीं।

सभापति महोदय, अंत में मैं सदन का ध्यान हमारी आर्थिक हालत की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं 45 हजार करोड़ की बात कर रहा हूं, यह कम का बता देंगे। यह तो ज्ञानी आदमी हैं, ढाई हजार करोड़ में ही सब कुछ कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह पैसा शान्ती कुमार धारीवाल जी के कोटा से चल कर नहीं आयेगा, न राजेन्द्र राठौड़ के गांव हरपालसर से चल कर आयेगा, यह पैसा कंसोलिडेटेड फंड से निकलेगा। कंसोलिडेटेड फंड की हालत क्या है? हमने जीएसडीपी का 39.8 परसेंट कर्जा ले लिया। 2019 में प्रति व्यक्ति कर्ज भार 38,782 रुपये था, वह बढ़कर 70,884 रुपये हो गया। 2022-23 का हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 1,14,159 करोड़ है। वेतन, पेंशन और ब्याज पर 1,29,961 करोड़ खर्च कर रहे हैं। यानी टोटल टैक्स रेवेन्यू से तो तीन कंपोनेंट ही पूरे नहीं हो रहे, फिर आप इसको कैसे चला लोगे?

सभापति महोदय, अंत में मैं एक बात कहूंगा कि हालत क्या है? मैं अंतिम दो मिनट में बात खतम करूंगा। मैंने योजना को फ्लाप होते भी देखा है, योजना को चलते भी देखा है, पर किसी योजना को चलाने के लिये आप सोशल मीडिया पर इंफ्ल्युएंसर का सहारा लो। 26 जून को एक सोशल मीडिया के विज्ञापन के लिये गाइड लाइन निकाल दो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इंफ्ल्युएंसर की चार कैटेगरी बना दो और 10 हजार से 5 लाख रुपये उसको बांटना चालू कर दो, इससे सरकार आ जायेगी? आप जन सम्मान कंटेस्ट के नाम पर प्रतिदिन 2 लाख 75 हजार का इनाम कर दो। यह जन सम्मान नहीं है, जन अपमान है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आपकी यह हालत हो गई, 16 जुलाई, से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया।

सभापति महोदय, मैंने पूरी इस बात को देखा, मैंने पहले ही कहा था कि यह जो कानून है, इस कानून पर राजस्थान के लोग कहेंगे, क्योंकि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान के लिये पहला मौका है कि उनके लिये मिनिमम गारंटी के लिये कोई कानून आया है। इस पूरे कानून में राजस्थान की बहबूदी का कहीं निशान नहीं, कोई गारंटी नहीं, यह आई वाश है। राजस्थान के लोगों के पास जब इस कानून के प्रावधान जायेंगे, तब इनके लिये उलटा पड़ेगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, जो विचार प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने रखे हैं और जिस प्रकार से जनमत जानने के लिये उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया, मेरा प्रस्ताव है कि उस प्रस्ताव को खारिज किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 17, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 17 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 17 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री महोदय श्री शान्ती कुमार धारीवाल जी।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: थर्ड स्टेज पर श्री संयम लोढ़ा ने अपना नाम दिया है, बोलें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, जब सवाई मानसिंह टाउन हॉल में राजस्थान की विधान सभा चलती थी और पहली बार इस सर्वोच्च सदन का जब सदस्य बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, अचानक से राजस्थान की जनता के सामने वह कठिन परिस्थितियां आईं कि दुर्भिक्ष आ गया, अकाल का सामना करना पड़ा। एक बहुत सवेरे सिरोही की हवाई पट्टी पर मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के साथ कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी जी उतरीं। हवाई पट्टी के ठीक बाहर 15-20 हजार लोगों के साथ हमने उनका स्वागत किया और हम उनसे मिले। अकाल से सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग रहे। सभापति महोदय, हमारे इलाके के लोगों को रोजगार के लिये अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। तब हमने उनसे विनती की कि हमारे लोगों को अकाल के कारण बाहर जाना पड़ता है, रोजगार का स्थायी प्रबंध कीजिए। उन्होंने बहुत गौर से हमारी बात को सुना और उसके बाद माउंट आबू में चीफ मिनिस्टर कांफ्रेंस हुई। तब भी हमने माननीय सोनिया गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया और सौभाग्य से वह अवसर आया, जब 2004 में शाइनिंग इंडिया का दावा करने वाली तत्कालीन बीजेपी की सरकार को भारत की जनता ने सत्ता से रुखसत किया, डाक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी और भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पहली बार सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से 100 दिन के रोजगार का अधिकार मिला। मेरा सिरोही जिला उन 100 जिलों में था जिनको देश के प्रथम 100 जिलों में शामिल किया गया, लेकिन तब बीजेपी की सरकार थी।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी नरेगा में 2-3 रुपये लोगों की मजदूरी आई। मैं स्वयं सात दिन तक लगातार भूख हड़ताल पर सिरोही के सरजा बाग़ पर बैठा और इस बात के लिये बैठा कि लोगों को न्यूनतम मजदूरी मिले। आज जब यह कानून आया है, तो मुझे वह अशोक गहलोत जी का राजनीतिक सफर याद आता है, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था। 8 करोड़ लोगों का हित दिमाग में रख कर कौन व्यक्ति शासन

(श्री संयम लोढ़ा)

की नीतियां बना सकता है? वह समझ पाये, क्योंकि शुरुआत के दिनों में, एनएसयूआई के दिनों में रेलगाड़ी के थर्ड क्लास के डिब्बे में टॉयलेट के पास बैठकर उन्होंने सफर किया था, इसलिए वह उस पीड़ा को समझ पाये। दूसरी तरफ वह लोग हैं जिन्होंने 2014 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद जो नरेगा ग्रामीण क्षेत्र की संजीवनी बनी, उसको कांग्रेस का स्मारक कहा था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस सदन के सभी साथियों को कोरोना का समय याद होगा जब लाखों की संख्या में प्रवासी राजस्थान आये। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को, उन्होंने व्यवस्था की, लोगों के तत्काल जॉब कार्ड बने और कोरोना के समय में लाखों लोगों को काम दिया गया और वही पैसा, जो मनरेगा का था, वह कोरोना के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की संजीवनी साबित हुआ और राजस्थान के लोगों की हम जान बचा सके, हिफाजत कर सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि आज मुख्य मंत्री जी इस सदन में जरूर आते यदि वह स्वस्थ होते, लेकिन चूंकि वह चोट के शिकार हैं, तो राजस्थान की जनता को एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने इस दिवस पर अपना संदेश अपने ट्विटर अकाउंट के जरिये दिया है। उन्होंने देश के प्रधान मंत्री को सलाह दी कि हमें सामाजिक सुरक्षा का कानून पूरे भारत के नागरिकों के लिये लाना चाहिये और क्यों नहीं लाना चाहिये? यह हमारे मित्र जो यह कहते हैं कि यह कांग्रेस वाले तो रेवड़ियां बांट रहे हैं, हम रेवड़ियां नहीं बांट रहे हैं। हम हिन्दुस्तान की और राजस्थान की जनता का पैसा उन पर खर्च करने का काम कर रहे हैं, उनके हित में खर्च करने का काम कर रहे हैं। पैसा हमारे घर का नहीं है, यह उसी पब्लिक का पैसा है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस पर खर्च करें? नीरव मोदी पैसे लेकर भाग जाये, ललित मोदी पैसे लेकर भाग जाये या एनपीए के नाम पर हम पूंजीपतियों के अरबों रुपये के कर्जे माफ कर दें।

2014 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, तब देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी का वह भाषण सबको याद है। जब उन्होंने वादा किया था कि किसान भाइयों, यह जो तुम्हारा कर्जा है, यह तुम्हारा नहीं रहेगा, यह नरेन्द्र मोदी का कर्जा हो जायेगा और सबसे पहले अपनी कलम से तुम्हारा कर्जा माफ करने का मैं काम करूंगा। 9 साल बाद जब यह सदन इस विधेयक पर चर्चा कर रहा

(श्री संयम लोढ़ा)

है। मैं देश के प्रधान मंत्री से सवाल करना चाहूंगा और हमारे बीजेपी के मित्रों से भी सवाल करना चाहूंगा कि 9 साल हो गये, किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ? वह वीडियो आज भी चारों तरफ चल रहा है। क्यों, क्योंकि आप तो जुमलों की सरकार है। आप 15 लाख रुपये खाते में आने की बात कर देते हैं और 2 करोड़ रोजगार की बात कर देते हैं, आप 100 स्मार्ट सिटी की बात कर देते हैं, आप डिजिटल इण्डिया की बात कर देते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ये जो महंगाई राहत शिविर चले, आप सब जानते हैं कि कितना अभूतपूर्व जन समर्थन राजस्थान की जनता का, उन शिविरों के अन्दर मिला। किसी एक शिविर के अन्दर आप में से किसी ने जनाक्रोश नाम की चिड़िया का नाम नहीं सुना होगा। कहीं एक शिविर में लोगों ने आकर यह कहा हो कि हमारी समस्या का निवारण नहीं हो रहा है, यह काम नहीं हो रहा है। मैं स्वयं ढाई महीने क्षेत्र में रहकर सभी 56 शिविर जो मेरी ग्राम पंचायतों में लगे, सभी एक-एक में मैं मौजूद रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका बहिष्कार किया। क्यों, चूलें हिल रही है, लोगों का अनुराग सरकार से बढ़ रहा है, लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है। जो छह महीने पहले परिस्थितियां थीं, आज की परिस्थितियां बिलकुल भिन्न हो चुकी हैं। आज आप राजस्थान में कहीं जाकर सवाल करिये कि 2023 में किसकी सरकार आयेगी, तो चारों तरफ से एक ही जवाब होगा कि अशोक गहलोत की सरकार वापस आयेगी। आपने राजस्थान की जन सभाओं में भी देखा होगा कि हजारों की संख्या में लोग नारे लगाते हुए मिलेंगे, 'अब की बार गहलोत सरकार, चौथी बार गहलोत सरकार'। तो यह सारा जो विरोध करने का कारण है, वह यह है।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर जो गलत आंकड़े हैं और असत्य आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, उनका भी मैं आपके सामने खुलासा करूंगा। माननीय सभापति महोदय, 2022-23 में 8 लाख 42 हजार 393 परिवारों ने 100 दिन पूरे किये थे। 2023-24 में 3 लाख 7 हजार 728 लोगों ने ये दिन पूरे किये थे। जिस बिजली की राहत की बात आप कर रहे थे। ये तो इसके आंकड़े गवाह हैं कि पिछले साल जब 50 यूनिट की सब्सिडी, राजस्थान की सरकार ने 50 यूनिट नि:शुल्क किये थे, 1 करोड़ 24 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 36 लाख परिवारों के बिल शून्य आये हैं। जो मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना में एक हजार रुपये का वार्षिक अनुदान किसान को दिया

(श्री संयम लोढ़ा)

था, 15 लाख कृषि कनेक्शनों में से 9 लाख किसानों का बिल शून्य आया है। मेरे अपने सिरोही जिले में 26 हजार किसानों का बिल, माननीय सभापति महोदय, शून्य आया है।

मैं निवेदन करूंगा, मनरेगा का। कितने जॉब कार्ड जारी हैं? 1 करोड़ 12 लाख 79 हजार 922, इसमें 88 लाख एक्टिव हैं। वेरिफाइड 1 करोड़ 1 लाख हैं। एक्टिव वेरिफाइड में 79 लाख हैं। वेरिफाइड जॉब कार्ड के विपरीत जो एक्टिव हैं, वे 89.8 परसेंट जॉब कार्ड एक्टिव हैं। माननीय सभापति महोदय, यह जो सौ से सवा सौ दिन रोजगार देने का है। 3 लाख 18 हजार 326 परिवार पिछले साल पात्र थे 2022-23 में, जब अशोक गहलोत जी ने 25 दिन नरेगा के बढ़ाये थे, उसमें से 2 लाख 31 हजार 414 परिवारों के जॉब कार्ड जारी हुए। 78.49 परसेंट परिवार उसके अन्दर लाभान्वित हुए। इन सबके अन्दर मैं विनती करना चाहूंगा कि इस सरकार ने इस कानून के अन्दर कई चीजें लिखी हैं, जो रूल्स बनाने को लेकर हैं। मेरा हमेशा से एक बात का संघर्ष रहा है कि आप नरेगा को टास्क बेस की बजाय टाइम-बेस क्यों नहीं करते हैं? हम अपने घरों में काम करवाते हैं। खाती आता है, कंस्ट्रक्शन का काम करने मजदूर आता है, कारीगर आता है। उसने कितने दिन में काम किया? क्या हम उसकी नाप लेकर भुगतान करते हैं? उसका टाइम 9 बजे से 6 बजे तक है, वह 9 घंटे रहा है। जितने पैसे में आप लेकर आये हैं, चार सौ रुपये में लेकर आये, साढ़े तीन सौ रुपये में लेकर आये, उसके आधार पर आप उसका भुगतान करते हैं। नरेगा श्रमिक के साथ में हम क्या करते हैं? आज 255 रुपये न्यूनतम मजदूरी है, पिछले साल 231 रुपये थी। हम सबकी जिम्मेदारी है, जो इस सदन में बैठे हुए हैं और इस ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है, मजदूर अपना समय देने के लिए काम पर आ गया, उससे काम नहीं ले पाने की असफलता किसकी है? वह उत्पादकता, वह प्रोडेक्टिविटी लाने का काम किसका है? यह शासन का है, यह शासन के अहलकारों का है, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? आज हम पूरे राजस्थान का मिनिमम वेजेज का पढ़ते हैं तो 190 रुपये, 188 रुपये, 174 रुपये, क्यों? क्या उन मजदूरों के परिवार नहीं है? जब हम एक तरफ सामाजिक सुरक्षा का कानून ला रहे हैं, पूरे देश को राजस्थान की सरकार ने एक दिशा दी है, एक संदेश दिया है कि यह सरकार लोगों की सरकार है। आप किसी अमीर परिवार में पैदा हो गये, घर में सब सुविधाएं हैं। एक बच्चा जब पैदा हुआ, गरीब परिवार में पैदा हुआ, उसका क्या दोष है? वह उस गरीबी का जीवन जीने को अभिशप्त है तो एक लोक

(श्री संयम लोढ़ा)

कल्याणकारी सरकार का क्या दायित्व है? उसका दायित्व है कि वह उस असमानता को खतम करे। वह बच्चा जो गरीब परिवार में पैदा हुआ है, उसको भी वह सुविधाएं प्राप्त हों जो कुदरत के कारण उसको प्राप्त नहीं हो सकी हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा कि जब आप इसके रूल्स बनायें, भारत सरकार तो कर नहीं पायी, प्रतिपक्ष के नेता से भी मैं निवेदन करूंगा कि देश के प्रधान मंत्री इस महात्मा गांधी नरेगा पर कितनी ही कोप दृष्टि रखें, ग्रामीण योजनाओं पर, मेहरबानी करके टास्क बेस का प्रावधान हटाइये, इसको टाइम-बेस करिये, ताकि उन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 255 रुपये मिल सके और राजस्थान में जो 25-25 दिन बढ़ाये हैं, उसके लिए तो मैं आपका साधुवाद करूंगा, लेकिन आपके नीचे कर्मचारी-अधिकारियों की नीयत ठीक नहीं है। यह तो मैंने आपको आंकड़ा बताया कि कितने परिवारों ने 100 दिन पूरे कर दिये, उसके बाद 25 दिन के नये जॉब कार्ड, जो सीएम वाली स्कीम में बनाने थे, कितने बनाये? बहुत कम। इसलिए इस प्रशासन का एक कमिटमेंट आप पैदा करिये जिससे हम लोग, जो हमारा मकसद है, उस मकसद को हम प्राप्त कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही विनती करूंगा कि यह जो बिल है, यह बिल एक क्रान्तिकारी बिल है। अशोक गहलोत जी सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। जब तक हमारे प्रशासन में नीचे के स्तर तक इच्छाशक्ति पैदा नहीं होगी कि हमे उस साधारण आदमी को सुविधा देनी है, उसके बच्चे ढंग से पढ़ सकें, ढंग से जी सकें, ढंग से रह सकें, अच्छे वातावरण में पल सकें, तो उसके लिए इससे भी आगे एक इच्छाशक्ति के साथ में हमें लोगों के बीच में काम करना पड़ेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं पहले तो इस बिल के बाबत कुछ बात कहना चाहूंगा, क्योंकि जो बिल लाया गया है, इसमें मोटे तौर पर दो बातें हैं। पहली बात तो है रोजगार की गारंटी और सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन की गारंटी। रोजगार गारंटी का जो पार्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा भारत सरकार की योजना है। उसमें काम करने वाले परिवारों को सौ दिन का नरेगा केन्द्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और 25 दिन राज्य सरकार के द्वारा दिये जाते हैं। शहरी क्षेत्र में इन्दिरा गांधी शहरी योजना में 125 दिन का रोजगार देने की

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

गारंटी है, जो कि चल रही है। एक्ट लाया गया है। इसीलिए जो वहां पर 125 दिन ग्रामीण में भी और 125 दिन शहर में भी, उनको देने की गारंटी के लिए यह योजना लायी गयी है। बड़े दु:ख की बात है, ये सीन देखकर मुझे ताज्जुब होता है कि नेता, प्रतिपक्ष जब बोलें, तब कुल मिलाकर आठ या दस आदमी यहां मौजूद हों। हमने आज तक कभी नहीं देखा। जब नेता, प्रतिपक्ष किसी बिल पर बोलते हैं तो खचाखच प्रतिपक्ष भरा रहता है और जब पक्ष का नेता बोलता है तो खचाखच पक्ष की टेबलें भरी रहती हैं। आपका नीरस भाषण सुनने के लिए, मेरा ये ख्याल है कि आपके साथी भी तैयार नहीं थे।

जितने तथ्य आपने दिए, आपने जमकर के इस पूरे सदन को गुमराह किया है। आपने गलत-गलत बातें कहीं। घोषणाओं को और गारंटी को, इन दोनों को मिला दिया आपने। घोषणा एक अलग चीज होती है, गारंटी एक अलग चीज होती है। गारंटी का मतलब ये है कि अगर एक्ट बनाकर गारंटी ले ली तो उसको हक है इस बात का कि वह अदालत जाकर पैसा वसूल कर सकता है सरकार से, लेकिन घोषणाओं का कुछ नहीं होगा। ये तो कांग्रेस की सरकार है। चाहे आप 2019-20 ले लो, 379 घोषणाएं हुई थीं, उनमें से 350 पूरी हुईं। 2020-21 में 363 घोषणाएं की गयी थीं मुख्य मंत्री जी के द्वारा, जिसमें से 343 पूरी हुईं। 2021-22 में 952 घोषणाएं की गयी थीं, उनमें से करीब-करीब 870 पूरी हुईं। 2022-23 में 1229 घोषणाएं की गयीं, 890 पूरी की गयीं और 2023-24 में 1423 घोषणाएं की गयीं और 803 पूरी की गयीं। इस प्रकार से लगभग 80 परसेंट घोषणाएं पूरी की गयी हैं। ये जो दस-दस योजनाओं का गारंटी का कार्ड दिया गया है, इस गारंटी के कार्ड के पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि अब ये गारंटी आपको सरकार दे रही है, ये सुविधा सरकार को देनी ही पड़ेगी। ये पैसा सरकार को आपको देना ही पड़ेगा। नहीं देगी सरकार तो वसूल करने का अधिकार आपको होगा।

आपने अभी कहा कि, साहब, 100 यूनिट बिजली फ्री लेने के लिए कुल मिलाकर आधे आदमी भी नहीं पहुंचे। हम जैसा आदमी क्यों पहुंचेगा? क्यों पहुंचेगा? अपने आप मिल रही है। आप जैसा आदमी पहुंचा क्या? क्योंकि आपके बिल में भी 100 यूनिट कम होकर आ रही है। उन बातों को मिलाकर आपने जो गुमराह करने की कोशिश की है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं।

आपने सिलेण्डर के बारे में कहा कि उज्ज्वला योजना में जो 500

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

रुपये सरकार दे रही है, उसमें से 200 रुपया केन्द्र सरकार दे रही है। बिलकुल गलत बयानी है। 200 रुपये दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राज्य सरकार उसमें 465 रुपये दे रही है। उज्ज्वला प्रभावित में 200 रुपये सब्सिडी केन्द्र सरकार और 425 रुपये राज्य सरकार के द्वारा मिल रहे हैं, ये बताना भूल गए आप क्योंकि आपको तो हाउस को मिसलीड करना था।

आयुष्मान योजना के बारे में बोला आपने। हमारी आयुष्मान योजना, हमारी आयुष्मान योजना। भारत सरकार की जो योजना है, उसमें 56 लाख परिवारों के लिए प्रीमियम जो दिया जाता है वह सिर्फ 625 रुपया दिया जाता है। राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना की तुलना करके देखिए, 1 करोड़ 45 लाख लोगों को लाभान्वित करने के लिए 56 लाख परिवारों का 1,200 रुपये का प्रीमियम और शेष लगभग 90 लाख परिवारों का सम्पूर्ण 1,800 रुपया प्रति परिवार राज्य सरकार दे रही है। इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा 2 हजार 100 करोड़, यानी 2,100 करोड़ रुपया इसी पर खर्च किया जा रहा है और केन्द्र सरकार कितना कर रही है? सिर्फ 300 करोड़ रुपया। यह हाल है आपकी केन्द्र सरकार के।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए यहां पर बात उठाई गयी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सही फिगर ये है कि 2022-23 में 93 लाख 20 हजार लोगों को 180 रुपया औसत मजदूरी मिली है, 180 रुपया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): 93 लाख, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 93 लाख। क्या बात करते हैं? जरा करेक्ट कर लो इसको।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): करेक्ट है। आप लिख लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): 93 लाख, हां लिख लिया मैंने।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, लिखा नहीं है आपने। लिखा नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): 93 लाख।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लिखा नहीं है। मैं जो कह रहा हूं आप उसको लिख लो, फिर चैलेन्ज कर देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने तो लिख लिया। मेरी बुद्धि इतनी चलती है, परंतु 93 लाख। 93 हजार देख लो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने बोला जो मैंने लिखा, तब तो सही उत्तर दे दिया मैंने। आप मेरी बात को भी लिख लो, सही उत्तर दे देंगे और अपनी गलती मंजूर कर लेंगे। 2023-24 में 44 लाख 48 हजार लोगों को मिला, जिसमें से उनको मजदूरी मिली 223 रुपया रोज की, प्रतिदिन। इसी प्रकार जो पैसा खर्च हुआ टोटल इस पर अभी तक वह 353 करोड़ रुपया खर्च हो चुका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): 353 करोड़ में 93 लाख लोगों को रोजगार दिया है। फला कर तो देख लो। उधर बैठे होंगे अधिकारी, पूछ लो उनसे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पूछ लिया। 5 लाख 62 हजार 594 तो जॉब कार्ड बढ़ गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): मतलब 5 लाख जॉब कार्ड में 93 लाख को दे दिया जॉब। क्या मजाक बना रखा है? ये उत्तर दे रहे हैं। 93 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जॉब कार्ड 5 लाख बता रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कौन ऐसा भाषण सुनेगा इनका।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मानव दिवस, मेन डेज की सूचना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा में 100 दिन पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या बता रहा हूं मैं आपको, 4 लाख 53 हजार 561, ये फिगर है और जॉब कार्ड जो बंटे हैं, वह 2 लाख 36 हजार 937। इस प्रकार से 125, आप में से किसी ने कहा कि, साहब, 125 दिन तो किसी ने पूरे ही नहीं किये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): जॉब कार्ड के बिना भी रोजगार देने का जरिया ढूंढ लिया क्या? अगर ढूंढ लिया है तो इस एडवेंचर के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। कमाल है, 2 लाख के जॉब कार्ड 4 लाख को दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्रतिपक्ष के सदस्यों ने बोला कि 125 दिन एक आदमी ने भी पूरे नहीं किये। मेरे पास फिगर है 3 लाख 38 हजार 530 लोगों ने पूरे 125 दिन काम किया है।

श्री सभापति: सुनिए, आप सुनिए। मंत्री जी बोल रहे हैं तो सुनिए आप। जवाब तो उनका है। डिस्टर्बेंस नहीं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कहने का मेरा मतलब ये है कि राज्य सरकार की इस योजना

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
के तहत एक्ट में जो प्रावधान किये गये हैं जिससे कि गरीबों को, बेरोजगारों को महंगाई से राहत मिलेगी और बेरोजगारों को आवश्यक रूप से रोजगार भी प्राप्त होगा।

इसके दूसरे पार्ट की बात करता हूं कि पेंशन की अभी जो योजना चल रही है, उसमें ओल्ड एज पेंशन भी आ गई, लघु एवं सीमांत वृद्ध भी शामिल हो गए और शेष विशेष योग्यजन और पेंशन स्कीम विधवा, एकल महिला वगैरह-वगैरह ये सब शामिल हो गए। एक्ट में मिनिमम एक हजार रुपये की पेंशन देने की योजना को पात्र बनाया गया है। हर साल उनकी पेंशन 15 परसेंट बढ़ेगी। पांच परसेंट जुलाई में बढ़ेगी और दस परसेंट जनवरी में बढ़ेगी, लेकिन बेस बढ़ने का एक हजार रुपया ही रहेगा। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड भी बना है, जो रोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मॉनिटरिंग करेगा। इन तीनों योजनाओं को कम्बाइंड करने के लिए इस एक्ट के जरिये हमने एक नया नाम दिया है, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना। गरीब व मजदूर, किसान, महिलाओं, बेरोजगार युवकों के प्रति संवेदनशील और उनको महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए माननीय अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार पूरे देश में ऐसी पहली सरकार है, गौर से सुन लीजिए, यह पहली सरकार है जो इस प्रकार की गारंटी योजना के लिए एक्ट लेकर आई है।

सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनया गया। विशेष योग्यजन, सहरिया, कथोडी, खैरवा आदि को, उनके लिए 200 दिन का रोजगार रखा गया है और ग्रामीण क्षेत्र में वह मिल रहा है और मिलता रहेगा। हमने इसमें यह प्रोविजन भी किया है। राजस्थान में गृहस्थी के खर्च को कम करने के लिए ही यह सब कुछ काम किया गया है।

अब आप कह रहे हैं कि एक हजार रुपये की पेंशन देने से उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी? आपका यह कहना है कि उनको एक हजार रुपये देने से उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी, उनका गुजारा कैसे चलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हजार रुपये में जो इनकम शामिल नहीं है उनको नि:शुल्क इलाज भी 25 लाख रुपये चिरंजीवी योजना के तहत, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, 100 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। 200 यूनिट बिजली किसानों को फ्री दे रहे हैं, अन्नपूर्णा राशन किट जो 25 तारीख से चालू होने वाला है, वह दे रहे हैं। सभी चीजों को मिलाएं तो निश्चित तौर पर उनकी इनकम बढ़ेगी।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

ऐसा बेमिसाल, ऐतिहासिक कानून आज तक देश में किसी भी राज्य ने नहीं बनाया। जिस प्रकार की गारंटी यहां के प्रदेशवासियों को दी जा रही है, यह पहली सरकार है जिसने गरीब की सोचकर, महंगाई से किस प्रकार मुकाबला किया जा सकता है, इस बात को सोचकर इस प्रकार का कानून बनाया है।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस बिल को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 को पारित किया गया।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार धारीवाल साहब।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाकर सात बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति जी, सरकार विधेयक लाई है जिसमें विधेयक की धारा 10(2) में मेग्जिमम दस वर्ष के कारावास की जगह उम्र कारावास से दंडित किये जाने का प्रावधान लेकर आई है। पिछले चार घंटों की चर्चा में ग्रामीण रोजगार गारंटी का क्या हुआ, शहरी रोजगार गारंटी का क्या हुआ, कर्ज माफी गारंटी का क्या हुआ, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का वादा करके आए उसका क्या हुआ, जेजेएम में नल से जल देने की बात करके आए, उसका क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ? मंत्री जी ने कहा कि यह तो घोषणाएं थीं, घोषणाओं और गारंटी में फर्क होता है, तो आज यह फर्क समझ आया, उसके लिए धन्यवाद।

आप यह बिल लेकर आए हैं, धारा 10(2) में दस वर्ष के कारावास की जगह उम्र कैद का प्रावधान लेकर आए हैं। युवाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, एक के बाद एक पेपर लीक। पूरी श्रृंखला, 19 पेपर लीक। उसके बाद अपने चेहरे पर पुती कालिख को ढकने के लिए, उस पर पर्दा ड़ालने के लिए सरकार अपने अंतिम दिनों में, जब 60 दिन बचे हैं, यह संशोधन लेकर आई है।

माननीय सभापति जी, राजस्थान ने रीट उत्सव मनाया। पूरे प्रदेश में 26 लाख अभ्यर्थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जिम्मेदारी, सबके परीक्षा सेंटर 500-500 किलोमीटर दूर, 24 घंटे नेट बंद, हज़ारों सीसीटीवी कैमरों की नजर और परीक्षा से पहले पेपर आउट। यह रीट उत्सव चीट उत्सव में बदल गया। 26 लाख अभ्यर्थी, सवा करोड़ के करीब उनके परिवारजन, राजस्थान की 25 प्रतिशत आबादी पर यह रीट उत्सव की जगह चीट उत्सव हो गया। प्रतिपक्ष और युवाओं के दबाव में मजबूरी में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। एक के बाद एक, एक के बाद एक, चार साल में 18-19 परीक्षाओं के पेपर आउट हुए। अब तो नौजवान पूछने लगा है कि सरकार के नुमाइंदे बता दें कि अगला कौनसा परीक्षा पेपर आउट होगा। पेपर आउट की कालिख मुंह पर लिए सरकार एक के बाद एक, दो बिल लेकर आई। 5 से 10 वर्ष का कारावास, 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना, धारा 12 में सम्पत्ति कुर्क करने का भी। सभापति जी, यह राजस्थान में 05 अप्रैल को लागू हो गया। इसके बाद भी कांस्टेबल की परीक्षा का पेपर आउट, टैक्निकल हैल्पर की परीक्षा का पेपर आउट, वन रक्षक की परीक्षा का पेपर आउट, सैकण्ड ग्रेड का पेपर आउट। इसका मतलब कानून

(श्री बिहारीलाल)

बनाने के बाद भी इस कानून की पालन में सरकार पूरी तरह फेल रही। जिस तरह से जितनी गारंटी-घोषणाएं कीं, वैसे ही इस पेपर आउट के मामले में सख्त कानून बनाने का बहाना करके, कानून बना भी लेकिन उसको लागू करने में सरकार पूरी तरह फेल रही। एसओजी ने क्या किया? जारोली कहां गायब है? भूपेन्द्र सहारण आया, आगे शेरसिंह मीणा, शेरसिंह मीणा आया तो बाबूलाल कटारा, बाबूलाल कटारा के बाद क्या हुआ? सुरेश ढाका कहां है, किसने छिपा रखा है? जयपुर और दिल्ली के नेताओं के, किन-किन के सोशल मीडिया अकाउंट चलाता था, जनता सब जानती है। उसकी किराये की बिल्डिंग जिसमें कोचिंग चलता था, किराये की बिल्डिंग को तोड़कर पीठ थपथपाने वाली सरकार, लाखों नौजवानों के परीक्षा शुल्क का क्या हुआ?

आपके ही सत्ता पक्ष के साथी, पूर्व उप मुख्य मंत्री ने पैदल यात्रा निकाली, आर.पी.एस.सी. भंग की जाए, नौजवान जो ओवर एज हो गए उनका समाधान निकाला जाए, उन बातों का क्या हुआ? स्पेशल कोर्ट आप बिल में लेकर आए थे। स्पेशल कोर्ट बन गई क्या? जब मंत्री जी जवाब दें तो बताएं। कोचिंग माफिया पर आपने क्या शिकंजा कसा? इतना कुछ हो जाने के बाद भी प्रदेश में लाखों नौजवानों के साथ आपने बेरोजगारी भत्ते के नाम असत्य घोषणाएं करके धोखा किया। पेपर आउट से लेकर आज तक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज इतना कुछ हो जाने के बाद भी सारे प्रदेश में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, दावा करते हैं, इश्तिहार देते हैं, होर्डिंग, बैनर लगाते हैं कि हमारे कोचिंग में प्रवेश लीजिए, मिनिमम 100 क्वेश्चन देंगे। यह गारंटी सफलता की शत-प्रतिशत गारंटी है। उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? इस बिल में भी इनके खिलाफ ऐसा कोई संशोधन, ऐसा कोई प्रावधान आप लेकर आए? आपकी जांचों का क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। अब तो थोड़े दिन पहले आपका एक पूर्व मंत्री पकड़ा जाता है जो चांदी के चरखे से सोने के तार निकाल रहा था। गांधी का नाम लेने वाले लोग और जब आगे बात बढ़ती है तो आर पी एस सी के वर्तमान दो सदस्यों तक के नाम आते हैं, तो क्यों न आर पी एस सी को भंग करने का प्रावधान भी आप इस बिल में लेकर आते, नये गठन का प्रावधान भी आप इस बिल में लेकर आते?

(समय: 17.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि कहीं भी युवाओं के भविष्य को संरक्षित करने का काम करने में यह

(श्री बिहारीलाल)

सरकार पूरी तरह असफल रही है, इसलिए इस जांच को भी सी.बी.आई. से या एन.आई.ए. से करवायें, तब जाकर इसका समाधान हो पायेगा। नहीं तो राजस्थान में एक कहावत है कि बहू से चोर मरवाये और चोर बहू के भाई तो इस सरकार से इन चोरों का कोई इलाज होता दिख नहीं रहा है। इसलिए आप अपने अंतिम दिनों में कितने ही बिल ले आओ, एक बिल पर चर्चा हो रही है तो दूसरा बिल प्रस्तुत हो रहा है, इंट्रोड्यूज हो रहा है, तीसरा बिल इंट्रोड्यूज हो रहा है। संवैधानिक परम्पराओं को तार-तार किया जा रहा है।

(समय:17.00 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, इन अंतिम दिनों में सरकार कितने भी बिल ले आये, नौजवानों के साथ जो आपने धोखा किया है और सरकार के ऊंचे-ऊंचे ओहदों पर, जिम्मेदार ओहदों पर बैठे लोगों ने किया है और जांच में उनको कहीं भी दंडित नहीं करना, आप यह कानून बनाने के बाद भी नहीं कर पाये हैं तो अंतिम दिनों में आप कितने भी बिल ले आये, चुनावों में आपको छुपने के लिए बिल नहीं मिलेगा, यह हम दावे के साथ कहते हैं और यह जो संशोधन विधेयक लेकर आये हैं, इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के गठन के बाद पूरे पांच वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए यह तीसरा बिल है। इससे पहले भी दो बिल इसी विधान सभा के सदन में आये, पारित हुए और यह जो मूल अधिनियम है, यह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के बाद यह लगातार तीसरा बिल है जिसमें संशोधन किया जा रहा है और इससे पहले वाला बिल, माननीय सभापति महोदय, इसी विधान सभा के सदन ने 24.03.2022 को पारित किया और बाद में 12 अप्रैल, 2022 को इसे पूरे राजस्थानभर में प्रभावी कर दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल के पारित होने के बाद, मैं

(श्री अविनाश)

सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या बिल पारित होने के बाद में राजस्थान में कोई भर्ती परीक्षा हुई जिसमें पेपर लीक नहीं हुए परीक्षा स्थगित नहीं हुई? अभी नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह ठीक कहा कि दर्जनभर से अधिक परीक्षाएं ऐसी थीं, राजस्थान में इस राजस्थान सरकार के समय में लगभग 19 बार पेपर लीक हुए और पेपर लीक होने के बाद में उन पर कार्यवाही क्या हुई, यह भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

इससे पहले राजस्थान के अलावा भी चाहे उत्तराखण्ड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, अलग-अलग राज्य की सरकारों ने अलग-अलग समय पर भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए, अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए कानून बनाये और उत्तराखण्ड में तो इसी 2023 में 10 लाख का जुर्माना, 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। यह परीक्षार्थी के नकल और अनुचित साधनों के प्रयोग पर, और साजिश या अनुचित साधनों में शामिल सेवा, व्यक्ति अगर कोई दूसरा हो तो उसको भी 10 साल से आजीवन कारावास तक और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, यह उत्तराखण्ड की सरकार ने किया है और परीक्षा प्राधिकरण के साथ मिलकर संगठित अपराध या अनुचित साधनों में शामिल अगर कोई व्यक्ति होता है, कोई संगठन होता है तो 10 साल से आजीवन कारावास तक और 01 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, यह पहले से प्रावधान है।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि इस बिल के अन्दर, 2022 का जो बिल था कि राजस्थान प्रदेश में 2022 के कानून में परीक्षा की परिभाषा को व्यापक करते हुए इस कानून के दायरे में प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों, ओ.एम.आर. शीट, परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण, पर्यवेक्षण, कोडिंग प्रक्रिया, भण्डारकरण, परिवहन, वितरण, संग्रहण, मूल्यांकन तथा परिणामों की घोषणा को भी दायरे में लाया गया है, ऐसा आपकी सरकार का कहना है।

माननीय सभापति महोदय, 2022 के बाद जो अपराध करने वाले लोग हैं, उनकी सम्पत्ति को जब्त, कुर्क करने और परीक्षा में हुए व्यय की भरपाई करने का भी प्रावधान आपने इसमें लिया है। आपने यह कहा कि हमने अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में कठोर कानून बनाया लेकिन मैं यह समझता हूं कि कानून बनाने के बाद में उसकी क्रियान्विति कितनी हुई कितने लोगों को सज़ा हुई, यह भी निश्चित रूप से एक प्रश्नवाचक चिह्न खड़ा करता है।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, इससे पहले जो 1992 का कानून था, उस कानून में क्या था कि प्रदेश में विश्वविद्यालयों, बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली अकेडेमिक परीक्षाएं जो थीं और भर्ती परीक्षाओं में नकलकर्ताओं पर नियंत्रण हेतु 1992 में यह कानून बनाया गया था राजस्थान के अन्दर और जो आपने 2022 में संशोधन किया, उसमें बोर्ड परीक्षाओं को हटा दिया और सिर्फ और सिर्फ अकेडेमिक परीक्षाओं को उसके अन्दर शामिल किया। यह था न 2022 के संशोधन में? उसके बाद THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (MEASURES FOR PREVENTION OF UNFAIR MEANS IN RECRUITMENT) ACT, 2022. इसी विधान सभा ने 24 मार्च, 2022 को पारित किया, 12 अप्रैल, 2022 को यह प्रभावी हुआ।

माननीय सभापति महोदय, आपने इस अधिनियम के प्रमुख दंडात्मक प्रावधान क्या बनाये? अपराध के कारण जो सम्पत्ति होती है, उसको जब्त करना, कुर्क करना और उस अपराध में दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ परीक्षा पर हुए खर्चे की भरपाई हेतु संस्था या प्रबंधन की सम्पत्ति को जब्त कर नीलाम करना, उस संस्था को सदैव के लिए बैन करना और अपराध को नॉन-बेलेबल बनाया गया, नॉन-कम्पाउंडेबल बनाया गया और इस अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ ट्रायल के लिए अपने डेजिग्नेटेड कोर्ट का प्रावधान भी किया है। माननीय सभापति महोदय, जांच कौन करेगा? एडिशनल एस.पी. रैंक का अधिकारी। अनुसंधान एडिशनल एस.पी. स्तर के अधिकारियों से ऊपर के अधिकारियों द्वारा किये जाने सम्बन्धी प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से पिछले समय में परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, परीक्षा भर्ती में घोटाले हुए, जब राजस्थान सरकार के बड़े अधिकारी, बड़े जन नेता जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, वे शामिल हैं तो क्या किसी एडिशनल एस.पी. की हिम्मत होगी कि उसके घर जाकर पूछ ले? कहां है बाबुलाल जी कटारा? कहां है आर.पी.एस.सी. के पूर्व चेयरमैन? क्या इससे पहले आपने यह स्वीकार किया था कि चालीस लोगों को हमने गिरफ्तार किया था, लेकिन जो मुख्य सरगना था जिसके माध्यम से राजस्थान सरकार तक पहुंचना था, वह कड़ी आखिर में जुड़ी क्यों नहीं, वह कड़ी टूटी क्यों नहीं? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने इसलिए एडिशनल एसपी. को अधिकारी बनाया ताकि सरकार के ऊपर के जो नुमाइंदे हैं, उन तक पहुंचा नहीं जा सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी बिल में यह प्रावधान किया गया कि परीक्षा में एजेंसी के साथ मिलकर अगर कोई व्यक्ति अनुचित साधनों का

(श्री अविनाश)

प्रयोग करता है, नकल में सहयोग करता है तो उसे पांच से दस वर्ष का कारावास और दस लाख से दस करोड़ रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया जायेगा और जो परीक्षार्थी हैं, जो उसमें शामिल होते हैं, वह तो संस्था के लिए है या बाहर के लोग जो परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं पर जो परीक्षार्थी हैं, उनके लिए तीन वर्ष का कारावास, न्यूनतम एक लाख रुपये का अर्थदंड और सार्वजनिक परीक्षा से दो वर्ष के लिए उसको बाधित किया जायेगा। क्यों नहीं उस परीक्षार्थी को, संस्था को हमेशा के लिए बैन करें? क्यों नहीं परीक्षार्थी को हमेशा के लिए बैन करें? क्यों नहीं उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाये? इस प्रावधान के अन्दर हम लोगों को यह शामिल करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपने यह भी कहा कि इस नये कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की गयी है, तो कहां कार्यवाही की गयी है? अगर आपने प्रभावी कार्यवाही अप्रैल, 2022 में जब यह विधेयक पारित हुआ था, उसके बाद में सही तरीके से की होती तो अभी जो नोखा से आने वाले माननीय विधायक ने कहा, वह परीक्षाओं में इस प्रकार की अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं होता।

माननीय सभापति महोदय, आपने खुद ने यह स्वीकार किया कि 2022 में बनाये गये कठोर कानून, कठोर प्रावधान वाले कानून के बावजूद भर्ती परीक्षाओं में संगठित गिरोह द्वारा पेपर आउट और नकल करवाने के प्रकरणों में अपेक्षित कमी नहीं आयी है, जिसके कारण कानून को और कठोर बनाने का निर्णय लिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि नकल करवाने व पेपर लीक करवाने वाले संगठित माफियाओं के खिलाफ यह जो न्यूनतम आपने पांच वर्ष से दस वर्ष का और दस वर्ष के कारावास की सज़ा का प्रावधान किया है और दस वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास का किया है, मैं समझता हूं कि जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, सरकार का मजबूत नियंत्रण नहीं होगा और कठोर कानून की क्रियान्विति नहीं होगी और जब तक इसमें राजनेता शामिल होते रहेंगे, तब तक इस प्रकार का कानून का कोई फायदा आगे आने वाले समय में मिलने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि यह एक पेपर आज का है, आज ही मैंने देखा है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट

(श्री अविनाश)

यह कहती है, यह 21 जुलाई, 2023 का है, इसमें एस.आई. भर्ती भी हुई और एक ही जिले से 100 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं तो मेरा यह आरोप है सरकार के ऊपर कि इसकी जांच करवाई जाये और इसमें आयोग के जो पूर्व मैम्बर थे, उनके बेटा और बेटी भी सलेक्ट हो गये और यह 21 जुलाई, 2023 की रिपोर्ट दैनिक भास्कर में पूरे राजस्थान ने देखी है।

माननीय सभापति महोदय, इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का क्या होगा कि इस लिस्ट के अन्दर जिस अभ्यर्थी का नाम है, उस अभ्यर्थी के नाम के आगे जिले के नाम का भी मेंशन नहीं है कि वह किस जिले का है। किसी भी अभ्यर्थी के नाम के आगे जिले का नाम मेंशन नहीं है। लिस्ट में अभ्यर्थी के पिता का नाम ही शामिल है। राजस्थान के किस कोने से वह अभ्यर्थी आता है, उसके पिता का नाम और अभ्यर्थी का नाम सेम हो लेकिन जिले का नाम नहीं होने का मतलब कहीं न कहीं सरकार के मुंह पर कालिख लगी है। एक जिले से सौ अभ्यर्थी कैसे आ सकते हैं? आर पी एस सी का पूर्व मैम्बर उसमें कैसे शामिल हो सकता है? उसके बेटे-बेटी कैसे शामिल हो सकते हैं? इस सीधे-सीधे भ्रष्टाचार के लिए राजस्थान सरकार दोषी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आपने जो लिस्ट जारी की है, उसमें रोल नम्बर का कहीं अंकन नहीं है ताकि उससे पता लग सके कि रोल नम्बर किस अभ्यर्थी का है।

माननीय सभापति महोदय, एक और मामला मैं लेकर आया हूं। यह अख़बार की सुर्खियों में है। एक ही तहसील से सौ थानेदारों की भर्ती आर पी एस सी के माध्यम से हुई है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम कानून बनाते हैं। 19 तारीख के अख़बार में यह आया है कि एक ही तहसील के सौ थानेदारों की भर्ती के लिए दलालों का कमाल है। जालौर जिले से करीब दो सौ सब-इंस्पेक्टर का चयन हुआ, जिनमें से सौ तो एक ही तहसील के हैं। माननीय मंत्री महोदय बोलें, तब इसके बारे में निश्चित रूप से जवाब दें।

माननीय सभापति महोदय, और तो और, एक और देखो। अख़बार के अन्दर सुरेश ढाका के बारे में न्यूज छपी है और इसमें कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे जो परीक्षा भर्ती में अपराधी हैं और इसमें सहयोग करते हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरेश ढाका जो अपराधी है, यह कानून की गलियां ढूंढ रहा है। इसको मदद कौन कर रहे हैं? कांग्रेस के

(श्री अविनाश)

सबसे बड़े नेता जो दिल्ली में, कभी केन्द्रीय मंत्री रहे थे +++ उसकी मदद कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ। यह मैं नहीं कह रहा। यह वह रिपोर्ट कहती है, जो राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक का अपराधी है सुरेश ढाका, उसका वकील अगर पैरवी करेगा तो वह +++ होगा। +++ वकालत भले ही करते हों लेकिन वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं।

श्री सभापति: नाम डिलीट करें।

श्री अविनाश (जैतारण): क्या इसके बारे में राजस्थान सरकार जवाब देगी? यह वह सुरेश ढाका है जो छह मामलों में वांछित है लेकिन सरकार उसको आज दिन तक गिरफ्तार नहीं कर पायी है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट एल डी सी परीक्षा, सीएचओ भर्ती, जे ईएन भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले जुड़े हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप कहते हैं कि हम कानून बनाकर काम करेंगे। यह अख़बार की रिपोर्ट 19.07.2023 की है जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसमें लिखा है, जालौर जिले से न्यूज आती है कि सीएम रिलीफ फण्ड के खाते से दो चैक लगा कर आठ लाख रुपये निकाले। यह साइबर क्राइम है। सीएम रिलीफ फण्ड से अगर कोई व्यक्ति आठ लाख रुपये निकाल ले और सरकार को खबर नहीं पहुंचे, सरकार के नुमाइन्दे को खबर नहीं पहुंचे। क्या समझा जाए राजस्थान के कानून व्यवस्था के बारे में? यह मामला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें और मैं आपसे निवेदन करता हूं। राजस्थान में जिस प्रकार से परीक्षा के ये घोटाले हुए अगर अपराधों का ग्राफ हम कम्पेयर करेंगे तो वर्ष 2021 में लूट के 1,485 मामले, 2022 में हो गये 1,622। 2021 में हत्या के मामले 1,786, बढ़ कर 2022 में 1,834 हो गये। डकैती के मामले 2021 में 78 मामले, 2022 में 104 हो गये। अपहरण के मामले 2021 में 7,717 मामले, 2022 में 8,928 हो गये। बलात्कार के 2021 में 6,337 मामले, 2022 में 7,093 हो गये। इस प्रकार से अपराध का ग्राफ तो बढ़ता जा रहा है। भर्ती परीक्षाओं में नकल का मामला भी बढ़ता जा रहा है तो क्यों नहीं राजस्थान नम्बर वन पर रहेगा? जिस राजस्थान को अर्थव्यवस्था के मामले में, जनता की सेवा में, सुशासन में, गरीब कल्याण में नम्बर वन होना चाहिए था वह राजस्थान आज अपराध के मामले में नम्बर वन है।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसी राजस्थान की विधान सभा ने नाजारा देखा और राजस्थान के बाहर एक शिक्षक सम्मेलन चल रहा था, मैं उसी भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहूंगा, शिक्षक सम्मेलन के बारे में बात करना चाहूंगा। जहां एक तरफ माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजमान, सामने हॉल के अन्दर बैठे हुए शिक्षक और तत्कालीन शिक्षा मंत्री +++ जो अपने आपको नाथी के बाड़े का सरदार समझते हैं, विराजते हैं।

श्री सभापति: नाम डिलीट करें।

श्री अविनाश (जैतारण): और मुख्य मंत्रीजी पूछते हैं कि क्या तबादलों के अन्दर आपको पैसे देने पड़ते हैं? सारे के सारे शिक्षक हाथ खड़ा करके कहते हैं कि हां, हमें पैसे देने पड़ते हैं। मुख्य मंत्रीजी को विश्वास नहीं होता है। दोबारा पूछते हैं, दोबारा सारे के सारे लोग हाथ खड़ा करके कहते हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और कोई नहीं हो सकता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में चर्चा की जब पहले पेपर लीक हुए थे। वह किन संस्थाओं के माध्यम से लीक हुए थे? राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम आया था। बड़े शर्म की बात है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल कौन है? उसमें उन व्यक्तियों को किसने नियुक्ति दी थी? क्या सरकार की शह के आधार पर राजीव गांधी स्टडी सर्किल में नियुक्तियां दी गयी थीं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। आपको 11 मिनट हो गये बोलते हुए, कन्क्लूड कीजिए। माननीय श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री अविनाश (जैतारण) : बस 30 सैकण्ड में समाप्त करता हूं। ये वही लोग थे। अभी दो-चार दिन पहले राज्य घुमन्तु बोर्ड के सदस्य गोपाल केसावत जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको साढ़े अठारह लाख रुपये की रिश्वत में गिरफ्तार किया गया। रिश्वत में दो आर पी एस सी मैम्बर का नाम लिया गया। मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि जो मैंने आंकडे रखे, उनको सरकार अपने संज्ञान में ले। मैंने जो सुझाव दिये हैं उनको शामिल करे। इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करें। धन्यवाद।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर सदन में चर्चा हो रही है।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

माननीय सभापति महोदय, परीक्षा के अन्दर नकल करना, यह तो वर्षों से चला आ रहा है पर यह पेपर लीक वाली बीमारी जो राजस्थान में हुई है यह बहुत बड़ी घटना है। सरकार के पूरे कार्यकाल में 18-19 पेपर लीक हुए हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ये तीसरे माननीय सदस्य हैं जो गलत सूचना दे रहे हैं। 08 पेपर लीक हुए हैं और 19 प्रकरण दर्ज हुए हैं। करेक्ट कर लें अपने आपको।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आप जैसे पढ़े-लिखे लोग कह रहे हैं, उनसे सुना है मैंने तो। हाउस में मेरे से पूर्व वक्ताओं से सुना है।

श्री सभापति: शिक्षा मंत्रीजी आथेंटिक बोल रहे हैं। आप तो बहुत सीनियर मैम्बर हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): हां, ठीक है, मान लिया, लेकिन 08 भी कोई कम नहीं हैं। अगर सरकार द्वारा कानून बनाने के बाद भी पेपर लीक होता है तो इसका मतलब सरकार कानून को इम्प्लीमेंट करने में असमर्थ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर चाहे कितनी बड़ी फांसी की सज़ा रखो, सहमत हैं। होनी चाहिए पर मेरे सूरतगढ़ में शिक्षा का हब है, कोटा की तरह वहां तैयारी होती है। मेरे से हजारों बच्चों ने प्रश्न किया कि हमारे लाखों रुपये बर्बाद हो गये और उनके माता-पिता रोते हुए मैंने प्रत्यक्ष देखा है।

माननीय सभापति महोदय, माता-पिता मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और जब इस तरह की घटना हो जाती है तो उनके किये हुए पर पानी फिर जाता है। इससे बड़ी कोई बात और हो नहीं सकती। इससे अच्छा तो आदमी की हत्या कर दे, वह उचित है पर जो बच्चा पढ़ने वाला है, उसने मेहनत करके परीक्षा दी है और वह परीक्षा रद्द हो जाए, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानून बनाओ पर कानून को इम्प्लीमेंट कराओ। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगीजी करते हैं उस तरह से डण्डा चलाने की आवश्यकता है, फिर नकल नहीं होगी। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। सरकार चाहे आपकी हो, चाहे हमारी हो। आज लाखों बच्चों के भविष्य के साथ राजस्थान के अन्दर खिलवाड़ हुआ है। इतना ही नहीं, राजस्थान पर कलंक भी लगा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। अब मैं चर्चा में ज्यादा भाग नहीं लूंगा क्योंकि जो आंकड़े लोगों ने दिये हैं, वह मैं रिपीट करूंगा तो कोई फायदा नहीं है।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से इतना ही निवेदन है- 'कात्तन बिरिया कात्यो कोनी, गैर स्याला कातन लाग्यां।' बिल ल्याओ, रोज बिल ल्याओ यां बिलां में उंदा पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अंतिम समय में सारी चीजें याद आ रही हैं। यह न्यायसंगत बात नहीं है। समयावधि बीत गयी। अगर समय पर चेतते तो लोगों का जरूर भला होता, अब कुछ होने वाला नहीं है। अब खाली वाहवाही लूटने के लिये यह बिल ला रहे हो, यह उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि इस बिल को तीन महीने के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये और इसमें फांसी की सज़ा भी सम्मिलित की जाये।

श्री सभापति: माननीय श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित), माननीय श्री प्रताप सिंहजी (अनुपस्थित), माननीय श्री अर्जुनलाल जीनगर (अनुपस्थित)। माननीय श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सदन का वक्त बहुत कीमती होता है और बहुत खर्चा भी होता है। मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं कि कोई भी बिल लाओ, सरकार आनन-फानन में बिल लाती है, बिना तैयारी के बिल लाती है, एक छोटे-से संशोधन के लिये बिल लाती है और उसके बाद में उसी बिल के ऊपर संशोधन के बाद में फिर दोबारा कुछ महीनों के बाद ही फिर संशोधन लेकर आती है। 2022 में यह बिल आया था और अब 2023 में फिर संशोधन आ गया। हम बार-बार कहते हैं, विपक्ष कोई सुझाव यदि देता है तो यह मत मानिये कि विपक्ष के लोगों का काम सिर्फ आपकी बुराई करना है, यह हमारा काम नहीं है। हम कोई सही सुझाव भी दें, हमें भी इस राजस्थान के नौजवानों के भविष्य की चिंता है। हम लोग भी आपकी तरह से सब चुनकर आते हैं, ढाई-तीन लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह नौजवान हमारी तरफ भी देखते हैं। जब उनके मां-बाप खेत में काम करके रात को जीरो डिग्री में वह फसल उगाकर अपने बच्चे को पढ़ाता है और उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है। आपने सुना होगा, उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या

(श्री अभिनेश महर्षि)

के अन्दर कारण लिखा कि मेरे पिताजी किस हालत में, किस परिस्थिति में मुझे पढ़ाने के लिये इन हालात का सामना करते हैं। आज फिर पेपर लीक हो गया, मैं मेरे पिताजी के सामने किस मुंह से जाऊंगा। मैं जानता हूं ऐसे अनेक लोगों को, अनेक बच्चे ब्रिलियंट हैं, पढ़े-लिखे हैं बल्कि इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इस पेपर लीक के गिरोह में जो लोग शामिल हैं, उनका जो षड्यंत्र है, उनके कारण बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है और वह निराश होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं।

मैं यह कहता हूं कि अच्छी बात है कि आपने इसके अन्दर पांच से दस साल की जो सज़ा थी, उसको बढ़ाकर आपने 10 साल से आजीवन कारावास कर दिया और उसके बाद में जुर्माना 10 लाख से 10 करोड़ कर दिया। माननीय सभापति महोदय, 18-19 बार पेपर लीक हुए हैं। यह कानून बनने के बाद में क्या पेपर लीक होना बंद हो गये? क्या कारण है एक ही परिवार से, आप अनुसंधान करवाइये, पुलिस के आला अधिकारी भी यहां बैठे होंगे, क्या कारण है कि एक परिवार से तीन-तीन, चार-चार एक ही परीक्षा में पास हो जायें? एक ही सेंटर से सैकड़ों लोग थानेदार बन जायें? एक ही तहसील के 100 से ज्यादा लोग सलेक्ट हो जायें? एक ही कोचिंग सेंटर से निकले हुए लोग परीक्षाएं पास करके अधिकारी बन जायें? यह दाल में कहीं काला तो जरूर है, माननीय सभापति महोदय, और बड़ी-बड़ी संस्थाएं बनायीं आपने। आपने SOG बना दी, और दूसरी संस्थाएं भी आपने बनाकर पेपर लीक के ऊपर मंशा जाहिर की कि हम इसकी जांच करवायेंगे, कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, लेकिन जो बिल में प्रावधान है, उस प्रावधान के अनुसार आपने कितने लोगों को सज़ा दे दी?

मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कहीं, जिन-जिन लोगों के नाम लिये, मैं नाम नहीं लेना चाहता दोबारा। वह लोग क्यों नहीं पकड़े जा रहे? पुलिस के अनुसंधान के ऊपर अंगुली उठाऊं। केस दर्ज होने के साथ ही आप RPSC को क्लीन चिट दे देते हो। आपकी जांच होती नहीं है, जांच होने से पहले आप कह देते हो कि उसके अन्दर RPSC का कोई व्यक्ति शामिल नहीं है, जबकि FIR के अन्दर नाम दर्ज कराते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह गंभीर चिंता का विषय है। राजस्थान के नौजवानों के भविष्य के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, क्या सरकार की और सरकार के मुखिया की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? हम

(श्री अभिनेश महर्षि)

घड़ियाली आंसू बहाते हैं। लिप सिम्पैथी एक वर्ड है, लिप सिम्पैथी दिखाते हैं कि हम नौजवानों के साथ में हैं, लेकिन नौजवानों के उजड़ते हुए भविष्य के साथ में आप लोग जिस तरह से सम्मिलित होकर, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, इसके अन्दर अभी आप विलोपित मत करा दीजिये, क्योंकि यह सही बात कह रहा हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य गोपाल केसावत, लिस्ट में नाम शामिल है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कोई भी बयान दे दे, मेरे पास में संगठन महामंत्रीजी की लिस्ट है, जिसमें PCC के मैम्बर्स की लिस्ट है। उस लिस्ट के अन्दर वर्तमान में भी गोपाल केसावत प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य है और उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है पेपर के अन्दर सैटिंग करके ई.ओ. बनवाने के लिये।

माननीय सभापति महोदय, यह इतना गंभीर विषय है। मैं नहीं कहता हूं कि इस बिल के अन्दर, मैं तो कहता हूं कि बिल के अन्दर जो प्रावधान हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिये क्या आपके पास में कोई एजेंसी या कोई साधन है या हम खाली घड़ियाली आंसू बहाकर इतिश्री कर लेंगे और हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ में इसी तरह से खिलवाड़ होता रहेगा? इन नौजवानों के भविष्य के साथ में तो न्याय नहीं होगा, मंत्री महोदय। क्यों नहीं होगा, मेरे हक में फैसला क्या होगा, माननीय सभापति महोदय, जब मेरा हाकिम ही मेरा कातिल है। मैं गंभीरता के साथ में यह बात कह रहा हूं। इसके अन्दर छिपे हुए गूढ़ रहस्य को जानिये। मैं फिर कह रहा हूं बिना किसी सरकारी साधन ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): हां, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, आप सही बात कह रहे हैं। आदरणीय, आप बताइये। कानून में विश्वास की बात, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार का कानून के ऊपर विश्वास नहीं है। यदि कानून के ऊपर विश्वास होता तो राजलदेसर नगरपालिका के सामने वह सफाई कर्मचारी, जो सलेक्ट हो गये थे और उनको राजनीतिक द्वेषता के कारण नौकरी के अन्दर जोइनिंग नहीं दी। मजबूर होकर वह सफाई कर्मचारी, अनुसूचित जाति के लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि आप इनको जोइन करवाइये। उसके बाद में उन लोगों को वहां पर जोइन नहीं कराया तो वह यहां डायरेक्टर साहब के पास में आये। डायरेक्टर साहब ने कह दिया कि नगरपालिका स्वयं सक्षम है

(श्री अभिनेश महर्षि)

जोइन कराने के लिये। उसके बाद में भी जोइन नहीं कराया और आज वह धरना देने पर मजबूर हैं। इस राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं कि कानून के अन्दर विश्वास आप लोगों को रखना पड़ेगा नहीं तो यह वोट की चोट से आपको सीधा कर देगी जनता-जनार्दन।

ऐसी स्थिति में बहुत लम्बी-चौड़ी बात तो मैं नहीं करूंगा। यह बिल आनन-फानन में आधा-अधूरा लाया गया है और इसके अन्दर इस तरह के कोई प्रावधान भी कर दो कि जो अधिकारी और एजेंसीज काम करती है और वह यदि इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करती है, यदि कोई कोताही बरतती हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी सज़ा का प्रावधान होगा, तब जाकर यह इम्प्लीमेंट होगा, नहीं तो बिलकुल भी नहीं होगा।

मैं फिर कहता हूं, राजस्थान की सरकार को आगाह करता हूं कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बन्द कर दो। नौजवानों की हाय आप लोगों को लगेगी और आने वाले समय के अन्दर आप लोगों को यह जनता-जनार्दन और नौजवान माफ नहीं कर सकेंगे। इसको जनमत के लिए परिचालित करने के साथ ही मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, एक बात तो रह गयी। एक सैकण्ड।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): हो तो गयी।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, एक बात और है। छोटी-सी बात है, यह रह गयी थी।

यह कर्ण नरेन्द्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोबनेर का बहुत गंभीर मामला है। इसके अंदर, मैं उसमें तो नहीं जाना चाहता कि जो सलेक्शन कमेटी थी और वह सारे एक सिरे से, मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं हूं, हम 36 कौम के अंदर विश्वास करते हैं, लेकिन पूरी की पूरी लिस्ट में एक ही हैं। जब एक ही जाति के सलेक्शन करने वाले लोग होंगे तो उसके अंदर 26 में से 20 वह ही व्यक्ति सलेक्ट होंगे। यह ऐसे-ऐसे गंभीर मसले हैं।

सभापति महोदय, आप तो विद्वान आदमी हो, बहुत पुराने आदमी हो, इस सरकार के थोड़े कान खींच दो। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, निश्चित तौर पर यह बहुत गंभीर मामला है। जब 2022 में हम लोग बिल लेकर आये थे, वह तत्कालीन Circumstances थे, उस समय बिल लाने की जरूरत थी लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। 2013 से 2018 के बीच में राजस्थान के अंदर जो सरकार थी, उस दफा भी 2016 में एक पेपर लीक हुआ था। उस बात को भी हमें नोट करना चाहिए। राजस्थान के मुख्य मंत्री की संवेदनशीलता, सरकार की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग बिल लेकर आये।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि 2013 से लेकर 2018 तक राजस्थान सरकार की कितनी नौकरी निकली और कितने लोग भर्ती हुए हैं, जरा इस बात पर भी चर्चा सदन में होनी चाहिए। हमने कम से कम सरकार में आने के बाद में लोगों को नौकरियां देने का काम तो किया, परीक्षा का आयोजन तो किया। जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्यवाही भी की। बोर्ड के चेयरमैन को बर्खास्त भी सरकार ने किया और लोगों के खिलाफ पर्चे भी दर्ज किये।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हिन्दुस्तान के दूसरे प्रांतों में यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा और केन्द्र सरकार में भी पेपर लीक हुए हैं। जिन सरकारों को कानून बनाने चाहिए थे, उन सरकारों ने अभी तक पता नहीं कानून बनाये या नहीं बनाये, इसकी मुझे जानकारी नहीं है लेकिन भारत सरकार ने इस बारे में क्या फैसला किया? राजस्थान की सरकार पर, राजस्थान के मुखिया पर जिस तरह के आरोप सदन में लग रहे हैं, इनको जरा अपना इतिहास भी देखना चाहिए, अतीत में भी जाना चाहिए कि हमने पिछले 5 साल में क्या किया है? हमने डेढ़ लाख से ज्यादा बच्चों को नौकरी दी है और बाकी डेढ़ लाख के आसपास प्रक्रियाधीन हैं। हमने परीक्षा भी कराई। परीक्षा में अनफेयर मीन्स यूज हुआ, उसके खिलाफ कार्यवाही भी की। सरकार और एसओजी, हमारी सारी एजेंसियां उस पर कार्य कर रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आजाद हिन्दुस्तान में पहली बार भारत सरकार ने जो सबसे बड़ी परीक्षा इस

(श्री जगदीश चन्द्र)

देश में होती है आई ए एस अफसर की, जो इस गैलरी में बैठे हुए हैं उनकी परीक्षा न कराकर 100 लोगों की भर्ती प्रोफेशनल के आधार पर कर ली गयी। भारत सरकार में इससे बड़ा करेप्शन कोई हो सकता है क्या? इससे बड़ी कोई जालसाजी हो सकती है देश के नौजवानों के साथ में? 100 लोगों की भर्ती केन्द्र सरकार ने की है आई ए एस अफसरों के नाम पर और उनको designated कर दिया गया है भारत सरकार के अंदर।

सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार जो अमेंडमेंट लेकर आयी है, यह अमेंडमेंट लोगों की मांग पर ही हमने किया है। हमने मैक्सिमम जो पनिशमेंट हो सकता था उसमें एक्ट में प्रावधान किया है, और ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो नैक्स्ट सैशन में वह भी हम लेकर आयेंगे। यह भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है। सरकार इसके प्रति गंभीर है लेकिन जिस तरीके के आरोप सरकार पर लगाये जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि अभी जब पिछले बिल पर चर्चा हो रही थी तो हमारे लीडर आफ अपोजिशन ने कहा कि राजस्थान में पद खाली हैं, राजस्थान सरकार पद नहीं भरती। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि 2014 में नरेन्द्र मोदी जी की दिल्ली में सरकार बनी थी। भारत सरकार की 90 हजार पोस्टें हैं subordinate की, जो खाली पड़ी हुई हैं उसकी भर्ती का कोई प्रयास नहीं किया गया। जो सरकार 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रही थी, मेरा सवाल है सरकार से कि 90 हजार पोस्टें पिछले 8 साल से खाली पड़ी थीं, भारत सरकार ने क्या किया?

जो फौज की नौकरी थी वह भी अग्निवीर के माध्यम से 4 साल की कर दी गयी। पहली बार देश में 15 लाख से 12 लाख फौज कर दी गयी। भारत सरकार की कोई भी नौकरी 10 साल से ज्यादा केन्द्र सरकार नहीं करने जा रही, इस पर भी चिंता सरकार को करनी चाहिए।

सभापति महोदय, इन्होंने आरोप तो लगा दिया कि राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। राजस्थान की सरकार इस मसले पर जितनी गंभीर है, मुझे लगता नहीं कि देश की सरकार इस पर गंभीर होगी। जिस तरीके से आये दिन मुख्य मंत्री जी इस पर चर्चा करते हैं और जो कंसर्न एजेंसीज हैं, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। 40-40 लोगों के खिलाफ पर्चे हमने दर्ज किये हैं। बोर्ड

(श्री जगदीश चन्द्र)

के चेयरमैन को भी हमने बर्खास्त किया है। सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। आज भी इनके वातावरण खराब करने से हम कोई सरकार की नौकरी रोक नहीं रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट्स में हम लोग भर्ती कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जब हमें 2018 में सरकार मिली थी तो कहीं पटवारी नहीं थे, कहीं तहसीलदार नहीं थे, कहीं पंचायत के सेक्रेटरी नहीं थे, कहीं डाक्टर नहीं थे, कहीं नर्सिंग स्टाफ नहीं था। हमने पूरे राजस्थान के नौजवानों का ख्याल करते हुए हर जगह की भर्ती खोली। हर जगह पेपर कराये। जो बेहतर तरीके से हो सकता था वह सरकार ने करने का प्रयास किया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो बिल आया है, वह बहुत शानदार बिल है। अगर इसमें और भी अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर सरकार करेगी। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहा हूं और इस बिल का समर्थन कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री हमीर सिंह भायल (हाथ के इशारे से बोलने से मना किया)। माननीय श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित)। माननीय श्री बलजीत सिंह यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ, इसमें गड़बड़ करने वालों के खिलाफ सरकार ने जो अधिकतम 10 साल की सज़ा तय की थी, उसको बढ़ाकर उम्र कैद किया, मैं सरकार की इस मंशा की प्रशंसा करता हूं लेकिन इसको नाकाफी मानता हूं। सरकार ने पहले 10 साल तय की फिर भी इस पर रोक नहीं लगी तो सरकार को लगा कि कुछ सज़ा बढ़ानी चाहिए, तो दूसरा बिल लेकर आई है।

सभापति महोदय, कितने ही कानून बना दें, कितने ही हम बिल ले आयें, जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक ऐसा कृत्य करने वालों की रूह नहीं कांपेगी इस सज़ा, से तब तक यह चीजें रुकने वाली नहीं हैं। सभापति महोदय, इंडिया के एयरपोर्ट पर व्यक्ति पान खाता है तो वहीं दीवार पर कहीं पीक थूक देता है, लेकिन वही व्यक्ति दुबई में उतरता है तो उसको

(श्री बलजीत सिंह यादव)

ध्यान रहता है कि मुझे कहां पर थूकना है कि नहीं थूकना है, क्योंकि उसके मन में डर है। पुरानी कहावत है, भय बिन प्रीत नहीं। जब तक भय नहीं होगा तब तक यह चीजें रुकेंगी नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि चोर नहीं चोर की मां को मारो, जो चोर पैदा होने से ही बंद हों।

सभापति महोदय, इन छोटे, मोटे को पकड़ने से, उस कटारा को पकड़ा, राजस्थान की जनता जानना चाहती है, राजस्थान का जवान जानना चाहता है कि उस कटारा को पकड़ा, उसके बाद वह कड़ी कहां तक जुड़नी थी, कितना उसका रिमांड हुआ? सभापति महोदय, जनता को दिखना चाहिए था कि कटारा का ऐसा रिमांड हुआ है कि दुनिया को लगता कि कौनसा रिमांड हुआ है। निर्दोष व्यक्ति का ऐसा रिमांड हो जाता है, अगर किसी पुलिस आफिसर के अहंकार को जरा सी चोट पहुंचा दी तो वह चल नहीं सकता, वह बैठ नहीं सकता है, वह सो नहीं सकता है लेकिन कटारा जेल चला गया। किसको पैसे दे रहा था? किसके लिए पैसे ले रहा था? यह कोई चीज स्पष्ट जनता के सामने नहीं हुई।

सभापति महोदय, न्याय करना जरूरी है लेकिन न्याय होता हुआ दिखे, यह भी जरूरी है। क्या हालत होती होगी, किसी गरीब किसान का बेटा जो 5-5 साल से भर्ती पूरी नहीं हो रही और इंतजार कर रहा है। रीट की परीक्षा 2018 की आज तक कम्प्लीट नहीं हुई है। सभापति महोदय, कितने लोगों की सगाई टूट गई, कितने ही लोग शादी करने वाले थे। दादाजी का सपना था कि मेरे पोते की शादी देखकर जाना चाहता हूं और पोते ने कहा, दादाजी, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरा सलेक्शन होगा, पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तब शादी करूंगा। दादाजी चले गये लेकिन भर्ती कम्पलीट नहीं हुई।

सभापति महोदय, जब पेपर लीक होता है, मैं राजस्थान की 200 विधान सभाओं में गया। मैंने यूथ के मन में डर देखा कि रीट की परीक्षा देने जा रहे हैं, भाई साहब, अबकी बार लीक हो गया तो मर जायेंगे। उसके मन में इतना डर है। उस यूथ के मन में डर है लेकिन अपराधी के मन में डर नहीं है। मैंने इसी विधान सभा में कहा था, जब मैं सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक इसके विरोध में दौड़ा था, कि मेरे घर पर आकर एक अभ्यर्थी ने कहा कि रामकृपाल ने उसको कहा कि परीक्षा होने के बाद कि मुझे 12 लाख रुपये दे, मैं ओएमआर शीट बदल दूंगा। तब मैंने यहां कहा था कि ऐसा हो रहा है, तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और यह प्रमाणित करता है कि जो गोपाल अरेस्ट

(श्री बलजीत सिंह यादव)

हुआ है, वो ओएमआर शीट बदली जा रही है। इसलिए हमें जाना पड़ेगा उस गहराई में कि कहां लीकेज है? ऐसी इम्पोसिबल कोई चीज नहीं, किसी इंसान ने किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इतने टन का हवाई जहाज बिना सपोर्ट के उड़ जाएगा, उड़ा दिया। चांद पर इंसान पहुंच जाएगा, पहुंचा दिया। सैटेलाइट बना दिया, क्या-क्या बना दिया। अमरीका में बैठा हुआ आदमी हिन्दुस्तान में बात कर रहा है, यह इंसान ने बना दिया लेकिन क्या हम इस पेपर लीक को नहीं रोक सकते? लेकिन यह बनाने वाला था, उसकी इच्छा शक्ति थी, एक मरते हुए आदमी को जिंदा कर देता है डाक्टर, मर रहा है, जिंदा कर देता है डाक्टर, आपरेशन करके जिंदा कर देता है, लीवर ट्रांसप्लांट कर देता है, सब कुछ बदल देता है लेकिन एक पेपर लीक नहीं रुक रहा है हमसे? यह हमारी कमजोर इच्छा शक्ति को दर्शाता है। हम कानून बनाकर सिर्फ जनता को यह बताना चाहते हैं कि हमने हमारी ड्यूटी पूरी कर दी है, खानापूर्ति कर दी है, यह हम जब तक नहीं सोचेंगे तब तक पेपर लीक कभी नहीं रुकेंगे, चाहे आप उम्र कैद कर दो फिर भी यह होता रहेगा।

इसके साथ ही साथ बिल लाने की जरूरत थी, माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा कि यूथ के लिए बिल लेकर आते कि आज 21 राज्य हिन्दुस्तान में ऐसे हो गये हैं जहां पर राजस्थान के युवाओं का सलेक्शन रेट जीरो है, एक को भी नौकरी नहीं दे रहे हैं, अलग-अलग कानून बनाकर सारी नौकरियां उन्होंने रिजर्व कर लीं पर मेरे राजस्थान में उनकी नौकरियों पर डाका डाला जा रहा है। इसलिए सरकार को बिल लाकर उसके हित की रक्षा करनी चाहिए थी। प्राइवेट कम्पनियां हमारी जमीन ली, हमारा पानी ले रहे हैं, पोल्यूशन हम झेल रहे हैं और नौकरी दूसरे लोगों को दे रहे हैं, स्टेट के लोगों को नहीं दे रहे हैं। सरकार को बिल लाना चाहिए था कि सरकारी में 90 से 100 परसेंट राजस्थान के बच्चे लगेंगे और प्राइवेट कम्पनियों में 75 परसेंट बच्चे लगेंगे या फिर केन्द्र सरकार बिल लाए और जो 21 राज्यों ने रोका है राजस्थान के बच्चों को, उनको रोकने वाले जो कानून हैं, उनको भी निरस्त किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, सारा का सारा कोई ठेका राजस्थान के जवान ने नहीं उठा रखा कि उसका सब कुछ लुटता रहेगा और वह हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहेगा। माननीय सभापति महोदय, बिल लाने की जरूरत थी, युवाओं के भविष्य को बचाना था तो जो बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर हैं, लूट मचा

(श्री बलजीत सिंह यादव)

कर रखी है इन लोगों ने, इन पर नकेल कसनी चाहिए थी सरकार को, फीस निश्चित करनी चाहिए थी सरकार को लेकिन अफसोस की बात कि ऐसे बिल नहीं आते हैं। प्राइवेट स्कूल जो छोटे वेलफेयर के लिए होते हैं, माननीय सभापति महोदय, एजुकेशन उद्योग नहीं है, यह वेलफेयर के लिए होता है लेकिन बड़े-बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल, दो-दो लाख, ढाई-ढाई लाख रुपये फीस ले रहे हैं, कमर तोड़कर रख दी। किसी के घर में दो-तीन बच्चे हैं और जो ईमानदार व्यक्ति है, जो मेहनत की खाता है वो पढ़ा नहीं सकता उन प्राइवेट स्कूलों में। लूट मची हुई है। क्या सरकार चेक नहीं कर सकती कि यह वेलफेयर के लिए पैसा जा कहां रहा है? यह ईडी, इनकम टैक्स सेंटर गवर्नमेंट के, क्या वो चेक नहीं कर सकते कि राजस्थान की पुलिस या एसओजी या एंटी करप्शन ब्यूरो का ये चेक नहीं कर सकते, लेकिन माननीय सभापति महोदय, सच में तो यह है कि मेहनतकश, ईमानदार, किसान, मजदूर का सही में साथी कोई नहीं है, दिखावे के साथ जरूर हैं लेकिन रियल में उसके दर्द को कोई महसूस करे, ऐसा लगता नहीं है।

चुनाव आते हैं तो सभी लोग, उन नेताओं के आप भाषण सुनना, किसान को कोई अन्नदाता कहता है, कोई उसको मालिक बताता है लेकिन किसान की फसल को भी एम एस पी पर खरीदा नहीं जाता है। एम एस पी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि कम से कम इतने पर तो खरीदो, पर उस पर नहीं खरीदा जाता है। बाजरा एम एस पी 2,400 के लगभग और बाजरा बिकता है 1,200, 1,250 रुपये प्रति क्विंटल पर। इसलिए किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा।

माननीय सभापति महोदय, यमुना से पूरी दिल्ली बहने को हो रही है, पानी बहता जा रहा है, मैंने पहले भी रखा, सब बजट रोक दो, एक बार इस पानी को किसान के खेत तक पहुंचा दो। अगर वही पानी, यमुना का पानी मेरे राजस्थान में आ जाता, मेरे अलवर में आ जाता, बांध बनाकर डाल देते, हरियाणा वाले पानी छोड़ रहे हैं, पंजाब वाले पानी छोड़ रहे हैं, यमुना और हमारे यहां चम्बल खतरे के निशान से बहकर जाती है, अगर वही पानी आ जाता तो किसान आबाद हो जाता। आप नौकरी नहीं देते तो खेत में कमा कर पेट भर लेता पर पानी सूख गया, फसल नहीं होती है और नौकरी आप देते नहीं हो, इसलिए क्राइम बढ़ता जा रहा है और अगर यह नहीं रोका गया तो मैं बार-बार कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा है कि राजस्थान की युवा क्रांति आपको देखने को मिलेगी।

(श्री बलजीत सिंह यादव)

माननीय सभापति महोदय, मैं 200 विधान सभा क्षेत्रों में गया, निर्दलीय विधायक हूं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरा कोई नेटवर्क नहीं, लेकिन मुद्दों को लेकर मैं गया तो, माननीय सभापति महोदय, 179 विधान सभा क्षेत्र तो ऐसे थे जहां जीवन में पहली बार गया, वहां पर बड़े-बड़े नेताओं के भीड़ नहीं आती है, उतना जन सैलाब उमड़ कर आया था कि बलजीत यादव के मुद्दों का समर्थन कर रहे हैं। वो बलजीत यादव के लिए नहीं आए थे, वो अपने मुद्दों के लिए आए थे कि कोई हमारे मुद्दों की बात कर रहा है इसलिए हम समर्थन दिखाते हैं कि हमारी तरफ सरकार देखे। माननीय सभापति महोदय, लेकिन अफसोस की बात, मैं सोचता था कि इस बजट में भी आएगा, मैं छह दिन तक सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक दौड़ा, अपनी जान की बाजी लगाकर दौड़ा कि सरकार का ध्यान आकर्षित करूं लेकिन अफसोस की बात, सरकार तो छोड़ो, मीडिया के लोग भी इतने मैनेज हो जाते हैं कि एक लाइन तक किसी ने नहीं छापी कि कोई एम एल ए छह दिन तक दौड़ रहा है, खून की उल्टियां हो गईं मेरे को लेकिन एक लाइन क्या मजाल कि कोई छाप दे मीडिया का।

माननीय सभापति महोदय, कैसे न्याय होगा? न सरकार सुनेगी, न कोई और सुनेगा। विपक्ष में भी पिछली बार कितने पेपर आउट हुए तब भी आप देख सकते हो, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसलिए मैं कोई एक के लिए नहीं, मैं सरकार को कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी हो, कोई भी सरकार बदले, कोई भी जीतकर आए, अच्छी बात है कि सब लोग आप जीतकर दोबारा आओ, मेरी तरफ से तो शुभकामनाएं लेकिन मैं निराश बहुत हूं कि यूथ के लिए कुछ कर नहीं पाया। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं जो कुछ कर सकता था, जो मैं कर सकता था कि मैं इसमें सीरियसनेस लाऊं अपनी मांग में, मुझे किसी ने कहा कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक क्यों दौड़ रहे हो, छह दिन तक क्यों दौड़ रहे हो? मैंने कहा कि मैं इसमें गंभीरता लाना चाहता हूं कि मैं नेतागीरी के लिए मुद्दे नहीं उठा रहा हूं मैं जान की बाजी लगा रहा हूं तो सरकार समझे कि यह समस्या गम्भीर है और इसको सीरियस ले और इस पर विचार करे और इस पर कोई ऐसा बिल लेकर आए।

माननीय सभापति महोदय, उस वक्त राज्य सभा का चुनाव था, तब भी मैंने रखा था कि एक कानून लाओ कि जो स्थानीय जवान हैं, उनके लिए कानून बने और उनका जो हक है, उनका जो हित है उसकी रक्षा हो सके,

(श्री बलजीत सिंह यादव)

लेकिन अफसोस की बात कि वो कुछ नहीं हुआ। न किसान के लिए कर पाए, न मजदूर के लिए कर पाए, न स्कूलों पर लगाम लगा पाए, न कोचिंगों की लूट पर लगाम लगा पाए, इसलिए मैं तो अभी भी कहूंगा कि समय है, अभी भी कई और बिल आएंगे, सरकार अगर चाहे तो आगे दो दिन बढ़ाकर यह बिल लेकर आए, जिससे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हक की रक्षा हो।

आप बहुत सारी योजनाएं ला रहे हो, अच्छी बात है लेकिन इन यूथ के लिए आप सोच लेते, मुझे नहीं पता कि किसी ने क्या समझाया, क्या नहीं समझाया सरकार को, अगर आप इनके मुद्दों को साल्व कर देते तो आप ये योजनाएं न भी लाते तो भी प्रचंड बहुमत से सरकार को जिताकर जनता भेजती, राजस्थान के किसान भेजते क्योंकि ये जो लोकतंत्र को जिंदा जो लोग रखे हुए हैं वो सिर्फ रखे हुए हैं गरीब, किसान, मजदूर, मिडल क्लास लोग रखे हुए हैं, वही सत्य को सत्य कहते हैं, असत्य को असत्य कहते हैं, बाकी तो लोग बायस्ड होते हैं, कोई कहता है कि मैं इस पार्टी का गुलाम हूं, कोई कहता है कि मैं इस पार्टी का गुलाम हूं। सच के साथ जो खड़े होते हैं वो गरीब, किसान, मजदूर खड़े होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों का विश्वास सरकार को जीतना चाहिए, यह मैं सरकार को कहना चाहता हूं और वो लोग एक जरा-सा उनके लिए कोई पसीने की बूंद बहाता है तो उनके मन में एक भावना होती है कि समय आने पर हम अपने खून की बूंद-बूंद देकर उसका ऋण चुकाएंगे, ऐसी भावना किसान, मजदूर, गांव का व्यक्ति रखता है।

मैं आशा रखता हूं कि सरकार इस चीज के लिए सोचेगी और जरूर इनकी मांगों का समाधान करेगी। मेरी 14 सूत्री मांगें हैं उन पर सरकार विचार करेगी और इसी सदन में मैं घोषणा करके बताता हूं, अबकी बार समय कम रह गया और नया हूं, पहली बार हूं, अगर ये नहीं हुआ तो दोनों पार्टियों के लोग बैठे हैं, अगले पांच साल में एक दिन नहीं सोऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में कैसी क्रांति होती है, यह आपको देखने को मिलेगी और इसी सदन में आपको मैं बताऊंगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री सुरेश टाक (अनुपस्थित), माननीय अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023, यह बिल 2023 में लाया गया। 2022 में भी लाये थे। मेरा यह कहना है कि जब बाड़ ही खेत को खा रही है तो बार-बार विधेयक लाने की क्या जरूरत है? पेपर आउट करने वाले सरकार में बैठे हुए हैं, जिनके परिवार के सारे सदस्य सलेक्ट हो जाते हैं। पूरा राजस्थान जान रहा है। वे जारोली कहां गये, जो आपके चेयरमैन थे? कहां गायब हो गया वह भूपेन्द्र सारण? कहां गायब हो गया शेर सिंह मीणा? बाबूलाल कटारा तो एक थर्ड ग्रेड टीचर था, किनकी शह पर इसकी पोस्टिंग आर पी एस सी में हुई? पूरे राजस्थान के हर जिले में उसकी जमीनें हैं।

आज करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। 19 बार परीक्षा रद्द होना बहुत बड़ी बात है। आप और हम जब पढ़े उस जमाने में कोई जानता नहीं था कि परीक्षा के पेपर भी लीक होते हैं। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, रात-दिन मजदूरी करनी पड़ती है, तब जाकर पढ़कर परीक्षा देते हैं। मेरा निवेदन है, सुरेश ढाका का खेल अलग ही है। रह कहां रहा है, काम कहां कर रहा है, बिल्डिंग किसकी गिर रही है? यहीं है, क्या कहते हैं, कौन-सा चौराहा है, डेली उसी रास्ते से आते हैं, हां, रिद्धि-सिद्धि चौराहा।

कल्ला साहब, शिक्षा मंत्री तो कई देखे हैं। मेरे जैसे भी देखे हैं। उनके जैसे भी देखे हैं। किनके जैसे? +++ जी जैसे।

श्री सभापति: नाम डिलीट करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): हम लगातार विधान सभा में आ रहे हैं, कुछ तो सीखते होंगे, लेकिन इस प्रकार की शिक्षा नीति को, बालकों का भविष्य, बालकों के साथ-साथ इनके परिवारों का भविष्य, आपका बेटा हो सकता है, हमारा हो सकता है, सबका भविष्य अंधेरे में किया, इसलिए मैं 6 महीने के लिए जनमत जानने हेतु आपसे निवेदन कर रहा हूं। सभापति महोदय, आपकी मर्जी, करें चाहे न करें, लेकिन बाड़ खेत को खा रही है, यह सत्य है। धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: माननीय चन्द्रभान सिंह आक्या। माननीय रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, सरकार राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के

(श्री रामलाल शर्मा)

अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 लेकर आ रही है। यह संशोधन सरकार पहले भी लेकर आयी है। कानून बहुत से बने हुए हैं और कानून की जानकारी सभी को होती है। मैं किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारूंगा, 323, 341 में मुकदमा दर्ज होगा। मुझे यह भी पता है कि अगर चोट गहरी है तो हो सकता है 325, 326 में भी जो कानून के दायरे में सज़ा है, वह भुगतनी पड़े। सज़ा का कानून 302 का भी बना हुआ है कि यदि किसी का मानव वध होगा तो 302 की धाराओं के तहत उसे सज़ा मिलेगी, लेकिन क्या कानून बनाने से झगड़े बन्द हो गये, हत्याएं बन्द हो गयीं? ईमानदारी से इन कानूनों की पालना कराने की जिम्मेदारी इन पर है। क्या इन कानूनों की पालना ईमानदारी से हो पा रही है? ईमानदारी से परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, क्या वे ईमानदारी से परीक्षाएं करा रहे हैं?

सभापति महोदय, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हर माता-पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा अपने भविष्य को सुरक्षित करे। अगर खुद के आवश्यक खर्चों में भी कटौती करनी पड़े तो वे वह भी करते हैं। बच्चे ने कह दिया फीस जमा कराने के लिए 5 हजार रुपये चाहिये, तो कहीं से भी उधार लेकर आएं, लेकिन माता-पिता उसकी व्यवस्था करते हैं। जयपुर, सीकर, कोटा में कोचिंग के लिए भी भेजते हैं। मकान का किराया भी भरते हैं। ऐसे में एक के बाद एक जब परीक्षाएं निरस्त होती हैं तो उनके सपने टूटते नजर आते हैं।

सभापति महोदय, मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है, क्या सरकार बतायेगी कि आपके अन्तरराष्ट्रीय नेता की यात्रा में चलने वाले कौन लोग थे, जो उनके साथ सैल्फी लेने वाले लोग थे, जिनकी सीएमओ में भी दखल थी? क्या सरकार बतायेगी कि राजीव गांधी स्टडी सर्कल में वे कौन लोग थे जिन्हें परीक्षा की जिम्मेदारी दी गयी? उस जिम्मेदारी में उन्होंने लापरवाही बरती। क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पेपर लीक मामले में जो मुख्य आरोपी है, क्या कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता उन्हें बचाने के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए हाई कोर्ट में नहीं जाते?

सभापति महोदय, कानून के आधार पर समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब ईमानदार लोग इन संवैधानिक संस्थाओं में बैठना शुरू करें। ईमानदार लोगों को बैठाने के लिए उस चश्मे को उतारना पड़ेगा, जो वोट बैंक की राजनीति के आधार पर, आप प्रलोभन के आधार पर, एक-दूसरे की सहायता के आधार पर जो जिम्मेदारी

(श्री रामलाल शर्मा)

देने का काम कर रहे हैं। बाबूलाल कटारा को पहले कौन नहीं जानता था? कांग्रेस के किस नेता के सम्पर्क में वह था? किस नेता ने सिफारिश करके उसे आर पी एस सी का सदस्य बनाया? क्या सरकार को उनके आपसी रिश्तों की जांच करने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं सरकार उनके रिश्तों की जांच कर रही?

सभापति महोदय, क्या मां सरस्वती ने जालौर जिले में एक ही रात के लिए कोई नाइट स्टे किया था? उन तमाम परीक्षार्थियों की बुद्धि में मां सरस्वती बैठ गयीं। एक ही जिले में 250 एसआईज का सलेक्शन हो जाये, एक ही विधान सभा क्षेत्र से 100 से अधिक सब-इंस्पेक्टर्स बन जाएं। क्या सरकार के पास यह प्रावधान नहीं है कि उनकी दोबारा परीक्षा ली जाये या उस भर्ती को निरस्त किया जाये? उन विद्यार्थियों का क्या दोष है जिन्होंने ईमानदारी के साथ परीक्षा दी? लेकिन आज भी मैंने सोशल मीडिया पर देखा, एक सब-इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भर्ती हुई महिला से पूछा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो कहती है, ''मुझे तो पता नहीं।'' तो फेर काकी, कुण नै पतो? तू सब-इंस्पेक्टर बणगी, तने पतो नी तो फिर कुण नै पतो छै? ऐसे-ऐसे लोगों का सब-इंस्पेक्टर में सलेक्शन, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का ही पता नहीं।

मंत्री महोदय, आप ईमानदार मंत्री हैं, अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए इस बिल के पारित होते ही सबसे पहले उस परीक्षा को निरस्त करना, जहां एक ही जिले में, एक ही तहसील में इतने सब-इंस्पेक्टर्स की भर्ती हो गयी। स्टेनो की भर्ती में कुल पोस्टें 90, एक ही सेंटर से 60 का सलेक्शन। यह कैसे हो सकता है? सभापति महोदय, कुल पोस्टें 90, एक ही सेंटर से 60 का सलेक्शन। सभापति महोदय, आपसे मेरा निवेदन इतना ही है, जो शब्द मेरी जुबां पर आ रहे हैं, उन्हें मैं काम में लेना नहीं चाहता, लेकिन यह सिस्टम पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका है। लोगों का विश्वास उठ गया है। तभी तो नक्सलवाद पैदा होता है। लोगों का विश्वास सिस्टम से उठ जाता है, तभी तो अराजकता पैदा होती है, लोग सड़कों पर आते हैं। जब लोग ही सिस्टम के खिलाफ होकर सड़कों पर उतर जाएं तो फिर बचाने वाला कौन है? इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान एक शान्त प्रदेश है, इन युवाओं में जो आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसे थामने का एक ही तरीका है कि उनमें फिर से विश्वास पैदा किया जाये। आज राजस्थान में, जैसा कि मंत्री महोदय ने खुद

(श्री रामलाल शर्मा)

स्वीकार किया, 8 परीक्षाएं निरस्त हुई हैं। इसके पीछे कारण क्या है? 19 मुकदमे दर्ज हुए हैं। आगे मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, आगे धांधली नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है?

सभापति महोदय, आप सिस्टम में जा रहे हैं, राजस्थान में बिजली विभाग की परीक्षाओं की भर्ती के लिए एक एजेंसी हायर कर रहे हैं। एजेंसी से कह रहे हैं कि आप भर्ती करके, सलेक्शन करके हमें दे दें। वह एजेंसी मोटे पैसे वसूल कर रही है। आखिरकार कहीं तो ब्रेक लगना चाहिये कि यहां आकर तो इतिश्री है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, ऐसी संदिग्ध एजेंसियों को भर्ती की जिम्मेदारी न दी जाये जो मोटा पैसा वसूल करने का काम करें। ऐसे लोगों को परीक्षा भर्ती में न लगाया जाये जो खुद बाड़ के रूप में खेत को खाने लगें। रक्षक ही भक्षक बन जाएं, ऐसे में फिर बचाने वाला कौन है?

आज राजस्थान के युवा बाहर के स्टेट्स में परीक्षाएं देने जाते हैं, जीरो सलेक्शन निकलकर बाहर आता है। आज बाहर के लोग राजस्थान में परीक्षाएं देने आते हैं। कानून के दायरे में इतने लोगों को हम परीक्षाओं में उत्तीर्ण करते हैं। राजस्थान के युवाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। आज राजस्थान के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। विश्वास किसी का नहीं है। हर घर में असंतोष फैल रहा है। इस असंतोष को रोकने के लिए रीट का उत्सव मनाने का आप काम कर रहे हैं। हम बार-बार कह रहे थे, रीट के अन्दर चीट हुई है। आप कह रहे थे, गिनीज बुक में नाम लिखा जाना चाहिये। हमने बसें फ्री कर दीं, खाना फ्री कर दिया, परीक्षा ईमानदारी से करवा दी, एक उत्सव के रूप में किया। रिजल्ट? धन्यवाद, उदयपुर के तत्कालीन एस पी को जिन्होंने उस बस को पकड़ लिया जो रातभर से पेपर की नकल करवा रही थी। अगर वे एस पी उस समय बस के उन पेपर आउट करने वाले लोगों को नहीं पकड़ते तो मेरे ख्याल से यह खुलासा भी नहीं होता कि इस परीक्षा का पेपर भी आउट हो गया। आज अराजकता का माहौल है। भू-माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया पूरे राजस्थान के सिस्टम को हाईजैक किये हुए हैं। उनके आगे प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहता है। जमीनों पर कब्जा करना, मन्दिरों की जमीनों का करना। सभापति महोदय, बंधोल में 1963 की जमाबन्दी में सार्वजनिक प्याऊ के नाम से जमीन। इस सरकार के आने के

(समय: 18.00 बजे)

(श्री रामलाल शर्मा)

बाद उसको भी व्यक्तिगत खातेदारी देकर खा-पीकर नक्की। मेरे जाटावाली में भी एक विवाद हो रहा है। बीड़ की जमीन, बीड़ की जमीन पर मीणा परिवार के लोग वर्षों से काबिज हैं, उसको भी खुर्द-बुर्द करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।

सभापति महोदय, आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि जल्दबाजी में सरकार काम नहीं करे। युवाओं के अन्दर आने वाले समय में बहुत बड़ा आक्रोश फैलने वाला है। इसलिए इस बिल को जनमत जानने के लिए आप भेजें। इस बिल में जो कमियां हैं, उन कमियां को दूर करते हुए फिर पारित करने का काम करें, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में पांच महीने पहले जब गृह विभाग के बजट पर चर्चा थी, तब मैंने कहा था कि आर.पी.एस.सी. का जो पर्चा लीक हुआ है, तो जहां से लीक हुआ है, आर.पी.एस.सी. में से किस जगह से लीक हुआ है, उसका तो पता लगाओ।

माननीय सभापति महोदय, आज इन पांच महीनों में वह सब कुछ सामने आ गया। वह पर्चा कहां से लीक हुआ था। राजस्थान में यह खेल अभी का नहीं है, यह खेल विगत कई सालों से चल रहा है। यह जरूर है कि अब यह बहुत बड़े स्तर के धन्धे में बदल चुका है। पहले भी जो मेम्बर रहे चेयरमैन रहे, सबको पता है। क्या फेवरिटिज्म होता था? क्या रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखा जाता था? क्या परिवार के लोगों का ख्याल नहीं रखा जाता था?

आप अगर आर.पी.एस.सी. चेयरमैन की नियुक्तियां देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूर्ववर्ती अनेक सरकारों ने जातिवाद से प्रभावित होकर वे नियुक्तियां कीं। आप लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चल जायेगा।

मैं आज देख रहा हूं कि सबसे कठिन समय हमारे प्रदेश के नौजवानों के लिए, सिर्फ प्रदेश के नहीं, पूरे देश के नौजवानों के लिए है। यह पर्चा लीक, कौन-सा राज्य ऐसा है जहां पर पर्चे लीक नहीं हुए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात इवन स्वयं भारत सरकार के एग्जाम के भी कई पर्चे लीक हुए। इससे निपटने का तरीका यह नहीं है कि हम यह कहें कि आपके राज में ये हो रहा है, हमारे राज में यह नहीं हो रहा था। ये सब के दामन पर दाग है तो मेहरबानी करके राजस्थान के नौजवानों पर रहम करते हुए, उस

(श्री संयम लोढ़ा)

बच्चे की पीड़ा को समझते हुए, जो अपने मां-बाप की मेहनत के पैसे से यहां 1000 रुपये महीना, 1500 रुपये महीने का कमरा किराये पर लेकर पढ़ाई कर रहा है, इस उम्मीद में कि अपने मां-बाप के सपनों को साकार कर सके, अपने परिवार को पैरों पर खड़ा कर सके, उसके सपने चकनाचूर हो रहे हैं तो दलगत राजनीति से ऊपर उठिये और एक ऐसे निर्णय की तरफ आगे बढ़िये। सरकारें आज हैं, कल फिर आपकी आ सकती है, कल फिर किसी और की आ सकती है, लेकिन समाधान होना चाहिए।

आप सज़ा बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर के आये हैं। जिसमें 5 साल की सज़ा है, उसे 10 साल कर रहे हैं, 10 साल की सज़ा है, उसे आजीवन कारावास कर रहे हैं। अच्छा है, बढ़ाइये लेकिन हत्या में फांसी की सज़ा है, तो हत्याएं रुक गईं क्या? आपने जितने लोगों को गिरफ्तार किया था, सब एक-एक सप्ताह में जमानत पर बाहर आ गये और उसी अपराध में लग गये। क्यों? क्योंकि उनका धन्धा ये ही है। आप और हम सभी जानते हैं कि जो लोग चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, क्या करते हैं? चोरी की, जमानत हुई, बाहर आये, वापस चोरी में लग गये। डकैती की, बाहर आये, वापस डकैतियों में लग गये। ये पर्चो लीक भी एक गिरोह है, गैंग है।

माननीय सभापति महोदय, एक छोटी-सी घटना का आपको निवेदन करूंगा। एक वकील साहब के आफिस में पिछले साल मुझे जाने का अवसर मिला। 2005 से लेकर 2018 तक जितने पर्चे लीक हुए, बिहार के एक गैंग का सरगना था, वह वहीं पर बैठा हुआ था। वकील साहब ने मेरा परिचय करवाया कि ये वे हैं, जिन्होंने पर्चे लीक किये। उन्होंने मुझे बताया कि 2005 से 2018 तक जितने एग्जाम हुए, हमने सबके पर्चे बेचे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह चीज जड़ों में घुस चुकी है। इसके लिए बहुत कठोर दिल से निर्णय लेने की जरूरत है। आपके, सरकार के अपने लोग भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त निर्णय लेने की जरूरत है वरना इसका समाधान नहीं होगा।

मैं निवेदन करूंगा, अभी जो सब-इंस्पेक्टर की भर्तियां हुई हैं, जो सलेक्शन हुए हैं, जिन लोगों ने जोधपुर में एग्जाम क्लियर किया, सोशल मीडिया पर एक कोचिंग एजेंसी के जरिये उसका मॉक इंटरव्यू आया और वह सलेक्टेड लड़की, तीन-चार लड़कियों का आया, उनको यह तक पता नहीं था कि राजस्थान में कितने जिले हैं और वे सलेक्ट हुईं। अभी दो-तीन दिन पहले

(श्री संयम लोढ़ा)

मध्य प्रदेश के भोपाल में पटवारी के एग्जाम हुए। उस पटवारी के एग्जाम की जो टापर है, उसका इंटरव्यू आप सुनेंगे तो उसने खुलेआम कहा है कि मैंने 10 लाख रुपये दिये हैं। उसको खुद को यह नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। ऐसे लोग खाली राजस्थान में सलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये जो पर्चे बेचने वाले हैं, ये सभी जगह पर हैं, हर जगह पर है। इसलिए हमको बहुत नेक ख़यालात के साथ आगे आना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी यह जो केसावत वाला प्रकरण हुआ, इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? इसको बहुत मिस हैंडल कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि परिवादी ने जो अपना परिवाद दिया उसमें उसने उल्लेख किया है, सदस्यों का उल्लेख किया है और यहां तक कि पैसे देने से पहले, उस केसावत को उसने यह भी कहा कि तुम मेरी बहन के भी नम्बर बढ़वा दो, तो केसावत ने वापस जानकारी करके उसको बताया कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बहन ने तो एग्जाम ही नहीं दिया है, तो परिवादी को भरोसा हुआ कि वास्तव में इसकी पहुंच आरपी.एस.सी. में बैठे लोगों तक है। तब उसने वो पैसे दिये। उसके बाद आपने क्या किया? उनका सिर्फ एक मोबाइल जब्त किया। यहां सबसे बड़ा प्रश्नचिह्न क्या खड़ा हुआ? आपने उनका रिमांड क्यों नहीं लिया? आपने उनको जे.सी. क्यों कर दिया? इतना गम्भीर अपराध, जिसमें एक पूर्व का राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति इन्वोल्व है। परिवाद के अन्दर जिनके नाम आ चुके हैं, उसके ऊपर भी आपने और मोबाइल एक ही जब्त किया। आपको रिमांड लेकर पूछना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये ओएमआर शीट बाहर आ गई है। यह कहां से बाहर आ गई? कैसे बाहर आ गई? आर.पी.एस.सी. के हर एग्जाम का एक मेम्बर इंचार्ज होता है। माननीय सभापति महोदय, ये ओएमआर शीट निकालने में कौन जिम्मेदार हैं? ये किसके पास से निकली तो आप मुख्य चोर को किस बात की सहूलियत दे रहे हो? किस बात का मौका दे रहे हो? उसको क्यों नहीं पकड़ना चाह रहे हो? मैंने पांच महीने पहले भी उस वक्त प्रश्न उठाया था कि यह पर्चा कहां से निकला है। आर पी एस सी का पर्चा किस जगह से निकला है और आर पी एस सी का मेम्बर पकड़ा गया। अभी ओएमआर शीट बाहर कहां से आ गई? उस केसावत की क्या हैसियत है? अगर आर पी एस सी के लोग उसमें इन्वोल्व नहीं हैं। एक और मजेदार बात, ये आप लेकर आये हैं, इसमें

(श्री संयम लोढ़ा)

अमेंडमेंट 10 साल की सज़ा करने का। मैं पूछ सकता हूं, जब ओएमआर शीट बाहर आ गई तो आपने इस एक्ट में मुकदमा क्यों नहीं किया? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, यह जो कानून था, इसमें मुकदमा क्यों नहीं किया? सिर्फ एंटीकरप्शन के पीसी एक्ट में मुकदमा क्यों हुआ? क्या आर पी एस सी की चेयरमैन की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसके यहां से जो ओएमआर शीट निकली है, जो ओएमआर शीट गायब हुई, किसी थर्ड पर्सन के पास पहुंची है, उस पर भी आर पी एस सी का चेयरमैन मुकदमा दर्ज करवाये? माननीय सभापति महोदय, क्यों नहीं करवाया गया आर पी एस सी चेयरमैन के द्वारा मुकदमा?

अब मैं निवेदन करूंगा आपको कि यह जो ओएमआर शीट बाहर गई है, यह एक काग्निजेबल आफेंस है। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से विनती करूंगा कि अपना दामन साफ रखिये।

इस तरीके से और मजेदार बात जब यह बात सर्कुलेट हो गयी तो उस परिवादी ने कोई सदस्य का नाम जाहिर किया है, तो एसीडी के डीजी प्रकट हो गये और प्रकट हो करके सफाई देने लग गये। तुम्हें क्या जरूरत है सफाई देने की? जांच हो जाने दो, होगा कोई मेम्बर इन्वोल्व तो सामने आ जायेगा। आपको क्या जरूरत है इसकी सफाई देने की? इन सारी चीजों से अनेक सवाल राजस्थान की जनता के मन में खड़े हुए हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी करो, जो भी इसके अन्दर दोषी हैं वह जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई इर्रेलेवेंट बात तो कर नहीं रहा। मैं निवेदन करूंगा कि ये कर्मचारी भर्ती बोर्ड, क्या हुआ? सीएचए का पेपर आउट हुआ। एसओजी को पूछा, एसओजी ने क्या रिपोर्ट भेजी, कि हां, पर्चा आउट हो गया तो वापस क्या पूछ रहा है भर्ती बोर्ड? कितने लोगों को यह पर्चा भेजा गया है? माननीय सभापति महोदय, जब सोशल मीडिया पर एक बार आ गया कि पर्चा आ गया है तो कितने लोगों को गया, कितने भी लोगों को गया होगा, पर्चा तो आउट है ही तो यह आपके भर्ती बोर्डों के अन्दर गैंगरीन होता है, गैंगरीन तो आप समझते ही होंगे, वह हो चुका है इसलिये इसका तो इलाज उसी तरीके से होना चाहिये, लीपा-पोती से इलाज नहीं होगा और यह हमको समझना चाहिये कि अगर हमारी प्रतिबद्धता पर प्रश्नचिन्ह खड़े हुए तो यह अवाम है, जनता है, यह हमको भी रुखसत करते देर नहीं करेगी।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, आपको वह किस्सा ध्यान होगा एक बायो-फ्यूल का सीईओ पकड़ा गया था पांच लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए एसीडी के द्वारा। क्या हुआ? उसके घर पर छापा पड़ा, कितने पैसे पकड़े गये? सभापति महोदय, आपको भी पता होगा। पांच करोड़ रुपये नकद उसके घर से पकड़े गये और उसके खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ। अब बहुत अजीब हालात हैं। उसमें सिर्फ इस आधार पर एफ.आई.आर. हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी कि एसीडी ने प्राथमिक जांच नहीं की। किसी के घर पर पांच करोड़ रुपये मिल गये, इससे ज्यादा क्या प्राथमिक जांच होगी? वह एफ आई आर क्वैश हो गयी, तो आज तक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने उस क्वैश एफ आई आर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। ऐसा क्यों?

नगर निगम के अन्दर वह दस करोड़ रुपये का लफड़ा हुआ था जिसमें मेयर का पति पकड़ा गया था। एक आरएसएस का प्रचारक भी था, उसमें भी हाई कोर्ट में एफ आई आर क्वैश हुई। एसीडी अभी तक अपील में नहीं गयी। यह क्या चक्कर है? इसलिये इस तरह की फिक्सिंग मत करो और जनता के सामने जो दूध का दूध पानी का पानी लाओ तब तो यह कानून, यह सज़ा बढ़ाने के प्रावधान का कोई मतलब रहेगा और नहीं तो अगर मुख्य चोरों को बचाते रहे, अपराधियों को बचाते रहे तो कितनी ही सज़ा बढ़ाओ राजस्थान के नौजवान का भविष्य अंधकारमय रहेगा, बर्बाद रहेगा और इसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी।

सभापति महोदय, इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करता हूं कि राजस्थान के आठ करोड़ लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि आप दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और आने वाले वक्त में आर.पी.एस.सी. में मेम्बर बनाने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और किसको रखें, बताओ? और विपक्ष के नेता, तीनों की कमेटी बना करके आर.पी.एस.सी. मेम्बर का चयन करेंगे तब जाकर के इसमें साफ सुथरापन आयेगा, फेवरिटिज्म खतम होगा और राजस्थान के साथ न्याय हो सकेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

(श्रीमती संतोष)

आज सदन के अन्दर इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है। परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु यह तीसरा बिल है जो संशोधन के रूप में लाया जा रहा है। बिल लाने या बिल संशोधन होने के बाद भी क्या प्रदेश के अन्दर जो पेपर लीक के मामले हैं वो रुक पाये हैं, इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये। राज्य सरकार की परीक्षा में हुई किरकिरी को देखते हुए जल्दबाजी में सरकार इस प्रकार से बिल तो लेकर आ रही है लेकिन इन बिलों से वास्तविक रूप से परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पर कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्या सज़ा का प्रावधान बढ़ा देने से ये अपराध रुक जायेंगे? इन बिलों से कहीं भी स्पष्ट नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, 2022 में बिल लाया गया, उस बिल में ऐसी क्या कमियां रहीं कि उनको दोबारा 2023 में बिल लेकर आना पड़ा और नाममात्र का संशोधन करके हम प्रदेश के अन्दर जो लाखों हमारे युवा हैं, नौजवान हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर सरकार मंशा रखती है, इच्छा शक्ति है तो जो पेपर लीक है, जो पेपर माफिया हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। खाली सज़ा बढ़ा देने से मुझे नहीं लगता कि कहीं ये अपराध रुक जायेगा। हम सबको पता है कि प्रदेश में किस प्रकार से पेपर लीक के कारण हमारे जो युवा हैं, हमारे जो नौजवान हैं जिन्होंने निराश होकर आत्महत्या तक कर ली, क्या इस बिल के द्वारा हम उनके साथ न्याय कर पायेंगे? इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, 2022 में जब बिल लाये थे तब उस समय भी विधि विभाग ने इसका परीक्षण किया या नहीं किया कि इसको दोबारा लाना पड़ा और जब तक सरकार इच्छा शक्ति रख कर इस ओर काम नहीं करेगी, तब तक ये अपराध नहीं रुक पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सज़ा बढ़ाने से या आजीवन कारावास से मुझे नहीं लगता कि कहीं ये अपराध कम हो पायेंगे। अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए एक प्रकार से परीक्षा देने के समय हमारी जो बहनें हैं उनके मंगलसूत्र तक उतार लिये गये या उनकी चूड़ियां तक उतार ली गईं, लेकिन पेपर लीक कहां हो रहा है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। जहां पेपर सेट होता है वहां से पेपर लीक हो रहा है, वहां तक सरकार क्यों नहीं पहुंच रही है? और कानून हम बना लेंगे, कानून बनाने के बाद क्या उस कानून को लागू कर पा रहे हैं? उस कानून के अनुसार जो पेपर लीक के राजस्थान के

(श्रीमती संतोष)

अन्दर इतने मामले आ रहे हैं और जो-जो नामजद हैं, अभी पूर्व सदस्यों ने जैसे बताया कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है? जब तक सख्त कार्यवाही नहीं होगी और भय नहीं होगा तब तक इस प्रकार से खाली बिल लाने से कुछ भी होने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अगर सरकार योगी जी जैसे निर्णय ले तो ये बिल लाने की भी जरूरत नहीं है और इस प्रकार के अपराध स्वत: ही खतम हो सकते हैं। इन अपराधों को, इन पेपर माफियाओं पर सख्त कार्यवाही करने के लिए इस बिल में जो कमियां हैं उनको भी दूर करना आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि इस बिल को लागू करने से पहले उन कमियों में सुधार करके फिर इस बिल को लाया जाये। और प्रदेश के अन्दर जो पेपर लीक के कारण इस प्रकार से हमारे जो लाखों युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए जो अभी-अभी एक उदाहरण दिया गया जालौर के अन्दर एक साथ एक तहसील के अन्दर सौ लोगों का सलेक्शन होना यह फिर सरकार पर एक सन्देह लेकर आ रहा है। तो कानून बन गया और बनने के बाद भी अगर यह चीज हो रही है तो कहीं न कहीं कमी हमारे अन्दर है, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि कानून हम बना रहे हैं उस कानून को कैसे लागू करेंगे। उस कानून को लागू करने की इच्छा शक्ति अगर है तो इस पेपर माफिया को हम रोक सकते हैं और जो नामजद हैं, एफ आई आर में जिनके नाम हैं वो जमानत पर हैं, फिर यह कानून बनाने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई काम आयेगा।

मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री गोविन्द प्रसाद (अनुपस्थित), माननीय श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित), माननीय श्री राजकुमार जी रोत (अनुपस्थित), माननीय श्री शंकर सिंह जी रावत (अनुपस्थित), माननीय श्री रूपाराम जी (अनुपस्थित)। माननीय श्री धर्मनारायण जी जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सभापति महोदय, सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिये बिल लाया गया है। 8 महीने पहले ऐसा ही एक बिल आया था। मैं बैठा-बैठा विचार कर रहा था, बार-बार कानून बदलने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि कानून तोड़ने वाले पहले ही उसका उपाय ढूंढ लाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं,

(श्री धर्मनारायण जोशी)

इंग्लैंड में एक कानून निकला, चार घोड़ों और बग्गी की सवारी राजा के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। धारीवाल साहब, एक सिरफिरे ने चार घोड़ों की राजा की सवारी निकाल दी। मैं आपके कानून के लिये निवेदन कर रहा हूं। उसको कोर्ट में तलब किया कि चार घोड़ों और बग्गी की सवारी राजा के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। उसके वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि, साहब, कानून में यह लिखा हुआ है कि चार घोड़े और बग्गी, इसमें दो घोड़े और दो घोड़ियां थीं। आप क्या संशोधन करेंगे, तीन घोड़ियां और एक घोड़ा कर देगा। रोज-रोज नये कानून लाकर कहां तक संशोधन करोगे? यह अधिकारी यहां बैठे हैं, आप सलेक्शन करके अच्छे लोगों के जिम्मे कीजिए यह काम। इसी प्रकार से दो-चार साल पहले डूंगरपुर में एक कलेक्टर थे, उन्होंने गिनीज बुक में नाम अंकित करने के लिये पांच लाख पौधे एक दिन में रोपे। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया, अभी भी उनके घर में उसके फोटो लगे होंगे। आज वहां एक भी पौधा नहीं है। यह बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी नई बात ही है।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब तक मैन मेकिंग का काम नहीं होगा, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लोकतंत्र में अदला-बदली होती रहेगी, जब तक आदमी के चरित्र के निर्माण का काम स्ट्रांग नहीं होगा, माननीय सभापति महोदय, आज 33 परसेंट वाला पास होता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका ज्ञान तो केवल 33 परसेंट और उसका अज्ञान है 67 परसेंट। आप उससे क्या अपेक्षा करोगे? यानी केवल डिग्री देकर उसको आगे बढ़ा रहे हो, इससे संस्कार तो आयेगा नहीं। कम से कम ज्ञान तो 51 परसेंट होना चाहिये और अज्ञान 49 परसेंट, इतना तो कीजिए आप। मुझे लगता है कि शिक्षा पद्धति को चेंज करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा पद्धति के बारे में एक और निवेदन करता हूं। हमारे आई.ए.एस. बनते हैं, आई.ए.एस. बनने के लिये ग्रेजुएशन के बाद केवल एक परीक्षा देकर पास होने पर आई.ए.एस. बन जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, आप विद्वान आदमी हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शिक्षा में बहुत लेट हो गये, कितना चेंज चाहिये। अगर एक अध्यापक बनना है तो उसको बीए करना है, फिर बीएड का एंट्रेस एग्जाम देना और बीएड देने के बाद रीट देना। आप परीक्षा के इस सिस्टम को बदलिए। परीक्षा के सिस्टम को पारदर्शी कीजिए। वह अध्यापक की नौकरी के लिये घूमता रहता है, प्रमाण पत्र बनाता फिरता है, उसको कोई चारा नहीं मिलता है। आपने जिसको विकास

(श्री धर्मनारायण जोशी)

माना, रोजगार को विकास माना, सड़कों को विकास माना, बहुत अच्छी बात है, विकास होना चाहिये, लेकिन जब तक व्यक्ति के मन में संस्कार नहीं होगा, मुझे बताने में बहुत संकोच होता है कि रेल में वह डब्बा सांकल से बंधा रहता है, प्याऊ में लोटा सांकल से बंधा रहता है, जब तक आदमी के मन में संस्कार अच्छे नहीं होंगे, तब तक आप नये-नये कानून बनाते जाओ, यह कानून कुछ नहीं करने वाला है।

मैं एक और उदाहरण देता हूं। प्रताप सिंह कैरों पंजाब के मुख्य मंत्री थे, उनकी हत्या हो गई। रोज समाचार पत्रों में छपता, देश के गृह मंत्री को पूछते, कौन जांच कमेटी का अध्यक्ष बना, क्या डवलपमेंट है, यह चलता रहा। देश के गृह मंत्री ने देश के सलेक्टेड आई.पी.एस. को बुलाया और कहा कि यह जांच आपको करनी है और आप अपनी इच्छा से चार अधिकारी और ले लो। उसने उत्तर प्रदेश कैडर के चार अधिकारियों को लिया। वह पांच अधिकारी जिनको जनता जानती नहीं, पुलिस नहीं जानती कि जांच यह कर रहे हैं और उस अधिकारी ने रात को दो बजे नेपाल में जाकर किवाड़ खटखटाया कि तुमको अरेस्ट करने के लिये आये हैं, तुम प्रताप सिंह कैरों की हत्या करके आये हो। माननीय धारीवाल साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि अच्छे अधिकारी छांट कर इस अच्छे काम में लगाइए। आप कानून बदलते रहेंगे, इसका कोई समाधान नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसमें और संशोधन करके इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आनरेबल लीडर आफ अपोजिशन, श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, पिछले 90 मिनट से इस सदन में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार हो रहा है। सभापति महोदय, बहुत बिरले मौके होते हैं जब सदन कुछ मामलों में एकमत हो जाता है, एक राय और एक स्वर में बोलना प्रारम्भ कर देता है और यह तब करता है, जब कोई ऐसे प्रकरण सामने आते हैं जो आने वाले भविष्य को भी लील कर सकते हैं, इस चिंता में सारे चिंतातुर हो जाते हैं।

सभापति महोदय, इस सदन में हम बैठे हैं, हम सब लोग अपनी जिंदगी के उस दौर से गुजरे हैं, जब एक अरमान के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिये प्रतिस्पर्धा के लिये हमने अलग-अलग समय में अपने जीवन में कोई न कोई परीक्षा निश्चित तौर पर दी होगी। उस समय उस जगह पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बैठकर हम अपने आपको देखें, जहां आज राजस्थान का एक करोड़ तीन लाख वह विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी ने 18 महीने में 26 परीक्षाएं दीं और जिसकी 16 परीक्षाएं रद्द हो गईं। 400 करोड़ रुपये उस विद्यार्थी के परिवारजनों ने फीस के सरकार को सिर्फ इसलिए दिये कि सरकार अच्छा इंतजाम करे।

सभापति महोदय, एक प्रकरण के बारे में मेरी निजी जानकारी है। मैं तारानगर से भी एक बार विधायक रहा हूं। तारानगर के पास में भादरा और नोहर भी है। नोहर के एक कन्हैयालाल पारीक ने आत्महत्या की और सुसाइड नोट में अपने पिता के नाम लिखता है, पिताजी, सैकण्ड ग्रेड के प्रश्न पत्र फिर लीक हो गये। आप धान मण्डी में बोरी उठाते हो, आपने मुझे सीकर में पढ़ने के लिये भेजा, मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि इस बार परीक्षा हो जायेगी। आप मेरी सगाई के बारे में बाद में सोचना, मैं सैकण्ड ग्रेड का टीचर हो जाऊंगा। फांसी के फंदे पर लटक गया। सभापति महोदय, आप चिकित्सक भी हैं और विद्वान भी हैं, आप देख रहे हैं आजकल मानसिक अवसाद के कारण हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में देखते हैं, कोटा में, आपके खुद के गृह नगर में, दूसरी जगह पर बच्चे आत्महत्या करते जा रहे हैं। वह बच्चा आत्महत्या इसलिए भी करता है कि वह अपने माता-पिता के अरमान को पूरा नहीं कर सकता।

सभापति महोदय, एक वर्ष पहले इसी सदन में हमने एंटी चीटिंग बिल, 2022 को पारित किया था। मंत्री महोदय, उसमें आपने ही कहा था कि आज तक सज़ा का इतना प्रावधान कहीं नहीं हुआ। आपने उस वक्त यह भी कहा था कि जो पहले Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992 है, यह नखहीन है, दन्तहीन है, इसमें सज़ा का प्रावधान नहीं है। उन लोगों में डर नहीं बन रहा जो पेपर लीक में किसी न किसी तरह अपने आपको खपाये हुए हैं। बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपने उस एंटी चीटिंग बिल में 10 वर्ष की सज़ा और 10 लाख का जुर्माने का प्रावधान किया था। अब आप इस मूल अधिनियम के 10 (2) में एक संशोधन लेकर आये हैं और कह रहे हैं कि कम से कम 10 वर्ष और उम्र कैद भी हो और जुर्माना भी 10 लाख से 10 करोड़ का हो। इसका मतलब सरकार ने महसूस किया कि हमने जुर्माना बढ़ाया, हम एक कानून लेकर आये, उसके बाद भी जुर्म रुका नहीं, जुर्म लाइलाज हो गया। मंत्री महोदय, जिस एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, वह विधान सभा ने पारित किया, 5 अप्रैल,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2022 को इस राज्य में एन्फोर्स हो गया, उसका गजट नोटिफिकेशन हो गया और 5 अप्रैल, 2022 के बाद आज आप अमेंडमेंट लेकर आये हो, तो कोई न कोई आधार निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि आपके पास तो बड़े ज्ञानी-विज्ञानी बड़े अच्छे-अच्छे लोगों की टीम है। आपने पहले भी एक बिल पर बात करते हुए कहा कि हमारे पास विशेषज्ञ हैं। उन विशेषज्ञों ने आपको यह राय दी होगी कि इस बिल में आप सजा का प्रावधान करें, तो मुझे जरूर निश्चित तौर पर बतायें। सभापति महोदय, कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ एक्ट ऐसे हैं, जिनके पारण से काम नहीं। इसको लागू करने वाली सरकार की रीति और नीति क्या है, नीयत क्या है, मंशा क्या है?

इस राजस्थान के एंटी चीटिंग की बुनियाद में रीट है। रीट के अन्दर, मुझसे पहले वक्ताओं ने चर्चा की। 26 लाख बच्चों ने प्रवेश लिया। सभापति महोदय, मैं भी उस दिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में था। मेरे पास भी टेलीफोन आ रहे थे कि हमने इन बच्चों के लिए इस धर्मशाला में इन्तजाम किया है। हम सुबह पहले चाय पिलायेंगे, 5 बजे इनको उठायेंगे। उस धर्मशाला में इन्तजाम करने वाले व्यक्ति को किसी बच्चे का नाम मालूम नहीं है। रीटोत्सव है। यहां से मुख्य मंत्री जी की लम्बी-चौड़ी अपील जारी की गयी। मुख्य मंत्री जी की अपील पर राजस्थान के अवाम को विश्वास करना ही चाहिए, पर परिणाम क्या निकला? रीट का पेपर आउट हुआ। पूरे राजस्थान में चर्चा हुई। मंत्री महोदय, जब हम बुनियादी बातों पर नहीं जाएंगे। रीट का पेपर शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से निकलता है। दो चाबियां एक होती हैं जब वह खुलता है, तो इसका मतलब हमारे सिस्टम में जिन लोगों को और जिन किरदारों को हम जिम्मेवारी देते हैं इस प्रकार की परीक्षाओं में, एक आदर्श व्यक्तित्व मानकर जिम्मेवारी देते हैं, वह बिल्ली ऐसी पालते हैं कि वह दूध चट कर जाती है। सभापति महोदय, कोई बड़ी बात नहीं है इस प्रकार के गुनाह हो जाते हैं। जब कभी भी इस प्रकार के गुनाह हों, उस समय हम क्रिमिनल ज्युरिस्प्रुडेंस के आधार पर, समानता के आधार पर, सख्त कानून के आधार, समाज सुधार के आधार पर जड़ तक जायें।

मैं सनसनी फैलाने के लिए बात नहीं करता, पर सवाल इस बात का है कि उस रीट के पेपर में प्राइवेट लोग आये तो आये कैसे? वे कैसे सुपरवाइजर बने? किसी भी संगठन से उनका नाम हो सकता है। सभापति महोदय, कुछ बातें अनुत्तरित होती हैं, जो बातें नेपथ्य में गूंजती रहती हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चिल्लाती रहती हैं। आपने डीपी जारोली जी को बर्खास्त किया, मैं उसका स्वागत करता हूं। बर्खास्त की बुनियाद क्या थी? आपने यदि उनको ऐसे ही बर्खास्त कर दिया, बिना कारण से बर्खास्त कर दिया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपके पास कोई बुनियादी ठोस आधार था, वे कहीं न कहीं लिप्त थे तो उस गिरोह में कौन-कौन शामिल था, आगे क्यों नहीं बढ़े?

सभापति महोदय, 4 फरवरी, 2022 को डीपी जारोली जी ने सोशल मीडिया में जो मैसेज किया, वह मेरे ध्यान में था। उन्होंने कहा कि मैं तो बलि का बकरा बनाया जा रहा हूं। इसमें नेता और अधिकारियों के गठजोड़ ने यह सारा काम किया है। सभापति महोदय, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन है, जिसके अन्दर लाखों विद्‌यार्थी परीक्षा देते हैं, उसको आप बर्खास्त करते हो, उस परीक्षा की क्या होल्डिंग थी, जिसका वह चेयरमैन था? वह सोशल मीडिया पर जब यह बात कहता है तो हमारे पुलिस अधिकारी कहां है? किसको पूछ रहे थे? उसकी तरफ आगे क्यों नहीं बढ़े?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ मामले ऐसे हैं जो मामले निश्चित तौर पर जब हम ऐसे संगठनों की, ऐसे लोगों की सरपरस्ती करेंगे, चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे, तो फिर बलजीत यादव निकलेगा, जो कहीं न कहीं दौड़ता नजर आयेगा। मुझे इस नौजवान की प्रशंसा करने में संकोच नहीं है। एक साथ कितने बलजीत यादव अलग-अलग कोनों से निकल जायेंगे। सभापति महोदय, हम दलों की राजनीति करने वालों को ये लोग पीछे छोड़ जायेंगे। यह जमाना आ गया है, क्योंकि जिस प्रकार अरमान टूटे जा रहे हैं, जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं। हर नौकरी बिकने को है। आज सवाल खड़ा नहीं होता? मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आपको इस बारे में बात करनी चाहिए। 5 अप्रेल के बाद में, नोटिफिकेशन के बाद में आपके सात पेपर लीक हुए, जो कि मुझे जानकारी है।

सभापति महोदय, इसके मूल एक्ट में आपने परीक्षार्थी और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में अनुचित साधन का उपयोग करने पर तीन साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान कर दिया। आपने 10(2) में परीक्षा संचालन करने वाला अनुचित साधन में लिप्त होता है तो 5-5 साल को 10 साल कर दिया, अब उम्र कैद कर रहे हैं, 10 करोड़ करे हैं।

जो सेक्शन 12 सम्पत्ति कुर्क का लेकर आये थे। मंत्री महोदय, सबसे यक्ष प्रश्न यह है। जरा एक बार में आप खुद यह नोटिफिकेशन पढ़ दें, अब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तक एंटी चीटिंग बिल के पास होने के बाद, 5 अप्रैल के बाद, मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की बात से सहमति व्यक्त करता हूं, जब एंटी चीटिंग बिल हमने 5 अप्रैल को गजट में नोटिफाइड कर दिया तो फिर ऐसा भी क्या है, एंटी चीटिंग बिल के प्रावधान क्या हमने चाटने के लिए बनाये थे? सभापति महोदय, अगर एंटी चीटिंग बिल के प्रावधान लागू हो गये हैं तो सम्पत्ति जब्त क्यों नहीं? वह किस कारण से? उसके पीछे कौन है? मंत्री महोदय, मैं सच्चाई से बोल रहा हूं क्योंकि गंभीरता अपने आस-पास नहीं आयेगी।

सभापति महोदय, कुछ बातें ऐसी हैं, जो कहते हैं न कि इनहैरेंट हो जाती हैं। मंत्री जी तो हमेशा ही बैठेंगे और बैठते ही कहेंगे कि नेता, प्रतिपक्ष ने तो यों ही कह दिया, यह कह दिया और उसके बाद बैठ जायेंगे। मुझे संशय तब हो जाता है जब बिल पेश करने वाले मंत्री का नाम राजेन्द्र सिंह यादव होता है और रिप्लाई करने वाले मंत्री शान्ती धारीवाल आ जाते हैं तो मैं समझ लेता हूं कि न सरकार गंभीर है, न सरकारी नीति और नीयत साफ है।

सभापति महोदय, अभी हाल फिलहाल एक चर्चा का विषय गोपाल केसावत की बात भी है। गोपाल केसावत के मामले में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, जो हरदीप सिंह एडवोकेट साथ में था, वह मेरे यहां का है। वह हरदीप सिंह, एडवोकेट मुझसे मिलता रहता है। सभापति महोदय, सारी चैटिंग का मेरे को इतना देकर गया, मैं आपको जरूर भेजूंगा। क्या बोल रहा है? 25 लाख रुपये पहले दे दो। परीक्षा में पास होने की बात हो गयी। वह कहता है कि मेरे फूफा जी भी मेरे से पूछ रहे थे कि 25 लाख दे तो देंगे, लेकिन इस 25 लाख का पैसा कहां जायेगा? कहता है, 3 बजे आ जाना, मंजू शर्मा के पास ले जाऊंगा। फिर कहता है, मालूम नहीं क्या, पिछली बार में 5 आर.ए.एस. पैदा कर दिये। आज ढाई बजे सीएमआर में जा रहा हूं, ट्रांसफर करवाने के लिए। ये चांदी का चरखा, ये सोने के तार। इस व्यवस्था को कहां लेकर जायेंगे? घुमन्तू जाति के अन्दर आपने आदर्श व्यक्ति ढूंढा। आपने उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया। मैं कोई सनसनी फैलाने के लिए बात नहीं करता, पर हमें सिस्टम पर जाना पड़ेगा कि ऐसे लोग कौन हैं?

सभापति महोदय, हर जगह पर हम अलग-अलग राजनीतिक चश्मे से देख सकते हैं। आपने संयम लोढ़ा और राजेन्द्र राठौड़ को कभी एक लय में बोलते देखा। आज संयम लोढ़ा बोल रहे थे। उस नौजवान की आंखों से चिंगारी निकल रही थी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, आपने एसआई का देखा? एक ही जिले से 100 चिह्नित। सांचौर, कहीं से भी हो, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं। सभापति महोदय, यह अकस्मात भी हो सकता है। मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले हमारे नेता जी के परिवार में एक ही साथ तीन-चार आर.ए.एस. अधिकारी क्यों बन गये? अकस्मात बात हो सकती है। मैं उस बात पर भी नहीं जाना चाहता कि इंटरव्यू में एक जैसे नम्बर क्यों मिल गये? अकस्मात भी हो सकती है, कई बार होता है पर कम से कम यह बात क्या है, यह माजरा क्या है, यह क्या कहता है, इस पर तो निश्चित तौर पर जाना चाहिए। जब सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा लीक हुई, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, झोटवाड़ा में दिवाकर पब्लिक स्कूल, आपने वहां गिरफ्तारी भी की, उस स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी, पर हमारे यूपी वाले बाबाजी की तरह बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? उसकी सम्पत्ति जब्त क्यों नहीं की? यह क्या माजरा है? यह शक की सूई क्यों घूमती है?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बिजली के टेक्निकल हैल्पर की परीक्षा। मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं, जो परीक्षा 5 अप्रैल के बाद हुई। परीक्षा रद्द हो गयी, छह केन्द्रों पर पेपर लीक हो गया। परीक्षा दोबारा करायेंगे। क्यों लीक हुई? कौन किरदार है? कैसे लीक हुई? ऑनलाइन परीक्षा है, यह कहकर छोड़ दिया। ऑनलाइन परीक्षा कराने में कौन-कौन लोग आ रहे हैं, किस प्रकार के लोग आ रहे हैं? किस प्रकार ठेका ले रहे हैं, समझ में ही नहीं आया। वन रक्षक की परीक्षा, कर्मचारी दीपक शर्मा और दस लोगों को गिरफ्तार किया। कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा रद्द कर दी पर उसके बाद क्या हुआ? आपने एंटी चीटिंग बिल के अन्दर अब तक डेजिग्नेटेड कोर्ट क्यों नहीं बनाया? आपका हाथ किसने पकड़ रखा है? डेग्जिनेटेड कोर्ट बनाकर फास्ट ट्रैक के माध्यम से इनकी ट्रायल स्पीडली करवाते? इनको सज़ा क्यों नहीं करवाते?

सभापति महोदय, कुछ सवाल ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर यक्ष प्रश्न खड़े कर देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन पुलिस अधिकारियों को। सैकंड ग्रेड के टीचर में एक नया तरीका निकाल लिया, चलती बस चले, पीछे से मैं माइक पर भाषण दे रहा हूं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। कितना कांफिडेंस है उस व्यक्ति में जो पेपर लेकर निकला है वहां से। सवारियां बैठा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहा है। लग्जरी बस के अंदर कहता है आ जाओ, रुक नहीं सकता वरना मेरी लोकेशन आ जाएगी। पुलिस ने पकड़ा। ये सुरेश ढ़ाका, ये भूपेन्द्र सारण, ये किसकी फेसबुक चला रहे थे? सोशल मीडिया है, मेरी फेसबुक खोलो, आपको यहां बैठे-बैठे मालूम पड़ जाएगा मैं कल क्या कर रहा था, परसों क्या बोल रहा था। ये किसकी फेसबुक चला रहे थे? क्यों आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? जब तक हम चेहरे से नकाब को नहीं उतारेंगे, वह किसी के चेहरे पर भी हो सकता है। यह मसला कुछ इसी तरह का है जिसके अंदर कोई पार्टी की बात नहीं ये नौजवानों के अरमानों की बात है व राजस्थान की बदनामी की बात है।

सभापति महोदय, मैं बात खतम कर रहा हूं। मेरे पास एक सलेक्शन किया हुआ आर.ए.एस. आया। उसने कहा, डाक्टर किरोड़ी लाल जी ने जिस दिन अपनी प्रेस कांफ्रेस की, रोता हुआ आया और कहने लगा, इसका मतलब है कि हम सब लोग, मैंने तो बड़ी मेहनत से पास की, आप मेरे परिवार को जानते हो। एक रिटायर्ड पटवारी का लड़का, मैं जानता हूं उसको। वह परीक्षा देने आया तो एक दिन तो मेरे घर पर ही रुका। वह कह रहा है हम सब पर संदेह। आज इस प्रकार के वातावरण को तोड़ेंगे नहीं तो अब तक आर.पी.एस.सी. ने जितनी भी परीक्षाएं की हैं, बाबूलाल कटारा सीटिंग आर.पी.एस.सी. का सदस्य, एक स्टेटिस्टिक्स आफिसर, सभापति महोदय, मैंने अख़बार के अंदर उसके बंगले की तस्वीर देखी। किसका इंतजार हो रहा है? उस बंगले को सीज क्यों नहीं कर रहे आप? बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद उसके भांजे के अलावा उसके तार कहां जुड़े हैं? क्यों नहीं तार जोड़ रहे हैं हम? दूसरे कामों में तो आप बड़े ही, एक मिनट में टेलीफोन टेप करते हैं। दूसरा काम करते हैं। ये सारे सवाल इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार के हालात बने हैं, आप एंटी-चीटिंग बिल के अंदर संशोधन लेकर आओ, सज़ा का प्रावधान बढ़ाओ, कुछ नहीं होगा।

सभापति महोदय, बहुत से लोग, हम सब राजनीति करते हैं, हमारा एक-एक कदम सोच-समझ कर उठाते हैं। यह जन संघर्ष यात्रा आर.पी.एस.सी. के आगे से ही क्यों निकली? ये पैरों पर छालों की कसम आर.पी.एस.सी. के आगे से चलते हुए किसी ने क्यों खाई? ये शहीद स्मारक पर खड़े होकर कहा, तुम्हारे अरमान नहीं टूटने दूंगा। ये आर.पी.एस.सी. को भंग करने की मांग मैंने तो नहीं की। हो सकता है आज अलग हो गये हों। उन्हीं के हस्ताक्षर के टिकट पर आप और आपके अध्यक्ष जी, मंत्री जी इन्होंने चुनाव लड़ा था, लिख

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहे थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। क्या यह बातें जमाना देखेगा नहीं? मैं उनसे भी कहूंगा इस सदन के माध्यम से। आज नहीं, इस राजस्थान का जवान पूछेगा कि आज आर.पी.एस.सी. जिसमें एक नहीं बाबूलाल कटारा जेल में है, दो-दो लोगों के नाम आ गए। चैट में नाम आ गए। केसावत के साथ जुड़ाव के नाम आ गए। पूरे कुएं में भांग है, भंग क्यों नहीं करते आप?

अगर वास्तव में पाक साफ हो तो मैं निवेदन करूं, यूपी की तरह आप एनआईए को बीच में क्यों नहीं लाते? यूपी ने एक्ट में डाल रखा है, अगर परीक्षा रद्द होगी तो जांच एनआईए को जाएगी। कराओ जांच। अब इस जांच के पीछे-पीछे, सभापति महोदय, ई.डी. आ गई। इस ई.डी. की बात करते हैं तो सामने वाले कहते हैं ई.डी. दिल्ली से आ गई। कितना ब्लैक मनी का ट्रांजेक्शन है, मंत्री महोदय? आपके पास कई काम्पिटेंट अधिकारी बैठे हैं। ई.डी.यो. ही नहीं आई। मैं आज इस सदन में कहता हूं, कल फिर कहोगे कि राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। ये ई.डी.आई. है, प्रमाण आए हैं कि पैसा कहां से कहां गया है। ये सारी बातें सामने आई हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा सेक्शन 17 में डेजिग्नेटेड कोर्ट, आज इतने महीने गुजर गए, क्यों नहीं खोले आपने? ये रीट की परीक्षा, मैं अंत में यही कहूंगा कि अगर सच्चाई से पर्दा हटाना है तो निश्चित तौर पर ये गारंटेड बैच का सिस्टम बंद कीजिए। सभापति महोदय, बड़े-बड़े इश्तहार अभी भी जारी होते हैं। नौकरी में गारंटेड बैच, पहले 10 लाख की तुम्हारी फीस होगी तो एक हजार क्वेश्चन तैयार कराऊंगा और गारंटेड तू पास हो जाएगा। ये क्या खेल है? इन कोचिंग सेंटर को रेगुलेशन के लिए हम कोई एक्ट नहीं ले आएंगे। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 15 में यह कहा था कि एसीपी के रेंक से नीचे का अधिकारी जांच नहीं करेगा। क्या एक एसीपी की इतनी हिम्मत है कि मुख्य मंत्री जी के सलाहकार के घर का दरवाजा खटखटा कर कहे कि आर.पी.एस.सी. के चैयरमैन साहब विराजे हुए हैं क्या? हमें पूछताछ करनी हैं है, एसीपी की हिम्मत कोई? क्यों नहीं आप इस पूरे मामले को सी.बी.आई. को देते, ज्युडिशियल इंक्वायरी करवाते, अगर पाक साफ हों तो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर पाक साफ हो तो ज्युडिशियल कमीशन बनाओ। अब तक आर.पी.एस.सी. ने जितनी भी परीक्षा ली हैं, सबकी जाचं कराओ। अभी इन केसावत साहब को और कटारा साहब को एक-एक मिनट में बिना रिमांड के भेजा है, पुलिस उनको प्रोडक्शन वारंट पर वापस ले, उनसे पूछताछ करे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके अंदर चाहे कोई भी हो, किसी का भाई हो, किसी का दामाद हो, किसी का बेटा हो, इनके चेहरों से नकाब निकालो और राजस्थान के नौजवानों को न्याय दो वरना इन नौजवानों की आह इस सरकार को भस्म कर देगी, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सॉरी, सभापति महोदय, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप ही अध्यक्ष हो, इसलिए आपको इस कुर्सी पर बैठा मैं देखता हूं तो मुझे वह सन 1960-62 के दिन याद आ जाते हैं।

श्री सभापति: आपकी ज़र्रान नवाजी है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इस बिल को लाने के पीछे मंशा यह थी और शायद पिछली बार भी जब ये बिल लाया गया था 2022 में, तब भी माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा एकमत होकर इस बात को रखा गया था कि इस बिल को और कठोर बनाओ, सज़ा का और प्रोविजन बढ़ाओ। मोटे तौर पर इस बिल को लाने का मकसद यही है कि जो पिछले बिल में सज़ा थी, उसको हमने बढ़ाया है। हालातों को देखते हुए यह काम जरूरी भी था और यह करने की कोशिश की। पेपर लीक तो आपकी सरकार के वक्त में भी हुए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे टाइम में हुए तो हम भुगत रहे हैं, यहां बैठे हैं। आप भी हमारी तरफ आने की तैयारी में हो क्या? ये क्या तर्क हुआ। हुए हुए पेपर लीक, गलती हमसे हुई है। हुई होगी गलती इसीलिए जनता ने हमें इधर बैठाया है। हम सज़ा भुगत रहे हैं उसकी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इतनी-सी बात कहने में ही +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, +++ को डिफाइन करो, मैं सदन से मांग करता हूं।

श्री सभापति: डिलीट करें इसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): ये +++ क्या चीज है, ये +++ कहां लगती है?

श्री सभापति: इसे डिलीट करें, प्लीज। प्लीज, डिलीट करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): +++ क्यों लगती है? कैसे लगती है? इसके बारे में विस्तृत रूप से ज्ञान दीजिए अपना उत्तर देने से पहले।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): +++ पहले ये बताओ आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अभी तो मैंने चालू ही किया है। अभी तो मैंने शुरुआत ही की है, लेकिन कभी आपने इन मामलों में गंभीरता नहीं दिखाई। 1982 का एक्ट था। बहुत मामूली-सा एक्ट था, जिसमें सारे आपके जितने भी प्रोविजंस थे, वह सब बेलेबल थे और सज़ा भी तीन साल की थी। ये तीन साल की सज़ा, आज ये ही नहीं आप ही की सरकार ने नहीं, आज की तारीख में तीन साल की सज़ा गुजरात भी दे रहा है, झारखंड तो एक साल से 6 माह तक की ही दे रहा है, उत्तर प्रदेश भी तीन माह, सिर्फ तीन महीने की कैद दे रहा है उत्तर प्रदेश। हमने तो बढ़ाकर इसको 10 साल किया है और दस साल से भी बढ़ाकर मान लीजिए अगर सामान्यत: उसको बढ़ाते हैं तो उसको आजीवन कारावास भी होगा। एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी रखा है। उसकी सम्पत्ति जब्त कर लें, उसको कुर्क कर लें, सब कुछ कर लें, ये सब काम करने के लिए बिल लाया गया है। ऐसे कानून को जिसमें जब्ती का भी प्रोविजन रखा गया है, कुर्की का भी प्रोविजन रखा गया है तथा सम्पूर्ण व्यय जो भी परीक्षा के बाबत हुआ है, वह भी उससे वसूल करने का प्रोविजन रखा गया है और काग्निजेबल बनाया गया है इस अपराध को और नॉन-बेलेबल बनाया गया है।

रीट की परीक्षा के बाबत एबीवीपी वालों ने गवर्नमेंट के खिलाफ रिट हाईकोर्ट में दायर की। हाईकोर्ट ने कह दिया कि हम ही मॉनिटरिंग कर लेंगे। हाईकोर्ट ने क्यों कहा, कुछ सोचकर ही कहा होगा कि मॉनिटरिंग हम ही कर लेंगे। इस बात की मांग की गई थी कि सी.बी.आई. को दे दो। हाईकोर्ट ने बोला कि उससे क्या हो जाएगा, हम ही कर लेंगे मॉनिटरिंग। आखिर ऐसा क्यों कहा और खारिज करते हुए मॉन्टिरिंग खुद अपने हाथ में ले ली। सी.बी.आई. के बाबत आप बार-बार बात करते हैं। हनुमान जी बेनीवाल ने लोक सभा में सवाल उठाया था, उस वक्त पीएमओ में डा. जितेन्द्र सिंह काम करते थे, जो राज्य मंत्री थे। उन्होंने यह जवाब दिया था कि 12 केसेज सी.बी.आई. को भेजे, उन 12 केस में से सी.बी.आई. ने 10 में तो एफ.आर. लगा दी, एक केस में वह बरी हो गया और एक केस आज तक चल रहा है, यह सी.बी.आई. का हाल है।

जब भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री थे, आप उस वक्त मंत्री थे।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
आपको ध्यान होगा कि शालिनी का एक केस हुआ था। शालिनी का केस प्रतिपक्ष के लोगों की डिमांड पर उन्होंने सी.बी.आई. को दे दिया। कई महीने गुजर गए, सी.बी.आई. कुछ नहीं कर पाई। एक रोज भैरोंसिंह जी ने खुद ने अपना स्टेटमेंट दिया था, आप उस वक्त मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि अगर यह केस राजस्थान पुलिस के पास होता तो इसमें अभी तक सब कुछ, गिरफ्तारियां वगैरह सब कुछ हो जातीं, लेकिन आप लोगों ने सी.बी.आई. को दिलवा दिया तो उसका नतीजा देख लो, आज तक कुछ नहीं हुआ है। यह तो सी.बी.आई. का हाल है और सी बी आई की बातें कर रहे हो।

राजस्थान में पेपर लीक हुए, आपके वक्त भी हुए और हमारे वक्त भी हुए। आप एक बात बता दो कि कौनसा प्रदेश है जो पेपर लीक की बीमारी से छूटा हुआ है? चाहे मध्य प्रदेश ले लो, लखनऊ ले लो, बैंगलोर ले लो, कर्नाटक ले लो, यूपी ले लो, बिहार ले लो, हरियाणा ले लो, हिमाचल प्रदेश ले लो, दिल्ली ले लो, सबमें पेपर लीक हुए हैं। गुजरात ले लो, गुजरात में तो 20 बार पेपर लीक हो चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): आप भी कराओ, खूब कराओ।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आज तक गुजरात में 20 बार पेपर लीक हो चुके हैं। रीट के पेपर अब सफलतापूर्वक, आराम से हो रहे हैं, नियुक्तियां हो रही हैं। आपको यह भी ध्यान होगा, आपके पहले इसी कुर्सी पर बैठने वाले कटारिया साहब जो नेता थे, उन्होंने इस सदन में यह कहा था कि एसओजी ने अपराधियों को पकड़कर बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एसओजी को सर्टिफिकेट भी दिया। यह भी कहा कि बहुत जल्दी पकड़ने के लिए जिस प्रकार के प्रयास किये गये हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। उसका नतीजा क्या हुआ? कटारिया साहब को आप सब लोगों ने जमकर खूब गालियां दीं, बुरा-बुरा कहा कि आपने कांग्रेस की तारीफ कर दी, आपने एसओजी की तारीफ कर दी। अपने आदमियों को, जो सच बोलना चाहते हैं उनको आप लोग बोलने ही नहीं देते हो।

एक बार हाउसिंग बोर्ड का फंक्शन मानसरोवर में हो रहा था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय सदस्य लाहोटी जी की एक लाइन में तारीफ कर दी, उसके बाद जब लाहोटी के भाषण का नम्बर आया तो उन्होंने मुख्य मंत्री जी के पक्ष में क़सीदे पढ़ने चालू कर दिए। दूसरे रोज पता लगा कि उनको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बुला लिया गया। आप यह समझो

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कि +++ ही नहीं बनाया, बाकी सब कुछ कर लिया। बाकी सब काम कर दिया।

श्री सभापति: डिलीट, डिलीट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): यह सूचना आपको किसने दी? हमारी पार्टी के कार्यालय तक की सूचना आपके पास कैसे आई?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके अलावा मुझे देता कौन है। यह आपकी ही इच्छा थी कि 2022 में आप कानून लाए हो, उसको और सख्त बनाओ। सख्त बनाने के लिए ही यह कानून लाया गया है। यही नहीं, इस कानून को बनाने के बाद गुजरात ने कानून बनाया है, उत्तराखण्ड ने कानून बनाया। मेरा यह निवेदन है कि आपकी इच्छा का आदर करते हुए हम यह कानून लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर इससे कुछ न कुछ रोक लगेगी। इसलिए प्रवर समिति में भेजने का या वहां भेजने का जो इधर-उधर का किया, उसके लिए मैं कहता हूं कि उसको अस्वीकृत किया जाए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर आठ बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती धारीवाल, प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

(श्री नारायण बेनीवाल)

मेरे से पहले इस विधेयक पर लगभग पक्ष और विपक्ष के माननीय 19 सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। इसके अन्दर अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष के कारावास तक की हो सकेगी, के स्थान पर अभिव्यक्ति जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक के किये जा सकेंगे। इसके अन्दर आर्थिक दण्ड की सीमा को बढ़ाया। निश्चित रूप से इसको हम अभी एक अच्छा उपाय ही कह सकते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट तो आने वाले दिनों में आएंगे।

(समय: 19.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, चूंकि मैं नया, पहली बार चुनकर आने वाला सदस्य हूं और सुबह से अधिकतर विद्वान और अनुभवी माननीय विधायकों के विचार मैंने सुने हैं लेकिन सुबह से ही जो विचार गांधीजी के मैं बार-बार आज पढ़ रहा था कि-'सभा में या तो प्रवेश न किया जाये और यदि प्रवेश किया जाये तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाये, क्योंकि वहां न बोलने से या गलत बोलने से, दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है।' और चूंकि यह जो सत्र है, इसके बाद विधान सभा का कोई सत्र मेरे हिसाब से शायद नहीं होगा तो कम से कम इस पाप के भागी हम लोग नहीं बनें और हम लोग ईमानदारी से यह प्रयास करें कि राजस्थान का जो युवा, बेरोजगार और उसके परिजन, जो सरकार से टकटकी लगाये न्याय की उम्मीद के लिए बैठे हैं, निश्चित रूप से उनको यह उम्मीद है कि राजस्थान के अन्दर जो भर्ती प्रक्रियाओं में युवाओं के हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहरोड़ से आने वाले मेरे साथी विधायक, जिनके साथ विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला, इन्होंने सारी बातें जरूर कहीं कि व्यक्ति इच्छा शक्ति से चांद पर भी जा सकता है लेकिन कहीं न कहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों को मैं थोड़ा इतना तो कहना चाहूंगा कि हो सकता है मुख्य मंत्रीजी की इच्छा शक्ति और ज्यादा करने की थी, लेकिन आपने जो चार साल मुख्य मंत्रीजी को परेशान किया, उसमें शायद वे अपनी इच्छा शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाये।

चौमूं से आने वाले हमारे माननीय विधायक ने माफियाओं के बारे में जिक्र किया, पेपर माफिया, लेकिन हमें ईमानदारी से इस चीज का गहराई से चिंतन करना चाहिए और इस बात पर हम लोग आगे कैसे बढ़ें, इसके ऊपर पूरा मनन करने की आवश्यकता है। मुझे यहां पर यह कहते हुए कोई शर्म

(श्री नारायण बेनीवाल)

नहीं आ रही है कि आज माफिया शब्द जहां पर भी लगा, आज इस सदन के अन्दर सामने अधिकारी दीर्घा है, जिसमें राजस्थान के बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं और उनके सामने इन कुर्सियों पर प्रदेश का कानून बनाने वाले हम सब लोग बैठे हैं, यदि हम लोग ईमानदारी से यह प्रयास करें तो मेरे हिसाब से इस प्रदेश से माफिया शब्द का उपयोग ही, यह हो जायेगा कि माफिया शब्द ही इस प्रदेश से गायब हो सकता है।

मुझे बड़ा अचम्भा हुआ कि परसों जब 19 तारीख को मैं हालांकि इस सदन में नहीं था, कहीं आंदोलन के अन्दर बिजी था और, माननीय सभापति महोदय, कई बार चीजें पढ़ते हैं, लेकिन उन पर मनन नहीं करते या उस टाइम वह समझ में नहीं आती, जब तक उसका उदाहरण कहीं पर पेश नहीं होता, किताबों में पढ़ा करते थे कि सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वह मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया, लेकिन परसों जो संगठित अपराधों पर चर्चा यहां पर हो रही थी विधेयक पर और उसके अन्दर बायतू से आने वाले माननीय विधायक ने जिस तरह माफियाओं के बारे में, उनको खतम करने की बातें जो कहीं तो मुझे यह तुरंत ही आभास हो गया कि कहीं न कहीं चुनाव जल्दी आने वाले हैं क्योंकि हम सबकी शह के बिना, यदि आज हम ईमानदारी से बात करें, यदि हम बजरी माफिया की बात करें, हमारे नेता, प्रतिपक्ष बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि, आज सी.एम. साहब के सलाहकार, सिरोही से आने वाले माननीय विधायक और हमारे प्रतिपक्ष के नेता, इन्होंने एक सुर में बात कही, तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि चुनाव की गर्मी भी जल्दी ही नजदीक आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने एक चित्र देखा जिसके अन्दर राजस्थान में और विशेषकर रेगिस्तानी इलाके के अन्दर एक मोर जब अपने पंखों को फैलाये हुए बैठा था और उसके नीचे सर्प, जिनकी बहुत गहरी एक दूसरे से दुश्मनी होते हुए भी वह सर्प उस मोर की छाया के अन्दर बैठा था और नीचे यह लिख रखा था कि रेगिस्तान की इस गर्मी ने इन दोनों की दुश्मनी को पिघला दिया। यह जरूर मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र के अन्दर कहीं न कहीं चुनावों की गर्मी जो है, इसके अन्दर हम सब हो सकते हैं कि एक दूसरे की बातों से असहमत हों, लेकिन आज, माननीय सभापति महोदय, ऐसी आवश्यकता क्या रही? हम पढ़ते आये हैं कि अकबर से लेकर और यदि इतिहास की बातें करें तो यह कहते थे कि अकबर तो बीरबल से पूछे बगैर

(श्री नारायण बेनीवाल)

कुछ करते ही नहीं थे, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आज सी.एम. साहब के सलाहकार को सदन से और मंत्रीजी से यह आग्रह करना पड़ रहा है कि ऐसा करना चाहिए, तो फिर सलाहकार किस बात के? +++ गोपाल केसावत की यदि जांच आगे बढ़े तो कहीं न कहीं वे भी लपेटे में आये।

श्री सभापति: इसको डिलीट कर देना। डिलीट कर देना।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): आज माफियाओं की यदि बात करें, बजरी माफिया की बात करें तो, माननीय सभापति महोदय, मुझे पता है कि मैं इसके अन्दर थोड़ा ज्यादा बोलूंगा तो आप मुझे जल्दी ही टोकेंगे, तो मैं ज्यादा इसके अन्दर गहराई से नहीं जाना चाहता। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि नेता, प्रतिपक्ष भी बैठे हैं, धारीवालजी भी बैठे हैं, जो सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं और सरकार में मुख्य मंत्रीजी की अनुपस्थिति में सारा दारोमदार यह अपने कंधे पर लिये बैठे हैं, इस उम्र में भी और यह डांट-डपट कर भी कई बार काम चला लेते हैं। मैं तो इतना ही निवेदन आपसे करूंगा कि यह अंतिम सत्र है और इस सत्र के अन्दर आठ करोड़ जनता के अन्दर कोई ऐसा मैसेज आप जरूर दें कि यह जो बिल आप लेकर आये हैं, आज यह भर्ती के जो माफिया पेपर आउट कर रहे हैं, इसके ऊपर तो फिर भी हमारी नजर है, लेकिन आज प्राइवेट स्कूलों के अन्दर जो हम सेंटर दे रहे हैं, यह कितनी विडंबना की बात है कि परीक्षा केन्द्र पर वीक्षक की ड्यूटी ए.डी.एम. और एस.डी.एम. लगाते हैं और एक दिन पहले ही यह पता चल जाता है कि कौनसी स्कूल में कौनसा टीचर लगेगा, कौनसा उसके अन्दर इनविजिलेटर लगेगा। कौनसा उसके ऊपर उनकी मॉनिटरिंग करने वाले लगेंगे। मैं तो इतना ही निवेदन आपसे करूंगा कि इस मामले में हमें इन माफियाओं के साथ-साथ जो प्राइवेट स्कूल और यह जो दूसरे माफिया चला रहे हैं, इनके ऊपर भी कहीं न कहीं नकेल की आवश्यकता है।

अभी ए.सी.बी. की बात भी यहां कही गयी कि ए.सी.बी. जांच करे, तो आज 75 वर्ष के बाद भी हम ए.सी.बी. के लिए अलग से कैडर नहीं बना पाये। आप यह देख रहे हैं और यह कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है कि आज बड़े आई.ए.एस. और आई.पी.एस. जो अपनी मेहनत के दम पर बड़े अफसर बनते हैं, लेकिन आज अच्छी पोस्टिंग के लिए बड़े नेताओं के घर के दरवाजे के बाहर वे खड़े रहते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हम लोग ट्रांसफर-पोस्टिंग पर कोई पालिसी ही नहीं बना पाये।

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय मंत्री महोदय, हम सबका एक ही दायित्व है कि हम सब मिलकर इसके अन्दर कोई ऐसे ठोस उपाय करें। इसके अन्दर बहुत अच्छी एक स्टडी की खबर छपी है कि हमारे राजस्थान के अन्दर यदि कोई आर.पी.एस.सी. की बात हम करें नियुक्ति की तो, इसके अन्दर सिर्फ यह लिखा है कि सरकार चाहे जिसे बिना विज्ञापन जारी किये, बिना इंटरव्यू प्रक्रिया अपनाये या बिना किसी विशेष शैक्षणिक, प्रशासनिक योग्यताओं के केवल तीन आधार, एक तो भारत का नागरिक हो, स्नातक हो और मनोरोगी या जेल में सज़ायाफ़्ता कैदी नहीं हो, पर चेयरमैन या सदस्य नियुक्त कर सकती है, जबकि यू.पी.एस.सी. के अन्दर प्रधान मंत्रीजी, माननीय विपक्ष के नेता और तीन जनों की जो कमेटी बनी हुई है, उनको वीटो पावर भी दिया हुआ है। हमारे यहां पर तो सूचना आयुक्त के अलावा ऐसी कोई भी संवैधानिक संस्थाओं के अन्दर, ऐसे हम लोग नियम ही नहीं बना पाये।

श्री सभापति: माननीय, शोर्ट करें, प्लीज।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, एक मिनट बस।

सूचना आयुक्त की नियुक्ति की भी यदि हम बात करें तो उसके अन्दर भी यह कहीं हालांकि, इसके अन्दर नेता, प्रतिपक्ष को सदस्य जरूर रखा गया है, लेकिन उनकी असहमति को भी दरकिनार कर सकते हैं।

यह जो एक लिस्ट आयी है कि कांग्रेस ने 22 ब्यूरोक्रेट्स को दी आयोगों में जिम्मेदारी। अभी हम आर.पी.एस.सी. को सुधारने की बात करें, संजय श्रोत्रिय कहां से आये हैं? यह सही बात हम सबको माननी पड़ेगी कि जब सरकार का असंतुलन था तब किन लोगों ने इंटेलिजेंसी में रहकर मदद की, किन लोगों ने सरकार बचाने में भूमिका निभायी? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उन लोगों को कहीं न कहीं आप लोगों ने मैडल देकर आर.पी.एस.सी. और अन्य बोर्ड में जो बनाये, उसकी सज़ा युवाओं को भुगतनी पड़ेगी। जो 22 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को, माननीय सभापति महोदय, आदमी जब रिटायर होता है तो उसके बाद उसकी ड्यूटी दूसरे सामाजिक, उनकी जो ऊर्जा है बची हुई उसको कहीं न कहीं सामाजिक स्तर पर काम ले सकते हैं।

श्री सभापति: माननीय कन्क्लूड करें, प्लीज।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): तो मैं तो इतना ही निवेदन आप

(श्री नारायण बेनीवाल)

सबसे करूंगा कि इस मामले को एक बार और अच्छे विचार, हम इसको जनमत जानने के लिए यदि परिचालित करेंगे तो बहुत सारे विचार इसके अन्दर आ सकते हैं। मैं एक बार पुनः यह जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 है, इसको छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री बलवान पूनियां। शोर्ट में।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): दो मिनट में ही गागर में सागर भर देंगे, सर।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 के पारण की स्थिति में मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सारे साथियों ने चिंता व्यक्त कर दी, इसमें ही हम शामिल हैं कि नौजवानों के साथ ऐसी गड़बड़ी नहीं हो, पेपर कोई लीक नहीं हो, भर्ती सस्पेंड नहीं हो और भर्ती जो आगे सरक जाती है, निलंबित हो जाती है तो इससे बड़ा भारी नुकसान होता है।

मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगा कि कानून तो आपने बहुत कठोर बना लिया लेकिन इसका इम्प्लीमेंट करके तो दिखाओ। सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, आप महीने बीस दिन में उन सबको विज्ञापन जारी करो ताकि नौजवानों को पता चले कि हमारी मंशा क्या थी। मंत्री महोदय, हम कतई यह स्वीकार नहीं कर सकते कि आप इन पर आरोप लगा दें, ये आप पर लगा दें और हम पर लगा दें। आप जोरदार कानून लाये हो, कानून के इम्प्लीमेंट का पता तब चल जायेगा कि एक भर्ती और हो जायेगी। उसका जब पेपर का आयोजन होगा तो अपने कानून से कितने लोग डरेंगे, उसका भी पता चल जायेगा।

मेरा छोटा-सा निवेदन एक और है। सभी साथियों ने सारी बातें कर लीं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि एक ही गांव से सौ थानेदार लग गये। उस गांव में हम सब भ्रमण करके आते हैं, उस गांव की मिट्टी उठा कर पूरे राजस्थान में छिड़क दो। एक गांव से सौ थानेदार। हकीकत यह है, लोगों ने यह कहा कि तुम बने रहो गांधीजी, तुम बने रहो भगत सिंह। लग गये एक

(श्री बलवान पूनियां)

गांव से सौ थानेदार। यह कहा कि आप मत करो सिफारिश, यह लग गये। इस बात का उत्तर नहीं है, साहब। कर लो पंचायती। कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। एक गांव से सौ थानेदार लग गये, ज्वाइनिंग पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं, मेरी पार्टी यह बात चाहती है कि इसका निमेड़ करो। वास्तव में गांव जोरदार है। बच्चे बुद्धिजीवी हैं, इल्लीजिबल हो सकते हैं, पोस्टिंग पायें। आप तो इसकी जांच कराओ। यह कानून जो आप लेकर आये हो, उम्मीद करते हैं कि आप आचार संहिता से पहले-पहले, जो भर्तियां अटकी हुई हैं, उन सबके विज्ञापन निकालोगे और जल्दी पेपर कराओगे और बच्चे पेपर में बैठेंगे तो हमें पता चल जायेगा कि हमारे कानून में मजबूती कितनी है। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया गया।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री महेन्द्र चौधरी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 40)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 40वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21 जुलाई, 2023 को सायं 5:00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि सोमवार, दिनांक 24 जुलाई 2023 को सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

(श्री महेन्द्र चौधरी)

सोमवार, दिनांक 24 जुलाई 2023	1. कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023; 2. उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023; 3. गांधी वाटिका न्यास, जयपुर विधेयक, 2023; एवं 4. राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023;- पर विचार एवं पारण।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 40वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के 40वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा कार्य सलाहकार समिति का 40वां प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023, प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल (अनुपस्थित), श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है। सेन्ट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कन्करेंट लिस्ट तीनों में विभाजन स्पष्ट है।

(श्री बिहारीलाल)

शक्तियों का विभाजन है। राज्य का भी कर है, केन्द्र का भी कर है। दोनों एक तरीके से चलते हैं, साथ चलते हैं। जिस तरह पिछले बिल में हमने देखा, पूरा सदन एक पंक्ति में था। THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (Measures for Prevention of Unfair means in recruitment) Act में सीएम के सलाहकार भी वही भाषा बोल रहे थे जो नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे थे। उसी तरह यह जो कर है जिसे संसद ने, देश की सभी विधान सभाओं ने पारित किया है, जीएसटी जो जीएसटी काउंसिल से गवर्न होता है, अब क्या परिस्थितियां आ गयीं कि प्रतिवर्ष इन कानूनों में संशोधन और सुधार आता है? इसका मुख्य कारण यह नजर आता है कि कहीं न कहीं राज्य की मशीनरी और कार्यशैली में तेजी नहीं आ पा रही है। गति में कहीं न कहीं कमजोरी है। यह जो सुधार आये हैं, जो आप लेकर आये हैं इसके अन्दर भी यह साफ परिलक्षित होता है कि....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो बिल हैं इम्पोर्टेंट और वक्ता दोनों में दो-दो दर्जन हैं इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि समय का ध्यान रखने का कष्ट करें और अधिक से अधिक शोर्ट में जो बोल सकें, दो से तीन मिनट में, समय तो बहुत कम है, लेकिन दो बिल हैं और इनको हमें समय पर कन्क्लूड करना है।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, तीन-चार मिनट में बात पूरी हो जायेगी। इस बिल में जो सुधार लाया गया है, उसमें भी अधिकतम वही प्रावधान हैं। किसी में समय सीमा को बढ़ाया गया है और ऐसी चीजों को दायरे में लाया गया है जिसके प्रावधान पहले से ही ठीक थे, लेकिन उनके विरुद्ध सही तरीके से कार्यवाही नहीं थी।

माननीय सभापति महोदय, अधिकतम करदाता राज्यों से संबंधित थे। इन कानूनों में बदलाव का मुख्य कारण भी राज्य है। राजस्थान में जैसे आठ लाख करदाता हैं और 90 परसेंट करदाताओं का राज्य से ही सम्बन्ध है। यह बदलाव लाने के कारण राज्य के अन्दर समुचित कर व्यवस्था का प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है।

उदाहरण के तौर पर इसकी धारा 62 को देख लीजिए। इसमें यह संशोधन लाया गया है कि रिटर्न डिफाल्टर के असेसमेंट के अन्दर तीन महीने की समय सीमा को बढ़ा रहे हैं। यदि आप इसका आंकड़ा राज्य प्रशासन से पता करें तो 2017-18 में जीएसटी लागू हुआ, 2017-18, 2018-19, 2019-20 के कितने करदाताओं के खिलाफ धारा 62 के तहत रिटर्न डिफाल्टर के

(श्री बिहारीलाल)

असेसमेंट किये गये और उनकी डिमाण्ड क्रिएट की गयी? आज तक कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया? 2017-18 के कार्यों की लास्ट डेट इसी वर्ष है जिसमें अन्तिम आदेशों की पालना करके रिकवरी भी करना है, परन्तु आज पता किया जाए तो ऐसे प्रकरण बहुत कम या जीरो के बराबर होंगे। ऐसी स्थिति क्यों है? इन कारणों को समझना पड़ेगा, माननीय मंत्रीजी। जिस प्रशासन की आवश्यकता है, उस स्तर का प्रशासन या संख्या हमारे पास नहीं है। सौ ऐसे अधिकारी हैं आपकी कर व्यवस्था में जो अपनी पोस्टिंग के अलावा दो-तीन एक्स्ट्रा चार्जेज लिये हुए काम कर रहे हैं।

आर पी एस सी के अन्दर जो इस बात की वेकेंसी आयी है, वाणिज्य कर अधिकारी का मात्र एक पद आप लेकर आये हैं, तो काम कैसे होंगे? काम तो मल्टीपल बढ़े हैं और राज्य के अधिकारियों की न ट्रेनिंग है, न संख्या है, तो किस तरह यह समाधान होगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा उदाहरण केन्द्र ने बिजनेस ऑडिट का कार्य 2020-21 तक का पूरा कर लिया है, परन्तु राज्य में हम 2018-19 का काम भी पूरा नहीं कर पाये। पूरा छोड़ो, आधा भी नहीं कर पाये हैं। कानून के अन्दर 5 परसेंट ऑडिट करनी थी कुल करदाताओं की, परन्तु हम ढाई प्रतिशत भी नहीं कर पाये। यह तो जीएसटी का तंत्र मजबूत है, आईटी का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, जिससे करों में और रेवेन्यू में उछाल आया। केन्द्र सरकार की एक्टिवनेस है और केन्द्र सरकार की मजबूती है जो क्रांतिकारी बदलाव आया। केन्द्र सरकार की नीयत साफ है इसलिये यह उछाल आया है, लेकिन राज्य बराबर साथ नहीं देंगे और कर व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर यह ज्यादा लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल में तकनीकी संशोधन है। अधिकतम संशोधन समय सीमा को लेकर हैं, साथ ही ऑनलाइन माध्यमों से सम्बन्धित है। कुछ प्रावधान अपीलीय और ट्रिब्यूनल है, इसलिये मैं मेरे जनमत जानने के प्रस्ताव को वापस लेता हूं और सरकार इस बिल को पास करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित), माननीय श्री रामप्रताप जी कासनियां (अनुपस्थित), माननीय श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित), माननीय श्री अमृतलाल मीणा (अनुपस्थित), माननीय श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित), माननीय श्री रामलाल जी शर्मा (अनुपस्थित),

(श्री सभापति)

श्री माननीय मदन दिलावर (अनुपस्थित), माननीय श्री बलवान पूनियां (अनुपस्थित), माननीय श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित), माननीय श्री फूल सिंह मीणा (अनुपस्थित), माननीय श्री अविनाश (अनुपस्थित), माननीय श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित), माननीय श्री जोराराम कुमावत (अनुपस्थित), माननीय श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित), माननीय श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित), माननीय श्री राजकुमार रोत (अनुपस्थित), माननीय श्री शंकर सिंह रावत (अनुपस्थित) माननीय श्री धर्मनारायण जी जोशी (अनुपस्थित)। माननीय आनरेबल लीडर आफ अपोजिशन, श्री राजेन्द्र राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, यह सदन राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा कर रहा है। मूल रूप से यह राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017 है। इसकी विभिन्न 21 धाराओं के अन्दर आप संशोधन लेकर आये हैं और उनमें से 10 धाराएं प्रोविजनल हैं और बाकी धाराओं के अन्दर वही प्रस्ताव इसमें प्रस्तावित किये हैं, जो जी.एस.टी. कौंसिल में और आप लोगों के सामने सर्वसम्मति से अन्य राज्यों ने भी कर लिये। मेरा सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि अपने यहां इस सेक्शन की धारा 109 में जो जी.एस.टी. ट्रिब्यूनल है, जिसका गठन हो जाना चाहिये था, 2017 के एक्ट में है, अब यह जी.एस.टी. ट्रिब्यूनल के गठन करने का काम राज्य सरकार का है और, माननीय सभापति महोदय, जी.एस.टी. ट्रिब्यूनल नहीं होने के कारण से इस एस.जी.एस.टी. से सम्बन्धित जितने भी मामले हैं, आई.जी., एस.जी.एस.टी. से जितने भी सम्बन्धित मामले हैं, सारे हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट के अन्दर जहां एक और करावंचन हो जाता है, हाई कोर्ट उसमें स्थगन का आदेश दे देता है, कर की वसूली में लम्बा समय लग जाता है, वहीं जो व्यवहारी है, उसके लिये भी कठिन काम हो जाता है। इसलिये मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि बाकी सब बातों पर बात की जा सकती है, पर आप उत्तर में यही कहेंगे कि केन्द्र सरकार ने अलग-अलग धाराओं के अन्दर संशोधन की बात कही। प्रोविजनल बातें हैं, इसलिये मैं लम्बी बात में नहीं जाऊंगा, पर निश्चित तौर पर आपको इस बात को देखना चाहिये।

दूसरा, इसकी धारा 17(5) में एक संशोधन है। इस संशोधन में मैं उसको इतना पढ़ नहीं पाया पर, माननीय सभापति महोदय, जो CSR फण्ड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, CSR फण्ड में कोई भी क्रेता व्यक्ति किसी भी चीज को खरीदता है तो पहले उसको SGST की इनपुट सब्सिडी मिलती थी। जो अब शायद इस प्रोविजन के कारण से, I may be wrong, I wanted to be wrong. मैं उसका अध्ययन नहीं कर पाया, पर यह थोड़ा-सा मैं समझना चाह रहा था। आप इसके बारे में जरूर बतायें कि इस नये संशोधन के अन्दर जो सेक्शन 17 (5) में एक खण्ड और जोड़ा है, यह क्या इंगित करता है और मैं इसीलिये यही कहूंगा कि निश्चित तौर पर देश के टैक्सेज में, डायरेक्ट टैक्सेज में एक आमूल-चूल परिवर्तन GST के बाद आया है। हम लगातार देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान का GST अब प्रति महीने एक लाख करोड़ को पार करना तो आम बात हो गयी। राजस्थान के अन्दर भी, हमारे आन टैक्स रेवेन्यू के अन्दर सबसे बड़ा कम्पोनेंट है वह SGST का है, पर हमारे यहां अधिकारियों की जो वेकेंसीज हैं, उस वेकेंसीज को भरने के लिये सरकार को सोचना चाहिये। ट्रिब्यूनल के लिये जो मैंने कहा है, ट्रिब्यूनल के अन्दर आप यह कह दोगे कि सेंट्रल एक्ट में है, वही ट्रिब्यूनल मानी जायेगी जो GST की है। उससे नहीं, ट्रिब्यूनल की आधारभूत संरचनाएं भी हमें खड़ी करनी हैं। ट्रिब्यूनल के लिये जो आवश्यक चीजें हैं, वह भी अपने को देनी चाहिये और ट्रिब्यूनल के गठन के प्रस्ताव के अन्दर आपकी तरफ से जो मूव होना चाहिये, उसको आप करें। इतना ही मुझे कहना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन), विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 24, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 24 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 24 स्वीकार किये गये।

(श्री सभापति)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: माननीय श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। जब-जब चुनाव आते हैं तब-तब बीजेपी सरकार की जो नींद है, वह खुलना शुरू हो जाती है। जब तक चुनाव नहीं था तब तक यह संशोधन नहीं लेकर आये। हमारे लीडर आफ अपोजिशन ने पूछा था कि यह CSR में क्या है, जो आप समझ नहीं पा रहे थे। उस CSR में यह है कि जो इनपुट क्रेडिट CSR का, जब आप कोई भी माल खरीदते हो तो आपको इनपुट क्रेडिट मिलती है, लेकिन अब यह प्रोविजन आया है, अब CSR में आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि आप वह खुद कंज्यूम नहीं कर रहे हो। वह आप पब्लिक सर्विस के लिये कर रहे हो, इसलिये वह इनपुट क्रेडिट CSR में अब खतम कर दी। यह इसमें प्रोविजन है, साहब।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी चीज, आपको बताना चाहूंगा कि यह जितने संशोधन लाये हैं, यह चुनाव को देखते हुए संशोधन लाये हैं। इन्होंने जितनी शिथिलता दी है, वह आपको शिथिलता रिटर्न के फार्म में दी, उन्होंने जो 3 साल का कैप लगा रखा था, उसके फार्म में शिथिलता दी और जो

(श्री रोहित बौहरा)

स्टेटमेंट्स और रिटर्न्स देने के लिये शिथिलता दी। यह सब चीजें चुनावी हैं। इससे पहले चार साल से यह भूल गये थे कि यह जब GST आया था, जब आप लेकर आये थे तो चार साल से जब आप यह कर रहे थे तो यह शिथिलता आप तभी दे देते न, तो हमारे जो व्यापारी हैं वह दर-दर की ठोकरें नहीं खाते न। अब वह व्यापारी दर-दर की ठोकरें खाकर जब उनके ऊपर पैनल्टीज लग गयीं, पैनल्टीज भी अब ऐसी लगी हैं कि आज यदि एक लाख रुपये का मैंने रिटर्न गलत दाखिल कर दिया है तो मेरे पर पैनल्टी एक लाख रुपये की है। ऐसा GST लॉ है इस कंट्री का, जिसमें छोटे व्यापारियों के आंसू भी बीजेपी वाले पोंछ नहीं सकते, जो इनके वोटर्स हैं, यह उनके आंसू भी नहीं पोंछ सकते। आजकल तो यह व्यापारियों को चोर बता देते हैं। व्यापारी चोर है तो उसी का पैसा आप संग्रह कर रहे हो।

आज आपने देखा, एक नई चीज और कर दी, जो कि करनी नहीं चाहिये थी, GST में PMLA लगा दिया थ्रू ए नोटिफिकेशन। वह पब्लिक डोमेन में डाला ही नहीं। किसी से डिस्कस नहीं किया, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ, स्टेट असेम्बलीज में डिस्कस नहीं हुआ और आप क्या प्रूव करना चाहते हो कि व्यापारी चोर है। व्यापारी को किसमें डाल दिया, PMLA में डाल दिया। PMLA एक नहीं लगती है, PMLA में there are fifteen agencies from NIA to Competition Commission of India सबको आपको जवाब देना पड़ेगा। PMLA इन्होंने एक ऐसा हव्वा बना दिया। आज यह चाहते क्यों हैं? क्यों PMLA डाला? PMLA इसलिये डाला कि जो व्यापारी यदि चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि हर पॉलिटिशियन का हो सकता है बिजनेस हो, उसको आपने रगड़ने के लिये कि तू चुनाव नहीं लड़ेगा और अगर लड़ेगा तो बीजेपी की पार्टी से लड़ेगा। यदि तू लड़ा तो तेरे ऊपर PMLA लगा देंगे, क्योंकि PMLA में onus is on you to prove कि आपने मनी लाड्रिंग नहीं की। एजेन्सीज के ऊपर नहीं है प्रूव करने के लिये कि PMLA में क्या होता है, PMLA में onus is on the व्यापारी to prove कि मैंने PMLA का कुछ नहीं करा। ऐसी तो बीजेपी की सरकार है। इस बीजेपी की सरकार ने PMLA लगा दिया। आज अपन क्या करना चाह रहे हैं? क्या व्यापारी चोर है? जो व्यापारी एक करोड़ रुपये का टर्न ओवर करता है, 25 लाख का टर्न ओवर करता है या 10 लाख का करता है तो पांच करोड़ में तो उसको फार्म भरने की जरूरत नहीं थी, GST भरने की जरूरत नहीं होती, वह कम्पोजिशन स्कीम में चला जाता है।

(श्री रोहित बौहरा)

उससे भी बड़ा व्यापारी, जो पांच करोड़ से ऊपर है, आज टर्न ओवर क्या मायने रखता है। जो आपका लोहा 30 रुपये का था, वह आज 60 रुपये का बिक रहा है, उसका पांच करोड़ का टर्न ओवर कितना-सा होगा? मुश्किल से 10 ट्रक बेच देगा तो उसका 5 करोड़ का टर्न ओवर है। वह क्या पीएमएलए में करेगा? आपका मन आयेगा उसको रगड़ दोगे। जो आपने बात की, यह इतना गंदा प्रोविजन है, जो कि मैं कहता हूं कि 9 स्टेट्स ने जीएसटी की मीटिंग के अंदर इतना विरोध किया। लेकिन विरोध किस पर करें? उन 9 स्टेट्स को जनरली जीएसटीएन में जो भी काउंसिल की मीटिंग होती है, most of the things are passed by वाइस वोट से निकल जाता है। 9 स्टेट्स ने इसका विरोध किया लेकिन केन्द्र सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी कि पीएमएलए को अब आपने व्यापारियों पर भी लगा दिया। क्या अपन प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या व्यापारी चोर है जो जीएसटी दे रहा है? जीएसटी में इतना आपका बढ़ रहा है बिकॉज इनफ्लेशन इतना बढ़ गया है, जो 80 हजार करोड़ था वह 1 लाख 60 हजार करोड़ हो गया। कंजम्प्शन इंडस्ट्री का खतम हो गया। कंजम्प्शन बेस इकॉनामी बची नहीं। अब इनफ्लेशन बेस इकॉनामी शुरू हो गयी।

मेरा आपसे दूसरा कहना है। यह जो ट्रिब्यूनल आप बना रहे हो, आपने ट्रिब्यूनल की बात की कि स्टेट्स को ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए। आपने क्या किया? स्टेट्स को जो आप ट्रिब्यूनल बना रहे हो, उसमें आपने टेक्निकल और जुडिशियरी के मेम्बर्स डाल दिये, मतलब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। जो अभी बात कर रहे थे न रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स क्यों बनाये, वह भी सब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स करेंगे। आपने एडवोकेट्स और सीए का जो कि एक इंडिपेंडेंट व्यू आता, उनको उसमें से हटा ही दिया है। सिर्फ अब टेक्निकल और जुडिशियल ही उसमें मेम्बर्स रहेंगे, there will no member who is a C.A. or an Advocate, तो पता पड़ा जितने इनको डिसिजन कराने होंगे, वह अपने बेस पर डिसिजन करा लेंगे। आपने इंडिपेंडेंट मेकिंग बॉडी को खतम कर दिया तो लोग-बाग़ हाई कोर्ट जायेंगे ही। जब इंडिपेंडेंट बॉडी ही नहीं है जो डिसिजन बनायेगी तो वह क्या करें?

मेरा आपको एक सजेशन और है, मंत्री जी यहां बैठे हैं और यह करना भी चाहिए। एसजीएसटी में काफी साल हो गये क्योंकि लोग-बागों ने जो अपना टर्न ओवर जब आपकी एक्साइज की इनवाइसेज थी, उसका क्रेडिट ले लिया।

(श्री रोहित बौहरा)

अब जाकर क्रेडिट की ऑडिट हो रही है और लोगों को नोटिसेज मिल रहे हैं। यह सब हो रहा है। हम वन टाइम सैटलमेंट्स स्कीम एसजीएसटी की क्यों नहीं ला सकते हैं? The onus is on the State Government to get that एसजीएसटी की जो वन टाइम सैटलमेंट स्कीम है, आपने सब डिपार्टमेंट्स की वन टाइम सैटलमेंट स्कीम कर दी है for SGST you don't have to go to GST Council for it. The State Government should make it a point, क्योंकि व्यापारी इस समय इतना त्रस्त है, जीएसटी से इतना त्रस्त है कि उसके आंखों में से आंसू पौंछने वाला कोई नहीं है। इस सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इतने कड़े कानून कर दिये हैं कि छोटा व्यापारी तो सिर्फ मरने के लिए पैदा हुआ है, और किसी के लिए भी पैदा नहीं हुआ है। इतनी हालत खराब है।

आपको रिटर्न भरने के लिए सीए चाहिए। आपको स्टेटमेंट देने के लिए सीए चाहिए। जिसका टर्न ओवर 5 करोड़ नहीं है वह सीए की फीस कहां से अफोर्ड करेगा 20-20, 25-25 हजार रुपये महीना? अपन क्या करना चाह रहे हैं? स्टेट्स की स्वायत्ता खतम कर दी। जब इनकी गवर्नमेंट ने यह जीएसटी पास किया था, पुराने वित्त मंत्री ने कहा था वसुन्धरा जी से कि आप यह कर तो रही हो, लेकिन यह कभी भी हाथ आपका मरोड़ेंगे सेन्ट्रल गवर्नमेंट, पता पड़ेगा आपको पैसा नहीं दिया। यह प्रूव कर दिया सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कि हमारा पैसा जो रुका हुआ है, जो 12 परसेंट हमारे को इन्क्रीमेंट देना था वह रोक दिया। उसको आपने क्या किया? आपने लोन के रूप में, हमारे ऊपर लोन चढ़ा दिया। जो आप कह रहे थे कि उसमें इनक्लूडेड है, जो अपनी एफआरबीएम लिमिट में है। आपने लोन लिया, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने हमें पैसा देने के लिए, आपके पास पैसा नहीं था। हमारी गलती नहीं है। कमिटमेंट आपका था। हमारे को लोन लेने के लिए एफआरबीएम लिमिट क्रोस हो गया। क्यों, हमारी गलती तो है नहीं। यह गलती किसकी है? यह गलती सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है, they had to take the loan because they could not manage their finance properly. सबसे बड़ी प्रोब्लम यह है। उनकी गलती का भुगतान स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ा। किसी और की गलती का भुगतान हम नहीं कर रहे हैं। हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट की गलती का भुगतान करना पड़ रहा है।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे को तो यह पास करना ही है और करना भी चाहिए।

(श्री रोहित बौहरा)

यह सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए जितनी शिथिलता दी है, इसके अंदर सिर्फ शिथिलता का है। इसमें सिर्फ एक है जो इन्होंने सीएसआर में इनपुट क्रेडिट के लिये मना किया है, वह बड़ा नेचुरल-सा है क्योंकि इनपुट क्रेडिट आप सीएसआर फंड में दे रहे हो that is for social service. वह बहुत अच्छा प्रोविजन किया। जबरदस्ती लोग-बाग़ क्रेडिट उठा रहे थे। उससे गवर्नमेंट को नुकसान था। वह बहुत अच्छा किया। मैं उसके लिए भी समर्थन करता हूं। मैं यह कहता हूं कि इस बिल को पास कर देना चाहिए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया।

राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2023, माननीय श्री शान्ती कुमार जी धारीवाल, प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: माननीय श्री हमीर सिंह भायल (अनुपस्थित), माननीय श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, जनमत जानने के लिए परिचालित कर दिया जाए।

श्री सभापति: माननीय श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित), माननीय श्री रामप्रताप जी कासनियां (अनुपस्थित), माननीय श्री अमृतलाल मीणा (अनुपस्थित), माननीय चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित), माननीय रामलाल जी शर्मा (अनुपस्थित), माननीय मदन दिलावर (अनुपस्थित)। माननीय बलवान पूनियां।

(समय: 19.36 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरा तो सिनेमा से तात्पर्य यह फोन है। इस फोन में इंटरनेट चलता है और फेसबुक चलती है। इसमें भौंडी चीजें बहुत आती हैं। यह सोशल चीज नहीं बची। इस फेसबुक में जो-जो सामग्रियां हैं, उनका भी कोई नियमन करो। हम जो चीज नहीं चाहते, अनवांटेड चीजें आती हैं। आज के दिन सिनेमा तो हमारा यही है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस पर भी कोई बिल लेकर के आये।

मौजूदा प्रदेश में कहीं सिनेमा बचे नहीं। सिनेमा संस्कृति को वापस जनरेट करने के लिए आप उन पर शास्ति, दंड की बजाय उनको प्रोवोक करो। सिनेमा से सिर्फ फिल्म नहीं देखी जाती, सिनेमा से एकजुटता बढ़ती है, सिनेमा से संस्कृतियों का विनिमय होता है। यह जो अंतर्मुखी लोग हुए हैं इस फोन की वजह से और घर में टीवी की वजह से, एलईडी की वजह से जो लोग अंतर्मुखी हुए हैं उससे सोसायटी में डैमेज आये हैं।

सभापति महोदय, सिनेमा पर और टाइट करने की बजाय, 2-4 सिनेमा राजस्थान में बचे हैं, उनको धरोहर के रूप में संजोओ और उनको मजबूत करो। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित), श्री अविनाश (अनुपस्थित), श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित), श्री छगनसिंह (अनुपस्थित), श्री गोविन्द प्रसाद (अनुपस्थित), श्री राजकुमार रोत (अनुपस्थित)। श्री शंकर सिंह रावत (अनुपस्थित), श्री रूपा राम (मकराना) (अनुपस्थित), श्री धर्मनारायण जी जोशी (अनुपस्थित), श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित)। नेता, प्रतिपक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, सदन राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा कर रहा है।

सभापति महोदय, राजस्थान सिनेमा (विनियमन) विधेयक, 1952 के अंदर, सेक्शन 8 के अंदर सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई है। सेक्शन 8 में पहले जो उप धारा 1 और 2 थी, उसमें यह प्रावधान था कि अगर सिनेमा में सिनेमा की गतिविधियों के अलावा दूसरी गतिविधियां करते हैं तो उस पर 2 हजार जुर्माने का प्रावधान था, इस संशोधन के माध्यम से सरकार उसको 50 हजार कर रही है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय आपका ध्यान अभी राजस्थान के अंदर नहीं पूरे देश में जो सिनेमा पर जीएसटी 12 परसेंट था, केन्द्र सरकार ने घटाकर 5 परसेंट इसलिए किया कि धीरे-धीरे आज के इस डिजिटल युग में जो पीड़ा अभी भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने की, आजकल वास्तव में यह मोबाइल की संस्कृति है। आजकल जो चीज भी किसी को देखनी होती है वह ओटीटी प्लेटफार्म पर सारी चीजें उपलब्ध हैं। मोबाइल पर हैं, लैपटाप पर हैं, टीवी पर हैं। इसलिए सिनेमा और सिनेमा हाल अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। सिनेमा और सिनेमा हाल की प्रासंगिकता हमारे समाज में थी। जब परिवार के लोग जाते थे तो आपस में हेलमेल के साथ-साथ एक सद्भाव का वातावरण भी बनता था। आज इस सिनेमा हाल को, निश्चित रूप से बचे कुछ हैं नहीं, मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि इनको प्रोत्साहित करें जो अस्तित्व खो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे याद आ रहा है, माननीय मंत्रीजी का एक बहुत-बहुत पुराना दोस्त मुझे मिल गया, उसने मुझे कहा, इनके जवानी के दिनों में कहते थे कि मंत्री महोदय कहां मिलेंगे, उस सिनेमा हाल पर मिलेंगे, उस सिनेमा हाल के उस साइकिल स्टैंड पर मिलेंगे। यह एक संस्कृति हुआ करती थी, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आर्थिक संकट से सिनेमा गुजर रहे हैं। आजकल मल्टीपल यूज हो रहा है सिनेमा का तो इसमें आपको दंडात्मक प्रावधान के बजाय, जीएसटी सेंटर ने अभी कम की है, आपको भी कुछ प्रोत्साहित करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, सब जगह पर अलग-अलग भाषा के सिनेमा आते हैं। हमारे राजस्थान की समृद्ध भाषा है, हमारे राजस्थान का समृद्ध इतिहास है। मैं देख रहा हूं लगातार कि राजस्थानी भाषा में सिनेमा, फिल्म आना बंद हो गई, क्योंकि सरकार इन रचनात्मक, ज्ञानवर्द्धक फिल्मों को टैक्स फ्री करने में कंजूसी करती है। कई बार, अभी फिल्म 'द केरल फाइल्स' आई, ज्ञानवर्द्धक फिल्म थी, उसके बाद भी उसको दूसरे नजरिये से देखा जाने लगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज परिस्थितियां हमारे सामने हमारे नौजवानों की कुंठाओं की है, इस मोबाइल की संस्कृति ने इस डिजिटल युग में पूरी चीजों को बदल दिया, एक घर में एक छत के नीचे भी अगर परिवार के पांच सदस्य भी हैं तो आपस में बातचीत नहीं करते हैं, इसलिए मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस पर सोचे, दंडात्मक प्रावधान जैसा कुछ है नहीं, मल्टीपल यूजेज इसके होने दो, ताकि थोड़े बहुत सिनेमा हाल बचे हैं, वो जीवित भी रह सकें।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने धारा 8 (1) और 8(2) के बारे में सारी बात बता दी, उसके बारे में मुझे विस्तार से कुछ नहीं कहना है। मुझे यह निवेदन करना है कि सेंटर गवर्नमेंट ने 10.08.2020 को ईज आफ डूइंग बिजनस के तहत यह एक पत्र हमें लिखा, इसमें मिनिमम रेगुलेटरी कम्प्लायंस के नियमों और अधिनियमों की समीक्षा करके डिक्रिमिनलाइजेशन किये जाने के निर्देश दिए गए थे, उसके तहत हम यह बिल लेकर आए हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने बात बताई और जैसे पूनियां जी ने बात बताई कि उससे वातावरण बनता है, यह करता है, वो करता है, इसका वातावरण से कोई लेना-देना नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है, इस बिल से तो है नहीं, बाकी जो सब चीजें आपने बताईं, वो बहुत अच्छी बात थी, ज्ञान बढ़ाने वाली बात थी, उस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए, विस्तार से विचार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि लॉ की शब्दावली को भी इसमें संशोधित किया गया है, जिसमें कि धारा 1 लिखा गया था तो धारा 1 और 2 को समाप्त करने के बाद धारा 8 जो प्रतिस्थापित की गई है, वो सेंटर गवर्नमेंट के डाइरेक्शन से की गई है और वो सिर्फ जुर्माने के बाबत है। बाकी तो सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वाली बात है, सिनेमा में और कुछ परिवर्तन करने की बात के लिए अलग से बहस हो जाएगी, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सिनेमा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिनेमा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री सभापति)

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 4, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिनेमा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

1952 के इस छोटे-से कानून में, साधारण-से कानून में छठी बार अपन संशोधन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बीच में इन्होंने बोलने के लिए कह दिया। पहले जोगेश्वर गर्गजी बोल लें। (व्यवधान) बोलें आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): इसमें संशोधन तो मामूली-सा है, कभी जुर्माना लगाना है, कभी नहीं लगाना है, कभी सौ रुपये लगाना है, कभी हजार रुपये लगाना है। ये ही संशोधन हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन आना चाहिए, मैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने भी थोड़ा जिक्र किया, सिनेमाघरों में फिल्में दिखाई जाती हैं, फिल्म कहां बनती है,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मुम्बर्ह में बनती है। कौन बना रहे हैं, मुम्बई वाले बना रहे हैं। किसमें बना रहे हैं, हिन्दी में बना रहे हैं, इंग्लिश में बना रहे हैं, मराठी में बना रहे हैं, गुजराती में बना रहे हैं।

मेरे दो प्रश्न हैं, फिल्में राजस्थान में क्यों नहीं बन रही हैं? मुम्बई से आकर राजस्थान की लोकेशन में फिल्म बनाकर ले जाते हैं, हम उनको ऐसा वातावरण और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं दे पाए कि यहां फिल्में बनें जैसा नोएडा में हो रहा है? यूपी सरकार कर रही है, वैसा हम फिल्म सिटी डवलप करते तो हमारे लोगों को रोजगार मिलता। वो चीज हम नहीं कर पाए। फिल्में राजस्थान में बनें और फिल्में राजस्थानी में बनें, राजस्थानी में मुश्किल से दस-बारह फिल्म साल में बन पाती हैं और इसलिए कम बन रहीं है कि राजस्थान सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं है। गुजराती में फिल्म बनती है तो गुजरात सरकार एक करोड़ रुपये तक का अनुदान देती है। मराठी में फिल्म बनती है तो महाराष्ट्र सरकार डेढ़ करोड़ रुपये तक का अनुदान देती है। यूपी में फिल्म बनती है, भोजपुरी में या अवधी में तो ढाई करोड़ रुपया यूपी सरकार देती है। छत्तीसगढ़ी भाषा में यदि फिल्म बने तो छत्तीसगढ़ सरकार छह करोड़ रुपये तक का अनुदान देती है। राजस्थान क्या दे रहा है? पच्चीस लाख हाइएस्ट और पांच-छह लाख से ज्यादा किसी को मिलता नहीं है। इस साल सुना है एक आदमी को पच्चीस लाख रुपया मिला है, सिर्फ एक आदमी को। बाकी सब पांच लाख, छह लाख रुपये पाते हैं। जब पैसा नहीं होगा उनके पास तो क्वालिटी नहीं बनेगी, क्वालिटी नहीं बनेगी तो लोग आकर्षित नहीं होंगे। एक तो यह हो कि उनका अनुदान बढ़ाया जाए, सहायता राशि बढ़ाई जाए, ताकि उसमें क्वालिटी डवलप हो।

दूसरा यह है कि महाराष्ट्र के हर थियेटर में है कि दोपहर का बारह बजे का मैटिनी शो उनको मराठी फिल्म ही चलानी पड़ेगी, नहीं तो उस पर जुर्माना लग जाएगा, ऐसा राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? हर थियेटर को आप पाबंद कीजिए कि राजस्थानी भाषा की फिल्म दिखाना अनिवार्य है। यदि फिल्म दिखाना अनिवार्य होगा तो फिल्में भी बनेंगी, देखने वाले भी आएंगे, तो उससे हमारी राजस्थानी संस्कृति का भी प्रचार होगा, राजस्थान के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, राजस्थान की कला और संस्कृति और कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और बहु त सारी चीजें इससे डवलप होंगी। यह मेरा निवेदन है और अगली बार जब भी संशोधन लाए सरकार, अब आप लाएंगे कि हम

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

लाएंगे, जो भी लाएगा, पर उसमें इस विषय पर विचार होना चाहिए, राजस्थान में फिल्में बनें और राजस्थानी में फिल्में बनें, उनको प्रोत्साहित किया जाए, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सिनेमा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सिनेमा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 24 जुलाई 2023 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.49 बजे सोमवार, दिनांक 24 जुलाई 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भीलवाड़ा में कृषि प्रोत्साहन नीति 2019 की उपलब्धियां

541. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान कृषि संस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि प्रोत्साहन नीति-2019 लागू की गई? यदि हां, तो जिला भीलवाड़ा में उक्त नीति के अंतर्गत क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है तथा अब तक क्या उपलब्धि रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य को प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का उत्पादन एवं आपूर्ति केन्द्र बनाने के उद्देश्य से राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की गई।

नीति के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले में 12 इकाइयों को 2,359.47 लाख रुपये के निवेश पर कुल 333.97 लाख रुपये का पूंजीगत अनुदान स्वीकृत किया गया है (परिशिष्ट-अ)। नीति 2019 के अन्तर्गत परिशिष्ट-ब (संलग्न) में अंकित पात्र श्रेणी की परियोजनाओं पर पूंजीगत, ब्याज एवं विद्युत प्रभार इत्यादि अनुदान दिया जाना प्रावधित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घाटोल में माही विस्थापित काश्तकारों को भूमि आबंटन

548. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव पासलवासा के खसरा नं० 609, 853, 854 पर माही विस्थापित काश्तकारों को भूमि आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

उपखण्ड क्षेत्र की तहसील घाटोल के ग्राम कुवानिया (मजरा-पासलवासा) के आराजी नं. 609 खाता संख्या 227 श्री मोतिया पिता पुंजिया भील के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

(उपनिवेशन मंत्री)

उपखण्ड क्षेत्र की तहसील घाटोल के ग्राम कुवानिया (मजरा-पासलवासा) के आराजी नं. 853 खाता संख्या 1 श्री सरकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड क्षेत्र की तहसील घाटोल के ग्राम कुवानिया (मजरा-पासलवासा) के आराजी नं. 854 खाता संख्या 140 श्री नाथू पिता वजेंग भील के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

अतः खसरा नम्बरान 609, 854 में वर्णित भूमि निजी खातेदारों की होने से भूमि आबंटन नहीं किया जा सकता है।

माही विस्थापित काश्तकारों द्वारा उक्त खसरा नं. 853 में भूमि आबंटन हेतु आवेदन किया जाता है, तो नियमानुसार भूमि आबंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाकर निर्धारित प्रक्रियानुसार भूमि का आबंटन किया जा सकता है।

स्टेट हाईवे 20बी बीकानेर-नापासर-जसरासर के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य

550. श्री बिहारीलाल (नोखा): सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा स्टेट हाईवे 20 बी बीकानेर-नापासर-जसरासर के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण करने की बजट 2021-22 में घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्य किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बजट घोषणा के दो वर्ष उपरांत भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण रहे तथा अब कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा स्टेट हाईवे 20 बी बीकानेर-नापासर-जसरासर के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण करने की बजट 2021-22 में घोषणा की गई थी।

इस सड़क की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 244.03 करोड़ की दिनांक 20.05.2022 को जारी की गई। इस कार्य हेतु दिनांक 26.05.2022 को निविदा आमंत्रित कर दिनांक 06.07.2022 को प्राप्त

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की गई। प्राप्त निविदाओं में से योग्य निविदादाता को कार्य आबंटित कर दिनांक 09.12.2022 को लैटर आफ अवार्ड जारी किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 05.01.2023 को अनुबन्ध कर दिनांक 03.03.2023 को कार्य प्रारम्भ तिथि (अपोइन्टेड डेट) निर्धारित की गई।

इस सड़क की स्वीकृत लम्बाई 65.525 किमी. है। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। माह जून, 2023 तक 23.2 किमी. सबग्रेड, 20.5 किमी. जी.एस.बी, 11.3 किमी. डब्ल्यू.एम.एम व 5.2 किमी. डी.बी.एम का कार्य हो चुका है। कार्य पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि 04.09.2024 है।

(2) यह कार्य विश्व बैंक पोषित परियोजना में प्रस्तावित था। विश्व बैंक द्वारा पुनर्गठन प्रस्ताव के अनुमोदन में लगे समय के कारण कार्य प्रारम्भ में देरी हुई है।

वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पादरू में नवीन उप-तहसील कार्यालय खोलने की कार्ययोजना

479. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नई उप-तहसील खोलने के क्या नियम एवं मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में माह दिसम्बर, 2018 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितनी नवीन उप-तहसील कहां-कहां पर खोली गई? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिला बाड़मेर के तहसील सिवाना के मुख्य कस्बा पादरू में नवीन उप-तहसील कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में नवीन उप-तहसील सृजन हेतु राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में माह दिसम्बर, 2018 से माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 75 नवीन उप-तहसीलों का सृजन किया गया हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। नवीन उप-तहसील पादरू के सृजन की अधिसूचना राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के क्रमांक प. 9(46)राज-1/2023/उपतहसील/पादरू दिनांक 17.06.2023 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

बामनवास में नवीन राजस्व गांव

480. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में प्रशासन गांवों के संग अभियान में किन-किन गांवों को राजस्व गांव बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा उक्त पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन राजस्व गांव बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन गांवों को कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान विधान सभा क्षेत्र बामनवास के कुल 04 नवीन राजस्व ग्रामों के सृजन हेतु प्रस्ताव कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर स्तर पर प्राप्त हुए हैं। उक्त राजस्व ग्रामों का सृजन किया जा चुका है। अधिसूचनाओं की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त राजस्व ग्रामों का सृजन किया जाकर अधिसूचना प्रसारित की जा चुकी है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

माण्डलगढ़ में ढाणियों-मजरों को राजस्व गांव बनाने की कार्ययोजना

481. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के जनप्रतिनिधियों से प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में ढाणियों, मजरों व अन्य बस्तियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ढाणियों, मजरों व बस्तियों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा स्तर पर प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान के दौरान ग्राम थलकलां के मजरा रूपपुरा को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(2) उक्त मजरा एवं मूल राजस्व ग्राम के मध्य दूरी 500 मीटर होने से निर्धारित नोर्म्स अनुसार राजस्व ग्राम सृजन की पात्रता नहीं रखता है।

अजमेर शहर में अवैध खनन को रोकने की कार्ययोजना

482. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर के वार्ड नं. 29 जागृति नगर, अजय नगर के खसरा नं. 5478 व उसके आस-पास के भू-भाग पर अवैध

(श्रीमती अनिता भदेल)

खनन करके पहाड़ों को काटा जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध खनन को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर शहर के वार्ड नं. 29 के उक्त खसरा के आस-पास का भू-भाग राजस्व रिकार्ड में किन खातेदारों के नाम दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। खान विभाग एवं अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के तकनीकी कर्मचारियों की संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 23.01.2023 के अनुसार अजमेर शहर के वार्ड संख्या 29 जागृति नगर, अजय नगर के खसरा नम्बर 5478 व इसके आस पास के भू-भाग पर अवैध खनन नहीं किया जा रहा है। मौके पर जागृति नगर में बुद्धा हिल्स के पास पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा पानी की टंकी का निर्माण किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त भगवानगंज स्कूल के पास स्थित छोटी पहाड़ी पर पानी की टंकी के जीर्णोद्धार हेतु मलबे से रैम्प बनाया गया है। दिनांक 17.07.2023 को खान विभाग के तकनीकी कर्मचारी द्वारा पुन: मौका देखा गया जिसमें अवैध खनन नहीं होना पाया गया।

(2) अजमेर शहर के वार्ड नं. 29 के खसरा संख्या 5478 एवं इससे लगते हुए भूभाग के राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदारों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना में डी एम एफ टी मद से क्षतिग्रस्त डामर सड़कों की मरम्मत

483. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना में लूनी नदी के बजरी एवं मशीनरी स्टोन खनन सामग्री के ओवरलोड परिवहन के कारण डामर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार डी एम एफ टी मद से उक्त क्षतिग्रस्त डामर सड़कों के सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माह जनवरी, 2019 के उपरांत कितने कार्य उक्त मद में स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डेगाना में लूनी नदी से बजरी एवं अन्य क्षेत्रों से मेसनरी स्टोन/गिट्टी के अत्यधिक परिवहन के कारण 05 डामर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों के सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण के प्रस्ताव सदस्य सचिव, नागौर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट को प्राप्त नहीं हुए हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 में खनन प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय के अधिकार जिले की गवर्निंग काउंसिल को प्रदत्त हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि क्षतिग्रस्त 05 सडकों में से एक सड़क डोडियाना-सथाना-रियांबड़ी के सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण के लिए बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

(2) विधान सभा डेगाना में जनवरी, 2019 के पश्चात् डी.एम.एफ.टी. की गवर्निंग काउंसिल द्वारा 33 कार्य अनुमोदित किये गये हैं, जिनकी स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़ी स्थित विशनगिरी बाबा मन्दिर को पर्यटन हेतु विकसित करने की कार्ययोजना

484. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत मुख्यालय उमरेह के पास विशनगिरी बाबा का प्रसिद्ध मन्दिर है? क्या यह भी सही है कि प्रतिदिन प्रदेश व अन्य प्रान्तों से उक्त मंदिर पर काफी संख्या में दर्शनार्थी एवं यात्री पहुंचते हैं एवं उक्त मंदिर पर प्रतिवर्ष लक्खी मेला भी लगता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मंदिर को पर्यटन हेतु विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत मुख्यालय उमरेह के पास विशनगिरी बाबा का मंदिर स्थित है। इस मंदिर पर काफी संख्या में दर्शनार्थी एवं यात्री राजस्थान व अन्य प्रान्तों से पहुंचते हैं।

इस मंदिर पर प्रतिवर्ष भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी, नवमी एवं दशमी तक लक्खी मेला लगता है।

(पर्यटन मंत्री)

वर्तमान में उक्त स्थल को पर्यटन हेतु विकसित करने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं हैं।

माउंट आबू में ईको टूरिज्म एडवेंचर टूरिज्म पार्क विकसित करने की कार्ययोजना

485. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा के माउंट आबू में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु एडवेंचर टूरिज्म पार्क विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा के माउंट आबू में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये एडवेंचर टूरिज्म पार्क विकसित करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है, अपितु अभयारण्य क्षेत्र में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये निम्न गतिविधियां प्रस्तावित है:-

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से प्राप्त अभिशंसा के क्रम में माउन्ट आबू वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में निम्न गतिविधियों हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 14.02.2023 के द्वारा जारी की गई है।

ट्रेवर्स टैंक- जन सुविधाओं का विकास

आरणा - डे कैम्पिंग साइट का विकास

सालगांव-डे कैम्पिंग साइट का विकास

अनादरा पोइन्ट - जिप लाइन और अन्य सुविधाओं का विकास

इसके अतिरिक्त अभयारण्य क्षेत्र के ट्रेवर्स टैंक क्षेत्र में जीप सफारी हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 01 अक्टूबर, 2023 से सफारी प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

अलवर में मेवात विकास बोर्ड द्वारा विकास कार्यों की स्वीकृति

486. श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र कठूमर में मेवात विकास बोर्ड से माह जनवरी,

(श्री बाबूलाल)

2023 तक कितनी-कितनी राशि किन-किन विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र कठूमर जिला अलवर में मेवात विकास बोर्ड से वित्तीय वर्ष 2014-15 से जनवरी, 2023 तक 149 कार्यों हेतु राशि रुपये 632.80 लाख स्वीकृत किये गये हैं। कार्यो का विवरण मय राशि के विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डीडवाना में क्षेत्रीय विधायक निधि कोष से व्यय राशि

487. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

डीडवाना में क्षेत्रीय विधायक निधि कोष में माह जनवरी, 2019 से माह जनवरी, 2023 तक कितनी राशि आवंटित हुई व कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई व कितनी शेष है? आबंटन वर्ष व राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में वर्ष जनवरी, 2019 से जनवरी, 2023 तक कुल राशि रुपये 1,425.00 लाख आबंटित किये गये हैं। आबंटित राशि में से राशि रुपये 1,319.63 लाख रुपये व्यय किया गया है तथा अवशेष राशि रुपये 105.37 लाख है। आबंटित राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ तथा कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

चूरू में मास्टर प्लान के प्रयोजनार्थ भूमि का चिह्निकरण

488. श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने बजट 2019-20 में प्रदेश के गांवों में नियोजित विकास के लिये मास्टर प्लान बनाये जाने की नीतिगत घोषणा की थी? यदि हां, तो माह दिसम्बर, 2022 तक कुल कितने गांवों के मास्टर प्लान बनाये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या यह भी सही है कि जिला चूरू में सरकार के उक्त नीतिगत निर्णय के अनुसार मास्टर प्लान बनाकर भविष्य के लिये आबादी विस्तार, खेल सुविधा व पार्क के भूमि का चिन्हीकरण किया गया था? यदि हां, उक्त प्रयोजनार्थ किये गये भूमि के चिन्हीकरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने प्रत्येक गांव के मास्टर प्लान बनाये जाने की घोषणा की थी। वर्तमान में 7,779 ग्राम पंचायतों का डेटा ई-पंचायत सॉफ्टवेयर पर तैयार कर लिया गया है एवं प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले 110 गांवों के लिए भूप्रबंधन विभाग द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को LULC का डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उक्त डेटा को GEO REFERENCE कर DOIT को उपलब्ध कराया जा रहा है। DOIT द्वारा इस डेटा से एकीकृत मैप तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) प्रथम चरण में पायलेट बेस पर चूरू जिले के 10,000 से अधिक आबादी वाले तीन गांवों साहवा, पड़िहारा व साण्डवा को लिया गया है। उक्त मैप तैयार होने के उपरान्त भूमि विस्तार का चयन किया जाकर भूमि विस्तार के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे एवं पायलट बेस के आधार पर शेष गांवों हेतु कार्यवाही की जावेगी।

बाड़मेर में संचालित मदरसे

489. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में अल्पसंख्यक बच्चों के अध्ययन हेतु मदरसे संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कुल कितने मदरसे वर्तमान में संचालित हो रहे हैं एवं उनमें कितने बच्चे पंजीकृत हैं? मदरसेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कुल ऐसे कितने मदरसे हैं जहां पर कक्षा-कक्षों सहित अन्य सुविधाओं का अभाव है? क्या सरकार उक्त मदरसों में कक्षा-कक्ष बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त जिले में मदरसों में शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। बाड़मेर जिले में अल्पसंख्यक बच्चों के अध्ययन हेतु मदरसे संचालित किये जा रहे हैं। बाड़मेर जिले में वर्तमान में राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर से पंजीकृत 432 मदरसे संचालित हैं। वर्तमान में उक्त मदरसों में कुल बच्चों की संख्या 23,575 है। मदरसावाइज संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पूर्व में संचालित मदरसों को ही पंजीकृत किया जाता है। पंजीकृत होने के बाद आवश्यकता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जाता है।

(3) बाड़मेर जिले में राजस्थान मदरसा बोर्ड के पंजीकृत मदरसों में पैराटीचर्स की उपलब्धता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पैराटीचर्स लगाये जाते हैं। बाड़मेर जिले में 114 मदरसा शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। मदरसा में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

पीपल्दा में कब्रिस्तानों की भूमि पर चारदीवारी का निर्माण

490. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में कब्रिस्तानों की चारदीवारी (सुरक्षा दीवार) निर्मित नहीं होने से कब्रिस्तानों की भूमि पर गंदगी रहती है तथा अतिक्रमण होने की आशंका बनी हुई है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में चारदीवारी विहीन कब्रिस्तानों की चारदीवारी निर्मित करवाये जाने हेतु क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा विभाग को अनुरोध किये जाने के पश्चात् भी अब तक कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक चारदीवारी निर्माण कार्य स्वीकृत कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बजट वर्ष 2022-23 में भी कब्रिस्तानों आदि के विकास एवं चारदीवारी आदि निर्माण के लिए जन सहभागिता योजना की घोषणा की गई है, जिसमें उक्त विधान सभा क्षेत्र के कब्रिस्तानों में चारदीवारी निर्माण एवं अन्य विकास कार्य करवाये जाएंगे? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीना)

(4) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में स्थित कब्रिस्तानों के लिए उक्त कार्यों हेतु राशि कब तक स्वीकृत कर चारदीवारी निर्माण करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में विभिन्न स्थानों पर कब्रिस्तानों की भूमि पर चारदीवारी (सुरक्षा दीवार) निर्मित नहीं होने से कब्रिस्तानों की भूमि पर गंदगी रहती है तथा अतिक्रमण होने की आशंका बनी हुई है। ऐसे कब्रिस्तानों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला कोटा के पीपल्दा के फुसोद रोड पर कब्रिस्तानों की सीमांबदी मय गेट निर्माण कार्य, पीपल्दाकलां का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त कार्य हेतु दिनांक 21.02.2023 को राशि रुपये 7.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी तथा कार्यकारी एजेंसी से तकमीना प्राप्त तथा वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना प्रस्तावित है।

(3) बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में जन सहभागिता योजना के आधार पर वक्फ सम्पत्ति संरक्षण एवं विकास योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसकी स्वीकृति राज्य सरकार के पास संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर है।

(4) जिला कोटा के पीपल्दा के फुसोद रोड पर कब्रिस्तानों की सीमांबदी मय गेट निर्माण कार्य, पीपल्दाकलां का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त कार्य हेतु दिनांक 21.02.2023 को राशि रुपये 7.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी तथा कार्यकारी एजेंसी से तकमीना प्राप्त तथा वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

रायसिंहनगर में आंगनबाड़ी केन्द्रों के बकाया का भुगतान

491. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में आंगनबाड़ी

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

केन्द्रों का गर्म पोषाहार व नाश्ता का भुगतान माह मार्च, 2022 से बकाया है? यदि हां, तो भुगतान नहीं होने का क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त बकाया राशि का भुगतान कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्रेस का भुगतान विगत दो वर्षों से बकाया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त बकाया भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के अन्तर्गत परियोजना रायसिंहनगर के आंगनबाड़ी केन्द्रों के गर्म पोषाहार के माह अक्टूबर 2022 से मई 2023 तक की अवधि के प्राप्त बिलों के भुगतान हेतु 90 हजार रुपये बजट की मांग की गई एवं परियोजना अनूपगढ़ के नाश्ते का भुगतान माह अप्रैल, 2023 से मई 2023 तक की अवधि के प्राप्त बिलों के भुगतान हेतु 26 हजार रुपये बजट की मांग की गई है।

उक्तानुसार विभाग द्वारा बजट आबंटित कर दिया गया है तथा परियोजनाओं द्वारा बकाया भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) उक्त बकाया राशि के लिए बजट आबंटित कर दिया गया है तथा परियोजनाओं द्वारा बकाया भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) आईसीडीएस जनरल भारत सरकार एवं राज्य सरकार (60:40) द्वारा पोषित योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को यूनिफार्म दिया जाने का प्रावधान एपीआईपी में होता है। वर्ष 2021-22 में यूनिफार्म का उपापन नहीं होने की वजह से यूनिफार्म प्रदान नहीं की जा सकी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय प्रावधान व्यतीत होने के कारण वर्ष 2021-22 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को यूनिफार्म/डीबीटी नहीं की जा सकी।

वर्ष 2022-23 हेतु निदेशालय स्तर से केन्द्रीकृत उपापन की प्रक्रिया कर ड्रेस की आपूर्ति करवायी जा रही है। वर्ष 2023-24 हेतु विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्रेस की आपूर्ति शीघ्र करवा दी जायेगी। इस प्रकार से विगत दो वर्षों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्रेस बाबत कोई भुगतान बकाया नहीं है।

किशनगंज में सड़कों की मरम्मत व निर्माण कार्य

492. श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा किशनगंज में सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य चल रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की शेष रही सड़कों की मरम्मत व निर्माण कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य चल रहा है। इनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में कुल सड़कों की लम्बाई 885.89 किमी. है, जिसमें 255.80 किमी. लम्बाई गारंटी अवधि में है। 164.23 किमी. लम्बाई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण एवं रिन्युवल कार्य स्वीकृत है। 401.01 किमी. लम्बाई पेचेबल एवं संतोषजनक स्थिति में है। 64.85 किमी. लम्बाई नोन पेचेबल है। नोन पेचेबल सड़कों का निर्माण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मूण्डवा (नागौर) में आवासीय छात्रावास खोलने की कार्ययोजना

493. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार तहसील मुख्यालय मूण्डवा (नागौर) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक व बालिकाओं के लिए आवासीय छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभाग द्वारा तहसील मुख्यालय मूण्डवा (नागौर) पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं के लिए आवासीय छात्रावास खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

नवीन राजकीय छात्रावास खोले जाने हेतु राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर ही छात्रावास स्वीकृत किया जा सकता है। नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कारागारों में आपत्तिजनक सामग्री मिलने की घटनाएं

494. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के कारागृहों में मोबाइल हैण्ड सैट, सिम व अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलने की घटनाएं निरन्तर हो रही हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में जिला अलवर में किन-किन अधिकारियों द्वारा जेलों का निरीक्षण किया गया एवं उक्त अवधि में जेलों में कैदियों के पास क्या-क्या सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में पाई गई तथा उक्त घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश की कारागृहों में मोबाइल हैण्ड सैट, सिम व अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलने के प्रकरण आ रहे हैं, जिनके निम्न कारण हैं:-

1. कारागृहों के आसपास ऊंची इमारतों का निर्माण होने के कारण आसानी से निषिद्ध वस्तुओं को कारागृहों में फेंक दिया जाता है।

2. कारागृहों की दीवार (मेनवाल) से निषिद्ध सामग्री के बंदियों के परिजनों/साथियों द्वारा अन्दर फेंका जाता है।

3. कारागृहों के अन्दर प्रतिदिन बंदी/सामान की आवक-जावक होती है।

4. कई अवसरों पर सुरक्षा उपकरण भी निषिद्ध सामग्री को पकड़ने में सफल नहीं होते हैं।

5. बंदी पेशियों पर कारागृह से बाहर जाते हैं एवं बाद पेशी वापस कारागृह में आते हैं।

(2) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय कारागृह, अलवर के निरीक्षण संबंधी विवरण परिशिष्ट-अ एवं इस अवधि में जेलों में कैदियों के पास से बरामद वस्तुओं एवं उनकी मात्रा का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(कारागार मंत्री)

कारागृहों में आपत्तिजनक सामग्री के मिलने की घटनाओं को रोकने के लिए निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई है :-

1. कारागृहों में आपत्तिजनक सामग्री के मिलने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/ परिपत्रों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतियां परिशिष्ट-स पर संलग्न हैं।

2. जिला, पुलिस एवं जेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर संयुक्त रूप से कारागृहों की तलाशी ली जा रही है।

3. कारागृह प्रभारियों द्वारा कारागृहों की नियमित रूप से तलाशी ली जा रही है।

4. कारागृहों की तलाशी हेतु आधुनिक उपकरणों को क्रय किया जाकर, उनका उपयोग किया जा रहा है।

5. कारागृहों में आपत्तिजनक सामग्री पहुंचाने पर कार्मिकों की मिलीभगत पाये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई गई है।

6. जिन बंदियों के पास से निषिद्ध सामग्री बरामद होती है, उनके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे बंदियों को जेल नियमानुसार दण्डित किया जाता है।

7. बंदियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में पेश किया जाता है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

करौली जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी में आबंटित दुकानें

495. श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि करौली जिला मुख्यालय पर नवीन कृषि उपज मण्डी एवं नवीन सब्जी मण्डी में सरकार द्वारा कृषक एवं व्यवसायियों को दुकानों का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो दुकानों के आबंटन हेतु जारी विज्ञप्ति एवं दोनों मंडियों में दुकान आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या एवं आवेदन पत्रों के साथ दुकान आबंटन हेतु समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों सहित दुकानें आबंटित व्यक्तियों के नाम की दोनों मण्डियों की पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रोहित बौहरा)

(2) उक्त दोनों मंडियों में कृषक (काश्तकार) की हैसियत से आबंटित व्यक्तियों का नाम एवं उनके द्वारा कृषक होने के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों सहित दोनों मंडियों की पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कृषि उपज मंडियों में कृषकों को दुकानें आबंटन हेतु कृषक एवं व्यवसायियों का अनुपात क्या है? क्या किसी व्यवसायी द्वारा स्वयं, पत्नी या परिवारजन द्वारा कृषि भूमि खरीदने मात्र से चाहे वह भूमि कृषि योग्य हो अथवा नहीं, दुकानें आबंटित की जा सकती हैं? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? कृषि करने की कम से कम समयावधि कितनी होनी चाहिये? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गौण मण्डी करौली (अनाज) में भूखण्ड आबंटन हेतु विज्ञप्ति दिनांक 21.02.2012 को जारी की गई। भूखण्ड आबंटन हेतु 296 आवेदन प्राप्त हुए। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से 43 व्यापारी वर्ग को भूखण्ड आबंटन किया गया। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है तथा 17 महिला कृषक वर्ग को भूखण्ड आबंटन किया गया है। विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

गौण मण्डी करौली (फल सब्जी) में भूखण्ड आबंटन हेतु विज्ञप्ति दिनांक 28.07.2016 को जारी की गई। भूखण्ड आबंटन हेतु 83 आवेदन प्राप्त हुए। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से 23 व्यापारी वर्ग को भूखण्ड आबंटन किया गया। विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है एवं 6 महिला कृषक वर्ग को भूखण्ड आबंटन किया गया है। विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

दुकान आबंटन हेतु अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 के अनुरूप आबंटन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां परिशिष्ट-7 पर संलग्न हैं।

(2) गौण मण्डी करौली (अनाज) एवं गौण मण्डी करौली (फल सब्जी) में कृषक वर्ग के आवेदकों को किये गये आबंटन का विवरण एवं प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां परिशिष्ट-7 पर संलग्न हैं।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(3) अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 16(1)(1) में प्रत्येक नव निर्मित/विकसित किये जाने वाले मण्डी प्रांगणों में कृषि जिन्सों के व्यवसाय हेतु उपलब्ध दुकानों/भूखण्डों में से 20 प्रतिशत दुकानों/भूखण्डों का आबंटन कृषक वर्ग को किया जाने का प्रावधान है।

कृषक वर्ग में आबंटन हेतु पात्रता के संबंध में अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 16 (2) में प्रावधान है कि "ऐसा कृषक जो राजस्व अभिलेख में आबंटन विज्ञप्ति जारी करने से कम से कम दो वित्तीय वर्ष पूर्व से स्वयं के नाम से न्यूनतम एक बीघा भूमि धारण करता हो अथवा जिनकी राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी (पुरुष/महिला) की भूमि हो, तथा वह वास्तविक रूप से उस भूमि पर तत्समय पर कृषि कार्य करता हो, करता है, एवं जमाबंदी के साथ गिरदावरी से संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करता हो, वे मण्डी प्रांगण में आबंटन हेतु पात्र होंगे तथा कृषक की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि संबंधित मण्डी के क्षेत्र में अवस्थित हो एवं कृषक संबंधित मण्डी के क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करता हो।" (परिशिष्ट '8')

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

किशनगढ़ में कृषि कार्य करते हुए मृतक किसान के परिजनों को सहायता

496. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में कृषि कार्य करते हुए किसान की मृत्यु होने पर सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो कितनी राशि दी जाती है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में वर्ष 2019 से माह जनवरी, 2023 तक कितने व्यक्तियों की कृषि कार्य करते समय मृत्यु हुई है व कितने किसानों को मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सहायता राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाने पर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में वर्ष 2019 से जनवरी, 2023 तक कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में कृषकों की मृत्यु के 29 प्रकरण प्राप्त हुए। प्राप्त 29 प्रकरणों में से 16 प्रकरणों में 32.00 लाख रु. की सहायता राशि प्रदान की गई। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। 11 प्रकरण निरस्त किये गये तथा 2 प्रकरण लम्बित हैं।

(3) जी नहीं। योजनान्तर्गत दी जा रही सहायता राशि को बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नवलगढ़ में सैनिक कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

497. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा सैनिक कल्याण संबंधी क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त योजनाओं के तहत कितनी राशि व्यय कर कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विगत तीन वर्षों में उक्त योजनाओं के तहत किन-किन व्यक्तियों को कितनी सहायता प्रदान की गयी? क्या उक्त योजनाओं में आवेदन लंबित हैं? यदि हां, तो लंबित आवेदनों पर कब तक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा सैनिक कल्याण से संबंधी संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त योजनाओं के तहत लाभान्वित किये

(राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण)

गये व्यक्तियों एवं व्यय की गई राशि का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विगत तीन वर्षों में उक्त योजनाओं के तहत लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

जी हां। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के विभिन्न लंबित प्रकरण जो शहीद सैनिकों को देय पैकेज से संबंधित है, का विवरण परिशिष्ट-घ पर संलग्न है। विभाग द्वारा इन लंबित प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जहाजपुर में शुभशक्ति योजना में लंबित आवेदन

498. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संचालित शुभशक्ति योजना के तहत श्रमिकों की पुत्रियों को कौशल विकास, स्वयं के व्यवसाय, शिक्षा तथा विवाह के लिए पचपन हजार रुपये की राशि सहायतार्थ दिए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्ष 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में उक्त योजना के तहत कितने श्रमिक लाभान्वित हुए व उन्हें कितनी राशि दी गई तथा वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना के लंबित आवेदकों को भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मण्डल द्वारा संचालित शुभशक्ति योजना के तहत हिताधिकारी श्रमिकों की बच्चियों को कौशल विकास, स्वयं के व्यवसाय, शिक्षा तथा विवाह के लिए 55 हजार रुपये की राशि सहायतार्थ दिये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2019 से दिसम्बर, 2022 तक कोरोनाकाल, अन्य प्राथमिकताओं तथा मंडल में उपलब्ध कोष सीमित होने के कारण विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर

(राज्य मंत्री, श्रम)

में उक्त योजना के तहत किसी भी पंजीकृत श्रमिक को लाभान्वित नहीं किया गया है। वर्तमान में विभागीय स्तर पर 189 शुभशक्ति योजना के आवेदन लम्बित हैं।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के क्रम में पात्र आवेदकों का भौतिक सत्यापन जिला कलेक्टर के निर्देशन में गठित दल द्वारा किया गया है। पुराने आवेदनों का निस्तारण होने तक नये आवेदनों को फिलहाल पोर्टल पर स्थगित किया गया है। वित्तीय स्थिति अनुकूल होने पर आवेदकों को पात्रतानुसार एवं वरीयतानुसार भुगतान करने की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से की जायेगी।

जालौर में आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पद

499. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जालौर में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के कुल कितने औषधालय व चिकित्सालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों, नर्स व कम्पाउण्डरों, परिचारकों आदि के कुल कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद कब से रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से ऐसे कितने औषधालय हैं जिनमें रिक्त पदों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले के औषधालयों को कितनी एवं कौन-कौनसी औषधियां आबंटित की जाती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभागान्तर्गत जालौर जिले में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के औषधालयों/चिकित्सालयों की स्थिति निम्नानुसार है-

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा-

आयुर्वेद के 01 जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, 03 ब्लाक आयुष चिकित्सालय, 02 आयुर्वेद चिकित्सालय एवं 67 आयुर्वेद औषधालय एवं 01 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, कुल 74 चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

होम्योपैथी -

जालौर जिले में होम्योपैथी के कुल 13 औषधालय/चिकित्सालय संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

यूनानी-

जालौर जिले में यूनानी के कुल 09 औषधालय/चिकित्सालय संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सालयों/औषधालयों में चिकित्सकों, नर्स/कम्पाउण्डर, परिचारक सवंर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर एवं होम्योपैथी, यूनानी के चिकित्सालयों/औषधालयों में चिकित्सकों, नर्स/कम्पाउण्डर, परिचारक सवंर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-ब एवं परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) 30 औषधालय/चिकित्सालयों में रिक्त पदों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जिले में आयुष विभागान्तर्गत संचालित औषधालयों/चिकित्सालयों में बजट की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार औषधियां आबंटित की जाती हैं।

आबंटित की जाने वाली औषधियों का विवरण निम्नानुसार है -

आयुर्वेद विभाग में कुल 85 औषधियां (विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न), यूनानी चिकित्सा विभाग में कुल 44 (विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न) एवं होम्योपैथी चिकित्सा विभाग में कुल 21 (विवरण परिशिष्ट-र पर संलग्न) प्रकार की औषधियां औषधालय/चिकित्सालयों को आबंटित की जाती है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)